लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 4 सितम्बर, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
40	12	श्री मधुकर सर्पोतदार	श्री मधुकर सरपोतदार
51	नीचे से 12	(ग) धनराशि के उपयोगिता की प्रतिशतता कितनी है, पढ़िए।	
57	2	श्री एन.एस.वी.चित्तन	श्री एन.एस.वी.चित्यन
	वाद-विवाद में सभी स्थानों पर डा० यू.वेंकटस्वरलू के स्थान पर डा०यू.वेंकटेस्वरलू पढ़िए।		
129	नीचे से 14	श्री उद्धव बर्मन	श्री उधव बर्मन
281	3	श्री दरबार सिंह	श्री दरबारा सिंह
341	23	श्री निहाल चन्द्र चौहान	श्री निहाल चन्द चौहान
343	12	(ग) से (घ)	(ग) और (घ)
348	3	(क)	(क) से (ग)
377	20	श्री ताराचन्द्र भगोरा	श्री ताराचन्द भगोरा
378	14	श्री आनन्दराव विठोबा अडसल	श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल
379	नीचे से 13	(छ) से (ज)	(छ) और (ज)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 24, बुधवार, 4 सितम्बर, 1996/3 भाद्र, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	461 –से– 480	1—31
अतारांकित प्रश्न संख्या	4170 –से– 4424	32—448
सभा पटल पर रखे गए पत्र		448—452

लोक सभा

बुधवार, 4 सितम्बर, 1996/13, भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, प्रश्न काल फौरन निलम्बित किया जाना चाहिए....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कल अमेरिका ने इराक पर मिसाइलों से अटैक किया है। हमें अमेरिका के हमले की निन्दा करनी चाहिए। यहां पर इस मामले पर डिस्कशन होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री निर्मल कान्ति चटर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आई.बी.पी. कम्पनी लि.

***461. श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से आई. बी. पी. कम्पनी लिमिटेड को घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आई. बी. पी. कम्पनी लिमिटेड को हुए मुनाफे,घाटे का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों नामतः 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान आई बी. पी. कम्पनी लिमिटेड का कर पश्चात् लाभ क्रमशः 18.89 करोड़ रुपये, 23.52 करोड़ रुपये और 24.42 करोड़ रुपये था।

पेट्रोरसायन एकक

***462. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ. एन. जी. सी. और बी. पी. सी. एल. ने मिलकर पेट्रोरसायन एककों की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है जिसमें नेचुरल गैस लिक्विड (एन.जी.एल) का प्रयोग किया जाये,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). ओ एन जी सी और बी पी सी एल गुजरात में हजीरा में एक ग्रासरूट पैराक्सिलीन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना करने हेतु एक समझौता ज्ञापन करने के लिए विचार-विमर्श कर रही हैं। इस समय यह प्रस्ताव बिल्कुल आरम्भिक चरण में हैं।

विद्युत नीति

***463. श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन नीति और तत्संबंधी प्रोत्साहन पैकेज की समीक्षा हेतु एक विशेषज्ञ दल के गठित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका गठन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). सरकार ने वैकल्पिक टैरिफ ढांचे से संबंधित अध्ययन कार्य करने तथा तत्संबंधी परिवर्तन किए जाने हेतु सुझाव देने एवं राज्य बिजली बोर्डों को न्यूनतम लागतों पर विद्युत उपलब्ध कराए जाने के मूलभूत उद्देश्य से एक अंतःमंत्रालय समिति का गठन किया है। समिति अपने विचार-विमर्श करने की अंतिम अवस्था में है।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

*464. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना बनाई है जहां चालीस प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं;

(ख) क्या उपरोक्त योजना में बिहार को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन-किन योजनाओं को शुरू किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). किसी राज्य का विकास प्राथमिक रूप से सम्बंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, तथापि केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है। ग्रामीण गरीबी के उपशमन के लिए मुख्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमें इस प्रकार हैं: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.)। नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई) प्रमुख शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम है। विशेषरूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) तथा एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) आदि जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। इसके अलावा सरकार का प्रस्ताव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) को सुदृढ़ करने का भी है। जो लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण घटकों के आवश्यक आबंटन पर जोर देता है। समयबद्ध तरीके से कवरेज के निमित्त सात बुनियाद न्यूनतम सेवाओं की पहचान की गई है। इस प्रयोजनार्थ इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में बजट में 2216 करोड़ रुपये की राशि अलग से उपलब्ध कराई गई है। यह परिव्यय इन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों की योजनाओं में निर्धारित परिव्यय के अतिरिक्त होगा।

[अनुवाद]

निर्धनों हेतु शहरी बुनियादी सेवाएं

*465. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कोई शहरी बुनियादी सेवाएं शुरू की हैं;

(ख) क्या इन सेवाओं को राज्य सरकारों और यूनीसेफ की सहायता से शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित सेवाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1996-97 के दौरान विशेष रूप से महाराष्ट्र में कितने क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्धनों हेतु शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (यूबीएसपी) की इस केन्द्र प्रवर्तित योजना पर होने वाला व्यय, केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत यूनीसेफ सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पोषण हेतु चुनींदा पांच प्रमुख क्षेत्रों, यथा-प्रबंध क्षमता सृजन, प्रशिक्षण-क्षमता विकास, प्रचार व प्रसार, गैर- सरकारी संगठनों को सहायता तथा अन्तर सैक्टरीय सहयोग के लिए उपलब्ध है।

(ग) इस कार्यक्रम की खास-खास बाते हैं:- (1) सामाजिक सैक्टर के लक्ष्यों की कारगर लब्धि; (2) समुदाय को संगठित व सन्नद्ध करना तथा अधिकार प्रदान करना; (3) प्रेरक सहायता योजनाओं के जरिये संयोजन।

(घ) निर्धनों हेतु शहरी बुनियादी सेवा नामक अनवरत चालू योजना में महाराष्ट्र के 35 कस्बों सहित देश के 301 कस्बे शामिल हैं।

[हिन्दी]

शहरी जलापूर्ति योजना

*466. **श्री लक्ष्मण सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1993-94 में शुरू की गई त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों और शहरों में उक्त योजना प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाएगी, और

(ग) उन राज्यों और शहरों का ब्यौरा क्या है जहां उक्त योजना शुरू की गई थी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) यह कार्यक्रम 1991 की जनगणना के अनुसार 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में लागू है और पूरे देश के लिए है। सभी 215। कस्बे इस कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता पाने हेतु पात्र हैं। प्रत्येक राज्य में पात्र कस्बों की संख्या के बारे में सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 164.65 करोड रुपये की अनुमानित लागत पर 209 योजनाएं मंजूर की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य में मंजूर कस्बों की संख्या और अनुमानित लागत संबंधी ब्यौरे विवरण-II में हैं।

विवरण-I

20,000 तक आबादी वाले कस्बों/शहरी बस्तियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	कस्बे
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	10
3.	असम	59
4.	बिहार	87
5.	गोवा	22
6.	गुजरात	127
7.	हरियाणा	52
8.	हिमाचल प्रदेश	50
9.	जम्मू व कश्मीर	47
10.	कर्नाटक	134
11.	केरल	40
12.	मध्य प्रदेश	312
13.	महाराष्ट्र	132
14.	मणिपुर	28
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	19
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	76
19.	पंजाब	67
20.	राजस्थान	110
21.	सिक्किम	7
22.	तमिलनाडु	122
23.	त्रिपुरा	13
24.	उत्तर प्रदेश	486
25.	पश्चिम बंगाल	73
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
27.	चंडीगढ़	0
28.	दादरा व नगर हवेली	1
29.	दमन व दीप	0
30.	दिल्ली	6
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पांडिचेरी	4
	योग	2151

विवरण-II

त्वरित शहरी जल आपूर्ति का केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	कुल अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	–	–
2.	असम	1	135.31
3.	बिहार	3	233.14
4.	गोवा	2	51.13
5.	गुजरात	8	508.09
6.	हरियाणा	6	778.70
7.	हिमाचल प्रदेश	4	326.10
8.	जम्मू व कश्मीर	2	155.10
9.	कर्नाटक	8	475.70
10.	केरल	2	370.82
11.	मध्य प्रदेश	51	3604.70
12.	महाराष्ट्र	7	332.89
13.	मणिपुर	5	186.39
14.	मेघालय	1	195.63
15.	मिजोरम	1	46.48
16.	नागालैंड	–	–
17.	उड़ीसा	3	204.53
18.	पंजाब	3	319.89
19.	राजस्थान	18	1607.38
20.	सिक्किम	–	–
21.	तमिलनाडु	12	448.55
22.	त्रिपुरा	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	69	5858.67
24.	पश्चिम बंगाल	3	325.88
	योग	209	16465.08

[अनुवाद]

पेट्रोल में मिलावट

*467. **श्री मोहन रावले :**
श्री खीतुभाई गामीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल में मिलावट करने और डीजल के अधिक दाम वसूल करने की शिकायतों के आधार पर देश के अनेक भागों में जून, जुलाई और अगस्त, 1996 के दौरान पेट्रोल पम्पों पर छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे पेट्रोल पम्पों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोलियम उत्पादों की कमी न हो, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जून, जुलाई और अगस्त, 1996 के दौरान राज्य सरकारों के प्राधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में 200 खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापे मारे गए।

जिन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर छापा मारा गया उनमें से नौ के विरुद्ध अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बिक्रियों के निलम्बन और प्राथमिकी दर्ज कराने जैसी कार्रवाईयां की गईं।

(घ) सरकार द्वारा तेल विपणन कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल की सम्पूर्ण मांग पूरी करने और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी खुदरा बिक्री केन्द्र शुष्क न रहे।

मंगलौर तेल शोधक कारखाना

*468. **श्री ऑस्कर फर्नान्डीज़** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और बिड़ला कम्पनी समूह के बीच मंगलौर तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए जिन लोगों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनके पुनर्वास के लिए किसी पैकेज की पेशकश की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या एम.आर.पी.एल. ने यह वायदा किया है कि प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक व्यक्ति को एम.आर.पी.एल. में नौकरी दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस आश्वासन को किस हद तक पूरा किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). मंगलौर में 3.0 एम एम टी पी ए क्षमता की ग्रास रूट रिफाइनरी तथा पेट्रो-कैमिकल परिसर स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी तैयार करने हेतु भारत के राष्ट्रपति और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन रेयान एंड इण्डस्ट्री लिमिटेड के बीच 26 जून, 1987 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और मै. आई आर आई एल प्रत्येक का 26 प्रतिशत संभाशंता अंशदान है तथा शेष 48 प्रतिशत जनता का।

(ग) से (ङ). अधिग्रहीत भूमि इत्यादि के मुआवजे के उद्देश्य से दिसम्बर, 92 तक दिसम्बर, 95 में राज्य सरकार द्वारा पैकेज तैयार किया गया था। यद्यपि राज्य सरकार के पैकेज में यह शामिल था कि एम आर पी एल ऐसे प्रति परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएगा जो परियोजना के लिए अपनी भूमि से वंचित हो गए हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होगा एम आर पी एल ऐसे लोगों की दक्षता उन्नयन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा। एम आर पी एल ने 500 प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक को रोजगार उपलब्ध कराने से अपनी असमर्थता से राज्य सरकार को अवगत कराया है, क्योंकि उनके यहां की कार्य प्रकृति उच्च स्तरीय तकनीकी योग्यता की अपेक्षा रखती है।

तथापि एम आर पी एल ने 500 विस्थापित परिवारों में से 127 लोगों को पहले ही परियोजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करा दिए हैं तथा समग्र रूप से कुल 309 लोगों को ही सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।

एम आर पी एल और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को और अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हल ढूंढने में लगी है।

विदेशी कंपनियां

*469. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है जो तेल शोधन, वितरण, स्टाक और बिक्री एवं खोज से संबंधित कार्यों के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों के सहयोग और इसके बिना भी कार्यरत है और इनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या विदेशी कंपनियां अपने संचालनगत लाभ की शत-प्रतिशत राशि का इस देश में आगे निवेश किए बिना विदेश ले जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय करने का है कि विदेशी कंपनियां कम से कम आगामी

पांच वर्षों तक अपने अर्जित लाभ की शत प्रतिशत राशि स्वदेश न ले जाएं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) 1. भारत में तेल और गैस के अप-स्ट्रीम क्षेत्र में भागीदारी रखने वाली विदेशी कंपनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

2. विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित/कार्यान्वयनाधीन रिफाइनरी परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :-

(1) इंडियन ऑयल कारपोरेशन ओर कुवैत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के संयुक्त उद्यम क रूप में ईस्टर्न इंडिया रिफाइनरी संयुक्त उद्यम कम्पनी के गठन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओमान ऑयल कम्पनी की संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में बैस्टर्न इंडिया रिफाइनरी - इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन कर लिया गया है। सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति को प्रस्तुत किया जाना है।

(3) बीना में सैन्ट्रल इंडिया रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।

सरकार ने निम्नानुसार संयुक्त उद्यमों में रिफाइनरियां स्थापित करने के लिए आशय पत्र भी प्रदान किए हैं:

(1) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और मैसर्स शेल इंटरनेशनल द्वारा उत्तर प्रदेश में एक रिफाइनरी की स्थापना।

(2) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और सऊदी अरामको द्वारा पंजाब में एक रिफाइनरी की स्थापना।

उपर्युक्त पांच परियोजनाओं ने अभी प्रचालन शुरू नहीं किया है। भारत सरकार और नेशनल इरानियम आयल कंपनी (एन आई ओ सी), ईरान के संयुक्त उद्यम के रूप में मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड़ दिसम्बर, 1965 में निगमित की गई थी। यह रिफाइनरी प्रचालनरत है।

(3) पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन और विपणन के लिए मूलभूत सुविधाओं के सृजन के क्षेत्र में कार्यरत विदेशी कंपनियों के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ). पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेश की वर्तमान नीति के अनुसार विदेशी कर्पनियों द्वारा लाभों के स्वदेश भेजे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परन्तु 1991 से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद किए गए अधिकांश विदेशी निवेशों से लाभों का सृजन नहीं हुआ है अतः इन निवेशों के संबंध में लाभों के स्वदेश प्रत्यावर्तन का अभी तक प्रश्न नहीं उठा है।

विवरण-I

भारत में तेल और गैस के अपस्ट्रीम क्षेत्र में भागीदारी हित रखने वाली विदेशी कंपनियां

1. जोशी टैक्नोलाजिज इंटरनेशनल इंक, यू.एस.ए
2. एनरान आयल एंड गैस इंटरनेशनल इंक, यू.एस.ए.
3. कमांड पेट्रोलियम होल्डिंग एन.एल
4. वाल्को एनर्जी इंक., यू एस ए
5. मोसबेचर इंडिया, एच एल सी, यू एस ए
6. पेट्रोडायन इंक., यू.एस.ए.
7. एल्बायन इंडिया इंक., यू.एस.ए
8. शेल इंडिया, प्रोडक्शन डेवलपमेंट बी.वी., नीदरलैंड
9. जियोपेट्रोल इंटरनेशनल इंक., फ्रांस
10. राव्वा आयल (सिंगापुर) प्रा. लि. सिंगापुर
11. नीको रिसोर्सिज लिमिटेड़, कनाड़ा

विवरण-II

पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण, भण्डारण और बिक्री के क्षेत्र में भारत में कार्यरत/कार्य करने की इच्छुक विदेशी कंपनियों के नाम

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कार्यरत विदेशी कंपनियां :

विदेशी कंपनी का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कार्यकलाप
1. मैसर्स मोबिल	इंडियन आयल कारपोरेशन	स्नेहकों का सम्मिश्रण और विपणन
2. मैसर्स शैल	भारत पेट्रोलियम	-तदैव-
3. मैसर्स कैलटैक्स	आईबीपी एंड कं.	-तदैव-
4. मैसर्स नायको	ओओसी एंड बामर लारी	सिंथेटिक और उड्डयन स्नेहक का सम्मिश्रण और विपणन
5. मैसर्स फच	बामर लारी	स्नेहकों का सम्मिश्रण और विपणन
6. मैसर्स शेवरान	एम आर एल	स्नेहक योगजों का निर्माण

(2) स्वयं अथवा अन्य निजी कंपनियों के साथ सहयोग से स्नेहकों के सम्मिश्रण और विपणन के क्षेत्र में कार्यरत/कार्य करने की इच्छुक अन्य विदेशी कंपनियों के नाम नीचे दिए गए हैं :

1. कैस्ट्रोल, यू.के.
2. इल्फ, फ्रांस .
3. गल्फ आयल एन ओ सी, आस्ट्रीया
4. ई एन आई, इटली और कौला बीआईए कैमिकल्स यू. एस.ए.
5. एम ओ टी यू एल
6. पेनजोइल
7. सी. इतो
8. मेनकिन जर्मनी
9. इर्दीमितसु, सिंगापुर
10. आई टी पी एंड एन यू एस कम्पनी
11. लियूमोली, जर्मनी
12. टोटल, फ्रांस
13. टाइड वाटर एंड मित्सुबिशी
14. यू एन ओ सी ए एल
15. वाल्वोलीन

(3) जिन विदेशी कंपनियों ने एल पी जी के विपणन और एल पी जी के लिए मूलभूत सुविधाओं के सृजन में दिलचस्पी दिखाई है उनके नाम हैं : मैसर्स मोबिल, शैल, काल्टेक्स, शेल्फ, पेट्रोनास, एस एच वी एनर्जी, टोटल, ऐक्सान, एजिप पेट्रोलि, मुण्डो गैस इंडिया लिमिटेड, सदर्न एल पी जी इन्वेस्टर्स, वाईटॉल। मैसर्स मित्सुविशी कारपोरेशन ने भी भारत में मूलभूत सुविधाओं के सृजन और मिट्टी तेल के विपणन के लिए रुचि दर्शाई है। जर्मनी की मैसर्स ऑयल टैंकिंग जी एम बी एच, हैम्बर्ग ने आई ओ सी और आई बी पी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन द्वारा भारत में तेल भण्डारण की सुविधाओं के सृजन के लिए रुचि दिखाई है। फ्रांस की मैसर्स कोलास ने भी तारकोल इमलशन्स के सम्मिश्रण और विपणन के लिए एच पी सी एल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। मैसर्स ब्रिटिश गैस पी एल सी, यू के ने मुंबई में प्राकृतिक गैस के विपणन, वितरण और आपूर्ति के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है।

(4) मैसर्स लुब्रीझाल कारपोरेशन, यू एस ए लुब्रीझाल इंडिया लिमिटेड में 40 प्रतिशत समांशता की धारक है जबकि 60 प्रतिशत समांशता की धारक भारत सरकार है। यह कंपनी स्वचालित वाहनों और औद्योगिक स्नेहकों के लिए तथा तेल ईंधनों के उपचार के लिए योगज प्रणाली के विकास, निर्माण और विपणन कार्यों में संलग्न है।

कस्बा और शहरी नगरपालिका क्षेत्र का विकास

*470. **श्री बी. धनन्जय कुमार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कस्बा और शहरी नगरपालिका क्षेत्र के समेकित विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में यदि कोई धनराशि आबंटित की गई है तो इसकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई अंतर्निहित तंत्र विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (घ). छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास कार्यक्रम और इसके लिए आबंटित धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

छोटे व मझौले कस्बों में समेकित विकास दिशा-निर्देशों के तहत, राज्य स्तरीय अनुमोदन समितियों, जिसमें वरिष्ठ राज्यकीय अधिकारी तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, को इस कार्यक्रम की परियोजनाएं मंजूर करने तथा समय-समय पर योजना कार्यान्वयन की मानीटरिंग और समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार स्तर पर, इन परियोजनाओं के अनुमोदन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के बारे में राज्य सरकारों को तिमाही प्रगति रिपोर्टें टी सी पी ओ के पास भेजनी होती है। दिशा-निर्देशों में टीसीपीओ तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा आई डी एस एम टी परियोजनाओं के निरीक्षण का भी प्रावधान है। इसके अलावा टी.सी.पी.ओ. को आई. डी. एस. एम. टी योजनाओं के कार्यान्वयन पर हर साल 30 अप्रैल तक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

विवरण

छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास (आई.डी.एस.एम.टी.) कार्यक्रम के ब्यौरे

छोटे व मझौले कस्बों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम छठवीं योजना (1979-80) में शुरू की गई थी। यह स्कीम 7वीं व 8वीं योजनाओं में जारी रही। इसका उद्देश्य विकास की संभावना वाले चुनींदा शहरों में अवस्थापनाओं में सुधार करना है, ताकि वे आर्थिक विकास और रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में उभर सकें तथा बड़े नगर/शहरों की ओर आबादी के प्रवसन को कम कर सकें।

मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार आई डी एस एम टी योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :-

(i) स्कीम का दायरा :

आई डी एस एम टी स्कीम 5 लाख तक की आबादी (पहले यह सीमा 3 लाख थी) वाले उन कस्बों/शहरों में लागू है जहां स्थानीय निकायों के चुनाव हो गए हैं। आई डी एस एम टी स्कीम 50,000 से 1 लाख के बीच की आबादी वाले कस्बों में लागू नहीं है। इस श्रेणी के लिए आई डी एस एम टी घटक प्रधानमंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत हाथ में लेने होंगे।

(ii) राजकीय शहरी विकास नीति पत्रक :

राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को राज्य शहरी विकास नीति दस्तावेज करने होंगे तथा आई डी एस एम टी के तहत वित्त व्यवस्था हेतु व्यापक औचित्य सहित वृद्धि केन्द्रों (प्राथमिकता कस्बों) का निर्धारण करना होगा।

(iii) नगर विकास योजनाएं तथा परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए अनुदान सहायता :

राज्य शहरी कार्यनीति तथा कस्बा/शहर मास्टर प्लान और कस्बा/नगर विकास (निवेश) योजनाएं व इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आई डी एस एम टी परियोजना रिपोर्टें नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की जानी अपेक्षित है। ये योजनाएं तथा परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में मदद देने के लिए राज्य सरकारों/नगरपालिकाओं को (राज्य नोडल एजेंसियों की मार्फत 80 केन्द्रीय अनुदान) : 40 (राज्य अनुदान) आधार पर अनुदान सहायता उपलब्ध होगी जो कस्बे की श्रेणी के आधार पर 3 लाख से 6 लाख रुपये के बीच होगी।

(iv) स्कीम घटक :

इन घटकों में नगर/कस्बा विकास योजनाओं के अनुसार नगर-वार/कस्बा-वार महत्व के निर्माण कार्य शामिल हैं। इनमें मास्टर प्लान सड़कों को पक्का बनाना (पथ प्रकाश सहित) जल विकास व्यवस्था, बस/ट्रक टर्मिनलों, स्थलों तथा सेवाओं तथा बिक्री क्षेत्रों, पर्यटक सुविधाएं, नगर/कस्बा उद्यानों आदि के विकास का समावेश किया जा सकता है।

(v) वित्त-व्यवस्था पद्धति :

इस स्कीम में आई डी एस एम टी परियोजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय व राजकीय) तथा ऋणों/आंतरिक (नगरपालिका) आय सम्मिलित कार्यक्रम है। परियोजना लागत, अनुदान तथा ऋण/आंतरिक संसाधन घटक अलग-अलग शहरों में निम्नलिखित के अनुसार होंगे :-

शहर की श्रेणी (आबादी)	परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (अनुदान) अधिकतम	राज्य अंश (अनुदान)	हुडको/अन्य वित्तीय संस्थान/अन्य स्रोत
ए (20000 से कम)	100	48	32	20 (20 प्रतिशत)
बी (20000-50000)	200	90	60	50 (50 प्रतिशत)
सी (50000-100000)	350	150	100	100 (29 प्रतिशत)
डी (1-3 लाख)	550	210	140	200 (36 प्रतिशत)
ई 3-5 लाख	750	270	180	300 (40 प्रतिशत)

अनुदान घटक केन्द्र तथा राज्य सरकारो के बीच 60:40 के अनुपात में वहन किया जायेगा।

(vi) कार्यान्वयन तंत्र

केन्द्रीय स्तर पर आई डी एस एम टी परियोजनाओं के अनुमोदन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन हेतु नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (टी सी पी सी ओ) नोडल एजेंसी है। आई डी एम एम टी परियोजना राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा मंजूर की जाती हैं जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। स्वीकृतियों के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी की जायेगी।

(4) धन आबंटन

योजना में शामिल शहरों की संख्या तथा योजना-वार केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :-

योजना अवधि	लाभान्वित शहरों की संख्या	जारी केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये)
1	2	3
6वीं योजना	235	63.57
7वीं योजना	145	80.06
1990-91	77	19.10
1991-92	60	13.44

1	2	3
8वीं योजना		
1992-93	44	11.60
1993-94	84	19.00
1994-95	104	22.90
1995-96	79	27.88
योग	828	258.05

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

***471. श्री नीतीश भारद्वाज :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) बिहार की विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनांचल क्षेत्र के सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए बिहार के इस क्षेत्र में अधिक विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) महाराष्ट्र में 31, गुजरात में 20 तथा बिहार राज्य में 9 विद्युत परियोजनाएं विद्यमान हैं।

(ख) 30.8.96 की स्थिति के अनुसार बिहार में विद्यमान विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता 2511.6 में वा. है। जिसमें 2350 में वा. ताप-विद्युत तथा 161.6 मे. वा. जल-विद्युत शामिल है। इसमें केन्द्र क्षेत्र की 840 मे. वा. ताप विद्युत क्षमता भी शामिल है।

(ग) से (ङ). निम्नलिखित परियोजनाएं बिहार में क्रियान्वित हैं/अथवा इन्हें क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है :

परियोजना	क्षेत्र	क्षमता (मे. वा.)
तेनुघाट चरण-1 (यूनिट-2) (थर्मल)	राज्य	210
तेनुघाट चरण-2 (यूनिट 3-5) (थर्मल)	राज्य	210·3
मुजफ्फरपुर विस्तार (यूनिट 1-2) (थर्मल)	राज्य	250·2
कोयलकारो (हाइड्रो)	केन्द्र	710
उत्तरी कोयल (हाइड्रो)	राज्य	24
चांदिल एल बी सी (हाइड्रो)	राज्य	8
जोजोबेरा (थर्मल)	निजी	67.5·3 (प्रथम यूनिट को जनवरी, 1996 में चालू कर दिया गया है)

इसमें अतिरिक्त, निजी क्षेत्र के अंतर्गत चांदिल टीपीएस (2x250) तथा नबीनगर टीपीएस (200 मे. वा.) के क्रियान्वयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आधार पर पूर्वअर्हता बोलियां भी आमंत्रित की गई हैं।

पेयजल

***472. श्री एस. पी. जायसवाल :**

श्री रामसागर :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ऐसे कितने गांव हैं जहां पेयजल अभी उपलब्ध कराया जाना है;

(घ) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के गांवों में और देश में अन्यत्र पेयजल की आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी;

(ङ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल क्षेत्र के पर्वतीय जिलों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए विश्व बैंक की सहायता से कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडू) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में 27464। बसावटों में से, 168875 बसावटों को पूर्ण रूप से 96604 बसावटों को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है। तथा शेष 1961 बसावटों को अभी पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। 4-5 जुलाई, 1996 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इन बसावटों को अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर पूर्ण रूप से पेयजल उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है और राज्यों को तदनुसार योजना बनाने के लिए कहा गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 1148 बसावटों में पेयजल अभी उपलब्ध कराया जाना है।

(घ) 1997-98 तक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले और देश में अन्यत्र पेयजल सुविधा नहीं प्राप्त सभी बसावटों को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) और (च). विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना में नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा के पर्वतीय जिले शामिल हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

***473. डा. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री संतोष मोहन देव :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौंवी योजना की रूपरेखा को अनुमोदित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्यों के बीच संसाधनों के आबंटन हेतु वर्तमान गाडगिल मुखर्जी फार्मूले में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नौंवी योजना को तैयार किए जाने में विलंब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो नौंवी योजना के कब तक तैयार कर लिए जाने तथा अनुमोदन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है और इसकी प्राथमिकतायें क्या हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्तमान शिड्यूल के अनुसार नौंवी योजना के एप्रोच पेपर के दिसम्बर, 1996 में एन डी सी के समक्ष रखे जाने की सम्भावना है।

(ख) जी, नहीं। सरकार ने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). नौवीं योजना को 1 अप्रैल, 1997 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है। जो कि नौवीं योजना के शुरू किए जाने की सामान्य तारीख है। नौवीं योजना के एप्रोच पेपर में अन्य बातों के साथ-साथ योजना प्राथमिकताएं शामिल होंगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस का आबंटन

***474. डा. जी.आर. सरोदे :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को रसोई गैस के आबंटन के लिए किन-किन मानदण्डों का अनुपालन किया जाता है;

(ख) क्या महाराष्ट्र को रसोई गैस के कोटे का आबंटन इसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). नए गैस कनेक्शनों का आबंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता। नए एलपीजी कनेक्शन पूरे देश के कुल नए ग्राहकों के पंजीयन, उक्त राज्य में वितरकों के पास उपलब्ध स्लैक, प्रतीक्षा सूचियों और उत्पाद उपलब्धता के आधार पर जारी किए जाते हैं। तो भी, यथासंभव संख्या में आवेदकों को यथा-शीघ्र एलपीजी कनेक्शन देने के प्रयास जारी हैं। इस प्रयोजन के लिए मौजूदा उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके तथा नई उत्पादन सुविधाएं और नई एलपीजी आयात सुविधाएं आरम्भ करके अधिकाधिक एलपीजी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। कांडला और मंगलौर में एलपीजी के आयात की सुविधाएं 1996-97 के दौरान चालू किए जाने की आशा है तथा ऐसी और भी सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि वर्ष 2001 तक बकाया प्रतीक्षा सूचियां समाप्त कर ली जाएंगी तथा केवल चालू प्रतिक्षा सूचियां ही शेष रह जाएंगी।

गहरे समुद्र में मत्स्यन

***475. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :**
श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरारी समिति ने गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या इसके कार्यान्वयन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस पर अब तक कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि नहीं, तो उपरोक्त समिति की सिफारिशों पर कोई कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) एवं (ख). गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने सरकार को 8 फरवरी, 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। सिफारिशें अनुलग्नक पर हैं।

(ग) से (च). अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके सिफारिशों का परीक्षण किया गया है। इस सिफारिशों पर निर्णय जल्दी ही लिया जाएगा।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग द्वारा मत्स्यन के लिए जारी की गई सभी मंजूरियों को अपेक्षित कानूनी कार्यवाही के अध्यधीन तत्काल रद्द कर दिया जाए।

2. भविष्य में संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीज/टेस्ट फिशिंग जलयानों को मत्स्यन के लिए कोई नया लाईसेंस/अनुमति न दी जाए और न ही नवीनीकरण/कार्यकाल बढ़ाया जाए।

3. मत्स्यन संबंधी सभी लाईसेंसों/परमिटों को सार्वजनिक दस्तावेज माना जाए और उनकी प्रतियां निरीक्षण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध हों।

4. 20 मीटर से कम लम्बाई वाली पारम्परिक नौकाओं अथवा मशीनीकृत जलयानों को चलाने वाले मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का दोहन किया जा रहा है अथवा किया जाएगा उनका दोहन करने के लिए सिफारिश संख्या एक और सात के अध्यधीन फिलहाल करंट एरिया में चल रहे भारतीय जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाले किसी जलयान को अनुमति न दी जाए।

5. 20 मीटर से कम लम्बी भारतीय मशीनीकृत नौकाएं लगभग 70-90 मीटर तक की गहराई में मछली पकड़ सकती हैं। इसलिए पश्चिम तट पर पैरा-4 में उल्लिखित जलयानों को छोड़कर 20 मीटर से अधिक लम्बाई वाले सभी जलयानों को 150 मीटर गहराई तक मत्स्यन करने की अनुमति न दी जाए। जहां 150 मी. की गहराई किसी तट से 100 समुद्री मील से कम दूरी पर है वहां 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयानों को 100 समुद्री मील तक की दूरी तक मत्स्यन करने दिया जाए। पैरा 4 में दी गई छूट को छोड़ कर पूर्वी तट पर, जो कि कन्याकुमारी से शुरू होता है, 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयान तट से 50 समुद्री मील तक अथवा 100 मीटर गहराई तक जो भी दूर हो मत्स्यन कर सकें। समन्वयकों द्वारा तट से दूरी का उल्लेख करते हुए गहराई वाले क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाए। दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय/तटरक्षक बल/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

6. जहां तक अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह का संबंध है तट से 50 समुद्री मील तक की दूरी पैरा-4 में दिए गए परन्तुक के अनुसार 20 मीटर से कम लम्बे भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित की जाए। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सीमा का निर्धारण द्वीपों के बीच वाले जल को भारतीय जलयानों के लिए अनन्य रूप से आरक्षित करने की जरूरत को ध्यान में रखकर किया जाए चाहे उसमें से कोई हिस्सा 50 समुद्री मील की सीमा से बाहर पड़ता हो।

7. जो क्षेत्र 20 मीटर से अधिक लम्बे जलयानों के लिए हैं वहां मध्यवर्ती जल अथवा प्लैजिक क्षेत्रों में ट्रूना तथा ट्रूना जैसी मछलियों जैसे स्किवड और कटल फिश, गहन समुद्री फिन मछली तथा समुद्री ट्रूना का दोहन ट्रूना लांग लाइनिंग ट्रूना पर्स सीनिंग, स्किवड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा करने की अनुमति है बशर्ते वे वास्तव में भारतीय स्वामित्व वाले पंजीकृत जलयान हों। भारतीय मालिकों को कम से कम 51 प्रतिशत ऋण अथवा इक्विटी होनी चाहिए।

8. विभिन्न मत्स्यन क्षेत्रों के लिए मत्स्यन बेड़ों के आकार का निर्धारण संसाधनों के संरक्षण की जरूरत और अधिकतम निरन्तर उत्पादन को ध्यान में रखकर तय किया जाए।

9. हमारे जल में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की रक्षा और समुद्री में होने वाली झड़पों को कम करने के लिए संसद को मत्स्यन समुदाय से विचार-विमर्श करने के बाद गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी विनियम बनाना चाहिए।

10. पारम्परिक, छोटे मशीनीकृत बड़े गहन समुद्री जलयानों के बीच झड़पों को रोकने के लिए तटरक्षक बल द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। तटरक्षक बल द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए, उसका विस्तार किया जाना चाहिए। नौचालन, निगरानी और शस्त्र की अति आधुनिक प्रणाली से तकनीकी रूप से उसका उन्नयन किया जाना चाहिए तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उसे उपयुक्त रूप से लेस किया जाना चाहिए। अगर यह कार्य तटरक्षक बल नहीं कर पाता तो राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी और एजेंसी का पता लगाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित क्षेत्रों में जिन जलयानों को नहीं आना चाहिए वे इन प्रतिबंधों का उल्लंघन न करें।

11. सरकार को गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े तथा पारम्परिक मछुआरों द्वारा मशीनीकृत नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों तथा प्रौद्योगिकीय कुशलता के उन्नयन के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए तथा वित्त उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे कानून अथवा परम्परा द्वारा आरक्षित क्षेत्रों में कारगर ढंग से मत्स्यन कर सकें। शुल्क संबंधी रियायतें तथा रियायती दरों पर वित्त की सुविधा तीनों प्रकार की श्रेणियां लेकिन इसमें पारम्परिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए, क्षमता बढ़ाने से लेकर अति आधुनिक टैक्नॉलाजी को ध्यान में रखते हुए नौचालन के साथ-साथ मत्स्यन उपकरणों के लिए दी जाए।

12. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखकर पारम्परिक और लघु मशीनीकृत क्षेत्र को सब्सिडी, हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल, ईंधन की पर्याप्त नियमित सप्लाई दी जाए।

13. सभी प्रकार की समुद्री मात्स्यिकी एक मंत्रालय के तहत होनी चाहिए। सरकार को एक ऐसे भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण की स्थापना पर विचार करना चाहिए जिस तरह के अन्य देशों में स्थित हैं और जो नीतियों को बनाने और उनको लागू करने के लिए उतरदायी हैं।

14. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को भी आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरण देकर तकनीकी रूप से बेहतर बनाया जाना चाहिए ताकि वह सभी प्रकार की मछलियों के क्षेत्र का पता लगा सके और नक्शा बना सके तथा विभिन्न प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन कर सकें। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय रिपोर्ट सैंसिंग एजेंसी और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच उपयुक्त समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. सरकार को मात्स्यिकी संसाधनों की बरबादी, जो कि मछलीइतर वस्तुओं को समुद्र में फेंकने के कारण होती हैं, को रोकने के लिए बुनियादी सुविधाओं के सृजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा मछुआरों और उनकी सहकारिताओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों के मूल्यवर्धन के लिए कोल्ड स्टोरेज, बर्फ के कारखानों, मछली प्रसंस्करण सुविधाओं, फिश मील और आहार सुविधाएं उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

16. पूर्वी और पश्चिमी तट के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूदा और आधुनिक अपग्रेडिड नौकाओं के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं का सृजन प्राथमिकता आधार पर किया जाए।

17. मछुआरों / मछुआरिनों और उनकी सहकारिताओं को विपणन तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए बड़े जलयानों की खरीद और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

18. सरकार को फिश हैंडलिंग और प्रसंस्करण के अन्य पहलुओं के अलावा नए उपकरणों, बड़े जलयानों और नई मत्स्यन तकनीक के बारे में मछुआरों/मछुआरिनों को प्रशिक्षण देने में प्राथमिकता बरतनी चाहिए।

19. सरकार को उद्योगों द्वारा बहिस्राव/प्रदूषकों/सीवेज के कारण उत्पन्न किए जा रहे संकट को रोकने के लिए कारगर उपाय करने चाहिए क्योंकि इनसे समुद्री जीवन पर बुरा असर पड़ता है।

20. सरकार को 6 महीने में समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना होगा।

21. गहन समुद्री मत्स्यन नीति को समय-समय पर अर्थात हर 3-5 वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए।

राज्य विद्युत बोर्ड

***476. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को हुए घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड में कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या इस निवेश के वांछित परिणाम नहीं मिल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आय में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उप-धारा 4 के प्रावधान के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के लेखों संबंधी विवरण उस वर्ष के लेखा सामप्ति के उपरांत, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को 6 माह के भीतर अग्रषित करना अपेक्षित होता है। इसलिए, वर्ष 1995-96 हेतु लेखा उपलब्ध नहीं है। तथापि, गत वर्षों अर्थात 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लेखों में प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता की गणना करने के पश्चात् राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वहन की गई हानियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) रा. बि. बो. के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) हेतु अनुमोदित परिव्यय तथा 1995-96 तक का व्यय/संशोधित अनुमानों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ). विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 के अनुसार, रा. बि. बो. द्वारा मूल्य ह्रास तथा ब्याज प्रभारों को प्रदान करने के पश्चात् अपनी कार्यशील निबल अचल परिसंपत्तियों पर 3 प्रतिशत की न्यूनतम लाभांश दर अर्जित किया जाना अपेक्षित होता है। हालांकि, कुछ रा. बि. बो. ने वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान लेखों में प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता को

गणना करने के पश्चात् 3 प्रतिशत या उससे अधिक की लाभांश दर अर्जित नहीं कर पाए हैं, जैसाकि संलग्न विवरण-III से देखा जा सकता है।

(ङ) लाभांश को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकारों/रा.बि.बो. को समय-समय पर कुछ कदम उठाए जाने की सलाह दी जाती है, जैसे कि टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना, ग्रामीण विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का नियमित रूप से भुगतान, संयंत्र भार अनुपात में सुधार, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी, विद्यमान ताप-विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एंव आधुनिकीकरण तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नई विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना इत्यादि।

विवरण-I

वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान लेखे में प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता की गणना करने के पश्चात् राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अर्जित वार्षिक हानियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	रा.बि.बो. का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	बिहार	-	-	(यू) -80.32
2.	हरियाणा	-335.67	-410.90	-
3.	पंजाब	-118.53	- 117.90	(ए) -5.53
4.	पश्चिम बंगाल	-28.35	-	-
5.	असम	-70.68	-264.60	(पी) -269.81
6.	मेघालय	-5.96	-5.97	(पी) -10.24

पी - अनंतिम,

ए - अंकेक्षित

यू - अनंकेक्षित

टिप्पणी : खाली स्थान यह दर्शाता है कि इन बोर्डों की राशि अधिशेष थी और इन्होंने कोई हानि अर्जित नहीं की है।

विवरण - II

राज्य बिजली बोर्डों के संबंध में आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) हेतु अनुमोदित परिव्यय तथा वर्ष 1995-96 तक के व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	रा.बि.बो. का नाम	आठवीं योजना (1992-97) अनुमोदित परिव्यय	व्यय/संशोधित अनुमान			
			1992-93 (वास्तविक)	1993-94 (वास्तविक)	1994-95 (संशोधित अनुमान)	1995-96 (संशोधित अनुमान)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3040.62	689.19	649.92	602.41	640.77
2.	बिहार	2120.83	194.41	85.65	69.39	81.96
3.	गुजरात	2635.00	458.56	465.34	476.73	528.23
4.	हरियाणा	1701.99	185.27	221.75	272.88	286.00
5.	हिमाचल प्रदेश	500.00	76.78	105.14	115.82	137.20
6.	कर्नाटक	3024.86	570.59	683.63	611.61	521.71
7.	केरल	1226.20	177.02	252.82	300.00	460.00

1	2	4	5	6	7	8
8.	मध्य प्रदेश	3563.36	654.78	757.81	677.84	622.97
9.	महाराष्ट्र	4572.64	830.24	976.33	991.24	1082.66
10.	उड़ीसा	2638.30	245.98	235.73	220.35	159.12
11.	पंजाब	2417.50	383.44	479.12	552.16	706.15
12.	राजस्थान	3200.00	393.14	497.32	645.75	811.32
13.	तमिलनाडु	3000.00	460.00	546.44	646.64	766.09
14.	उत्तर प्रदेश	6974.76	1370.37	1014.26	978.17	933.09
15.	पश्चिम बंगाल	3016.00	281.11	344.21	431.00	742.75
16.	असम	1192.46	84.13	123.29	121.37	153.55
17.	मेघालय	166.48	19.61	8.27	6.50	14.24

विवरण–III

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 59 में निर्धारित 3 प्रतिशत अधिशेष की तुलना में प्राप्त की गई लाभांश दर (लेखों में प्रदत्त ग्रामीण विद्युतीकरण सहायता की गणना करने के 31 मार्च को समाप्त वर्ष पश्चात्)

		31 मार्च को समाप्त वर्ष				
क्र.सं.	रा.बि.बो.	1991	1992	1993	1994	1995
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	4.71	3.74	3.26	3.19	3.00
2.	बिहार	-14.12	-8.81	14.10	-0.64	-4.98
3.	गुजरात	5.35	2.96	3.04	3.00	3.02
4.	हरियाणा	-8.81	-14.50	-21.78	-25.33	0.98
5.	हिमाचल प्रदेश	2.92	1.01	4.03	4.95	5.75
6.	कर्नाटक	3.00	3.00	3.27	3.00	3.00
7.	केरल	-5.82	-9.39	3.99	3.67	3.04
8.	मध्य प्रदेश	-3.02	2.99	3.00	3.00	3.00
9.	महाराष्ट्र	1.45	3.02	5.07	4.79	4.72
10.	उड़ीसा	3.57	2.85	3.02	3.00	3.00
11.	पंजाब	-2.82	0.19	-3.99	-3.81	-0.17
12.	राजस्थान	-5.69	3.19	3.12	3.03	3.00
13.	तमिलनाडु	3.40	3.00	7.69	7.26	9.37
14.	उत्तर प्रदेश	1.12	1.54	3.00	1.51	3.62
15.	पश्चिम बंगाल	-19.82	-17.91	-4.87	3.00	3.00
16.	असम	-59.23	-118.17	-16.44	-30.30	-34.22
17.	मेघालय	-5.56	13.12	-8.65	-9.50	-3.92

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

***477. श्री सत्यदेव सिंह :**

श्री अनन्त कुमार हेगड़े :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है; और

(ग) इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन व आसवन, चीनी और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाईसेंस मुक्त हैं, इसलिए ऐसे मामलों में किसी औद्योगिक लाईसेंस की आवश्यकता नहीं होती। उद्यमी को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।

बहरहाल, संयुक्त उद्यमों /100% प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/विदेशी सहयोग आदि में खाद्य प्रसंकरण उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 2.22 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले 1555 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। 1.49 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने वाले 612 अनुमोदनों को मंजूरी दी गई है।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

***478. श्री सुरेश कोडीकुन्नील :**

श्री ए. सी. जोस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 के दौरान पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने हेतु किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा केरल में वर्ष 1991-96 के दौरान पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने हेतु किसी परियोजना को स्वीकृति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु कोई परियोजना भेजी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने पवन ऊर्जा के उत्पादन हेतु केरल में किसी स्थान का चयन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) केरल में कांजीकोड और कोट्टाथारा में प्रत्येक 2 मेवा क्षमता की दो प्रदर्शन फार्म परियोजनाएं स्थापना हेतु मंजूर की गई हैं। कांजोकोड में परियोजना मई, 1995 में पहले ही चालू की जा चुकी है। इस परियोजना से राज्य ग्रिड को 3.36 मिलियन यूनिट विद्युत दी जा चुकी है।

(ग) और (घ). केरल राज्य विद्युत बोर्ड से नाल्लापानी में 2 मेवा की प्रदर्शन पवन फार्म परियोजना की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मांगी नई अन्य सूचना अभी बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

(ङ) और (च). राष्ट्रीय पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक आठ स्थलों की पहचान की गई है जिन्हें राज्य में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। ये हैं:- कांजीकोड, कोटामाला, कोट्टाथारा, कुट्टीकानन, पंचालीमेड, पोनमुड़ी, पुलियाकानम और रामाकलमेडु।

पिछड़े जिलों का विकास

***479. श्री भक्त चरण दास :**

श्री के. प्रधानी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के, पहचान किए गए विशेष रूप से पिछड़े जिलों के त्वरित विकास हेतु कालाहांडी, बोलंगीर तथा कोरपुर परियोजना तीन साल पहले तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कार्यान्वयन हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या-क्या संसाधन आबंटित किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और वहां इस परियोजना का कार्य शुरू करने के समय तथा वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों की संख्या क्या है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पू येरननायडु) : (क) उड़ीसा सरकार ने 1995-96 से 2001-2002 की अवधि के लिए अविभाजित कालाहाण्डी, बोलंगीर और कोसपुट जिलों (अब जिनमें 8 जिले शामिल हैं अर्थात् कोरापुट, रायगढ़, नवरंगपुर, कल्कानगिरी, कालाहाण्डी, नौपादा, बोलांगरीर और सोनपुर) के तीव्र विकास के लिए एक दीर्घावधि कार्य-योजना तैयार की है।

(ख) इस कार्य-योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-

1. कृषि की उत्पादकता में सुधार लाना,
2. कृषि क्षमता का उपयोग,
3. मृदा नमी और वन संरक्षण,
4. मत्स्यपालन, रेशम उत्पादन का विकास,
5. लघु सिंचाई क्षमता को बढ़ाना,
6. निवारक, प्रोत्साहक और स्वास्थ्य सेवा में सुधार,
7. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना,
8. कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना,
9. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि का पुनर्गठन करना।

(ग) कार्य योजना का संबंध उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से है। उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गई 1995-96 की कार्य-योजना में 381.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की परिकल्पना की गई है। इस मंत्रालय ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत 1995-96 में के. बी. के. जिलों को 143.46 करोड़ रुपये जारी किए।

(घ) राज्य सरकार द्वारा के.बी.के. जिलों के संबंध में सूचित की गई कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

1. वर्ष 1995-96 के दौरान के.बी.के. जिलों में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 295.54 लाख श्रमदिन सृजित किए गए थे।
2. रायगढ़ जिले में बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी।
3. एन. डब्ल्यू. डी.पी.आर.ए. के अंतर्गत 154 वाटरशड अनुमोदित किए गए थे।
4. वृद्ध, बीमार और दीनहीन लोगों को पोषित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत 4514 लोगों को सहायता दी गई।
5. 2,55,000 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया।

तेल तथा गैस क्षेत्र

***480. श्री प्रमोद महाजन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक लघु तथा मध्यम तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को तेल क्षेत्रों के लिए ठेके दिए जाने संबंधी पहली तथा दूसरी पेशकश के अन्तर्गत अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उनका मूल्यांकन कर उनके बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ठेके दिए जाने की शर्तें क्या-क्या हैं;

(घ) यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ङ) : प्रथम तथा द्वितीय प्रस्ताव के अधीन निजी कंपनियों को प्रस्तावित किए गए लघु आकारीय तथा मध्य आकारीय क्षेत्रों के संबंध में वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:-

	कंपनी/परिसंघ का नाम		क्षेत्र
1.	गुजरात स्टेट पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) अहमदाबाद/ नीको रिसोर्सेज, कनाड़ा।	-	हजीरा, कैम्बे, भान्द्रुत, मतार तथा साबरमती।
2.	सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलोजी लि., नई दिल्ली	-	इन्द्रोरा, बकरोल तथा लोहार
3.	लार्सन एंड टूब्रो, मुंबई-जोशी टेक्नोलाजीज, यू.एस.ए.	-	धोल्का, बेचल
4.	इण्टरलिंक पेट्रोलियम लि., बड़ौदा	-	बाओला
5.	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी), बड़ौदा-मासबेशर एनर्जी कं. यू.एस.ए पेट्रोडाइन इंक., यू.एस.ए	-	पीवाई-1
6.	एच ओईसी, बड़ौदा-जीएसपीसी, अहमदाबाद - पेट्रोडाइन इंक, यू.एस.ए.	-	असजोल

9 लघु अकारीय क्षेत्र एवार्ड नहीं लिए जा सके क्योंकि संतोषजनक बोलियां प्राप्त नहीं हुई थीं। दो लघु आकारीय क्षेत्रों के संबंध में बोलियां भारत सरकार के विचाराधीन हैं तथा इन्हें जल्दी ही अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

7 मध्यआकारीय क्षेत्रों, जिनके संबंध में बोलियां प्राप्त हुई थीं में से 2 क्षेत्र अर्थात् बाघेवाला तथा डी-1 एवार्ड नहीं किए जा सके क्योंकि संतोषजनक बोलियां प्राप्त नहीं हुई थी। अन्य 5 क्षेत्र निम्नवत एवार्ड किए गए हैं :

कंपनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
एनरान, यू.एस.ए-रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया।	- मध्य एवं दक्षिण ताप्ती, मुक्ता तथा पन्ना।
कमाण्ड पेट्रोलियम, आस्ट्रेलिया-वीडियोकोन भारत-मारूबेनी, जापान	- राव्वा
कंपनी जियोफाइनेन्सियर, फ्रांस ऐन्ग्रो सर्विसेज भारत, जियोएन्ग्रो, भारत	- खरसांग

द्वितीय प्रस्ताव :

7 मध्यआकारीय क्षेत्रों तथा 14 लघु आकारीय क्षेत्रों के विकास के लिए 54 बोलियां प्राप्त हुई थीं। भारत सरकार ने एक मध्यआकारीय क्षेत्र, रत्ना आर सीरीज के लिए मैसर्स एस्सार ऑयल इंडिया लि. भारत तथा यू.के. की प्रीमियर आयल पैसिफिक को संविदा एवार्ड करने का अनुमोदन किया है। 4 मध्यआकारीय क्षेत्रों से संबंधित बोलियां रद्द कर दी गई, क्योंकि ये उपयुक्त नहीं पाई गई थीं। शेष बोलियां सरकार के विचाराधीन हैं तथा इन्हें जल्दी ही अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

मध्यआकार क्षेत्र एक तरफ आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओएनजीसी)/आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) तथा दूसरी तरफ निजी कंपनियों के बीच बने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। ओ एन जी सी अथवा ओ आई एल, जैसा भी मामला हो, उद्यम में 40 प्रतिशत शेयर रखते हैं। लघु आकारीय क्षेत्र कंपनियों द्वारा भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर की गई उत्पादन भागीदारी संविदाओं के तहत, कंपनियों द्वारा स्वंतः विकसित किए जाएंगे तथा इनमें ओ एन जी सी/ओ आई एल की कोई भागीदारी नहीं होगी। दोनों ही मामलों में कंपनियों से उनके रायल्टी, उपकर, इत्यादि जैसे सांविधिक उदाहरणों का अंश वहन किए जाने की भी अपेक्षा की जाएगी। तेल अन्वेषण में लगी विदेशी कंपनियों से 50 प्रतिशत की नियम दर पर आयकर वसूल किया जाएगा जबकि भारतीय कंपनियां आयकर के प्रसंगिक प्रावधानों द्वारा शासित होंगी। इसके अतिरिक्त निजी कंपनियां सरकार के साथ लाभ तेल की भागीदारी करेंगी।

जम्मू और कश्मीर में करोड़ों का घोटाला

4170. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1996 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'मल्टी करोड़ स्कैम इन कश्मीर' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में क्या एहतियाती उपाए किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालसुब्रमणयन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). राज्य अपराध शाखा द्वारा मामले की पूर्णत : जांच की गई है जिसने मार्च 1996 में धारा 420, 409, 468, 120-ख, 471/आर.पी.सी. के अधीन एक मामला दर्ज किया है। उपर्युक्त जांच-पड़ताल के अनुसरण में एक सांख्यकिक सहायक को गिरफ्तार किया गया है तथा उससे पूछताछ की गई है। कुछ झूठे आबंटन आदेश भी जब्त किए गए हैं जिन्हें हस्ताक्षरों/लिखाई के स्रोत के बारे में विशेषज्ञों की राय जानने के लिए विधि प्रयोगशाला को भेज दिया गया है। आबंटन पत्र अलग-अलग वर्षों के हैं। इस अवस्था में, जबकि जांच प्रक्रिया चल रही है, उपर्युक्त झूठे आबंटन आदेशों में अन्तर्ग्रस्त धनराशि की ठीक-ठीक मात्रा तथा सह-अपराधिता की जिम्मेदारी और कथित रूप से की गई जालसाजी और अपयोजन की सदोषता अभी सिद्ध नहीं हुई है। राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर जोर-शोर से कार्रवाई की जा रही है।

लाइट रेल सिस्टम परियोजना

4171. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद की लाइट रेल सिस्टम परियोजना अब किस चरण में है;

(ख) इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) हैदराबाद शहर में लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम को आरंभ करने की दृष्टि से कंपनी अधिनियम के तहत अर्बन मास ट्रांजिट कम्पनी (यू.एस.टी. सी.) लि. नामक ज्वाईंट स्टाफ कंपनी 1992 में पंजीकृत की गई थी। और भारत सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा इंस्टीट्यूशनल लीजिंग,

एण्ड फाइनेंशियन सर्विसेज लि. (आई टी एंड एफ एस) द्वारा कम्पनी की इक्विटी के लिए 15-15 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बराबर की राशि जारी करने की शर्त पर वर्ष 1993-94 के दौरान भारत सरकार द्वारा इक्विटी के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम के रूप में जारी की गई थी।

वर्ष 1994-95 के दौरान यू एम टी सी ने इस परियोजना को बूट/टर्नकी आधार पर परियोजना निष्पादित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से "एक्सप्रैस ऑफ इंटरेस्ट' आमंत्रित किए। उसके पश्चात कंपनी ने कुछ फर्मों को सूचीबद्ध किया। इन सूचीबद्ध किए गए फर्मों की सूची आन्ध्र प्रदेश सरकार को उनके अनुमोदन करने के लिए प्रस्तुत की गई थी। फिर भी, आन्ध्र प्रदेश सरकार के निर्णय का अभी इंतजार है।

(ख) अब तक 81.55 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) इस अवस्था में उसके पूरा होने की समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

मानव विकास सूचकांक

4172. श्री सनत मेहता : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यू. एन. डी. पी. की भांति मानव विकास सूचकांक तंत्र विकसित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) और (घ). सरकार ने राज्यों के लिए मानव विकास सूचकांक तैयार नहीं किया है।

गन्दी बस्तियों को हटाना

4173. श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के लिए विशेषकर मुम्बई की गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए कोई धनराशि प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991 से वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार ने गन्दी बस्ती को हटाने के लिए कोई अन्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह योजनाएं कब तक लागू किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) मुम्बई में धारवी और अन्य स्लमों के सुधार के लिए भारत सरकार ने मुम्बई के लिए वर्ष 1986-94 के दौरान "एक मुश्त" केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि दी है।

(ख) भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई राशियां इस प्रकार है:

1986-91	85 करोड़ रुपये
1991-92	3 करोड़ रुपये
1992-93	7.5 करोड़ रुपये
1993-94	4.5 करोड़ रुपये
1994-95	-शून्य-
योग	100 करोड़ रुपये

(ग) भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई 100 करोड़ रुपये की तुलना में राज्य सरकार ने दिनांक 31.3.1995 तक को 133.23 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है। इस स्कीम के तहत उपलब्धियों में अर्जन रिन्यूवल स्कीम के तहत 7118 टेनापेन्ट्स का निर्माण, स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 15,000 परिवारों को लाभान्वित करना, आवास सुधार ऋण स्कीम के तहत 1029 परिवारों 4576 टेनामेंट स्लम पुनर्वास योजना और 14,016 परिवारों को धारवी पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित करना शामिल है।

(घ) से (च). हाल ही में, भारत सरकार देश के चयनित नगरों और कस्बों के स्लम विकास के लिए नई योजनाओं बाबत रूपरेखा तैयार कर रही है। ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और दिनांक 31.3.1997 तक स्कोम के कार्य आरंभ होने की संभावना है।

[हिन्दी]

बिहार में आधारभूत सुविधाएं

4174. श्री चित्रसेन सिंकू : क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपति बिहार में आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण वहां उद्योग लगाने के लिए उत्सुक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). किसी राज्य का औद्योगिक विकास करना, जिसमें औद्योगिक आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना शामिल हैं, मुख्यतः सम्बंधित राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्र सरकार बिहार सहित सभी राज्यों की इस संबंध में संशोधित गाडमिल-मुखर्जी फार्मूले के अन्तर्गत संसाधनों के अन्तरण द्वारा मदद करती है, केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं में निवेश करती हैं, और राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए विशेष रूप से स्कीमें और कार्यक्रम प्रायोजित करती है।

1992-96 अवधि के दौरान बिहार के केन्द्रीय सहायता का कुल आबंटन (निवल) नीचे दर्शाया गया है :-

	(करोड़ रुपये)
1992-93	774.26
1993-94	870.00
1994-95	947.31
1995-96	1056.90

देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने "वृद्धि केन्द्र स्कीम" की जून, 1988 में घोषणा की थी. 400-800 हेक्टेयर के क्षेत्र में विकसित इन वृद्धि केन्द्रों में से प्रत्येक में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बुनियादी आधारभूत सुविधायें जैसे कि बिजली, दूरसंचार, पानी एवं बैंकिंग की सुविधायें उपलब्ध होंगी। ऐसा प्रत्येक केन्द्र 25-30 करोड़ की लागत पर विकसित किया जाएगा। और इसका वित्तपोषण केन्द्र/राज्य और वित्तीय संस्थाओं तथा बाजार उधारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। राज्यों में वृद्धि केन्द्रों का स्थान निर्धारण जनसंख्या, क्षेत्र और औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के मापदण्डों के आधार पर किया गया है।

औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग वृद्धि केन्द्र स्कीम के लिए एक संशोधित वित्तपोषण पद्धति तैयार कर रहा है, जिसमें 30 करोड़ रुपये प्रति केन्द्र की पूरी राशि का वित्तपोषण केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से करने का प्रस्ताव है, यदि वित्तीय संस्थाओं और बाजार आधारों के जरिए वित्तपोषण उपलब्ध न हो।

बिहार के लिए छह वृद्धि आबंटित किए गए हैं, जो भागलपुर, दरभंगा, हजारीबाग, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और छपरा में स्थित होंगे। हजारीबाग और बेगूसराय के लिए परियोजना रिपोर्ट अनुमोदित हो गई है। तथा अन्य केन्द्रों के लिए परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी तक इस स्कीम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1.0 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

राज्यों में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए मार्च, 1994 "एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास स्कीम" अनुमोदित की गई थी। स्कीम का उद्देश्य उन पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 50 आईआईडी केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जहां वृद्धि केन्द्र स्कीम अभी लागू नहीं हुई है : प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये है। जिसे 2:3 के अनुपात में भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) के बीच वहन किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार का हिस्सा अनुदान के रूप में होगा और एसआईडीबीआई का हिस्सा ऋण के रूप में होगा।

बिहार की राज्य सरकार ने इस राज्य में एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास परियोजना स्थापित करने के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

"निर्माण संवर्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ईपीआईपी)" नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की गई है ताकि निर्यात प्रयासों में राज्य सरकारों को सम्मिलित किया जा सके और उच्च स्तरों वाली आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था हो सके। स्कीम की महत्वपूर्ण विशेषतायें इस प्रकार हैं :— (क) आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए लागत के 75 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता है। (ख) राज्य सरकारों को औद्योगिक पार्कों के प्रवर्तन के लिए भूमि की व्यवस्था करनी होगी, और (ग) इस स्कीम के अन्तर्गत स्थापित होने वाले औद्योगिक पार्कों को पर्याप्त बिजली, पानी, सड़कों (पहुंच मार्गों सहित) सीवर और नाली, दूरसंचार तथा अन्य अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध करानी होगी। ऐसी सुविधायें उच्च स्तर की होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पार्क में स्थापित औद्योगिक यूनिटें सुचारू रूप से कार्य कर सकें। बिहार के लिए एक पार्क आबंटित किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

मलिन बस्तियों के बहुत से निवासियों का उत्थान

4175. श्री नारायण अठावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में विशेष रूप से प्रभादेवी क्षेत्र में मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या और उससे उत्पन्न गंभीर खतरे की जानकारी है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दस वर्षों के दौरान बहुत अधिक मात्रा में केन्द्रीय वित्तीय आबंटन के साथ योजनाओं के पैकेज की घोषणा के बावजूद इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत मुम्बई में मलिन बस्तियों के सुधार के लिए निधियों के वास्तविक उपयोग का ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मलिन बस्तियों के निवासियों की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर सामना करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल्यों में प्रभादेवी मलिन बस्ती के निवासियों को क्या सुविधा राहत देने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) सरकार को मुंबई में स्लमों की समस्याओं की सामान्यतः जानकारी है। तथापि शहरी विकास तथा स्लम संबंधी मामले राज्य के विषय होने के नाते मुंबई में खासतौर से धारवी क्षेत्र में स्लमों की वृद्धि के कारण बढ़ती संख्या और खतरों संबंधी ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते।

(ख) मुंबई में स्लमों के विकास और सुधार के कार्यक्रम हाथ में लेने हेतु भारत सरकार ने "एक मुश्त" अनुदान योजना के रूप में मुंबई को 100 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

महाराष्ट्र सरकार की सूचना के अनुसार केन्द्रीय अनुदान योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा जारी 100 करोड़ रुपये के प्रति मुंबई में स्लम सुधार कार्यक्रमों की विभिन्न एजेंसियों ने निम्नलिखित व्यय की सूचना दी है: महाराष्ट्र आवास तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरण-113.23 करोड़ रुपये, बंबई नगर निगम 17.36 करोड़ रुपये और बंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण 2.00 करोड़-कुल करीब 133 करोड़ रुपये। इस योजना के तहत उपलब्धियों में शहरी नवीकरण स्कीम के तहत 7118 टेनामेंटों का निर्माण शहरी स्लम सुधार कार्यक्रम के तहत 15000 परिवारों को लाभान्वित करना, आवास सुधार ऋण योजना के तहत 1029 परिवारों को सहायता करना, स्लम स्थानांतरण रोजगार के तहत 4576 टेनामेंट और धारवी पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत 14016 परिवारों को लाभान्वित करना शामिल है।

(घ) और (ङ). जी, हां। शहरी विकास तथा स्लम संबंधी मामले राज्य विषय होने के नाते तथा सरकार द्वारा बंबई को दिया गया अनुदान विशेष "एक मुश्त" योजना होने के कारण महाराष्ट्र सरकार को राज्य की योजनागत धन-राशि का इस्तेमाल करके स्लम सुधार तथा संवर्धन पर विचार करने को कहा गया है।

[हिन्दी]

पेयजल की आपूर्ति

4176. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 ई. के अन्त तक देश में पेयजल को उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रभावी योजना कब कराई गई थी तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के उद्देश्य हेतु क्या कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन शहरों के क्या नाम हैं जहां 1996-97 के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) इस पर व्यय की जाने वाली धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) चूंकि जल आपूर्ति का विषय राज्य सरकार का है, अतः जल आपूर्ति योजना बनाना, उनका निष्पादन तथा अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी, 20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम जनसंख्या वाले कस्बों के लिए मार्च, 1994 से केन्द्रीय प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत, इस पर आने वाली लागत को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 1:1 के अनुपात में जुटाई जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए स्वीकृत योजना से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). राज्यों से प्राप्त हुई सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित योजनाए वर्ष 1996-1997 के दौरान पूरी की जा चुकी हैं।

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य का नाम
1.	चौबारी	हिमाचल प्रदेश
2.	तिरवागंज	उत्तर प्रदेश
3.	तालाग्राम	उत्तर प्रदेश
4.	हस्तिनापुर	उत्तर प्रदेश
5.	सासनी	उत्तर प्रदेश
6.	सिंधायी भारोरा	उत्तर प्रदेश

अभी तक, 164.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 209 शहरों के लिए जल आपूर्ति योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियत 50.00 करोड़ रुपये में से 48.49 करोड़ की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को जारी की जा चुकी है।

वर्ष 1996-97 के दौरान इनमें से 5 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। कस्बों के नाम परियोजना लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। 1996-97 के दौरान शहरी क्षेत्रों के कस्बों के लिए और अधिक योजनाओं का अनुमोदन राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की व्यवहार्यता तथा निधियों पर निर्भर करेगा।

विवरण–I

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू. एस.पी.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित वित्त परियोजना रिपोर्ट की संख्या	कुल अनुमानित लागत (रुपये लाखों में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	–	–
2.	असम	1	135.31
3.	बिहार	3	233.14
4.	गोवा	2	51.13
5.	गुजरात	8	508.09
6.	हरियाणा	6	778.70
7.	हिमाचल प्रदेश	4	326.10
8.	जम्मू व कश्मीर	2	155.10
9.	कर्नाटक	8	475.70
10.	केरल	2	370.82
11.	मध्य प्रदेश	51	3604.70
12.	महाराष्ट्र	7	632.89
13.	मणिपुर	5	186.39
14.	मेघालय	1	195.63
15.	मिजोरम	1	46.48
16.	नागालैंड	–	–
17.	उड़ीसा	3	204.53
18.	पंजाब	3	319.89
19.	राजस्थान	18	1607.38
20.	सिक्किम	–	–
21.	तमिलनाडु	12	448.55
22.	त्रिपुरा	–	–
23.	उत्तर प्रदेश	69	5858.67
24.	पश्चिम बंगाल	3	325.88
		209	16465.08

विवरण–II

1996–97 के दौरान स्वीकृत योजनाएं

क्र. सं.	राज्य का नाम	कस्बे का नाम•	स्कीम संख्या	परियोजना लागत (रु. लाखों में)
1.	तमिलनाडु	कोटावलासेई- 5.61	–	9.93
		अईयोपत्तई -4.32	2	–
2.	कर्नाटक	नवलगुंड	1	38.80
3.	केरल	पुदुक्कड	1	137.10
4.	महाराष्ट्र	शोंदुर्जनघाट	1	117.78

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की पारस टी.पी.एस. एक्सपेंशन

4177. श्री मधुकर सर्पोतदार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पारस टी.पी.एस. एक्सपेंशन परियोजना को सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी के पास मंजूरी हेतु भेजा है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं, और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). पारस थर्मल पावर स्टेशन में 250 में वा. की विस्तार परियोजना स्थापित किए जाने हेतु एक व्यवहार्यता रिपोर्ट महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड (एमएसईबी) ने जुलाई 93 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) में प्रस्तुत कर दी थी चूंकि, रिपोर्ट में आवश्यक तकनीकी ब्यौरों की कमी थी, इसलिए पूरे तकनीकी ब्यौरों को स्पष्ट करते हुए एक संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अक्टूबर, 93 में एमएसईबी को सलाह दी गई थी। यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा एमएसईबी से आवश्यक निवेशों/स्वीकृतियों की सुनिश्चितता प्राप्त किए जाने के बाद ही के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दक्षिण बिहार में रोजगार

4178. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गोड्डा, दुमका, देवगढ़, बांदा और जामी जिले देश के सबसे पिछड़े जिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में शिक्षित तथा अशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). देश में अत्यन्त पिछड़े जिलों की पहचान के लिए कोई एक निर्धारित विशिष्ट मानदंड नहीं है। विशेष तौर पर इन जिलों में शिक्षित और अशिक्षित बेजरोजगार युवाओं के लिए रोजगार अवसर उत्पन्न करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, सरकार गरीब लोगों के लिए पूरे देश में कई स्वरोजगार और दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। सरकार द्वारा इस समय चलाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कामकाज हैं—स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) और ग्रामीण क्षेत्रों जवाहर रोजगार योजना और शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए है। देश के पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए जे आर वाई का दूसरा चरण 1993-94 में देश के 120 पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था जहां बेरोजगारों और अल्प बेरोजगारों का जमाव है। रोजगार आश्वासन स्कीम 1752 पिछड़े ब्लाकों में 1993-94 में शुरू की गई थी जहां सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालित थी। ईएएस अब देश में 3206 ब्लाकों को कवर करने के लिए विस्तारित कर दी गई है। 1.1.96 से जे.आर.वाई. के दूसरे चरण को ई ए एस में मिला दिया है. रोजगार आठवीं पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। योजना उद्देश्य वर्ष 2002 तक बेरोजगारी को घटा कर नगण्य स्तर तक लाने का है।

[अनुवाद]

नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता

4179. श्री संदीपान थोरात : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगरपालिकाओं को उनके द्वारा शहरी जनसंख्या को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकास परियोजनाएं प्रारम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में नगरपालिकाओं को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) चालू वर्ष के दौरान परिषदों और नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किए गए परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से शहरी जनसंख्या को बुनियादी सुविधायें मुहैया कराने हेतु विकास परियोजनाएं प्रारंभ करने के लिए नगरपालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II, III, तथा IV में दिए गए हैं।

(ग) विभिन्न योजनाओं के लिए चालू वर्ष के परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार से अनेक योजनाओं के लिए पहले रिलीज की गई निधियों के उपयोग इत्यादि के संबंध में कतिपय चैक-लिस्ट सूचना देने का अनुरोध किया गया है।

(घ) छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों का समन्वित विकास (आई.डी.एस.एम.टी) तथा मेगा शहरों में अवस्थापना विकास, इन दोनों केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत शहरी विकास के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए राज्य स्तर की स्वीकृति समितियां सक्षम हैं। महाराष्ट्र सरकार से इन दोनों योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

छोटे एवं मध्यम दर्जे के कस्बों के समन्वित विकास की योजना (आई.डी.एस.एम.टी.)

आई.डी.एस.एम.टी. योजना की मुख्य विशषताएं इस प्रकार है :—

(1) **योजना का दायरा :**

आई.डी.एस.एम.टी 5 लाख तक की आबादी वाले उन कस्बों/शहरों में लागू है, जिनमें स्थानीय निकायों के चुनाव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई.यू.पी.ई. पी) के अन्तर्गत शामिल कस्बों अर्थात् 50,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में आई.डी.एस.एम.टी. लागू नहीं है।

(2) योजना के घटक :

योजना के घटकों में नगर/कस्बे के महत्व वाले तथा नगर/कस्बे के विकास प्लानों के अनुरूप निर्माण कार्य शामिल हैं। इनमें वृद्ध योजना मार्गों को पक्का करना (मार्गों पर बिजली के प्रबंध सहित) तथा जल-निकासी से संबंधित कार्य, बस/ट्रक टर्मिनलों, स्थलों तथा सेवाएं, बाजार व विपणन केन्द्रों, पर्यटन सुविधाओं, नगर/कस्बा पार्कों का विकास इत्यादि शामिल है।

(3) वित्तपोषण पद्धति :

इस योजना के अन्तर्गत आई.डी.एस.एम.टी परियोजनाओं के लिए अनुदानों (केन्द्रीय तथा राज्य) और ऋणों/आन्तरिक (पालिका) राजस्व दोनों पर विचार किया गया है। परियोजना लागत अनुदान तथा ऋण/आन्तरिक स्रोत घटक विभिन्न कस्बों में इस प्रकार से भिन्न-भिन्न हैं :

कस्बे की श्रेणी/ जनसंख्या	परियोजना लागत (रु. लाख में)	अनुदान %	ऋण/आन्तरिक राजस्व %
ए (20000 से कम)	100	80%	20%
बी (20000-50000)	200	75%	25%
सी (50000-100000)	350	71%	29%
डी (1-3 लाख)	550	64%	36%
ई (3-5 लाख)	750	60%	40%

अनुदान घटक में केन्द्र तथा राज्य सरकारें 60:40 के अनुपात में भागीदार होंगी।

(4) कार्यान्वयन तन्त्र :

आई.डी.एस.एम.टी परियोजनाओं का अनुमोदन तथा प्रबोधन एक राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं द्वारा किया जाना है। स्वीकृतियों के आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी की जायेंगी।

(5) महाराष्ट्र में आई.डी.एस.एम.टी

1991-96 के दौरान आई.डी.एस.एम.टी के तहत महाराष्ट्र के 48 कस्बे लाभान्वित किए गए हैं तथा महाराष्ट्र राज्य को 14.14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। आई.डी.एस.एम.टी. परियोजनाएं विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-II

मेगा शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना

1. योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) यह योजना बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद में लागू है।

(2) यह योजना शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है तथा राज्य स्तर पर एक विशेषज्ञ संस्थान/नोडल अभिकरण के माध्यम से निधियां प्रदान की जाती हैं।

(3) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 25:25 के अनुपात में भागीदारी है तथा शेष 50 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार से मिलने वाले सांस्थानिक वित्त द्वारा पूरा किया जाना है। नोडल अभिकरण अथवा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा ऋण लिया जा सकता है। विचाराधीन परियोजना के समग्र मानकों के अध्यधीन सांस्थानिक वित्त के स्थान पर परियोजना भूमि और निजी निवेश का आंशिक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

(4) केन्द्र तथा राज्य सरकारों से मिलने वाली निधियां विशेषज्ञ संस्थान/नोडल अभिकरण को सीधे ही अनुदान के रूप में प्रदान की जाएंगी। नोडल अभिकरण द्वारा केन्द्र तथा राज्य अंश के साथ एक आवर्ती निधि का गठन किया जाना अपेक्षित है जिसमें से जल तथा मलनिर्यास बोर्डों, नगर निगमों इत्यादि जैसे विभिन्न अभिकरणों को वित्त उपलब्ध कराया जा सकता है।

(5) नोडल अभिकरण द्वारा जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, सफाई प्रबंध, नगर परिवहन नैटवर्क, भूमि विकास, स्लम सुधार, कूड़ा कचरा निपटान इत्यादि के लिए परियोजना बुनियादी सुविधाओं के लिए परियोजना संबंधी वित्त उपलब्ध कराना अपेक्षित है विद्युत, दूरसंचार बसों और ट्रामों जैसी चल स्टाक प्राथमिक स्वास्थ्य/शिक्षा के लिए परियोजनाओं, छोटी परियोजनाओं जिन्हें स्थानीय निधियों से आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है, एम.आर.टीएस/एल.आर.टी.एस. परियोजनाएं अथवा ऐसी परियोजनाएं जो अत्यधिक पूंजी गहन तथा लम्बी अवधि की हैं तथा जिनके लिए दीर्घकालीन अध्ययन इत्यादि अपेक्षित है के लिए वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

2. मुंबई मेगा सिटी परियोजना के लिए बंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डवलपमेंट अथारिटी (बी.एम.आर.डी.ए.) नोडल अभिकरण है। नगर निगम, सिडको इत्यादि कार्यान्वयन अभिकरण हैं। पिछले तीन वर्षों (योजना 1993-94 से आरंभ की गई थी के दौरान बंबई को दी गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे इस प्रकार है:

	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता		
	1993-94	1994-95	1995-96
मुंबई	20.1	16.1	18.08

मंबई मेगा सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत, 1995-96 तक 266.83 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा 82.02 करोड़ रुपये की राशि के खर्च करने की सूचना मिली है। निर्माण-कार्य विभिन्न चरणों में है।

विवरण-III

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

8वीं योजना के मध्य में मार्च, 1994 में आरंभ किए गए त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम में 20,000 (1991 की जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले कस्बों में जलापूर्ति योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। योजना का कार्यान्वयन विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है। महाराष्ट्र में कुल 632.89 लाख रुपये की लागत से पातूर देउलगांव रजा, लोनार, मैन डारगा, तेलहडा, कुंज्लवाड़ी, शेदुरजानाघाट, के लिए सात जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की गई है तथा अब तक 214.16 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई हैं जिसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	राशि
1993-94	85.36 लाख रुपये
1994-95	92.50 लाख रुपये
1995-96	36.30 लाख रुपये

सासवाड़, रहतामपिंपलास, इन्द्रपुर, दधानी, सोनेपेठ, हड़गोन, परांधा विमोली कस्बों के लिए 2171.20 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत वाले आठ परियोजना प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

परिशिष्ट-I

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (1993-94 में प्रारंभ किया गया) के मार्गनिर्देश

उद्देश्य : सुरक्षित तथा पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था करना।

वित्तपोषण : 5 प्रतिशत लाभार्थ/कस्बा अंशदान सहित 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत।

कस्बों का चयन : राज्य सरकार ने शहरी जलापूर्ति से संबंधित प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रति व्यक्ति बहुत कम सप्लाई, दूर अथवा गहरे जल स्रोत, सूखाग्रस्त क्षेत्र, पानी में खारापन, फलोराइट तथा लौह तत्व की अधिक मात्रा, पानी से होने वाली बीमारियों की अधिकतम जैसी विशेष समस्याओं वाले कस्बों को प्राथमिकता दी जायेगी।

योजना : सारे कस्बे में व्यक्तिगत घरेलू तथा सार्वजनिक जल उपलब्ध कराये जाये। घरेलू कनेक्शन के लिए 70 एल.पी.सी.डी. तथा सार्वजनिक नल के लिए 40 एल.पी.सी.डी।

शुल्क : परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय को पूरा करने के लिए वास्तविक शुल्क प्रणाली तैयार की जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदन : राज्य सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के क्रम में योजनाओं पर अनुमोदन हेतु विचार किया जाना है बशर्ते कि योजना के अन्तर्गत किए गए नियतन में से राज्य अंश में निधियां उपलब्ध हों।

विवरण-IV

कम लागत के सफाई कार्यक्रम

सर पर मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत को सफाई योजना, जो मौजूदा शुष्क शौचालयों को कम लागत की जल प्रवाही शौचालयों में बदलने के लक्ष्य से आरंभ की गई है, के अन्तर्गत समग्र कस्बा आधार पर योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार से सब्सिडी तथा हुडको से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना की मुख्य विशेषताएं परिशिष्ट-2 में दी गई हैं।

अब तक महाराष्ट्र राज्य में कार्यक्रम के अन्तर्गत 3651.63 लाख रुपये की परियोजना लागत से 151 कस्बों को शामिल करते हुये ।। योजनाएं अनुमोदित की गई हैं तथा 136997 इकाईयों के निर्माण/रूपान्तरण के लिए 1355.61 लाख रुपये की ऋण राशि और 1123.40 लाख रुपये की सब्सिड़ी स्वीकृत की गई हैं।

परिशिष्ट-2

मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए कम लागत के सफाई प्रबंध की समन्वित योजना के मार्गनिर्देश

उद्देश्य : शुष्क शौचालयों को ट्विन पिट जल प्रवाही शौचालयों में बदलना तथा जहां शौचालय नहीं हैं, वहां नए शौचालय बनाना।

लाभार्थी : स्लमों तथा अंधविश्वासी बस्तियों में रहने वालों सहित जनसंख्या की सभी श्रेणियां जहां शुष्क शौचालय हैं अथवा कोई भी सफाई सुविधा नहीं है।

कस्बों का चयन : शुष्क शौचालयों को अधिकता वाले कस्बों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकारों द्वारा उन कस्बों के लिए प्रस्ताव भेजे जायें जिनकी आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से अधिक न हो।

वित्तपोषण पद्धति — नींव तक निर्माण के लिए हुडको द्वारा निम्नलिखित पद्धति के अनुसार सब्सिडी और ऋण एक साथ स्वीकृत किया गया है।

श्रेणी	सब्सिडी	ऋण	लाभार्थी अंशदान
ई डब्ल्यू एस	45%	50%	5%
एल आई जी	25%	60%	15%
एम आई जी/एच आई जी	-	75%	25%

हडको द्वारा दिए गए ऋण का 10 प्रतिशत की ब्याज दर से 7 वर्ष में पुनर्भुगतान किया जाना है।

इकाई की लागत — इकाई की लागत समय-समय पर निर्धारित की जाती है तथा यह पिछली बार अक्तूबर, 1994 में संशोधित की गई थी। इकाई की निर्धारित दरें इस प्रकार हैं:

5 उपभोक्ता इकाईयां - 3,000.00 रुपये

10 उपभोक्ता इकाईयां - 4,500.00 रुपये

15 उपभोक्ता इकाईयां - 5,250.00 रुपये

पर्वतीय क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत राशि अनुमेय हैं।

योजना का अनुमोदन — संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति द्वारा।

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग की रुग्णता

4180. श्री भक्त चरण दास : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के रुग्ण होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उक्त समिति में कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां।

(ख) भारत के भूतपूर्व सचिव श्री पी. मुरारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में 10.5.93 को एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था जिसमें एस.सी.आई.सी.आई, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के प्रतिनिधि व अन्यों में मात्स्यिकी उद्योग के प्रतिनिधि और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी शामिल थे।

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट 31.3.94 को प्रस्तुत कर चुकी है।

(घ) समिति की सिफारिशें नीतिगत उपायों, वित्तीय पुनर्गठन व राहतों, ऋण भुगतान अनुसूचियों, बुनियादी सुविधाओं के विकास, विपणन सहायता, कानूनी ढांचे, अनुसंधान प्रशिक्षण तथा अनुसंधान एवं विकास आदि से संबंधित हैं।

(ङ) समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु अंतरमंत्रालय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में रोजगार

4181. श्री बृजमोहन राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार उपलब्ध करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों में कौन-कौन सी योजनाओं के अंतर्गत राशि ऋण के रूप में प्रदान की गई थी तथा प्रदान की गई राशि का ब्यौरा अलग-अलग क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलू) : (क) यह मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी शहरी गरीबों को स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए 1989 से बिहार सहित पूरे देश में नेहरू रोजगार योजना चला रहा है। इस योजना के तहत लक्ष्य साल दर साल आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। बिहार के मामले में स्वरोजगार उद्यम

लगाने में सहायता प्रावधान हेतु योजना की शुरूआत से लेकर 31.3.96 तक 47226 व्यक्तियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) यह मंत्रालय जिला स्तर पर नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन का प्रबोधन नहीं करता। तथापि नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सुमे) के तहत स्वरोजगार उद्यम लगाने के लिए सामान्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति लाभार्थियों को क्रमशः 4,000/5,000 रुपये की अधिकतम सब्सिड़ी मुहैया कराई जाती है। बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि सामान्यतः सब्सिडी राशि की तीन गुना होती है। 31.3.96 तक सुमे के तहत बिहार में कुल 503.14 लाख रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई हैं।

[अनुवाद]

योजनाओं का असफल होना

4182. **श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजनाएं बैंकों के असहयोग और नागरिक निकायों के अप्रभावी कार्यकरण के कारण पश्चिम बंगाल और बिहार के नगरपालिका क्षेत्रों में बिल्कुल असफल हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान पश्चिम बंगाल के नगर निगम क्षेत्र कलकत्ता, हावड़ा सिलीगुड़ी, आसनसोल और बिहार के पटना, भागलपुर नगर के विशेष संदर्भ में वास्तविक स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) **प्रधानमंत्री की रोजगार योजना :**

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग) से एकत्रित सूचना के आधार पर :

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के तहत पश्चिम बंगाल और बिहार की प्रगति, अखिल भारतीय प्रगति की तुलना में कम है। यह योजना नगर निगमों की बजाये जिला उद्योग केन्द्रों के मार्फत चलाई जाती है। इन दो राज्यों की प्रगति को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस बारे में योजना को केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल और बिहार में नेहरू रोजगार योजना की एक घटक, शहरी लघु उद्यम स्कीम के तहत प्रगति संतोष जनक नहीं रही है। फिर भी 1995-96 के दौरान दोनों राज्यों में कुछ सुधार हुआ है।

(ख) **प्रधानमंत्री की रोजगार योजना :**

प्रधानमंत्री की रोजगार योजना स्कीम की प्रगति के ब्यौरे नगरवार नहीं बल्कि जिलवार रखे जाते हैं। सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

नेहरू रोजगार योजना :

नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन की मानिटरिंग भारत सरकार द्वारा नगर या जिला स्तर पर नहीं की जाती हैं गत 3 वर्षों के दौरान शहरी लघु उद्यम सकीम (सुमे) पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

कलकत्ता, हावड़ा, सिलिगुड़ा, दुर्गापुर और पश्चिम बंगाल राज्य के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

क्र. सं	राज्य/जिले का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य	बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या	लक्ष्य	बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या	लक्ष्य	बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या
1.	कलकत्ता	575	105	1900	206	1900	744
2.	दुर्गापुर	350	92	1228	456	1228	720
3.	सिलिगुड़ी	100	38	300	120	300	220
4.	हावड़ा	450	44	1108	351	1108	514
5.	पश्चिम बंगाल	4558	980	22900	9441	22900	10184

* ये आंकड़े आसनसोल और दुर्गापुर दोनों के लिए हैं। उप जिला उद्योग केन्द्र दुर्गापुर, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के तहत दुर्गापुर [illegible] की प्रगति की मानिटरिंग कर रहा है।

पटना तथा भागलपुर जिलों तथा बिहार के लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

क्र. सं	राज्य/जिले का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
		लक्ष्य	बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या	लक्ष्य	बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या	लक्ष्य	बैंकों द्वारा मंजूर मामलों की संख्या
1.	भागलपुर*	93	43	625	259	625	340
2.	पटना*	330	188	1525	732	1525	1094
3.	बिहार	3070	2051	22100	11705	22150	17790

*यह सूचना केवल शहरी क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे भागलपुर/पटना जिले से संबंधित है।

विवरण-II

नेहरू रोजगार योजना की लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत 1993-94 से 1995-96 तक लक्ष्य और उपलब्धियां

	1993-94		1994-95		1995-96	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
पश्चिम बंगाल	12930	4368	13397	3042	21293	17587
बिहार	6941	1987	22038	-	31321	14026
अखिल भारतीय	125884	152308	75766	124595	67978	125308

टिप्पणी : इन लक्ष्यों में विगत वर्ष की उपलब्धि में कमी शामिल है।

गरीबी निवारण योजनाएं

4183. श्री रनबीब बिसवाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के ग्रामीण एवं पिछड़े लोगों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान तैयार की गई गरीबी निवारण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) शेष धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उड़ीसा के कुछ नवगठित जिलों जैसे जगतसिंहपुर इत्यादि के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उड़ीसा के नवगठित जिलों में ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्ष 1993-94 में, केन्द्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार को गहन बनाने के प्रयास से देश के 12 राज्यों के 120 पिछड़े जिलों जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुलता है में गहन जवाहर रोजगार योजना (आई जे आर वाई) अथवा जे आर वाई द्वितीय चरण शुरू की गई. जे आर वाई के अंतर्गत उड़ीसा के नौ जिलों को रखा गया. (आई जे आर वाई को 1.1.1996 से रोजगार आश्वासन स्कीम के साथ मिला दिया गया है)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1993-94 में गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) के नाम से एक नई स्कीम सूखा प्रवण क्षेत्र, मरूस्थल क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र में अवस्थित 1775 चयनित पिछड़े ब्लाकों में शुरू की गई जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) पहले से ही लागू थी। तब से देश के 3206 ब्लाकों को कवर करने के लिए ई ए एस का विस्तार किया गया है। अतिरिक्त ब्लाक नया सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी) ब्लाकों, संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (एम ए डी ए) ब्लाकों, बाढ़ प्रवण ब्लाकों और गहन जवाहर रोजगार योजना (आई जे आर वाई) के अंतर्गत आने वाले पूर्व ब्लाकों में शामिल हैं। इस स्कीम का उद्देश्य 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे की उम्र वाले उन ग्रामीण गरीबों को जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो इनकी खोज में हैं किन्तु वे गैर-कृषि मौसम के दौरान खेतों में अथवा अन्य सम्बद्ध कार्यों में अथवा सामान्य योजना/गैर योजना कार्यों में रोजगार पाने में असमर्थ है। उनके लिए 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य के रूप में निश्चित रोजगार मुहैया कराना है।

(ख) और (ग). उड़ीसा राज्य में वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान इन दो गरीबी उन्मूलन स्कीमों के अंतर्गत आबंटित निधि और इसके उपयोग का प्रतिशत नीचे की सारणी में दिया गया है :

गहन जवाहर रोजगार योजना

(लाख रुपये)

वर्ष	आबंटन	उपयोगी की गई निधियां	उपयोग का प्रतिशत
1993-94	7143.80	1911.20	26.75
1994-95	7143.80	6803.10	95.23
1995-96	3978.80	3987.50	100.22

रोजगार आश्वासन स्कीम

(लाख रुपये)

वर्ष	जारी निधियां	उपयोग की गई निधियां	उपयोग का प्रतिशत
1993-94	5335.00	1280.40	24.00
1994-95	9855.00	11655.90	118.27
1995-96	14325.00	13133.80	91.68

* ई. ए. एस. एक मांग आधारित स्कीम है और इसलिए राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान इन दो कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का प्रयोग इस बात को आरोपित करता है कि यद्यपि इन कार्यक्रमों को अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया तथापि इनका वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 1993-94 की अंतिम तिमाही में किया गया.

(ङ) जी हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) उड़ीसा के नव गठित जिलों में ग्रामीण आर्थिक आधासंरचना को सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियों का सृजन करके जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के तहत सुदृढ़ किया जा रहा है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत कार्यक्रम आधार संरचना को 20 प्रतिशत निधियां आबंटित करके सुदृढ़ किया जा रहा है। उड़ीसा के नव गठित जिलों में इन कार्यक्रमों की मानिटरिंग और मूल्यांकन का कार्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दिशानिर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाता है। सरकार विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय स्तर की समन्वय समिति (सीएलसीसी) राज्य स्तर की समन्वय समिति (एसएलसीसी) के द्वारा तथा जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासकीय निकाय (डीआरडीएस) के द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) और रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इन कार्यक्रमों की जिला, ब्लाक तथा ग्रामीण स्तर पर केन्द्र, राज्य तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षणों के वृहत प्रकृति के माध्यम से तथा मुख्य संकेतकों की समीतियों से विस्तृत प्रगति रिपोर्टों के नियमित रूप से जमा करने के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी इसकी मानीटरिंग की जाती है।

कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

4184. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" इंडिया की तुलना में कोजेन्ट्रिक्स की क्षमता कम है और इसको 2.50 पै. प्रति कि. वाट विद्युत उत्पादन लागत की तुलना में भेल की विद्युत उत्पादन लागत 1.81 पै. प्रति कि. वाट आती है;

(ख) क्या विदेशी फर्म से इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इस संबंध में कोई तुलनात्मक सर्वेक्षण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

4185. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली सरकार के उन संगठनों और सहकारी क्षेत्र की इकाईयों की संख्या क्या है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं;

(ख) स्थान-वार उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कुछ और इकाइयों को इस संबंध में अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ). दिल्ली में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए नोडल एजेंसी उद्योग आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है जिसकी सिफारिश पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मैसर्स अखिल भारतीय सामाजिक न्याय संगठन को वर्ष 1995-96 के दौरान प. दिल्ली स्थित बुराड़ी गांव में खाद्य प्रसंस्करण सह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपये का सहायता अनुदान दिया है। दिल्ली में फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत प्रसंस्करण/फल प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में 357 लाईसेंधारी लगे हुए हैं जिनमें से सहकारी क्षेत्र में एकमात्र यूनिट का स्वामित्व मै. नाफेड प्रौसेस्ड फूड्स के पास है और यह यूनिट लारेंस रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, नई दिल्ली में स्थित है। फल उत्पादों के उत्पादन हेतु फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए फल उत्पाद आदेश 1955 के तहत एक लाईसेंस लेने के अतिरिक्त कोई औद्योगिक लाईसेंस, अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती।

[अनुवाद]

नई किस्म की कपास

4186. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई किस्म को कीट रोधी कपास विकसित की गई है जिस से कम से कम रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में भारी कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस किस्म का फसल परीक्षण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

तथापि, कीट पीड़कजन्तु रोधी पराजीनी कपास के विकास के लिए मार्च, 1994 में एक बहु-सांस्थानिक परियोजना शुरू की गई है।

(ग) तथा (घ). फसल परीक्षण भारतीय कृषि जो उपजातियों के सफल रूपान्तरण तथा पुनर्प्रजनन के आधार पर शुरू किए जाएंगे।

दिल्ली में जल-मल प्रणाली

4187. श्री पीताम्बर पासवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यमुना पार की उन बस्तियों में जिन्हें अब तक नियमित किया गया है, जल-मल प्रणाली हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) यमुनापार क्षेत्र में अब तक नियमित की गई 258 कालोनियों में से 93 कालोनियों में सीवर व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। 53 कालोनियों में सीवर डाले गए हैं और दूसरे चल रहे आनुषंगिक निर्माण कार्यों के पूरा होते ही, ये सीवर चालू हो जाएंगे। 12 कालोनियों के कार्यों को निष्पादित करने के लिए टेंडर/आबंटन किए गए थे और कुछेक कार्य प्रगति पर हैं। 41 कालोनियों के लिए ये योजना तैयार की गई है और इन कालोनियों के निवासियों से विकास प्रभार जमा करने के लिए कहा गया है और 59 कालोनियों के संबंध में सीवर प्रणाली बाबत अन्वेषण/व्यवहार्यता अध्ययन चल रहे हैं।

(ग) यह बात डी. डब्ल्यू. एस. तथा एस.डी.यू. की नीति के अनुसार इस सुविधा का फायदा उठाने वालों द्वारा सीवर के लिए विकास प्रभारों को जमा करने पर निर्भर करेगा।

छात्रावास सुविधा

4188. श्री टी. गोविन्दन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य को देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार की सेवा ग्रहण करने हेतु विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों, जिन्हें आवास आबंटन के लिए कम से कम 25 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है, को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार की नौकरी में विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के लिए होस्टल उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि इस समय सुलभ वास इस प्रकार हैं, जिससे प्रतीक्षा अवधि में काफी कमी आने की संभावना है:

1.	मिन्टो रोड, नई दिल्ली	56
2.	डी आई जैड एरिया, नई दिल्ली	60
3.	देवनगर	1515
4.	माता सुन्दरी एरिया	2017
5.	अलीगंज (जोरबाग के सामने)	780
6.	वसंत विहार	147
7.	मोती बाग	42
8.	सैक्टर 10, रामकृष्ण पुरम	499
9.	आई एन ए	376

बीमा के अंतर्गत लाना

4189. श्री एन. एस. वी. चित्थन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको के निर्माण कार्यों में लगे निर्माण श्रमिकों को बीमा योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कुल कितने दावों का निपटान किया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). हडको द्वारा सीधे ही कार्यान्वित की गई निर्माण परियोजनाओं के सम्बंध में श्रमिकों को बीमा नीतियां के माध्यम से श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान हुडको को कोई ऐसा दावा नहीं मिला है।

उड़ीसा विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

4190. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विद्युत क्षेत्र में विकास और सुधार के लिए विश्व बैंक ने ऋण कब स्वीकृत किया था;

(ख) क्या इस राशि का पूरी तरह से उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ङ) इस परियोजना के लिए किन-किन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ङ). उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना के लिए 10 जुलाई, 1996 को विश्व बैंक के साथ 350 मिलियन अमरीकी डालर हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे। प्रस्तावित उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना में नई स्थापित निगमित संस्थाओं यथा उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन (ओएचपीसी) तथा ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा (ग्रिडको) को उनकी संस्थागत विकास कार्यों को आरंभ करने में सहायता प्रदान करना शामिल है। परियोजना ग्रिडको के लिए उसके पारेषण एवं वितरण संबंधी क्रियाकलापों के कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान करना चाहती है। परियोजना में उड़ीसा विनियमक सुधार आयोग के प्रचालन कार्यों को सुविधाजनक बनाना तथा विभिन्न मांग पक्ष उपायों को लागू करना शामिल है। ऋण का समुपयोजन सन् 2002 तक किया जाना है। उड़ीसा में ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्संरचना संबंधी कार्य पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं।

तेल अनुसंधान परियोजनाएं

4191. श्री समीक लहिरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पं. बंगाल के विभिन्न भागों में चल रही तेल अनुसंधान परियोजनाओं को छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं और इनका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी नहीं। पश्चिम बंगाल में अन्वेषण प्रयास 2 डी और 3 डी भूकंपोय आंकड़े प्राप्त करने, संसाधित करने और उनकी व्याख्या करने के रूप में जारी है। दुर्गापुर डिप्रेशन में कोयला संस्तर मीथेन के लिए वेधन किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डोडा जिले में जंगलों में आग

4192. प्रो. चमन लाल गुप्ता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में जंगलों में लगी आग की कुल कितनी घटनाएं हुई जिनमें वन निगम के कई इमारती लकड़ी डिपो जलकर स्वाहा हो गए और प्रत्येक मामले में अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या जांच का कार्य किसी विशेष जांच अधिकरण को सौंपा गया है; और

(ग) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं जो इमारती लकड़ियों के भस्म होने से पूर्व डिपुओं में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे/निकाल रहे थे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर बालासुब्रमण्यन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

4193. श्री मुरलीधर जेना : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीब लोगों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए किसी दिशा निर्देश अथवा मानदंड का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार सुझाये गये मानदंड/दिशा निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1991 के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी हां, मार्गदर्शी सिद्धान्त इस प्रकार हैं :

(1) न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रक्षेपण तथा प्रभावी उपभोक्ता मांग अर्थात 1973-74 के मूल्यों पर प्रति माह, प्रति व्यक्ति कुल व्यय 49.00 रुपये (ग्रामीण) तथा 56.64 (शहरी) संबंधी कार्यबल द्वारा सिफारिश की गई। गरीबी रेखा को अखिल भारत स्तर पर आधार रेखा के रूप में माना जाना चाहिए। इस बात पर 1973-74 में विद्यमान उपभोक्ता प्रणाली के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरीज प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों के 2100 कैलोरीज प्रति दिन प्रति व्यक्ति दैनिक खपत की सिफारिश पर बल दिया गया था। दल ने यह भी सिफारिश की है कि इन मापदण्डों को सभी राज्यों के लिए समान रूप से अपनाया जाना चाहिए।

(2) राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जाना चाहिए: राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा के अनुसार मानकीकृत वस्तु डाली को प्रत्येक राज्य में आधार वर्ष अर्थात 1973-74 में प्रचलित मूल्यों पर आंका जाना चाहिए, किसी वर्ष विशेष में गरीबी रेखा को चालू मूल्यों के अनुसार अद्यतन बनाने के लिए एक राज्य शिशिष्ट उपभोक्ता कीमत सूचकांक की जरूरत है। इस प्रयोजन के लिए 1973-74 में गरीबी रेखा के आस पास अनुमानित जनसंख्या के 20 से 30 प्रतिशत तक अखिल भारत उपभोक्ता पद्धति को राज्य-विशिष्ट भार रेखा डायाग्राम माना जाना चहिये।

(3) यह आवश्यक है कि चुने गये डिफ्लेटर तीन मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करें (1) वे राज्य विशिष्ट आधार वर्ष मूल्यों के अपनाने के अनुरूप हो (2) वे गरीबी रेखा के इर्द-गिर्द उपभोक्ता डालियों से प्रासंगिक कीमतों का यथासंभव निकटतः प्रक्षेपण करें; तथा (3) डिफ्लेटरों के निर्माण के लिए डाटा आधार आवधिक रूप से उपलब्ध हो, परस्पर राज्यों के बीच तुलनीय और अनुरूप हो।

(4) दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ग्रामीण गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए श्रमिकों के वास्ते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएएल) की बजाय अलग थलग वस्तु सूचकांको पर निर्भर करना और औद्योगिक श्रमिकों के वास्ते उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई डब्ल्यू) के उपयुक्त भारित वस्तु सूचकांक के साधारण औसत पर और शहरी गरीबी रेखा को अद्यतन बनाने के लिए शहरी गैर-श्रमिक कर्मचारियों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआईएनएम) पर निर्भर करना अधिक उपयुक्त होगा।

(5) अद्यतन राज्य-वार गरीबी रेखा और तदनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के प्रति व्यक्ति खपत खर्च के आकार वितरण (पीसीसीई) को ध्यान में रखते हुए कुल आबादी की प्रतिशतता अथवा गरीबी अनुपात के रूप में गरीबों की संख्या का परिकलन प्रत्येक राज्य के सम्बंध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग किया जाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य में गरीबों की कुछ संख्या का परिकलन अनुमानित जनसंख्या के संबंध में गरीबी अनुपात को लागू करके किया जाना चाहिए जैसा कि जनगणना महा-रजिस्ट्रार द्वारा लगाया गया है, अखिल भारत (ग्रामीण व शहरी) गरीबी अनुपात का अनुमान कुल अखिल भारत (ग्रामीण व शहरी) आबादी में राज्य वार गरीब व्यक्तियों की कुल संख्या के अनुपात के रूप में लगाया जाना चाहिए। अखिल भारत गरीबी अनुपात और उसी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त व्यय वर्गों द्वारा जनसंख्या के अखिल भारतीय वितरण को मानकर परोक्ष अखिल भारतीय गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाना चाहिए।

(6) उन राज्यों के सम्बंध में, जहां पर्याप्त आंकड़ों की उपलब्धता एक बाधा है, गरीबी रेखा का अनुमान क्षेत्रों के वास्तविक संघटकों पर विचार करने तथा अन्य आर्थिक प्रतिमानों द्वारा इंगित ऐसे ही आर्थिक स्थिति के आधार पर निकटवर्ती क्षेत्रों से लगाया जाना चाहिए।

(7) एन. एस. एस. उपभोक्ता सर्वेक्षण - जो प्रत्येक पांच वर्ष में किये जाते हैं और जिनसे औसत प्रति व्यक्ति कुल खपत व्यय के राज्य स्तरीय अनुमान और औसत के आसपास आबादी के आकार वितरण का पता चलता है, पंचवार्षिक आधार पर गरीबी रेखा से नीचे आबादी के अनुपात और सिफारिश की गई पद्धति के अनुसार गरीबी अनुपातों का अनुमान लगाने के लिए सूचना के बुनियादी स्रोत वर्ष 1977-78, 1983 तथा 1987-88 तथा बाद के वर्षों के लिए तैयार किये जाने चाहिए, जब भी विस्तृत परिवार सर्वेक्षणों के एन एस एस के चक्रों के राज्य वार परिणाम उपलब्ध हों।

(8) यह दल, राज्यों द्वारा और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए परिवार खपत व्यय सम्बंधी एन. एन. एस. आंकड़ों पर (बिना किसी समायोजन के) पूर्ण रूप से निर्भर रहने के पक्ष में है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जारी किये गये परिवार खपत व्यय सम्बंधी आंकड़े गरीबी का अनुमान लगाने के लिए आधार माने गये हैं। जनगणना सम्बंधी कार्य में गरीबी का अनुमान लगाना शामिल नहीं है।

असम में ग्रामीण विद्युतीकरण

4194. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि असम में आज तक केवल 60 प्रतिशत गांवों का ही विद्युतीकरण हो गया है और वहां भारी मात्रा में बिजली की कटौती हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति करने का कोई प्रावधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार असम में 21995 आबाद गांवों में से 21887 गांवों (इनमें 1981 की जनगणना में शामिल न किए गए कुछ गांव भी शामिल हैं) को मार्च, 1996 के अंत तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युत आपूर्ति का आबंटन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 96 में असम में कोई सांविधिक विद्युत कटौती नहीं की गई थी। तथापि, राज्य सरकार/रा. बि.बो. दिन-प्रतिदिन की विद्युत उपलब्धता के आधार पर लोड शेडिंग के माध्यम से विद्युत आपूर्ति को निर्धारित करती है।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

(ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं और वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संबंधित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार और क्रियान्वित किया जाता है।

संसद सदस्य क्षेत्र विकास निधि

4195. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में व्यय करने के लिए नियमित की गई । करोड़ रुपये की क्षेत्र विकास निधि पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक करोड़ रुपये की निधि को बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 1.2 के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला कलेक्टर को । करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की संस्तुति कर सकता/सकती है। कुछ संसद सदस्यों ने सुझाव दिया है कि । करोड़ रुपये की यह राशि अपर्याप्त है अतः इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

4196. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के दौरान उस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति की गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). कर्नाटक राज्य सहित देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन पर आठवीं योजना के दौरान पर्याप्त बल दिया गया है। उठाए गए कदमों में निजी क्षेत्र सहभागिता के माध्यम के वाणिज्यीकरण केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन आरंभ करना, राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा अनुकूल नीतियां, सीमित प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और संस्थागत प्रबंध शामिल हैं।

(ग) और (घ). 3 मेवा क्षमता तक की लघुपन बिजली परियोजनाओं के क्षेत्र में आठवीं योजना अवधि के दौरान अब तक 1.35 मेवा समग्र क्षमता की 2 परियोजनाएं चालू की गई हैं। 33 मेवा समग्र क्षमता की 22 परियोजनाएं निजी क्षेत्र को आबंटित की गई हैं और ये स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य में संभावना वाले 14 स्थलों की पहचान की गई है। जिन्हें पवन फार्म परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल समझा जा सकता है। धारवाड़ जिले के कपाटगुड्डा स्थान पर 2 मेवा. की एक पवन फार्म प्रदर्शन परियोजना चालू की गई है। इसके अलावा खोई आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राज्य में चार चीनी मिलों द्वारा प्रारंभिक रुचि प्रकट की गई है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा

4197. श्री ललित उरांव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए संशोधित मानदंड क्या है;

(ख) इस संबंध में वर्तमान निर्धारित आय सीमा क्या है;

(ग) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(घ) क्या बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा 1979 में गठित न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोक्ता मांग के अनुमानों पर कृतिक बल ने 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 49.09 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 56.64 रुपये की गरीबी रेखा की सिफारिश की थी। इसका उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का अनुमान लगाने के लिए मानदण्ड के रूप में किया गया है। गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 132.0 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 152.3 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के रूप में वर्ष 1987-88 के लिए अद्यतन बनाया गया है।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की राज्यवार संख्या के नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के संबंध में उपलब्ध हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। बिहार में गरीबी का विस्तार 1983-84 में 40.54 प्रतिशत से घटकर 1987-88 में 34.34 प्रतिशत हो गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या भी 1983-84 में 301.05 लाख से घटकर 1987-88 में 278.12 लाख हो गई है।

विवरण-I

1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	165.16
2.	असम	37.44
3.	बिहार	278.12
4.	गुजरात	56.12
5.	हरियाणा	14.24
6.	हिमाचल प्रदेश	3.49
7.	जम्मू व कश्मीर	7.81
8.	कर्नाटक	117.05
9.	केरल	38.63
10.	मध्य प्रदेश	195.71
11.	महाराष्ट्र	183.67
12.	उड़ीसा	119.61
13.	पंजाब	9.59
14.	राजस्थान	84.31
15.	तमिलनाडु	152.23
16.	उत्तर प्रदेश	389.35
17.	पश्चिम बंगाल	142.60
18.	अखिल भारत	2014.06

टिप्पणी : (1) गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या 1 अक्टूबर, 1987 की जनसंख्या से संबंधित है।

(2) परिणाम उपभोक्ता व्यय पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर (जुलाई 1987-जून 1988) पर आधारित है।

गुजरात में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

4198. श्री एन. जे. राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने हेतु आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु किन स्थानों का चयन किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान आबंटित धनराशि की परियोजनावार ब्यौरा क्या है और आज तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) सरकार द्वारा गुजरात राज्य सहित सम्पूर्ण देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए व्यापक श्रेणी की योजनाएं आरंभ की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों सहित, गुजरात में

प्रमुख योजनाओं में पारिवारिक आकार के बायोगैस संयत्रों, सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, सौर लालटेनों, सौर घरेलू रोशनियों, ऊर्जा ग्राम, बायोमास गैसीफायरों आदि की स्थापना करना शामिल है।

(ख) और (ग). जनजातीय क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण राज्य में इन योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों का राज्यवार कोई आबंटन नहीं है पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष 1996-97 के दौरान इन योजनाओं के लिए गुजरात को निर्मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	गुजरात राज्य में धन का वितरण
1.	1993-94	1587.55
2.	1994-95	1228.77
3.	1995-96	166.60
4.	1996-97 (31.8.96 तक)	385.80

[अनुवाद]

गन्दी बस्तियों का विकास

4199. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान गन्दी बस्तियों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इस योजनावधि के दौरान गन्दी बस्तियों के विकास के लिए राज्य-वार विभिन्न राज्यों को, कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) उक्त योजना के दौरान विकास के लिए उड़ीसा के विभिन्न कस्बों और शहरों में पहचाने गए गन्दी बस्ती क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(घ) इस योजनावधि के दौरान उड़ीसा में गन्दी बस्ती विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). स्लमों के विकास के लिए शहरी स्लमों का पर्यावरणीय विकास (ई.आई.यू.एस.) ही मात्र योजना स्कीम हैं। जिसमें राज्य सरकार द्वारा इसके अपने संसाधनों से निधियां आबंटित की जाती हैं। संघ सरकार इस स्कीम की राज्य स्तर पर निगरानी करती है। आठवीं योजनावधि के दौरान ई.आई.यू.एस. के लिए राज्य-वार और वर्ष वार परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ई.आई.यू.एस. राज्य योजना स्कीम होने के नाते राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न शहरों और कस्बों में स्लम क्षेत्रों की पहचान करती है।

(घ) और (ङ). आठवीं योजना अवधि के दौरान ई.आई.यू.एस के तहत उड़ीसा में स्लम विकास के लिए खर्च की गई राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	लाख रुपये में
1992-93	56.00
1993-94	56.00
1994-95	56.00
1995-96 (प्रत्याशित)	80.00

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	433	402	292	192
2.	असम	35	35	40	60
3.	बिहार	350	390	300	300
4.	गोवा	5	2	-	-
5.	गुजरात	220	300	325	600

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	200	190	253	500
7.	हिमाचल प्रदेश	63	73	73	81
8.	जम्मू और कश्मीर	90	90	88	100
9.	कर्नाटक	845	912	859	859
10.	केरल	90	130	110	160
11.	मध्य प्रदेश	675	510	582	598
12.	महाराष्ट्र	1217	974	1500	4162
13.	मणिपुर	25	30	–	–
14.	मेघालय	40	40	40	40
15.	मिजोरम	10	10	10	10
16.	उड़ीसा	90	81	56	80
17.	पंजाब	175	175	–	–
18.	राजस्थान	365	370	400	445
19.	सिक्किम	6	5	6	–
20.	तमिलनाडु	260	230	330	526
21.	त्रिपुरा	50	55	55	50
22.	उत्तर प्रदेश	785	785	785	794
23.	पश्चिम बंगाल	1050	700	500	270
संघ शासित राज्य					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10	–	–	–
2.	चण्डीगढ़	–	–	300	–
3.	दादरा व नागर हवेली	5	5	4	2
4.	दिल्ली	820	900	900	960
5.	पाण्डिचेरी	50	40	40	45
	योग :	7984	7433	7848	10833

ग्रामीण विद्युतीकरण

4200. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ख) अभी और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी बंगाल में विद्युतीकृत गांवों की संख्या निम्नवत् है :-

1993-94	351
1994-95	310
1995-96	89

(ख) मार्च, 1996 के अंत तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 8819 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना शेष है।

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

गढ़वाल में पेयजल

4201. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण पेय जल योजना के अंतर्गत 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल में पैडूल सुंई क्षेत्र में विशेषकर युरेगी गांव के लिए धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो पेय जल वितरण हेतु उक्त क्षेत्र में अब तक चयन किए गए स्थानों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) निधियों के आबंटन का योजनावार/जिलावार निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

4202. श्री गिरधारी यादव : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपभोक्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) स्वीकृत किए गए ऐसे आवेदनों की वर्ष-वार संख्या क्या है;

(ग) कितने आवेदन लंबित हैं; और

(घ) उन आवेदनों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ). शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थाना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य से प्राप्त पांच आवेदनों में से सरकार ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है तथा दो प्रस्तावों को अस्वीकृत किया है। सामान्यतः परियोजना के कार्यान्वयन में 2-3 साल लग जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

4203. श्री येलैयया नंदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय क्रियान्वयनाधीन ग्रामीण विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त ग्रामीण विद्युतीकरण का कोई नया प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन लंबित पड़ी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) इस समय आंध्र प्रदेश में 487 ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा वित्तपोषित स्कीमें प्रचालनाधीन हैं।

(ख) से (घ). प्रकासभ जिले से 136 लाख रुपये का वित्तीय सहायता वाला केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसकी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जांच की जा रही है।

फ्लैटों का आबंटन

4204. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पैटर्न स्कीम, 1979 के अंतर्गत श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को अभी फ्लैटों का आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) उन्हें फ्लैटों के आबंटन में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं और किस समय तक उन्हें आबंटन किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत बनाए गए अनेक फ्लैट खाली पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो श्रेणी-वार और क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फ्लैटों को आबंटित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन फ्लैटों का निर्माण कब किया गया था?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 के अन्तर्गत आबंटन के लिए प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :

एल. आई. जी.	18,285
एम. आई. जी	12,919
योग	31,204

(ख) इस योजना के तहत फ्लैटों के आबंटन में देरी के कारण इस प्रकार हैं :

(1) यह योजना पूरी भारत के आधार पर थी और पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी (सभी श्रेणियों के लिए 1,71,272)

(2) अन्य ऐजेन्सियों द्वारा भूमि और अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में बाधाएं।

(3) निर्माण सामग्री की आकस्मिक कमी।

(4) संविदात्मक समस्यायें।

(ग) से (ङ). न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 के प्रतिक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आबंटन करना एक सतत प्रक्रिया है। रोहिणी, कोंडली, घरौली, मयूर विहार, दिलशाद गार्डन, द्वारका और नरेला में स्थित लगभग 1970 एल. आई. जी. और एम. आई जी. फ्लैटों को छोड़कर सभी निर्मित फ्लैटों का आबंटन कर दिया गया है। बिजली न मिलने के कारण इन फ्लैटों का आबंटन नहीं किया जा सका। आबंटियों द्वारा आबंटन की शर्तों और निबंधनों को पूरा न करने के कारण कुछ फ्लैट आबंटन के बावजूद भी खाली रहते हैं। ऐसे फ्लैट समय-समय पर पुनः आबंटित किये जाते हैं।

कोलतार की आपूर्ति

4205. श्री गोरधन भाई जावीया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार वार्षिक कोलतार की मांग और आपूर्ति कितनी है;

(ख) क्या कोलतार का उत्पादन देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) तारकोल पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित नहीं किया जाता। तथापि, वर्ष 1996-97 के लिए बिटुमेन की मांग और प्रस्तावित राज्य-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) देश में बिटुमेन उत्पादन संभावनाएं देश में इसकी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। उत्पादन वृद्धि व संचलन के अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1996-97 के लिए बिटुमेन की राज्य-वार वार्षिक आपूर्ति व मांग

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मांग	प्रस्तावित आबंटन
1	2	3
अण्डमान एवं निकोबार	3.0	3.0
अरूणाचल प्रदेश	6.0	6.0
असम	29.0	29.0
बिहार	109.0	108.0
मणिपुर	7.0	7.0
मेघालय	8.0	8.0
मिजोरम	4.0	4.0
नागालैंड	2.0	2.0
उड़ीसा	49.0	49.0
सिक्किम	2.0	2.0
त्रिपुरा	5.0	5.0
वैस्ट बंगाल	76.0	76.0
आन्ध्र प्रदेश	110.0	110.0
कर्नाटक	150.0	150.0
केरल	80.0	80.0
पाण्डीचेरी	2.5	2.5
तमिलनाडु	185.0	185.0
दादर एवं नागर हवेली	2.0	2.0
दमन एवं दीयू	1.5	1.5
गोआ	17.0	17.0
गुजरात	284.0	284.0
मध्य प्रदेश	110.0	110.0
महाराष्ट्र	475.0	475.0
चण्डीगढ़	4.0	4.0
दिल्ली	35.0	35.0
हरियाणा	136.0	110.0
हिमाचल प्रदेश	17.0	17.0
जम्मू एवं कश्मीर	20.0	20.0
पंजाब	210.0	210.0
राजस्थान	300.0	195.0
उत्तर प्रदेश	203.0	200.0

एन. आर. डी. सी.

4206. श्री गिरधर गमांग : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु इलैक्ट्रोलाईटिक मैंगनीज डाइआक्साईड परियोजना सहित प्रौद्योगिकी विकास परियोजना की निगरानी के लिए एन.आर.डी.सी. सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से सहायता दे रही है; और

(ग) इस प्रकार के निगरानी और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु सरकार द्वारा दी गई सहायता का क्या परिणाम निकला तथा परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परियोजना के शुरू होने से लेकर गत 10 वर्षों में सूक्ष्म अनुवीक्षण के तहत एनआरडीसी द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं तथा इसकी वर्तमान परिस्थितियां नीचे दी गई हैं:

(1) **इलैक्ट्रॉलाईटिक मैंगनीज डाइआक्साइड (ईएमडी)**

इलेक्ट्रॉलाईटिक मैगनीज डाइआक्साइड प्रौद्योगिकी का विकास जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल) द्वारा किया तथा इसके वाणिज्यीकरण के लिए इसे एनआरडीसी को सौंप दिया। । जुलाई, 1989 में एनआरडीसी ने एनएमएल प्रौद्योगिकी का लाईसेंस मैसर्स मैग्नो माइनिंग कंपनी लिमिटेड, (एमएमसीएल) हैदराबाद को दिया। एमएमसीएल ने एनआरडीसी के परामर्श से 4.29 करोड़ रुपये की लागत का इएमडी के उत्पादन के लिए 300 टीपीए प्रदर्शन संयंत्र का निर्माण किया। परियोजना में एनआरडीसी की इक्विटी भागीदारी 23.5 लाख रुपये होनी थी जिसका 15.67 लाख रुपये आज तक जारी कर दिया है। एमएमसीएल ने 67.1 लाख रुपये की इक्विटी रखी तथा आईडीबीआई की जोखिम निधि से 6 प्रतिशत ब्याज पर 338.4 लाख रुपये का साधारण ऋण उपलब्ध कराया। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के बेब्बिली, उनके द्वारा संयंत्र के लिए चयनित स्थान में निर्माण स्थल का विकास कार्य पूरा किया तथा संयंत्र से संबंधित कुछ उपस्कर भी खरीदे गए। यह सब प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र के डिजाईन तथा इंजीनियरिंग कंपनी, मेकॉन जिसका मुख्यालय बिहार के रांची में है, द्वारा शुरू की गई संयंत्र की मूल तथा विस्तृत इंजीनियरी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर किया गया। तथापि, एमएमसीएल 1992 तक परियोजना में अत्यधिक वृद्धि होने से लागत 10 करोड़ रुपये हो जाने के कारण परियोजना के लिए आवश्यक शेष वित्तीय सहायता को बढ़ाने में अपनी अयोग्यता के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ा सकी।

एमएमसीएल परियोजना के अतिरिक्त, एनआरडीसी तथा एमएमएल ईएमडी के उत्पादन के लिए 600 टीपीए संयंत्र की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र की कंपनी मैसर्स मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड को परामर्श सेवा उपलब्ध कराती है। प्लांट तभी से चालू है तथा उत्पादन किया जा रहा है।

(2) **परित्यजनीय पॉलिमर आधारित ब्लड बैग**

विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि प्रदत्त परियोजना के अन्तर्गत तिरूवनन्थपुरम स्थित श्री चित्रा टिरूनल इंस्टीट्यूट आव मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा परित्यजनीय पॉलिमर आधारित ब्लड बेगों हेतु प्रौद्योगिकी विकसित की गई। 1983 में वाणिज्यीकरण हेतु इस प्रौद्योगिकी को एनआरडीसी को सौंपा गया। एनआरडीसी ने फरवरी 1984 में मैसर्स पेनिन्सूला पॉलिमर्स लिमिटेड (पीपीएल), तिरूवनन्थपुरम को लाईसेंस दिया। एनआरडीसी ने अपनी ब्लड बैग प्रौद्योगिकी को बचाने के लिए भारत में एक पेटेन्ट भी किया। पीपीएल ने 1987 में 2.14 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन ब्लड बैगों का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की। उस समय परियोजना में एनआरडीसी की ईक्विटी भागीदारी (कुल ईक्विटी का 25 प्रतिशत) 9.25 लाख रुपये थी। तथापि, जब पीपीएल ने वर्ष 1988 के प्रारम्भ में अपने ब्लड बैंगों का वाणिज्यिक उत्पादन तथा बिक्री शुरू करी उस समय तक एनआरडीसी की ईक्विटि भागीदारी 11.62 लाख रुपये तक बढ़ गई थी। फरवरी 1988 में जब पीपीएल बाजार में आई उस समय ब्लड बैग शून्य सीमा शुल्क पर आयात किए जाने की अनुमति दी गई थी क्योंकि तब तक कोई घरेलू उत्पादन नहीं होता था। इससे अधिक और क्या हो सकता है कि बल्ड बैंगों के अंतर्राष्ट्रीय निर्माता जोकि प्रारम्भ में इन्हें लगभग 45/- रुपये प्रति बैग आयात कर रहे थे उन्होंने ही पीपीएल के उत्पादन को कम करने के लिए लगभग 10-15 रुपये प्रति बैग के हिसाब से हमारे बाजार में अपने बैगों का ढेर लगाना शुरू कर दिया। अतः डीएसआईआर तथा एनआरडीसी ने वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर शीघ्र कार्रवाई की उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्लड बैंगों पर 40 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप पीपीएल द्वारा बनाए गए ब्लड बैगों की बिक्री में अत्यधिक वृद्धि हुई और कंपनी संकट से ऊभर गई। एनआरडीसी ने पीपीएल को यू. के., मिस्र अमरीका, जर्मनी, श्रीलंका, केन्या तथा तंजनिया जैसे बहुत से राष्ट्रों को अपने ब्लड बैंगों का निर्यात करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान की है। पीपीएल ने न सिर्फ अपनी 2 मिलियन बैगों की प्रतिवर्ष की क्षमता को प्राप्त किया है बल्कि अपने संयंत्र की क्षमता को 3 मिलियन बैग प्रतिवर्ष तक बढ़ाया है। वर्तमान में परियोजना में एनआरडीसी को ईक्विटी भागीदारी 43.75 लाख रुपये है।

एनआरडीसी ने नीचे दशाई गई तीन और कम्पनियों को भी लाईसेंस दिया है।

कंपनी का नाम	लाईसेंस अनुबंध की तारीख	संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता
मैसर्स हिन्दुस्तान लैटेक्स लि., तिरूवनन्थपुरम	31.1.91	3 मिलियन बैग प्रतिवर्ष
मैसर्स इलेक्ट्रॉमेडिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता	1.3.93	2 मिलियन बैग प्रतिवर्ष
मैसर्स जे. मित्रा इंडस्ट्रीज नई दिल्ली	9.1.95	5 मिलियन बैग प्रतिवर्ष

एनआरडीसी ने ब्लड बैगों के उत्पादन हेतु सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए मिस्र तथा इंडोनेशिया में पार्टियों से प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्तावों का सक्रिय रूप से पालन किया जा रहा है। ब्लड बैगों हेतु एनआरडीसी प्रौद्योगिकी के लिए दक्षिण तथा केन्या से भी पूछताछ प्राप्त हो रही है।

(3) **राइस हस्क पार्टिकल बोर्ड**

1982 में विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधि प्रदत्त इण्डियन प्लाइवूड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलूर द्वारा राइस हस्क से पार्टिकल बोर्ड के उत्पादन हेतु प्रोद्योगिकी का विकास किया गया। 1985 में वाणिज्यीकरण हेतु इसे एनआरडीसी को सोंपा गया। एनआरडीसी ने जून 1988 में बंगलूर स्थित मैसर्स पद्मावती पैनल बोड्र्स लिमिटेड (पीपीबीएल) को लाईसेंस दिया तथा 56 लाख रुपये की लागत के 600 टीपीए संयंत्र की स्थापना के लिए कंपनी को 12 लाख रुपये का ब्याज मुक्त विकास ऋण उपलब्ध कराया। इस संयंत्र ने 1990 में उत्पादन शुरू किया। चूंकि यह नया उत्पाद था अतः प्रारम्भ में पार्टियों को इस उत्पादन के विपणन में कठिनाई आई और इस प्रकार यह पार्टी इस संयंत्र की पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता (600 टीएपी) का उत्पादन नहीं कर सकी तथा यह पार्टी विभिन्न अन्य प्रयोगों के लिए राइस हस्क बोर्डों के विस्तृत रेंज के विकास में सफल हो गई। एनआरडीसी ने राइस हस्क पार्टिकल बोर्डो को इसकी निष्पादकता हेतु केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की से परखवाया। अनके पार्टियां इस तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस निगम के पास आने लगी और इस प्रक्रम का 5 अन्य पार्टियों को लाईसैंस दे दिया गया।

वर्ष 1994 में एनआरडीसी ने राइस हस्क बोर्डो की और नई किस्म के उत्पादन के लिए मैसर्स पीपीबीएल को अपने संयंत्र की उत्पादन क्षमता 600 टीपीए से 1000 टीपीए तक बढ़ाने के लिए ईक्विटि (रुपये 16 लाख) तथा ऋण (16 लाख) की वित्तीय सहायता दी। साथ ही एनआरडीसी को इस प्रौद्योगिकी के संरक्षण के लिए न केवल भारत में राइस हस्क बोर्ड प्रौद्योगिकी के विविध पहलुओं पर तीन पेटेन्ट प्राप्त हुए बल्कि विदेश से भी ये पेटेन्ट प्राप्त हुए। इस निगम ने 8 महीनों के रिकार्ड समय में मलेशिया में 2500 टीपीए क्षमता का एक संयंत्र भी स्थापित किया है जो चालू हालत में है। इसके अतिरिक्त चीन, वियनताम, मलेशिया, इंडोनेशिया के अनेक पार्टियों ने इस प्रौद्योगिकी के लाईसेंसीकरण हेतु एनआरडीसी से संपर्क किया है।

राइस हस्क बोर्ड प्रौद्योगिकी में विदेशी पार्टियों की रुचि को ध्यान में रखते हुए डीएसआइआर ने एनआरडीसी के सहयोग से अपनी प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता लक्ष्याधारित कार्यक्रम (पेट्सर) के अन्तर्गत पीपीबीएल को वर्तमान राइस हस्क पार्टिकल बोर्ड संयंत्र की प्रौद्योगिकी विकास तथा उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(4) **स्पीरूलिना एलेगी**

स्पीरूलिना एलेगी (उच्च प्रोटीन विटामिन, खाद्य पूरक) के उत्पादन की प्रक्रिया का विकास मद्रास स्थित श्री ए.एम.एम. मूरूगप्पा चैटियर रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया था और वर्ष 1988 में एनआरडीसी को सुपुर्द किया गया। श्री मूरूगप्पा चैटियर रिसर्च सेंटर सैवेरियरपुरम, तमिलनाडु के सहयोग से वर्ष 1989 में एक 7.5 टन प्रतिवर्ष (टीपीए) प्रारम्भिक संयंत्र की स्थापना की गई जिसके लिए एनआरडीसी ने 14.34 लाख रुपये का विकासात्मक ऋण दिया। तदुपरान्त इस निगम ने इस प्रक्रम को मद्रास स्थित मैसर्स न्यू अम्बडी एस्ट्रेटस प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंसीकृत किया है जिसने इस 7.5 टीपीए प्रारम्भिक संयंत्र को 30 टीपीए की क्षमता में विस्तारित कर दिया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स न्यू अम्बडी एस्टेटस प्राइवेट लिमिटेड वर्तमान संयंत्र के पास 100 टीपीए क्षमता वाला दूसरा संयंत्र स्थापित कर रहा है। चार अन्य पार्टियों अर्थात् मैसर्स पनवारी टी कम्पनी, मैसर्स योगांबीगिया कैमिकल्स, मैसर्स इस्सर कैमिकल्स, मेसर्स कैलविन फार्मा के साथ इस तकनीकी जानकारी के लाईसेंसीकरण हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं।

स्पीरूलिना एलेगी के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के अतिरिक्त एनआरडीसी तमिलनाडु, उड़ीसा इत्यादि राज्यों के बच्चों तथा नर्स माताओं के दोपहर के भोजन की योजना में प्रवेश कराने के प्रयास भी कर रहा है। दोपहर के भोजन की इस अन्नपूरकता से बच्चों में विटामिन "ए" तथा विटामिन "बी" की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी, इन विटामिनों की कमी से बच्चे अंधे हो जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम है। अतः प्रस्ताव है कि इस खाद्य अन्नपूरक की उपलब्धता में वृद्धि की जाए ताकि इसे खरीदा जा सके, एनआरडीसी के लिए यह आवश्यक है कि एनआरडीसी अपयुक्त ईक्विटि निवेश द्वारा तमिलनाडु सरकार की एस्टेट सेक्टर कंपनी की स्थापना को इस राज्य की दोपहर के भोजन की योजना को बढ़ावा दें।

(5) **उड़न राख की ईंटें**

इस प्रौद्योगिकी का विकास धनबाद स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने 1970 में किया तथा 1975 में वाणिज्यीकरण हेतु एनआरडीसी के सुपुर्द किया। एनआरडीसी ने मैसंर्स जगतधारी ब्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को उड़न राख की ईंटों का उत्पादन करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना हेतु मार्च, 1985 में 5 लाख रुपये का विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराया। जून ,1986 में जब संयंत्र ने उत्पादन शुरू किया, उस समय ईंटों की गुणवता श्रेष्ठ पाई गई तथा उत्पादन लागत परम्परागत ईंटों के मुकाबले की थी परन्तु लाइसेंसधारी संयंत्र की क्षमता को प्रतिदिन में दो शिफ्टों में 5000 ईंटों के उत्पादन से अधिक बढ़ने में असमर्थ था। हाइड्रोलिक प्रेस में खराबी पाई गई। हाइड्रोलिक प्रेस में आई इस खराबी को सुधारने के लिए एनआरडीसी तथा सीएफआरआइ ने लाईसेंसधारी की सहायता की। इसके परिणामस्वरूप लाईसेंधारी अगस्त 1988 में उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10,000 ईंटों तक बढ़ाने में सक्षम हुआ। तदुपरान्त लाईसेंसधारी ने 1989 में प्रतिदिन 30,000 ईंटों की क्षमता के एक करोड़ की लागत वाले अर्ध वाणिज्यीकरण संयंत्र की स्थापना की। इस प्रकार उड़न राख की ईंटों के उत्पादन हेतु सीएफआरआइ प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता स्थापित की तथा और अधिक पार्टियों को लाईसेंस दिया। बंगाल

सरकार की संयुक्त क्षेत्र की कंपनी मैसर्स पुलवेर ऐश लिमिटेड, बंडेल (पश्चिम बंगाल) तथा पीयर्लस ने मिलकर प्रतिदिन 1,00,000 ईंटों के उत्पादन की क्षमता वाले संयंत्र की स्थाना की जो अब उत्पादन कर रहा है।

(6) राइस हस्क ऐश से अवक्षेपित सिलिका

यह प्रौद्योगिकी आइआइटी, सहगपुर ने विकसित की तथा 1986 में वाणिज्यीकरण हेतु एनआरडीसी के सुपुर्द किया। एनआरडीसी ने जून 1986 में मैसर्स चूनीक सिलिका प्राईवेट लिमिटेड को इस प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया। जून 1990 में एनआरडीसी ने कम्पनी को न्यूनतम लागत पर अवक्षेपित सिलिका का उत्पादन करने, प्रक्रिया में कुछ सुधार करने तथा कुछ उप-उत्पाद यथा कैल्शियन सल्फेट तथा प्रक्रिया से प्राप्त उत्प्रेरित कार्बन की प्राप्ति के लिए 1.2 लाख रुपये की विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराया।

(7) कृत्रिम हृदय वाल्व

इस प्रौद्योगिकी का विकास श्री चिन्ना निरूनल मैडिकल विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किया गया तथा सन् 1987 में इसे वाणिज्यीकरण हेतु एनआरडीसी को सौंपा गया। एनआरडीसी ने 300 कृत्रिम हृदय वाल्वों के प्रायोगिक उत्पादन हेतु संस्थान को 8.22 लाख रुपये का विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराया। एनआरडीसी ने अप्रैल 1991 में इस प्रौद्योगिकी का लाईसेंस मैसर्स टीटीके फार्मा लि., मद्रास को दे दिया जिसने हृदय वाल्वों का विपणन प्रारम्भ किया। वर्ष 1995-96 की अवधि में मैसर्स टीटीके फार्मा ने 12,000/- रुपये प्रति पीस के हिसाब से 148 हृदय वाल्व बेचे जोकि केवल अमेरिका तथा इटली नामक दो देशों में बनने वाली विदेशी वाल्वों की कीमत से लगभग 50 प्रतिशत कीमत के हैं।

(8) रेत व चूने की ईंटे

इस प्रौद्योगिकी का विकास केन्द्रीय भवन अनुसंधान द्वारा किया गया तथा वाणिज्यीकरण हेतु एनआरडीसी को सौंपा गया। मार्च 1992 में एनआरडीसी ने इस प्रौद्योगिकी का लाईसेंस मैसर्स पैरीवाल ब्रिक्स इंडस्ट्रीज लि. को दे दिया जिसमें 5.5 करोड़ रुपये की लागत पर 1,00,000 ईंटें प्रतिदिन के उत्पादन हेतु एक संयंत्र स्थापित किया। इस परियोजना में एनआरडीसी की ईक्विटी भागीदारी 30 लाख रुपये है। परियोजना के लिए ऋण तथा ईक्विटी हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान समय में संयंत्र उत्पादनरत है।

(9) गुंफन (ब्रेडिंग) अनुप्रयोगों हेतु कार्बन फाइबर

इस प्रौद्योगिकी का विकास राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया गया तथा सन 1992 में इसे वाणिज्यीकरण हेतु एनआरडीसी को सोंपा गया। एनआरडीसी ने मार्च 1994 में मैसर्स मशीनिंग सेन्टर (इंडिया) प्रा. लि. को 131 लाख की कुल लागत के 5 टीपीए के अर्ध-वाणिज्यिक संयंत्र को स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये (अब तक 10 लाख रुपये दिए जा चुके हैं) के विकासात्मक ऋण का अनुमोदन किया है। डीएसटी की टेक्नोलोजी इन्फॉरमेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमंट काउंसिल (टीआईएसएसी) द्वारा भी 40 रुपये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

(10) सिंगल पीस इन्ट्रा ओकुलर लैंस (आईओएल)

इस प्रौद्योगिकी का विकास 1992 में वेणु आई इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया सन् 1994 में इसे वाणिज्यीकरण हेतु एनआरडीसी को सौंपा गया। एनआरडीसी ने सिंगल पीस आइओएल के निर्माण हेतु नवम्बर 1995 में बनी मेसर्स विजन सर्जिकल्स प्रा. लि. नामक एक नई कम्पनी की ईक्विटि में (12 लाख रुपये के समकक्ष) भागीदारी की।

एनआरडीसी द्वारा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत शुरू किए गए/किए जाने वाले प्रौद्योगिकी विकास तथा सार्थक प्रोद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण के उपरोक्त प्रमुख मामलों के फलस्वरूप लगभग 12.00 करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन हुआ है। इससे भी अधिक क्या हो सकता है कि वर्ष 2000 तक इस उत्पादन स्तर के 50 करोड़ रुपये तक बढ़ने की आशा है।

एनआरडीसी अपने विकास से संबंधित क्रियाकलापों तथा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण तथा इसके प्रौद्योगिकी संवर्धन कार्यक्रम तथा आविष्कार संवर्धन कार्यक्रम के लिए डीएसआइआर से ईक्विटी एवं ऋण तथा अनुदान सहायता प्राप्त करता है। प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को जैसा कि उपर वर्णित है, एनआरडीसी से प्राप्त ईक्विटि एंव ऋणों के अतिरिक्त सहायता दी गई। आठवीं योजना के लिए एनआरडीसी का कुल परिव्यय 7 करोड़ रुपये हैं जिसमें से वर्ष 1992-95 में 4.45 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में पहले से ही दिए जा चुके हैं तथा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के लिए अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 2081 करोड़ एवं 2.06 करोड़ रुपये है।

एनआरडीसी को सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं वाणिज्यीकरण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तीन विभागों जैसे वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआइआर), विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता निम्नवत् है :

— डीएसआइआर ने अपनी पेट्सर योजना के अर्न्तगत अब तक 58 अनुसंधान, विकास, डिजाइन तथा इंजीनियरी (आरडीडीई) परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की है। कुल परियोजना लागत 44 करोड़ रुपये हैं जिसमें से 18 करोड़ रुपये की डीएसआइआर द्वारा प्रदत्त सहायता सम्मिलित है। इन परियोजनाओं में से वर्तमान में 51 परियोजनाएं चल रही हैं। जिनकी कुल लागत 41 करोड़ रुपए है जिसमें से 17 करोड़ रुपए की सहायता डीएसआइआर ने दी है। इनमें से कुछ परियोजनाएं औद्योगिक कम्पनियों तथा सार्वजनिक निधि प्रदत अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोग द्वारा चलती हैं। डीएसआइआर द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को दी जाने वाली निधियां परियोजना के आकार, निहित

प्रौद्योगिकीय या/और वाणिज्यिक जोखिम की मात्रा तथा अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ संबंध के आधार पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होती है। वर्ष 1994-96 की अवधि के दौरान डीएसआइआर द्वारा दी गई परियोजना सहायता लगभग 10 करोड़ रुपए थी जबकि 1996-97 के लिए इस सहायता की राशि 12 करोड़ है। जो परियोजनाएं पूर्ण होनी वाली हैं उनके फलस्वरूप वर्ष 1996-97 में 40 करोड़ रुपये वर्ष 1997-98 में 100 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1998-99 में 150 करोड़ रुपए का उत्पादन होने की आशा है।

— डीएसटी अपनी पंजीकृत सोसायटी टेक्नोलॉजी इन्फॉरमेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल (टीआईएफएसी) द्वारा स्वदेशी विकसित प्रौद्योगिकियों (एचजीटी) पर अपनी योजना के तहत प्रयोगशाला स्तरीय प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिकृत उत्पादों तथा उच्च पैमाने के अनुप्रयोगों में परिवर्तित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास सहायता उपलब्ध कराती है। उन प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं हेतु आंशिक सहायता दी जाती है, जिनमें उद्योग, उपभोक्ता तथा आर एंड डी संस्थान साझेदार हैं। एचजीटी योजना द्वारा औद्योगिक आर एंड डी कार्यक्रमों को निधि प्रदान करने के अतिरिक्त डीएसटी उपस्करों के विकास/संवर्धन, औषध एंव फार्मास्यूटिकल्स तथा एडवांस्ड मेटिरियल्स डेवलमेंट जेसे क्षेत्रों में भी परियोजनाओं को सहायता देता है।

— डीबीटी प्रदर्शन एंव प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण क्रियाकलापों हेतु अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराता है जो चिकित्सा जैव प्रौद्योगिक, मानव अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी, जैव रासायनिक इंजीनियरी, जैव उर्वरकों, निदान किटों, ऊतक संवर्धन इत्यादि जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। निर्धारित क्षेत्रों में अपनी आरएंडी परियोजनाओं हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता की जांच करने के लिए डीबीटी में 16 कार्यदल तथा विशेषज्ञ समितियां है जो इन परियोजनाओं का सूक्ष्मता से अनुवीक्षण करती हैं। अक्तूबर 1995 में डीबीटी ने उद्योग को डीबीटी विकसित प्रौद्योगिकियों के संयुक्त हस्तान्तरण तथा डीबीटी से निधि प्रदत परियोजनाओं द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए एनआरडीसी के साथ समझौते-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता-ज्ञापन के तहत डीबीटी से निधि प्रदत विभिन्न आरएण्डडी प्रयोगशालाओं/विश्वविद्यालयों में विकसित 10 अन्तर्राष्ट्रीय नवीन प्रक्रियाओं को वाणिज्यीकरण हेतु पहले से ही एनआरडीसी के सुपुर्द किया जा चुका है। एनआरडीसी ने अपने कार्य व्यवहार के अनुसार उन प्रक्रियाओं के वाणिज्यीकरण हेतु अनेक क्रियाकलापों को शुरू किया है यथा पूर्णतः/उपयुक्तता मूल्यांकन हेतु प्रयोगशाला स्तरीय प्रोसेस डाटा का मूल्यांकन अथवा वाणिज्यीकरण करना, जैव प्रौद्योगिकी के आधार वाले अपेक्षित उत्पादों के लिए घरेलू एवं विदेशी बाजार के आकार का मूल्यांकन करने के लिए वाणिज्यिक बाजार सर्वेक्षण शुरू करना, स्वदेश तथा विदेश दोनों में पेटेंन्ट के योग्य प्रक्रियाओं के पेटेन्ट हेतु उन प्रक्रियाओं एंव क्रियाओं के लाईसेंस तथा वाणिज्यीकरण हेतु संभावित औद्योगिक भागीदारों की पहचान करना।

तेल क्षेत्र

4207. श्री केशव महंत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी पॉकेटों के तेल क्षेत्रों से गैस जमा करने के लिए एक पाइप-लाइन नेटवर्क तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अधीन यथा अपेक्षित तेल/गैस क्षेत्रों से गैस को इकट्ठा करने के लिए पाइपलाईन नेटवर्क की स्थापना की जाती है।

[हिन्दी]

नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना

4208. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाथपा झाकड़ी परियोजना में ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं;

(ख) झाकड़ी परियोजना के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के कुल खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अधिकारियों की शैक्षिकता का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना को वित्त पोषित करने वाले वित्तीय संस्थानों की संख्या व नाम क्या हैं और उन्होंने वित्तपोषण पर किस दर से ब्याज लिया है;

(ङ) इस परियोजना के लिए मशीनें किन देशों से खरीदी गयी हैं;

(च) उनकी लागत क्या है; और

(छ) निविदा जारी किए बगैर हर माह कितना सामान खरीदा जा रहा है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) नाथपा झाकड़ी पावर कारपोरेशन (एनजेपीसी) के अनुसार, नाथपा-झाकड़ी

जल-विद्युत परियोजना के लिए कार्यरत चार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

(ख) एन.जे.पी.सी. द्वारा अपने अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक पर अप्रैल 96 से जुलाई 96 की अवधि के दौरान लगभग 1.26 लाख रुपये का वेतन व अन्य परिलब्धियों पर किया व्यय बताया जाता है।

(ग) जिन चार अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है उनमें से तीन के पास इंजीनियरिंग में डिग्री है जबकि चौथे के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है।

(घ) उन संगठनों/संस्थानों जिनके साथ एन.जे.पी. सी. ने ऋण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं तथा ब्याज की दरें निम्न प्रकार हैं:

संगठन/संस्थान का नाम	देय ब्याज की दरें (प्रति वर्ष)
1. विश्व बैंक (437 मिलियन डॉलर) (भारत सरकार के माध्यम से)	16-17 प्रतिशत
2. के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी (132.068 मिलियन डीएम)	6.635 प्रतिशत
3. के.एफ.डब्ल्यू जर्मनी (18.894 मिलियन डीएम)	1.25 प्रतिशत जमा के.एफ.डब्ल्यू. की वित पोषण की प्रभावी लागत
4. स्विस बैंक निगम, स्विटजरलैंड के नेतृत्व वाला स्विस बैंक का कंसोर्टियम (54.643 मिलियन सी.एच.एफ)	0.75 प्रतिशत जमा भारित औसत स्विस निर्यात आधार दर (एसईबीआर)
5. स्विस बैंक निगम, स्विटजरलैंड के नेतृतव वाला स्विस बैंकों का कंसोर्टियम (9.643 मिलियन सीएचएफ)	6 माह के लिए लंदन अंतर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा आफर की गई संदर्भ दर (लिबोर) जमा 2 प्रतिशत, 2.25 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत क्रमशः प्रथम दो वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष तथा पांचवें वर्ष के लिए
6. एक्सपोर्ट फाइनेंस, नार्वे (263.231 मिलियन एनओके + 6.324 मिलियन अमरीकी डॉलर)	5.95 प्रतिशत
7. नार्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (110 मिलियन एनओके)	0.65 प्रतिशत जमा 6 माह (लिबोर)

(ङ) से (छ). जिन देशों के ठेकेदारों को एनजेपीसी ने संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति के लिए ठेके दिए हैं, उनके नाम तथा संविदाओं का मूल्य नीचे इंगित हैं:-

देश का नाम	संविदा मूल्य	
1. जर्मनी	87.605	मिलियन डीएम
2. स्विटजरलैंड	44.705	मिलियन सीएचएफ
3. नार्वे	249.014	मिलियन एन ओ के
4. फ्रांस	256.285	मिलियन फ्रेंच क्रेंक तथा
	79.629	मिलियन रुपये
5. यूनाइटेड किंगडम	15.818	मिलियन ब्रिटिश पौंड
6. भारत	17.652	मिलियन डीएम
	13.480	मिलियन एनओके
	9.752	मिलियन सीएचएफ
	5.606	मिलियन अमरीकी डॉलर
	365.228	मिलियन रुपये
	506.032	मिलियन रुपये

एन. जे.पी.सी. ने बताया है कि निगम द्वारा किसी भी माल की खरीदारी बिना कोटेशन आमंत्रित किए नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

पन्ना-मुक्ता तेल क्षेत्र

4209. श्री अमर पाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में पन्ना-मुक्ता तेल क्षेत्र को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, रिलायंस उद्योग लिमिटेड़ तथा इनरोन तेल और गैस कंजोर्टियम को देने के संबंध में कुछ अनियमितता आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच आरम्भ कर दी है।

दिल्ली के लिए योजना परिव्यय

4210. श्री विजय गोयल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली की विभिन्न योजनाओं के लिए योजनागत परिव्यय में से हमेशा कटौती करती रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). दिल्ली के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 के दौरान क्रमशः 1075 करोड़ रुपये 1560 करोड़ रुपये और 1720 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय अनुमोदित किया गयां था। इससे पता चलता है कि दिल्ली के लिए योजना परिव्यय में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1995-96 के दौरान उद्योग और खनिज तथा परिवहन क्षेत्रों को छोड़कर, वृद्धि का पता चलता है। विभिन्न क्षेत्रों/उपक्षेत्रों के लिए आबंटनों का संसाधनों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उनसे जुड़ी प्राथमिकताओं के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सड़कें

4211. श्री बची सिंह रावत बचदा : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में सभी कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) वर्तमान में इस मंत्रालय का उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में सभी कच्ची सड़कों को पक्का करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विलवणीकरण संयंत्र

4212. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खारे पानी को मीठे पानी में बदलने हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत विदेशी सहयोग से विनिर्मित कुछ 'रिवर्स ओसमोसिस डिसेलिनेशन प्लांटों" की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) किन-किन राज्यों में उक्त संयंत्रों को स्थापित किया गया है/किये जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी राजनयिकों का दौरा

4213. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री पिनाकी मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष लोकसभा चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हत्याओं की घटनाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए यूरोपीय और अन्य देशों के राजदूतों के दल ने जम्मू-कश्मीर के डोडा और आतंकवाद से प्रभावित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया;

(ख) यदि हां, तो वे किस निष्कर्ष पर पहुंचे और क्या सरकार ने स्वतंत्र मूल्यांकन किया है;

(ग) क्या उस अवधि के दौरान आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों से लोगों ने बहुत अधिक संख्या में पलायन किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या विस्थापित व्यक्ति अपने घरों को लौट गए हैं और सरकार ने वहां सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) यूरोपीयन यूनियन के राजदूतों के एक दल ने 12 से 15 जून, 1996 के बीच जम्मू और कश्मीर का दौरा किया। इस दौर के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों तथा राज्य के विभिन्न दलों और ग्रुपों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था। राजदूतों ने न तो डोडा दौरा किया और न ही इनका दौरा जनसंहार की किसी विशिष्ट घटना से संबंधित था।

(ख) ऐसे उच्चाधिकारों द्वारा इस प्रकार के दौरों के बारे में सरकार को कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाती हैं। सरकार की राय में तथापि हिंसा का स्तर अभी भी उच्च है, फिर भी राज्य के समग्र सुरक्षा माहौल में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष सुधार हुआ है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मेहर में उपरिपुल

4214. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सतना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर मेहर में रेलवे फाटक के स्थान पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) वार्षिक योजना 1996-97 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर मेहर में रेलवे फाटक के स्थान पर उपरिपुल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी इस रेलवे उपरिपुल के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धनराशि का आबंटन

4215. डॉ. मुरली मनोहर जोशी : क्या **योजना और कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद नगर के क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आरंभ की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें पूरा किया गया है और कौन-कौन सी योजनाएं पूरी नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी धनराशि अन्य मदों पर खर्च की गई है और इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

मछली पकड़ने वाले विदेशी स्रोत

4216. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटील : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त उद्यम वाली फर्मों/कंपनियों के विदेशी सहभागियों द्वारा मछली पकड़ने वाले पोतों से मध्य समुद्र में पकड़ी गई मछलियों को विदेश ले जाने की अनुमति प्रदान की है; और?

(ख) भेजी जाने वाली मछलियों की मात्रा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) जी हां।

(ख) विदेश भेजी जाने वाली मछली की मात्रा का निर्धारण इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाता है। निर्यातक जलयान के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें पकड़ी गई मछलियों के संघटन, मात्रा, निर्यात मूल्य, मछली भेजने की तिथि इत्यादि का उल्लेख हो। इसके साथ वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्गो सर्वेक्षक का प्रमाणपत्र विधिवत लगा होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों में इस उद्देश्य हेतु जरूरी अन्य सहायक दस्तावेजों का भी उल्लेख है।

कृषि-ऋण योजना

4217. श्री ई. अहमद :

श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में सर्वप्रथम पंचवर्षीय कृषि ऋण योजना नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). योजना आयोग ने पंचवर्षीय कृषि ऋण योजना तैयार करने के कार्य के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बंध में कृषि ऋण और सहकारिता पर एक कार्यदल का गठन किया है।

[हिन्दी]

आवास के लिए पात्रता

4218. डॉ. बलिराम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पात्रता की शर्तों को पूरा किए बगैर बड़े बंगलों में रह रहे भूतपूर्व मंत्रियों और संसद सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) सरकार का इन बंगलों को कब तक खाली कराने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संससदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) मकान, सदस्यों को पात्र श्रेणी के मकानों की पेशकश किये जाने पर खाली किये जायेंगे इसलिए इस प्रयोजनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि पात्र श्रेणी आवात की पेशकश लोक सभा/राज्य सभा सदन समीतियां और सामान्य पूल में समुचित श्रेणी के मकान उपलब्ध होने पर निर्भर करती है।

विवरण

उन पूर्व मंत्रियों और सांसदों के नाम, जो पात्रता मानदण्डों को पूरा किए बिना सामान्य पूल में बड़े बंगलों में रह रहे हैं

क्र. सं.	नाम सर्वश्री	मकान नं.	टाईप
1	2	3	4
1.	ए.बी.ए. की गनी खान चौधरी	12, अकबर रोड़	VIII
2.	जॉर्ज फर्नांडिज	3, के.एस. मार्ग	-वही-
3.	स्वः श्री एन.आर. मिर्धा	3, सफदरजंग रोड	-वही-
4.	शरद यादव	9, अकबर रोड	-वही-
5.	अशोक गहलोत	3, त्यागराज मार्ग	-वही-
6.	तस्लीमुद्दीन	2, एम.एल.एन. प्लेस	-वही-
7.	शिवराज पाटिल	20, अकबर रोड	-वही-
8.	कल्प नाथ राय	36, औरंगजेब रोड	-वही-
9.	कमालुद्दीन अहमद	9, अशोक रोड	-वही-
10.	माधव राव सिंधिया	27, सफदरजंग रोड	-वही-
11.	कर्नल राम सिंह	6, अशोका रोड	-वही-
12.	अजीत सिंह	18, अकबर रोड	-वही-
13.	जी. वेंकट स्वामी	2, जन्तर मन्तर	-वही-
14.	राजेश पायलेट	10, अकबर रोड	-वही-
15.	एस.एम. देव	15, अशोका रोड	-वही-
16.	कु. शैलजा	3, सुनेहरी बाग रोड	-वही-
17.	श्रीमती सुखबंस कौर	19, सफदरजंग रोड	-वही-
18.	पी. उपेन्द्र	11, अकबर रोड	-वही-
19.	प्रणव मुखर्जी	5, अशोका रोड	-वही-
20.	सोमनाथ चटर्जी	21, अशोका रोड	-वही-
21.	बासुदेव आचार्य	4, अशोका रोड	-वही-
22.	एन के पी साल्वे	32, औरंगजेब रोड	-वही-
23.	मतंग सिंह	4, कृशक रोड	-वही-
24.	एस के शिन्दे	23, सफदरजंग रोड	-वही-
25.	एच आर भारद्वाज	14, तुगलक रोड	-वही-
26.	एस राजशेखर मूर्ति	7, त्यागराज मार्ग	-वही-

1	2	3	4
27.	एस. बी. चव्हान	4, के.एम. मार्ग	VIII
28.	के. करूणाकरण	9, के.एम. मार्ग	-वही-
29.	एम. रामचन्द्र	4, साउथ एवेन्यू लेन	VII
30.	श्रीमती गिरजा व्यास	एबी-96, शहजांह रोड	-वही-
31.	के.पी. सिंह देव	4, लोधी स्टेट	-वही-
32.	मल्लिकार्जुन	60, लोधी स्टेट	-वही-
33.	पी. जे. कुरियन	ए.बी.-77, शाहजांह रोड	-वही-
34.	केप्टन सतीश शर्मा	8, सफदरजंग लेन	-वही-
35.	गुरदास दासगुप्ता	24, केनिंग लेन	-वही-
36.	ई. बालानंदन	8, टी.एम. लेन	-वही-
37.	जितेन्द्र प्रसाद	11-ए, टी.एम. मार्ग	-वही-
38.	विनोद शर्मा	12, तुगलक लेन	-वही-
39.	एस. सी. अग्रवाल	ए.बी.-10, डॉ.जेड.एच. मार्ग	-वही-
40.	वी हनुमांथा राव	21, विलिंग्डन क्रिसेंट	-वही-
41.	श्रीमती विजय राजे सिंधिया	16, टी. एम. लेन	-वही-
42.	इकबाल सिंह	34, लोधी एस्टेट	टाइप VI
43.	जयंत मल्होत्रा	3, एम.एल.एन. मार्ग	-वही-
44.	श्रीमती वैजयन्ती माला बाली	सी1/10 लोधी गार्डन	-वही-
45.	कांशी राम	सी 1/11, हुमायुं रोड	-वही-

[अनुवाद]

बेरोजगार व्यक्ति

4219. श्री थ. चौबा सिंह : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के प्रारंभ में विभिन्न राज्यों में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में अनुमानतः कितने रोजगार सृजित किये गये हैं;

(ग) नौवीं योजना के प्रारम्भ में अनुमातः कितने बेरोजगार व्यक्ति रहेंगे; और

(घ) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में जहां निजी क्षेत्र में कम रोजगार सृजित हुये हैं, रोजगार हेतु विशेष योजनाएं बनाये जाने का कोई प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) आठवीं योजना अवधि के आरम्भ में देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 17 मिलियन होने का अनुपान है। ये अनुमान राज्यवार नहीं लगाए गए हैं।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भारत सरकार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), नेहरू रोजगार योजना (अनआरवाई), प्रधान मंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधान मंत्री का आईयूपीईपी) आदि जैसी विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है ताकि उत्तर पूर्वी राज्यों सहित विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। उत्तर-पूर्वी परिषद् (एनईसी) क्षेत्र में विशेष लक्ष्य समूहों के लाभ के लिए कुछ स्कीमें भी कार्यान्वित कर रही हैं। इसमें स्वरोजगार स्कीमें भी शामिल हैं। जिला स्वायत्त परिषदें इस क्षेत्र के तकरीबन सभी राज्यों में कार्यरत है। परिषदें, सौंपे गए क्षेत्रों के तहत अपनी स्कीमें स्वयं तैयार करती हैं।

विवरण

31 मार्च को समाप्त हो रही तिमाही के लिए संगठित सेक्टर (सार्वजनिक तथा निजी) में राज्यवार रोजगार (हजार में)

		1992		1993		1994		1995	
		सार्वजनिक	निजी	सार्व.	निजी	सार्व.	निजी	सार्व.	निजी
1.	आंध्र प्रदेश	1403.9	383.2	1427.1	416.3	1438.6	439.1	1448.2	468.3
2.	अरुणाचल प्रदेश								
3.	असम	507.8	574.4	510.3	578.1	522.2	547.1	529	565.2
4.	बिहार	1357.9	295.3	1422.8	265	1440.4	260.9	1480.3	265.9
5.	गोवा दमन और दीव	66.3	33.4	68.9	39.6	68.7	40.8	69.7	42.7
6.	गुजरात	965	704	957	713.9	972.6	729.1	969.5	748
7.	हरियाणा	401.9	206.3	403	209.6	406	225.9	420.6	217.2
8.	हिमाचल प्रदेश	242.1	34.3	248.3	34.5	250.7	36.6	250.1	39.4
9.	जम्मू और कश्मीर	206.6	10.4	206.6	10.4	203.9	12.5	196.9	12.9
10.	कर्नाटक	1028	451.6	1026	475.5	1032.8	497.7	1050.6	527.6
11.	केरल	651	528	646.4	539.1	651.2	546.9	622.3	551.7
12.	मध्य प्रदेश	1424	247	1419.3	240	1436.6	240.3	1426.8	243.7
13.	महाराष्ट्र	2317.6	1417.5	2337	1438.5	2328.9	1437.3	2336.9	1477.3
14.	मणिपुर	56.6	1.1	61.1	1	72.4	1.5	75.2	1.6
15.	मेघालय	64.4	4.8	65.4	5	65	6.1	66.6	6.2
16.	मिजोरम	36.5	1.6	37.4	1.5	38	2.2	39.2	1.7
17.	नागालैंड	63.1	2	66.8	2	68.2	2.2	67.3	2.2
18.	उड़ीसा	688.4	127.1	708.7	102.4	701.8	92.5	706.7	93.8
19.	पंजाब	590.7	228.5	593.6	232.8	594.4	239.2	595.5	246
20.	राजस्थान	966.7	232.1	976.1	233.4	984.7	239.1	1003.6	248.9
21.	सिक्किम								
22.	तमिलनाडु	1573	701.3	1572.8	690.2	1625.4	756.1	1633.7	767.9
23.	त्रिपुरा	87.8	10.8	94.4	14.3	94.4	14.2	95.5	16
24.	उत्तर प्रदेश	2128.7	538.7	2138.9	530.8	2134.5	522.3	2011.7	496
25.	पश्चिम बंगाल	1608.8	860.5	1561.8	819.4	1545.6	786.5	1597.9	764.9
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	32.3	4.3	32.3	4.3	32.4	4.3	32.4	4.3
27.	चंडीगढ़	62.8	15.3	65.1	15.5	62.1	16	63.8	16.2
28.	दादर व नागर हवेली								
29.	दिल्ली	634.7	222.6	635.8	227.4	630.2	223.1	632.2	221.5
30.	लक्षद्वीप								
31.	पॉडिचेरी	43.1	10	43.1	10	43.4	10.5	44	11.2

टिप्पणी : 1. रोजगार बाजार सूचना (ईएमआई) के तहत संग्रह आंकड़े सिर्फ अर्थव्यवस्था के संगठित सैक्टर को कवर करते हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिष्ठानों के आकार तथा 10 या इससे अधिक व्यक्तियों वाले निजी सैक्टर में गैर-कृषि, प्रतिष्ठानों का हिसाब किए बिना सार्वजनिक सैक्टर में सभी प्रतिष्ठानों को कवर हैं।

2. ईएमआई कार्यक्रम अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, दादरा व नागर हवेली तथा लक्षद्वीप को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका चुनाव

4220. श्री के. प्रधानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उच्च न्यायालयों में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका चुनाव करवाने के खिलाफ कुछ मामले दर्ज किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारत सरकार की क्या भूमिका है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). अनुसूचित क्षेत्रों वाली किसी भी राज्य सरकार ने ऐसे किन्ही मामलों की सूचना नहीं दी है।

(ग) और (घ). संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टी संख्या 5 के अनुसार स्थानीय स्वशासन राज्य का विषय है। अतः शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव राज्य नगर पालिका कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कराये जाते हैं।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का आबंटन

4221. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आठ राज्यों को राष्ट्रीय औसत से कम मिट्टी के तेल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आठ राज्यों के नाम और उनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानतः ग्रामीण गरीब तथा पिछड़े राज्यों को कम मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं का औचित्य क्या है;

(ङ) ऐसे राज्यों के नाम जिन्हें राष्ट्रीय औसत से अधिक मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है; और

(च) क्या सरकार प्रधानतः ग्रामीण राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर मिट्टी का तेल आबंटित करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च). उन आठ राज्यों जिनका एसकेओ आबंटन राष्ट्रीय औसत से कम है तथा उन राज्यों जिनका एस के ओ आबंटन राष्ट्रीय औसत से अधिक है, से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मिट्टी का तेल आबंटित उत्पाद है। केन्द्र सरकार ने पूर्व आधार पर, अर्थात् पिछली हकदारी के अनुसार, राज्यों को मिट्टी तेल का थोक आबंटन करती है। राज्य सरकारें अपने खुदरा वितरण की व्यवस्था करती हैं।

समय-समय पर राज्य सरकारों से अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध मिलते रहते हैं। तथापि, उत्पाद उपलब्धता विदेशी मुद्रा की कमी तथा भारी राज सहायता के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं होता। फिर भी, वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान देश के मिट्टी तेल आबंटन में समग्र रूप से 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें कम प्रति व्यक्ति खपत वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच असमानता को कम करने के उद्देश्य से अधिक अतिरिक्त प्रमात्रा तथा विलोमतः आबंटित की गई थी।

विवरण

(क) राष्ट्रीय औसत से नीचे एस के ओ आबंटन वाले राज्यों के नाम

राज्य	1996-97 के दौरान एसकेओ आबंटन (मी.ट.)	1996-97 के दौरान प्रति व्यक्ति आबंटन (कि.ग्राम/ प्रति वर्ष)	95-96 की तुलना में 96-97 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (प्रतिशत)
उड़ीसा	227701	7.19	7.7
बिहार	647512	7.50	6.7
मध्य प्रदेश	508539	7.68	6.1
राजस्थान	345753	7.86	5.6
उत्तर प्रदेश	1128847	8.11	4.9
आंध्र प्रदेश	628138	9.44	2.1
केरल	279701	9.61	1.8
हरियाणा	159099	9.66	1.7

(ख) राष्ट्रीय औसत से अधिक एसकेओ आबंटन वाले राज्यों के नाम

राज्य	1996-97 के दौरान एसकेओ आबंटन (मी.ट.)	1996-97 के दौरान प्रति व्यक्ति आबंटन (कि.ग्राम/ प्रति वर्ष)	95-96 की तुलना में 96-97 के दौरान प्रतिशत वृद्धि (प्रतिशत)
1	2	3	4
कर्नाटक	498797	11.09	2.9
हिमाचल प्रदेश	57345	11.09	35.8

1	2	3	4
त्रिपुरा	30577	11.09	32.3
नागालैंड	13414	11.09	26.1
मेघालय	19682	11.09	26.4
मिजोरम	7649	11.09	20.2
जम्मू एवं कश्मीर	86392	11.19	1.0
अरूणाचल प्रदेश	9675	11.19	1.0
पश्चिम बंगाल	763609	11.22	1.0
असम	256772	11.46	1.0
मणिपुर	21498	11.70	1.0
तमिलनाडु	682026	12.21	1.0
पंजाब	332224	16.38	1.0
अण्डमान निकोबार	4676	16.66	1.0
लक्षद्वीप	894	17.29	1.0
पाण्डीचेरी	15162	18.77	1.0
सिक्किम	7711	18.97	1.0
महाराष्ट्र	1542924	19.55	1.0
गुजरात	814341	19.71	1.0
दादर न. हवेली	3170	22.89	1.0
गोआ	27677	23.66	1.0
दिल्ली	243334	25.83	1.0
दीयू/दमन	3003	29.56	1.0
चण्डीगढ़	21348	33.25	1.0

राष्ट्रीय औसत : 11.09

[अनुवाद]

लम्बित प्रस्ताव

4222. श्री मनोरंजन भक्त : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के संघ शासित प्रशासन को योजनागत पदों के सृजन का अधिकार नहीं है और कई प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों के समक्ष लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्य संघ शासित प्रदेशों की स्थिति क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्तमान में योजना पदों को सृजित करने के लिए उनके पास शक्तियां नहीं हैं तथा ग्रुप "ए" योजना पदों के सृजन के लिए उनके प्रस्ताव भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में लंबित हैं। वित मंत्रालय ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से "ख", "ग" तथा "घ" ग्रुपों में योजना पदों को सूचित करने की मार्च, 1994 में वापिस ले ली थी। वित्त मंत्रालय ने तथापि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पांडिचेरी के संबंध में ग्रुप "ख" "ग" तथा "घ" योजना पदों को सृजित करने के लिए शक्तियां पुनः लौटा दी हैं।

[हिन्दी]

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय सहायता

4223. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री नवल किशोर राय :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता राशि में मात्र दस प्रतिशत की वृद्धि की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-सहायता में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या उपरोक्त वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ता औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक में निरंतर वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक की वृद्धि दर क्या थी?

योजना तथा कर्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). 1992-97 के दौरान सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता (वर्षवार) निम्नवत है:-

वर्ष	रुपये करोड़ में	वार्षिक वृद्धि प्रतिशत
1992-93	11995	-2.1
1993-94	12603	5.7
1994-95	12982	2.4
1995-56	13726	5.7
(संशोधित आकलन)		
1996-97	16320	18.9
(बजट आकलन)		

(ग) और (घ). 1992-97 के दौरान औद्योगिक कामगारों (बेस 1982) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूची निम्नवत है:-

वर्ष	सूची	वार्षिक वृद्धि %
1992-93	240	9.6
1993-94	258	7.5
1994-95	279	8.1
1995-96	313	12.1

बिहार में प्रति व्यक्ति आय

4224. श्री रविन्द्र कुमार : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केंद्रीय सरकार का विचार बिहार में प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए बिहार को विशेष वित्तीय सहायता देने का है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1995-95 के लिए स्थिर कीमतों पर राज्यों तथा अखिल भारत हेतु प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) किसी राज्य का विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्र राज्य सरकार के प्रयासों को सिर्फ आगे बढ़ाता है। बिहार सरकार राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए विकास योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। योजनाओं में कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास हेतु निवेश शामिल हैं। इसके अलावा गरीबों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार तथा आय सृजन हेतु कुछ कार्यक्रम भी क्रियान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्रक विशेष रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाती है।

विवरण

विवरण : स्थिर (1980-81) कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (1980-81 से 1995-96) 1.7.96 के अनुसार

(रुपया)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94 (पी)	1994-95 (क्यू)	1995-96 (ए)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	1380	1558	1545	1578	1501	1549	1461	1576	1789	1841	1779	1788	1761	1908	1859	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1571	1750	1755	1821	1937	2119	2194	2265	2374	2211	2710	3012	3013	3058	3076	-
3.	असम	1317	1447	1521	1534	1628	1659	1652	1706	1702	1770	1805	1887	1622	1671	1720	-
4.	बिहार	917	947	935	1003	1074	1074	1135	1050	1158	1116	1204	1119	1026	1042	1067	-
5.	गोवा	3145	2866	3239	3214	3283	3091	3196	3498	4195	4328	4883	4800	5381	5469	5341	-
6.	गुजरात	1940	2084	2008	2343	2293	2186	2276	1986	2737	2644	2671	2436	2995	2859	3217	-
7.	हरियाणा	2370	2399	2487	2479	2513	2893	2825	2709	3289	3254	3509	3499	3421	3538	3683	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1704	1773	1678	1726	1599	1780	1877	1850	1974	2175	2134	2048	2267	2307	2381	-
9.	जम्मू और कश्मीर	1776	1772	1782	1794	1837	1832	1809	1571	1736	1730	1786	1775	1804	1832	-	-
10.	कर्नाटक	1520	1583	1586	1663	1750	1644	1764	1853	1978	2055	2041	2263	2281	2423	2501	-
11.	केरल	1508	1469	1485	1406	1473	1507	1453	1482	1614	1705	1815	1826	1932	2043	2113	-
12.	मध्य प्रदेश	1365	1360	1388	1427	1327	1409	1315	1459	1529	1523	1698	1539	1620	1766	1738	-
13.	महाराष्ट्र	2435	2441	2480	2579	2558	2705	2666	2781	3000	3338	3456	3357	3734	3980	4157	-
14.	मणिपुर	1419	1462	1447	1530	1553	1598	1588	1669	1707	1687	1739	1842	1890	1921	-	-
15.	मेघालय	1361	1379	1361	1354	1385	1412	1397	1485	1455	1596	1735	1759	1612	1698	1835	-
16.	नागालैंड	1448	1578	1720	1695	1681	1654	1768	1907	1975	1980	1891	1900	-	-	-	-
17.	उड़ीसा	1314	1290	1191	1407	1316	1442	1436	1365	1623	1699	1383	1530	1476	1542	1581	1607
18.	पंजाब	2674	2875	2906	2904	3073	3249	3302	3410	3526	3730	3737	3841	3932	4053	4167	-
19.	राजस्थान	1222	1285	1276	1525	1379	1338	1428	1295	1791	1716	1942	1773	1934	1760	2016	-
20.	सिक्किम	1571	1611	1750	1758	1919	2017	2297	2678	2924	3118	3369	3492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21.	तमिलनाडु	1498	1640	1527	1582	1758	1798	1755	1837	1987	2094	2275	2311	2405	2498	2656	2676
22.	त्रिपुरा	1297	1249	1331	1255	1258	1254	1284	1388	1531	1597	1667	1689	1713	-	-	-
23.	उत्तर प्रदेश	1278	1276	1344	1364	1354	1375	1402	1433	1584	1593	1652	1626	1618	1638	1663	-
24.	पश्चिम बंगाल	1773	1689	1719	1883	1892	1929	1962	2022	2061	2086	2105	2187	2241	2323	2434	-
25.	अंडमान और निकोबार	2613	2604	2414	2660	2445	2639	2644	2695	2817	2715	2580	2302	2876	3004	3081	-
26.	दिल्ली	3797	3971	4111	3735	3715	4331	4293	4332	4548	4875	4984	5336	5353	5547	-	-
27.	पांडिचेरी	3032	2995	3138	3097	3180	3239	3326	3268	3321	3384	3410	3497	3510	3325	-	-
	अखिल भारत																
	प्रति व्यक्ति एनएनपी कारक लागत	1630	1693	1691	1790	1811	1841	1871	1901	2059	2157	2222	2175	2239	2292	2401	2506
	प्रति व्यक्ति एनडीपी कारक लागत	1625	1692	1699	1804	1827	1857	1893	1929	2099	2198	2267	2226	2294	2359	2461	2563

क्यू : त्वरित अनुमान

पी : पी-अनंतिम

ए : अप्रत्याशित

— संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय एवं अखिल भारत प्रति व्यक्ति एमएनपी एवं एनडीपी के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन। प्रति व्यक्ति एनडीपी के आंकड़े एनएएस में प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

टिप्पणी 1 : स्रोत सामग्री में भिन्नता के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त आंकड़े तुलनीय नहीं हैं।

टिप्पणी 2 : मिजोरम राज्य आंकड़े केवल चालू कीमतों पर तैयार करता है।

टिप्पणी 3 : संघ राज्य क्षेत्र : चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा लक्षद्वीप ये आंकड़े नहीं तैयार करते हैं।

[अनुवाद]

उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र

4225. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा केरल के चिरियाम त्रिचूर में इंलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में एक उच्च प्रौद्योगिकी वाला केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। किन्तु, टेक्नोपार्क, त्रिवेन्द्रम में एक अभिनव केन्द्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार से वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

पूर्वांचल विकास निधि

4226. श्री हरिवंश सहाय : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बजट में पूर्वांचल विकास निधि का नियतन जाता रहा है और यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसमें कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(ख) इस धनराशि में से जिलावार कितना आबंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का पहाड़ी क्षेत्रों की ही तरह पूर्वांचल विकास निधि के लिए भी सीधा आबंटन करने का विचार है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वांचल की बिगड़ती हुई स्थिति के संबंध में सरकार की नीति क्या है और क्या सरकार का विशेष वित्तीय सहायता प्रदान कर पूर्वांचल की स्थिति को सुधारने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत अनुमोदित निधियां 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान क्रमशः 3997.10 लाख, 3985.66 लाख और 4800.00 लाख रुपये थी।

(ख) पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत निधियों का जिला वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। राज्य के भीतर जिलों का विकास प्राथमिक रूप से राज्य की जिम्मेदारी है। यद्यपि, योजना आयोग योजना निधियों के आबंटन के मार्ग से राज्य के सम्पूर्ण विकास में सहायता करता है।

(घ) पूर्वांचल विकास निधि पूर्वांचल क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित की गई है जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त निधियां मुहैया कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत जनसंख्या, अनुसूचित जाति/जनजाति के अनुपात, पिछड़ेपन आदि के आधार पर निधियां पूर्वांचल को मुहैया कराई जाती हैं। पूर्वांचल हेतु जिला योजना परिव्यय में 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान 22721.68 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई है। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

	जनपद	1993-94	1994-95	1995-96
1.	वाराणसी	322.96	269.89	181.76
2.	भदोही	सृजित नहीं थे	77.00	273.94
3.	मिर्जापुर	109.47	135.56	63.60
4.	गाजीपुर	174.28	189.15	236.13
5.	सोनभद्र	109.47	104.89	251.62
6.	आजमगढ़	235.87	194.92	177.76
7.	मऊ	109.47	91.46	17.56
8.	बलिया	162.78	233.13	192.06
9.	जौनपुर	236.78	290.88	196.91
10.	गोरखपुर	214.54	217.88	526.19
11.	महाराजगंज	140.76	115.91	185.78
12.	बस्ती	204.04	209.94	226.65
13.	सिद्धार्थनगर	147.57	150.82	239.06
14.	देवरिया	329.70	249.37	887.54
15.	पडरोना	सृचित नहीं थे	135.27	420.94
16.	इलाहाबाद	325.39	275.55	128.82
17.	प्रतापगढ़	217.35	182.59	249.64
18.	फैजाबाद	313.05	276.27	172.74
19.	सुल्तानपुर	190.97	231.39	16.05
20.	गौण्डा	260.48	226.77	29.93
21.	बहराइच	189.16	197.39	108.39
22.	अम्बेडकर नगर	सृजित नहीं थे	सृजित नहीं थे	37.47

विवरण-II

जिला योजना परिव्यय (पूर्वांचल)

(लाख रुपये)

जिले		1995-96	1996-97	वृद्धि
1.	वाराणासी	2211.13	3451.06	1239.93
2.	भदोही	747.42	1166.55	419.13
3.	गार्जापुर	1797.07	2850.82	1053.75
4.	मिर्जापुर	1486.27	2328.97	842.70
5.	सोनभद्र	1118.62	1749.44	630.82
6.	गोरखपुर	2111.15	2214.01	1202.86
7.	महाराजगंज	1250.15	1987.42	737.27
8.	बस्ती	2334.04	3677.82	1343.78
9.	सिद्धार्थ नगर	1634.71	2577.22	942.51
10.	देवरिया	1626.17	2586.27	960.10
11.	पडरौना	1606.24	2521.22	914.98
12.	आजमगढ़	2201.19	3477.26	1276.07
13.	मऊ	981.66	1558.43	576.77
14.	बलिया	1675.86	2660.27	984.41
15.	जौनपुर	2383.79	3756.23	1372.44
16.	इलाहाबाद	2864.90	4645.14	17780.24
17.	प्रतापगढ़	1901.06	2988.77	1087.71
18.	फैजाबाद	2008.29	1445.07	-563.22
19.	अम्बेडकर नगर		1683.27	1683.27
20.	सुल्तानपुर	2600.94	4103.92	1502.98
21.	गौण्डा	2529.23	3985.38	1456.15
22.	बहराइच	2162.64	3439.67	1277.03
	जोड़	39232.53	61954.21	22721.68

[अनुवाद]

अल्कोहल का उत्पादन

4227. श्री अशोक प्रधान : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1996 के दौरान अब तक सरकार ने अल्कोहल के उत्पादन के लिए घरेलू/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त कितने प्रस्तावों को स्वीकृत किया है;

(ख) उपर्युक्त में से कितने मामलों में सीरे से अल्कोहल उत्पादन की अनुमति दी गई है;

(ग) सभी मामलों में सीरे से अल्कोहल उत्पादन की अनुमति न दिए जान के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में समान नीति न अपनाये जाने के कारणों का पता लगाने के लिए इस मामले की जांच कराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) एवं (ख). गैर-शीरा कच्चे मालों से पेय अल्कोहल/भारत में निर्मित विदेशी शराब के उत्पादन के लिए 1.4.1994 से अब तक सात आशय पत्र जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत पेय अल्कोहल/भारत में निर्मित विदेशी शराब के उत्पादन के वास्ते 2 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान सरकार ने पेय अल्कोहल के उत्पादन के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा भारतीय आशयपत्र/लाइसेंस धारकों के बीच संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए सात मामलों में भी मंजूरी प्रदान की है। वे भारतीय साझेदारों की मौजूदा अनुज्ञप्त क्षमता का उपयोग करेंगे।

(ग) से (च). शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के मामले को छोड़कर अल्कोहल युक्त पेयों के उत्पादन हेतु अतिरिक्त क्षमता के सृजन या मौजूदा क्षमता के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा 19.11.75 को प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध 4.4.1988 तथा 16.3.91 के बीच हटा लिया गया जब भारत सरकार ने केवल गैर-शीरा कच्चे माल से पेय अल्कोहल/भारत में निर्मित विदेशी शराब इत्यादि के उत्पादन के वास्ते औद्योगिक लाईसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र मंगाए थे।

केरल में छोटे और मध्यम कस्बे का विकास

4228. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान केरल में छोटे और मध्यम कस्बों संबंधी योजना के समेकित विकास के अंतर्गत विकसित किए गए छोटे और मध्यम कस्बों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस संबंध में भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटेस्वरलु) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल में छोटे और मझौले कस्बों की एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी) योजना के अन्तर्गत, जिन

छोटे और मझौले कस्बों के लिए परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(रुपये लाखों में)

कस्बे का नाम	मंजूरी का वर्ष	अनुमोदित परियोजना लागत	जारी की गई केन्द्रीय सहायता
अलपपूजा	1992-93	890.60	25.00
कोल्लम	1993-94	880.60	40.00
चेरथला	1994-95	166.00	13.00
अलुवा	1994-95	170.00	30.50
त्रियूवल्ला	1994-95	500.00	60.00
चालाकुदी	1994-95	216.00	15.00
कोजीकोदे	1995-96	947.00	62.00
चेनगन्नूर	1995-96	185.00	18.00
वर्कला	1995-96	194.00	15.59
योग		1937.20	279.09

(ख) दिसम्बर, 1995 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा 69.62 लाख रुपये खर्च किये जाने की सूचना दी गई है।

(ग) आई.डी.एस.एम.टी. योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत परियोजनाओं की मंजूरी राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का उत्तरदायित्व है। भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाने का दायित्व राज्य सरकार और मंजूरी समिति का है। इस विषय में भारत सरकार को राज्य स्तरीय मंजूरी समिति/राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है।

मार्का वाली बीयर की बिक्री

4229. श्री तारीक अनवर : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मार्का वाली बीयर के उत्पादन तथा विपणन से संबंधित विदेशी निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). सरकार ने देश में बीयर के उत्पादन तथा विपणन के लिए सात विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये प्रस्ताव मौजूदा भारतीय आशय पत्रों/लाइसेंस धारकों की अनुज्ञप्त क्षमता के उपयोग द्वारा बीयर उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने से संबंधित हैं।

फ्लैटों का निर्माण

4230. श्री सुधीर गिरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर आम लोगों के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों की वित्तीय परेशानियों को देखते हुए आम लोगों के उपयोग हेतु विभिन्न राज्यों के शहरों में फ्लैटों का निर्माण करने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) के.लो.नि.वि. केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल के तहत तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग, स्वायत्त निकायों आदि के लिए मकान बनाता है।

(ग) आवास राज्य का विषय है और सम्बंधित लोगों को मकान मुहैया कराना विभिन्न राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

गढ़वाल में सड़क मार्ग

4231. श्री सोमाजी भाई डामोर :

कुमारी उमा भारती :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पौढ़ी गढ़वाल के 40 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली बुबाखाल-सिकुखाल-ज्वालपादेवी मंदिर सड़क को पक्का नहीं किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तराखंड के तीर्थस्थलों को जोड़ने वाली सभी सड़कों की मरम्मत और इन्हें पक्का करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख). यह मंत्रालय राज्यों में गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने के संबंध में जिलावार/क्षेत्रवार ब्यौरे तैयार नहीं करता है।

(ग) और (ङ). राज्य सड़कों के निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

4232. श्री बसुदेव आचार्य :
श्री सुख लाल कुशवाहा :
श्री दरबारा सिंह :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोलियम उत्पादों के सभी आयात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के माध्यम से होते हैं;

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 के दौरान और चालू वर्ष में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन तथा अन्य एजेंसियों द्वारा देशवार कितने कच्चे तेल एच.एस.डी., एल.एस.डी., एल.एन.जी., और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष (प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग-अलग) इन निर्यातों का सी.आई.एफ. मूल्य क्या रहा;

(घ) क्या ऑटोमोबाइलों के लिए और ट्रकों के लिए एच. एस.डी. का आयात किया जाता है और साथ ही इनका घरेलू उत्पादन भी किया जाता है;

(ङ) उक्त वर्षों में पैट्रोल और एच.एस.डी. का कितना आयातित लागत और घरेलू उत्पादन की लागत रही;

(च) 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पैट्रोल और एच.एस.डी. के लिए दी गई राज सहायता की दर क्या थी;

(छ) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के ह्रास के पहले और बाद में कुल कितना मुनाफा हुआ और गत तीन वर्षों के दौरान कार्पोरेशन द्वारा कितनी आयकर का भुगतान किया गया जिसके लेखापरीक्षित तुलन पत्र उपलब्ध हैं; और

(ज) क्या सरकार ने कभी इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के खातों का लागत की दृष्टि से लेखा परीक्षण किया है और यदि हां तो कब और किसके द्वारा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) निर्यात-आयात नीति (1992-97) के मुताबिक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड निम्नांकित पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए नियुक्त नियंत्रक एजेंसी हैं :-

- विमानन टबाईन ईंधन
- मोटर स्पिरिट
- हाई स्पीड डीजल
- बिटूमेन (एसफाल्ट) पेविंग ग्रेड
- भट्टी तेल (कम गंधक वाले भारी स्टाक/कम गंधक वाले मोम अवशेष को छोड़कर)

(ख) और (ग). इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा किए गए आयात के ब्यौरे संलग्न 1 से 5 तक विवरणों में दिए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1996-97 (अप्रैल, 96 - जून, 96) के दौरान आयातित पैट्रोल तथा हाई स्पीड डीजल की लागत निम्नवत् है :-

दर : अमरीकी डालर/प्रति मीट्रिक टन

		पेट्रोल	एच. एस. डी.
	1992-93	शून्य आयात	196.10
	1993-94	शून्य आयात	173.01
	1994-95	शून्य आयात	159.82
(*)	1995-96	193.06	178.40
(*)	1996-97 (अप्रैल "96 जून" 96)	202.57	199.19

* अनंतिम

क्रूड की भारित औसत लागत तथा उस पर आए लाभों (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) को विचारित करते हुए उपयोग आधार पर वर्ष 1995-96 के लिए देश में उत्पादन की अनुमानित लागत (आयातित हाई स्पीड डीजल के अतिरिक्त प्रभाव को सम्मिलित करते हुए) निम्नवत् आकलित होती है।

एम एस-87 ---- रु. 4640/कि. प्रति ली.

एच एस डी ---- रु. 6160/कि. प्रति. ली.

(च) एम एस-87 (पैट्रोल) पर कोई राजसहायता नहीं है। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 1990-92 से 1994-95 तक के वर्षों के लिए एच एस डी पर अनुमानित राजसहायता नीचे दी गई है :-

वर्ष	अनुमानित राजसहायता (करोड़ रुपये)	अनुमानित राजसहायता (रुपये प्रति लीटर)
1990-91	शून्य	शून्य
1991-92	48	0.02
1992-93	120	0.04
1993-94	575	0.19
1994-95	430	0.13

(छ) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन का मूल्य ह्रास पूर्व/उपरांत विशुद्ध लाभ तथा भगुतान किया गया आयकर नीचे दिया गया है:-

रु./करोड़

	को समाप्त वर्ष के लिए		
	31.3.96	31.3.95	31.3.94
मूल्य ह्रास तथा कर पूर्व विशुद्ध लाभ	2324.83	1787.12	1286.30
मूल्य ह्रास उपरांत तथा कर पूर्व विशुद्ध लाभ	1765.33	1369.84	964.11
भुगतान किया गया आयकर	520.54	374.86	234.28

(ज) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के मुताबिक केन्द्रीय सरकार ने, बेन्जीन और टालिन के संबंध में, जिन्हें गुजरात रिफाइनरी द्वारा निर्मित किया जाता है, लागत लेखाकारों द्वारा अभिलेखों की लागत लेखा परीक्षा का अनुरक्षण निर्धारत किया है। तदनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर नियुक्त किए गए लागत लेखाकारों द्वारा इस कार्य को किया जाता रहा है।

विवरण-I

कच्चे तेल का देशवार आयात

देश	1992-93 मात्रा/ मि.मी.ट	1993-94 मात्रा मि.मी.ट	1994-95 मात्रा मि.मी.ट	1995-96 मात्रा मि.मी.ट	अप्रैल-जून, 96 मात्रा मि.मी.ट
नाइजीरिया	3.892	6.345	3.021	5.043	2.088
आस्ट्रेलिया	0.310		0.86		
लीबिया	0.206				
मिश्र	0.666	0.606	1.301	0.391	
ओमान		0.067			
कतार	0.420	0.323			
कुवैत	4.699	4.834	4.602	5.367	1.237
सऊदी अरब	8.112	8.874	6.988	7.008	1.743
इराक					
संयुक्त अरब अमीरात	6.169	6.018	7.372	5.595	1.477
यमन	0.074	0.403			
ईरान	2.957	2.807	3.133	3.159	1.220
रूस (एफएसयू)	0.60				
मलेशिया	1.391	0.501	0.845	0.604	0.183
इंडोनेशिया				0.060	
पाकिस्तान	0.287	0.042			
	29.243	30.820	27.348	27.227	7.948

विवरण–II

गैस तेल का देशवार आयात

देश	1992-93 मात्रा/ एमएमटी	1993-94 मात्रा/ एमएमटी	1994-95 मात्रा/ एमएमटी	1995-96 (अनंतिम) मात्रा/एमएमटी	अप्रैल-जून, 96 (अनंतिम) मात्रा/एमएमटी
अल्जीरिया	0.004				
अर्जेंटाइना	0.028	0.038			
बहरीन	1.420	2.351	3008	3.191	0.890
बेल्जियम		0.029		0.043	0.108
बुलगारिया	0.167	0.055		0.086	0.069
कनाडा	0.038				
क्रोशिया		0.06			
साइप्रस	0.140	0.032			
फ्रांस	0.240	0.029	0.033	0.300	0.088
जर्मनी				0.04	
ईरान				0.069	0.031
इजराईल	0.142	0.897	0.606	0.064	
इटली	0.706	0.483	0.188	0.545	0.210
जार्डन	0.031				
कुवैत	1.131	1.117	2.562	3.956	0.551
माल्टा	0.028				0.057
मोजांबीक	0.028	0.028			
नीदरलैंड	0.137	0.072		0.029	0.086
नाइजीरिया	0.026				
ओमान			0.031	0.032	
कतार			0.025	0.006	0.042
रूमानिया	0.065	0.004		0.0259	0.214
रुस				0.146	0.268
सऊदी अरब	0.413	0.672	0.692	1.978	0.576
सिंगापुर	1.097	0.988	0.826	1.126	0.475
स्वीडन	0.044				
संयुक्त अरब अमीरात	0.384	0.258	0.634	0.705	0.218
यू.के.				0.048	
यू.एफ.ए	0.203	0.206		0.077	
वेनेजुएला	0.087	0.178			
यमन	0.218	0.083		0.007	
योग	6.77	7.500	8.605	12.707	3.883

ईंधन तेल का देशवार आयात

देश	1992-93 मात्रा/ एमएमटी	1993-94 मात्रा/ एमएमटी	1994-95 मात्रा/ एमएमटी	1995-96 (अनंतिम) मात्रा/ एमएमटी	अप्रैल-जून, 96 (अनंतिम) मात्रा/ एमएमटी
बहरीन				0.124	0.100
मिश्र				0.03	
ईरान				0.025	0.027
कुवैत				0.84	
सिंगापुर				0.047	0.033
श्रीलंका			0.027	0.050	0.020
संयुक्त अरब अमीरात			0.122	0.839	0.110
योग			0.149	1.199	0.290

विवरण-III

मिट्टी तेल/एटीएफ का देशवार आयात

देश	1992-93 मात्रा/ एमएमटी	1993-94 मात्रा/ एमएमटी	1994-95 मात्रा/ एमएमटी	1995-96 (अनंतिम) मात्रा/ एमएमटी	अप्रैल-जून, 96 (अनंतिम) मात्रा/ एमएमटी
1	2	3	4	5	6
अल्जीरिया			0.09		
आस्ट्रेलिया	0.022				
बहरीन	0.343	0.405	0.526	0.807	0.287
मिश्र			0.03		
फ्रांस				0.023	
यूनान	0.061		0.022	0.123	
इंडोनेशिया				0.024	
इस्राइल	0.056		0.025	0.093	
इटली	0.088	0.104	0.024	0.118	0.039
कुवैत	1.011	1.679	2.088	2.204	0.452
लीबिया	0.028	0.054	0.049	0.025	0.018
मलेशिया	0.061				
माल्टा	0.005	0.017	0.006	0.069	0.012
नीदरलैंड		0.019	0.080	0.036	0.097
कातार	0.033			0.025	0.018

1	2	3	4	5	6
रूमानिया	0.033				
सऊदी अरब	0.635	0.677	0.348	0.533	0.124
सिंगापुर	0.175	0.029	0.030		
स्पेन	0.086	0.048	0.039	0.019	
संयुक्त अरब					
अमीरात	0.512	0.505	0.563	0.414	0.135
यू.एस.ए.	0.036				
यमन	0.106	0.130	0.001	0.70	0.026
योग	3.291	3.667	3.921	4.583	1.208

एल.पी.जी का देशवार आयात

देश	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)	अप्रैल-जून, 96 (अनंतिम)
	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी
1	2	3	4	5	6
आस्ट्रेलिया		0.01			
बहरीन	0.044	0.058	0.063	0.025	0.016
जिबोती				0.006	
मिश्र				0.009	
फ्रांस	0.005				
ईरान		0.01	0.01		
ईटली					
कुवैत	0.007		0.035		
मलेशिया		0.01	0.01	0.019	
फिलीपीन्स					
सऊदी अरब	0.195	0.260	0.477	0.575	0.149
सिंगापुर				0.006	
ताइवान		0.01			
संयुक्त अरब					
अमीरात	0.077	0.056	0.005	0.004	
योग	0.328	0.414	0.600	0.684	0.165

विवरण-IV

एम. एम. का देशवार आयात

देश	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)	अप्रैल-जून, 96 (अनंतिम)
	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी
बहरीन				0.144	
सऊदी अरब				0.027	0.055
सिंगापुर				0.054	
संयुक्त अरब अमीरात				0.210	0.027
योग				0.435	0.082

ए बी गैस का देशवार आयात

देश	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)	अप्रैल-जून, 96 (अनंतिम)
	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी	मात्रा/ एमएमटी
इटली	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002
योग	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002

विवरण-V

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

मात्रा हजार टन सी आई एफ (मूल्य करोड़ रुपये)

मद	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97 अप्रैल-जून, 96	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
					सकल आयात					
क. कच्चा तेल	29247	10685.86	30822	10688.52	27349	10316.03	27342	11517.00	7947	3853.05
ख. पीओएल उत्पाद										
I. हल्के आसुत	336	225.86	414	241.77	594	419.77	1117	816.65	250	193.37
1. एलपीजी	328	218.33	410	237.20	592	416.78	678	530.54	165	131.97
2. अन्य	8	7.53	4	4.57	2	2.99	439	286.11	85	61.40
II. मध्य आसुत	10622	5700.31	11501	6545.77	12955	6816.71	17950	11155.79	5288	3738.74
1. एटीएफ	-	-	-	-	78	51.31	97	69.45	99	74.81
2. एसकेओ	3463	2008.97	3946	2370.80	4240	2405.31	5001	3325.56	1229	902.88
3. एचएसडी	7159	3691.34	7555	4174.97	8637	4360.09	12852	7760.78	3960	2761.05
III. भारी अन्त्य	325	433.43	161	253.89	402	285.23	1268	605.41	298	136.65
1. भट्टी तेल	-	-	-	-	267	91.62	1209	474.55	290	114.53
2. स्नेहक	296	363.05	132	187.66	87	138.53	58	130.18	8	22.12
3. मोम	29	70.38	29	66.23	20	40.81	0.36	0.68	-	-
4. आर पी सी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. अन्य	-	-	-	-	28	14.27	-		-	-
योग (ख)	11283	6359.60	12076	7041.43	13951	7521.71	20335	12577.85	5836	4068.76
कुल योग (क + ख)	40530	17045.46	42898	17729.95	41300	17837.74	47677	24094.85	13783	7921.81

अनंतिम इसमें एनओसी आयात शामिल हैं परन्तु निजी कंपनियों द्वारा आयात शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति

4233. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रदूषण के कारण दिल्ली में जलजनित रोगों के फैलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के सभी निवासियों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई निवारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी नहीं। अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है।

(ख) से (घ). दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा की जा रही जल आपूर्ति, स्वास्थ्यकर पीने योग्य और पेयजल हेतु निर्धारित मानदंड के अनुरूप है। पानी की गुणवत्ता का शोधन की प्रत्येक स्थिति में जांचा जाता है। इसके अतिरिक्त समग्र दिल्ली वासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा निम्नलिखित निवारक कदम उठाये जा रहे हैं:-

1. रैनी कुओं और नलकूपों से दिये जा रहे पानी की गुणवता के लिए नियमित रूप से जांच की जाती है।
2. वितरण पद्धति से की जा रही जल आपूर्ति की नियमित से जांच की जाती है।
3. विभिन्न क्षेत्रों में पानी की गुणवता की आवधिक जांच हेतु कनिष्ठ इंजीनियरों को जांच किट मुहैया किये गये हैं।
4. पुनर्वास कालोनियों में सभी उथले हैंड पंपों को इस निर्देश के साथ लाल रंग का का कर दिया गया है कि पानी पीने योग्य नहीं है।
5. जल की गुणवत्ता का प्रबोधन करने के लिए दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में एक चलती-फिरती प्रयोगशाला लगाई गई है।

संसद विहार में अनधिकृत निर्माण

4234. **श्री अनिल कुमार यादव :**
श्री सुखदेव पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के संसद विहार में अनधिकृत निर्माण को गिराने के संबंध में 9 नवम्बर, 1995 को नोटिस जारी किए थे;

(ख) क्या उक्त नोटिसों में यह उल्लेख किया गया था कि नोटिस जारी होने की तिथि के 7 दिन के अन्दर इन अनधिकृत निर्माणों को सील करके गिरा दिया जाएगा;

(ग) उक्त नोटिसों को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) भविष्य में और आगे अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए उक्त अनधिकृत निर्माणों को कब तक गिरा दिया जायेगा;

(ङ) क्या इस क्षेत्र के निवासियों ने अपने घरों के सामने अपने उपयोग के लिए आयाताकार आकृति में हरे पेड़ उगा लिए हैं ताकि बाद में इस स्थान पर कमरों का निर्माण कर सकें;

(च) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन पेड़ों को भी हटा दिया जाएगा;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या इन नोटिसों को लागू करने में अत्याधिक विलम्ब से अनधिकृत निर्माण को प्रोत्साहन नहीं मिला है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्षों से हो रहे विलम्ब के क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ . यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डी. डी. ए. ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण को सील करने व गिराने संबंधी दिनांक 11.9.1955 के आदेश सोसायटी को 11.11.1995 को दिये गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित आदेश अन्य अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए पहले से निर्धारित कई लंबित कार्यक्रमों की वजह से 7 दिन के भीतर कार्यान्वित नहीं किये जा सके।

(घ) डी.डी.ए. ने अब निर्माण कार्य को हटाने का कार्यक्रम 16.9.1996 के लिए निर्धारित किया है।

(ङ) आदेश में यथा उल्लिखित अनधिकृत तथा अवैध निर्माण कार्य इस प्रकार हैं:-

1. टोट-लोट तथा पटरी क्षेत्र पर कमरे का निर्माण करके अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण।

2. टेरेस पर कमरे तथा शौचालय का निर्माण।

3. फ्लैट नं. 49 के मालिक द्वारा गलियारे/जीने को बंद करना।

(च) और (छ). कथित आदेश में यथा उल्लिखित सभी अनधिकृत तथा अवैध निर्माण कार्य डी. डी. ए. द्वारा हटाये जाने हैं।

(ज) और (झ). निर्माण कार्यों को गिराने के काम में कभी-कभी पुलिस दल उपलब्ध न होने तथा हटाने के लिए पुराने मामले लंबित होने के कारण विलंब होता है।

पेयजल

4235. श्री कांशी राम राणा :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री शिवराज सिंह :
श्री गिरधारी यादव :
डॉ. सत्यनारायण जटिया :
श्री एस.डी.एन.आर वाडियार :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं,

(ख) अब तक पेयजल उपलब्ध कराए गए गांवों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) राज्य-वार ऐसे गांवों की संख्या क्या है, जहां पेयजल की नियमित सप्लाई उपलब्ध कराई गई हैं;

(घ) इस उद्देश्य हेतु 1996-97 के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) देश में राज्यवार ऐसे गांवों की संख्या क्या है जहां अभी तक पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है; और

(च) वर्ष 2000 के अंत तक देश में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) स्वच्छ पेयजल सुविधाओं वाली बसावटों/गांवों की कवरेज के लिए 1996-97 के दौरान लक्ष्य के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ). विवरण 2 में दिए गए हैं।

(च) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम और राज्य के क्षेत्र न्यूनतम आवयकता कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। 4-5 जुलाई को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने अगले 2 से 3 वर्षों के भीतर पूर्ण कवरेज को प्राप्त करने की सिफारिश की है और राज्यों को उसी अनुसार योजना बनाने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1996-97 में लक्षित कवर की जाने वाली बसावटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3100
2.	अरूणाचल प्रदेश	150
3.	असम	1500
4.	बिहार	17621
5.	गोआ	54
6.	गुजरात	1200
7.	हरियाणा	1263
8.	हिमाचल प्रदेश	1172
9.	जम्मू व कश्मीर	350
10.	कर्नाटक	10414
11.	केरल	1065
12.	मध्य प्रदेश	9000
13.	महाराष्ट्र	6000
14.	मणिपुर	310
15.	मेघालय	530
16.	मिजोरम	202
17.	नागालैंड	124
18.	उड़ीसा	6000
19.	पंजाब	684
20.	राजस्थान	5000
21.	सिक्किम	200
22.	तमिलनाडु	2500
23.	त्रिपुरा	795
24.	उत्तर प्रदेश	12953
25.	पश्चिम बंगाल	4711
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	15
27.	दादरा व नागर हवेली	12
28.	दमन व द्वीप	29
29.	दिल्ली	0
30.	लक्षद्वीप	3
31.	पांडिचेरी	28

विवरण–II

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6618.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1200.00
3.	असम	2026.00
4.	बिहार	7795.00
5.	गोवा	189.00
6.	गुजरात	3882.00
7.	हरियाणा	1451.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1303.00
9.	जम्मू व कश्मीर	3652.00
10.	कर्नाटक	6037.00
11.	केरल	3096.00
12.	मध्य प्रदेश	7327.00
13.	महाराष्ट्र	8810.00
14.	मणिपुर	440.00
15.	मेघालय	672.00
16.	मिजोरम	337.00
17.	नागालैंड	422.00
18.	उड़ीसा	3468.00
19.	पंजाब	1105.00
20.	राजस्थान	7526.00
21.	सिक्किम	372.00
22.	तमिलनाडु	5247.00
23.	त्रिपुरा	418.00
24.	उत्तर प्रदेश	12278.00
25.	पश्चिम बंगाल	4740.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25.00
27.	दादरा व नागर हवेली	15.00
28.	दमन व दीव	10.00
29.	दिल्ली	30.00
30.	लक्षद्वीप	0.00
31.	पांडिचेरी	20.00

विवरण–III

राज्यवार बसावटों की कवरेज की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल बसावटें	1.4.96 तक की स्थिति		
			कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर	पूर्ण रूप से कवर
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	67684	0	17777	49907
2.	अरुणाचल प्रदेश	2446	197	606	1643
3.	असम	70669	11627	23726	35316
4.	बिहार	205436	16085	10783	178568
5.	गोवा	405	50	41	314
6.	गुजरात	30269	717	7974	21578
7.	हरियाणा	6484	0	1680	4804
8.	हिमाचल प्रदेश	43781	5086	12469	26226
9.	जम्मू और कश्मीर	7763	845	3988	2930
10.	कर्नाटक	56682	6045	8475	42162
11.	केरल	9719	863	7382	1474

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	127083	5724	19842	101518
13.	महाराष्ट्र	77124	22	12762	64340
14.	मणिपुर	2815	391	906	1518
15.	मेघालय	7876	860	1874	5142
16.	मिजोरम	919	12	190	717
17.	नागालैंड	1304	354	787	183
18.	उड़ीसा	74231	0	18376	55855
19.	पंजाब	12797	5403	336	7058
20.	राजस्थान	81773	11597	16725	53451
21.	सिक्किम	1679	0	1033	646
22.	तमिलनाडु	66615	366	38883	27368
23.	त्रिपुरा	7412	242	2750	4430
24.	उत्तर प्रदेश	274641	12360	97313	168656
25.	पश्चिम बंगाल	80377	0	25537	54840
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	504	11	53	440
27.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0
28.	दमन और द्वीव	0	0	0	0
29.	दिल्ली	200	0	62	133
30.	लक्षद्वीप	11	0	4	7
31.	पॉडिचेरी	0	0	0	0
	योग	1318699	78857	332334	911224

मौसम विज्ञान केन्द्र

4236. श्री उद्धव बर्मन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी स्थित वर्तमान मौसम विज्ञान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र बनाने के लिए साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में स्थित एककों की प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण इसे सौंपने का कार्य अभी किया जाना है:

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगिन्दर के. अलघ) : (क) से (ग). गुवाहाटी स्थित मौजूदा मौसम विज्ञान केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र बनाने के प्रस्ताव को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है, किन्तु सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार के निर्णय के बाद ही इस पर कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू प्रौद्योगिकी का विकास

4237. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.एस.आई.आर. ने "प्रोग्राम एम्ड ऐट टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायन्स" (पी.ए.एस.टी.इ.आर.) नामक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी हां।

(ख) डीएसआइआर के "प्रोग्राम ऐम्ड ऐट टेक्नोलोजिकल सेल्फ रिलायन्स" (पेट्सर) के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं :

(1) विदेशी प्रौद्योगिकी के समावेश एवं उन्नयन के लिए उद्योग को सहायता प्रदान करना।

(2) उच्च स्तरीय समसामयिक उत्पादों तथा प्रक्रियाओं के विकास एवं वाणिज्योकरण के लिए स्वदेशी सामर्थ्य का निर्माण करना।

(3) उद्योग के साथ संयुक्त परियोजनाओं में राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों की भागीदारी।

डीएसआइआर ने अपनी पेट्सर योजना के अन्तर्गत अबतक 58 अनुसंधान, विकास, डिजाइन तथा इंजीनियरी (आरडीडीई) परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की है, कुल परियोजना लागत 44 करोड़ है जिस में से 18 करोड़ रुपए की डीएसआइआर द्वारा प्रदत्त सहायता सम्मिलित है। इन परियोजनाओं में से वर्तमान में 51 परियोजनाएं चल रही हैं। जिनकी कुल लागत 41 करोड़ रुपए है जिसमें से 17 करोड़ रुपए की सहायता डीएसआइआर ने दी है। इन परियोजनाओं के शीर्षक संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इनमें से कुछ परियोजनाएं औद्योगिक कम्पनियों द्वारा स्वतः चलाई जाती हैं जबकि अन्य परियोजनाएं औद्योगिक कम्पनियों तथा सार्वजनिक निधि प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोग द्वारा चलती हैं। डीएसआइआर द्वारा अलग-अलग परियोजनाओं को दी जाने वाली निधियां परियोजना के आकार, निहित प्रौद्योगिकीय और/या वाणिज्यिक जोखिम की मात्रा तथा अन्य राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ संबंध के आधार पर 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक होती है। 1994-96 की अवधि के दौरान डीएसआइआर द्वारा दी गई परियोजना सहायता लगभग 10 करोड़ रुपए थी जबकि 1996-97 के लिए इस सहायता की राशि 12 करोड़ रुपए है। जो परियोजनाएं पूर्ण होने वाली हैं उनके फलस्वरूप वर्ष 1996-97 में 40 करोड़ रुपए, वर्ष 1997-98 में 100 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1998-99 में 150 करोड़ रुपए का उत्पादन होने की आशा है।

डीएसआइआर द्वारा प्रदत्त आंशिक वित्तीय सहायता में प्राथमिक तौर पर निम्नवत् शामिल होता है :

- उत्पाद का डिजाइन/प्रक्रिया अनुरूपण/तकनीकी जानकारी अध्ययन
- कच्चा माल, घटक, उपभोज्य, प्रायोगिक संयंत्र का आदिप्ररूप बनाना या निर्माण करना, प्रक्रियाओं का परीक्षण तथा उनका स्तर बढ़ाना ईष्टतमीकरण करना।
- परीक्षण एवं मूल्यांकन, क्षेत्रीय परीक्षण/प्रयोगकर्ता परीक्षण
- राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों तथा संस्थानों से परियोजनाएं प्राप्त करने वाली औद्योगिक कम्पनियों को अनुसंधान परामर्श/अनुसंधान सहायता।

पेट्सर निधीयन की प्रमुख विशेषताएं है : (क) कई परियोजनाओं में संबंधित औद्योगिक कम्पनियों के साथ-साथ सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, आइआइटी या विश्वविद्यालय के भागीदार होते हैं : तथा (ख) विकास के लिए चुने गए उत्पाद/प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेन्ट योग्यता तथा निर्यात दृष्टिकोण से अद्यतनन होती है।

डीएसआइआर द्वारा अग्रणी समाचार-पत्रों तथा औद्योगिक पत्रिकाओं में विज्ञापन, भार सरकार के औद्योगिक मंत्रालय के साथ चर्चाओं, डीएसआइआर द्वारा मान्यता प्राप्त घरेलू अनुसंधान एवं विकास यूनिटों के साथ आवधिक सम्पर्क, देश के विभिन्न भागों में उद्योग एवं औद्योगिक संघों आदि के साथ कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है। यह परियोजना प्रस्ताव डीएसआइआर द्वारा जारी की जाने वाली सूचना पुस्तिका "गाईड लाईन्स फॉर प्रोजेक्ट सपोर्ट" में दिए गए उपयुक्त फार्म में भरकर डीएसआइआर को जमा कराए जाते हैं। तदुपरान्त, इन परियोजना प्रस्तावों को विभाग में जांचा व परखा जाता है। जो प्रस्ताव इस प्रारम्भिक संवीक्षा में स्वीकृत हो जाते हैं उन पर सहायता के लिए पेट्सर की "तकनीकी सलाहकार समिति" (टीएसी) विचार करती है। तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर परियोजना स्वीकृत की जाती है तथा आवश्यक समझौते तथा समझौता-ज्ञापनों पर संबंधित कार्यकारी/सहयोग देने वाली एजेंसियों द्वारा डीएसआइआर तथा एनआरडीसी के साथ हस्ताक्षर किए जाते हैं।

(ग) पेट्सर को सन् 1992 में आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय अनुमोदित किया गया था तथा वर्तमान में प्रगति पर है।

विवरण

प्रोग्राम ऐम्ड ऐट टेक्नोलोजिकल सेल्फ रिलायन्स (पेट्सर)

वर्ष 1992-93 से 1995-96 की अवधि में सहायता प्राप्त परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी	सहयोगी एजेंसी
1	2	3	4
परियोजना पूर्ण/समाप्त			
1.	25 किलोवाट के सोलर फोटो वाल्टिक पायलट प्लांट का विकास	सीईएल, साहिबाबाद	–
2.	एम.एस. स्वामीनाथन अनुसंधान संस्था, मद्रास में एसपीवी प्लांट का प्रदर्शन	" "	–

1	2	3	4
3.	सीएनसी टूल तथा कटर ग्राइन्डर का विकास	पराग टूल्स लि., हैदराबाद	–
4.	भू-माइक्रोन्यूटीएन्टस का विकास तथा क्षेत्रीय परीक्षण	सीएसएमई, कलकत्ता	नेशनल फर्टिलाइजर लि. दिल्ली
5.	शेप्ड चार्जेज के लिए स्फोटक कार्ड का विकास	आइबीपी, गुड़गांव	–
6.	200 एचपी के फ्रंट एंड लोडर का सवंर्धन	बीईएमएल, बंगलूर	–
7.	सिरेमिक उत्पादन के लिए डाउन ड्राफ्ट क्लिन की पुनअभिकल्पना	आंध्र प्रदेश औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन लिमिटेड, हैदराबाद	–
जारी परियोजना			
1.	कृत्रिम स्टाइल आधारित पर्यावरणीय साहचर्य प्रक्रिया के लिए पूर्ण इंजीनियरिंग प्रक्रिया तथा सीजी पैकेज का विकास	ट्रावेनकोर कोचीन कैमिकल, लिमिटेड, तिरूवनन्थपुरम	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरूवनन्थपुरम तथा स्पोंज आयरन इंडिया लि., हैदराबाद तथा ईमार एंड डीसी, त्रिवेन्द्रम
2.	कोनिकल ड्रम्स के उत्पादन के लिए विशेष कार्य वाले पूंजी पदार्थों का विकास	बालमेर लॉरी एंड क. लि., कलकत्ता	–
3.	स्वचालित हायड्रोलिक ग्वेज कन्ट्रोल का विकास	मेकॉन, रांची	–
4.	बहिः स्त्रावों से एनबी एंड रूटाइल क्लोराइड्स की प्राप्ति	केएमएमएल, क्वीलोन	–
5.	डीप बोर होल अनुप्रयोग के लिए साइट मिक्सड स्लरी का विकास	आइबीपी, गुड़गांव	–
6.	पायस विस्फोटकों का संवर्धन	आइबीपी, गुड़गांव	–
7.	ऊर्जा प्रतिरोधी विस्फोटकों का विकास	आइबीपी, गुड़गांव	सीएमआरआइ, धनबाद
8.	50 टन डम्पर का संवर्धन	बीईएमएल, बंगलूर	–
9.	400 किलोवाट एवं 765 किलोवाट के स्वसहायक तथा तारतनित संचार लाइन टावर का विकास	त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स, लि., नैनी	एसईआरसी, मद्रास
10.	लेजर पम्पिंग के लिए जीनॉन/क्रिप्टान से भरे लैम्पों का विकास	लिटेक्स इलैक्ट्रिकल्स, प्रा. लि. पुणे	समीर, मुम्बई
11.	उच्चतापसह के उत्पादन के लिए बाक्साइट में से सीएओ के अपनयन के लिए कैमिकल लीचिंग प्रौद्योगिकी का विकास	उड़ीसा इन्डस्ट्रीज, राउरकेला	आइआइटी, खड़गपुर
12.	उच्च शुद्धता के जिरकोनिया के उत्पादन के लिए प्लाजमा आधारित वियोजन प्रक्रिया का विकास	सी.एस.जिरकोन प्रा. लि., कलकत्ता	आईपीआर, अहमदाबाद
13.	स्विचड रिलेक्टेंस मोटर के लिए कन्ट्रोलर का विकास	ईआरएंडडीसी, तिरूवंनथपुरम	ज्योति लि., आइआइएससी., बंगलूर आइआइटी, दिल्ली

1	2	3	4
14.	कम्पोजिट ओरस के सज्जीकरण के सुधार के लिए कॉलम फ्लोटेशन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन	गुजरात मिनरल विकास कारपोरेशन	-
15.	मंद निर्मुक्त उर्वरक	एफएसीटी, कोचीन	त्रिचुर एवं कोयम्बतूर में कृषि विश्वविद्यालय
16.	डायब्रिड का विकास (एसपीवी + डीजल) पावर प्लांट	सीईएल, साहिबाबाद	-
17.	धार निर्माण के लिए चार पेषण प्रणाली एवं प्लाज्मा उत्कीर्णन का विकास एवं मूल्यांकन	सीईएल, साहिबाबाद	-
18.	लाइन कार्ड तथा कांफ्रेस कार्ड के लिए एएसआइसीएस का विकास	एससीएल, चंडीगढ़	सी-डॉट, नई दिल्ली
19.	वात्या-भट्टी के लिए अधोभारक संपरीक्षित्र	मेकॉन, रांची	डीएसओ, दुर्गापुर
20.	20 किलो की क्वाइल बनाने के लिए मोलीबिडीनम तार की बैल्डिंग	मिधानी, हैदराबाद	-
21.	मिश्रधातु स्टील के उत्पादन में तरल धातु का बल्क फिल्टरेशन	मिधानी, हैदराबाद	-
22.	उच्च सतह परिसज्जा सहित तारें	मिधानी, हैदराबाद	-
23.	बेयर एल्यूमिन/हायडेट से विशेष ग्रेड एल्यूमीना एवं एल्यूमीना हायडेटस का प्रायोगिक स्तर पर उत्पादन	नेलको, भुवनेश्वर	-
24.	ब्लू डस्ट से पिगमेंट ग्रेड फेरिक आक्साइड का विकास	एनएमडीसी, हैदराबाद	आइआइसीटी, हैदराबाद
25.	कोबाल्ट धातु के साथ एक ही समय में जिंक उत्पादक प्लांट वेस्टस से कॉपर सल्फेट की प्राप्ति के लिपु प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रदर्शन	हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर	-
26.	परिष्कृत औद्योगिक गैस बर्नर का विकास (जीएआइएल द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्राप्त)	एनकॉन इंडिया, लि.,	आइआइपी, देहरादून
27.	बायो कम्पोस्ट	टी.स्टेन्स एंड क., लि., कोयम्बतूर	-
28.	लीनिया एल्काइल बेन्जीन (एलबी) के उत्पादन में एन-पेराफिन के आक्सीडेशन द्वारा लम्बी कडी (सी10-सी14) एल्कोहल का निर्माण	तमिलनाडु पैट्रोप्रोडक्टस लि., मद्रास	आइआइपी, देहरादून
29.	ईंधनीय तेल योगज का विकास	" "	" "
30.	मंद निर्मुक्त माइक्रोन्यूट्रीएंट उर्वरक जिंक पोली फोस्फेट का अवशिष्ट प्रभाव	सीएसएमई, कलकत्ता	-
31.	बांधों के गेटों के लिए पीटीएफई सहित सहित रबड सील क्लेडेड	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लि., तुंगभद्रा बांध	-

1	2	3	4
32.	कम लागत के गैस टरबाइन	टरबोटेक प्रेसिशन इंजी. प्रा. लि., बंगलूर	एनएएल, बंगलूर एवं एचएएल, लखनऊ
33.	10 टी क्लास बैकहो हायड्रोलिक उत्खनित्र - क्रालर वरसियों मॉडल ईसी 10 तथा व्हील्ड वर्शन मॉडल ईडब्ल्यू का विकास	बीईएमएल, बंगलूर	-
34.	ऑफ-हाई वे डम्प ट्रक्स के लिए माइक्रो-प्रोसेसर आधारित संचार नियत्रंक का विकास	बीईएमएल, बंगलूर	ईआर एंड डीसी, तिरूवनन्थपुरम
35.	उच्च शक्ति के इंजनों के लिए कास्ट केन्कशाफटस का विकास	बीईएमएल, बंगलूर	-
36.	रफ टाप रबड कन्वेयर बेल्टिंग	एन्ड्रयु यूल एंड कं. लि., कलकत्ता	-
37.	आर्द्रता मीटर	ईसीआईएल, हैदराबाद	सीआरआरआइ, नई दिल्ली
38.	12 किला वाट लोड ब्रेक स्विच का विकास	जी.के. इलेक्ट्रिकल्स लि., भोपाल	सीपीआरआइ भोपाल
39.	फोर्कलिफ्टस के लिए आइजीबीटी आधारित कन्ट्रोलर का विकास	पंजाब ट्रैक्टरस लि., मोहाली	क्रोम्पटन ग्रीवस लि., मुम्बई
40.	जिस्ट II के लिए एएसआइसी	सी-डीएसी, पुणे	एससीएल, चण्डीगढ़
41.	माइक्रोप्रोसेसर आधारित पावर कन्ट्रोलर के लिए एएसआइसी का विकास (डीओई द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्रदत्त)	ईआरएंडडीसी, तिरूवनंथपुरम	एससीएल, चण्डीगढ़
42.	एसटीडी पीसीओ मशीनों के लिए एएसआइसी का विकास	" "	" "
43.	एमपीईजी-2 डिकोडर के लिए विशिष्ट संघटित सर्किट अनुप्रयोग का विकास (डीओई द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्रदत्त)	आइआरडीएल, मद्रास	एससीएल, चण्डीगढ़
44.	एएसआइसी तथा एएसआइसी आधारित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर	बीएचईएल, बंगलूर	एससीएल, चण्डीगढ़
45.	रेलवे के लिए सोलिड स्टेट इन्टरलोकिंग का विकास	सीईएल, साहिबाबाद	सी-डीएसी, पुणे
46.	चावल की हस्क बोर्ड संयंत्र की प्रौद्योगिकी का संवर्धन तथा जूट फेबरिक रिइनफोर्सड बोर्ड का विकास तथा राइस हस्क पर आधारित अग्नि रोधक दरवाजों का विकास जैसेकि नारियल/खजूर के पत्ते/जड़ों पर आधारित बोर्ड का विकास भी	पदमावती पैनल बोर्डस, लि., बंगलूर	-

1	2	3	4
47.	माइक्रोकन्ट्रोलर आधारित एएसआइसी (एमबीए) के साथ एसटीडी पीसीओ मशीन का विकास	सेमीकंडक्टर काम्प्लेक्स लि., चण्डीगढ़	–
48.	460 एचपी व्हील डोजर का विकास	बीईएमएल, बंगलूर	–
49.	एसपीवी सैल उत्पादन का संवर्धन तथा प्रौद्योगिकी आमेलन	सीईएल, साहिबाबाद	–
50.	संस्पर्श डायमिक्स के ईष्टतमीकरण द्वारा 50 केऐ/415 वो. पर 70 केऐ/500 वो. के भ्रंश स्तर के लिए 250ऐ–2000ऐ तक की सीमा के वर्तमान वायु सर्किट ब्रेकर का लघु सर्किट स्तर पर संवर्धन	जेएसएल इंडस्ट्रीज लि., बड़ोदरा	ईआरडीए, बड़ोदरा
51.	हायड्रोजन सल्फाइड निष्कासन तथा आम्ल गैसों के सल्फर की प्राप्ति के लिए तरल स्तर की ओक्सीडेशन प्रक्रिया का विकास एवं प्रदर्शन	गुजरात, नर्मदा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन	ईआएल, ओएनजीसी

कच्चा तेल

4238. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा परिक्षित लेखे के अनुसार 1980-81 से 1995-96 तक तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा असम के अपने तेल क्षेत्र में कितने मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया;

(ख) असम सरकार की उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल की कितनी मात्रा पर रायल्टी का भुगतान किया गया; और

(ग) उपरोक्त उल्लिखित कच्चे तेल की मात्रा में विसंगति के यदि कोई हों, तो क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). असम के तेल क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल की मात्रा का ब्यौरा और कच्चे तेल की उस मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिस पर ओ एन जी सी द्वारा असम सरकार को रायल्टी का भुगतान कर दिया गया है :-

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन	कच्चे तेल की मात्रा जिस पर रायल्टी का भुगतान कर दिया गया है/किया जाना है (एम.टी)
1	2	3
1980-81	425836	420491.592
1981-82	1761212	1750390.481
1982-83	2156066	2136470.286
1983-84	2154662	2129079.555
1984-85	2191576	2165156.135
1985-86	2313254	2261093.386
1986-87	2567917	2510432.520
1987-88	2655347	2604639.610
1988-89	2955649	2825701.727
1989-90	3009732	2833903.800
1990-91	2343538	2244828.700
1991-92	2426211	2335596.414
1992-93	2440627	2344685.961
1993-94	2243216	2133145.168
1994-95	2184433	2070334.100
1995-96	2190018	1991197.764

(ग) कच्चे तेल के उत्पादन की मात्रा और रायल्टी प्रदत्त मात्रा के बीच अन्तर के मुख्य कारण निम्नलिखित है :-

(i) पेट्रोलियम खनन प्रचालनों के लिए कच्चे तेल का आन्तरिक उपयोग।

(2) तेल से फ्री वाटर बाटम तलछटों की निकासी, वाष्पीकरण और परिवहन के दौरान होने वाली हानियां, क्षेत्र भण्डारण टैंकों से परिरक्षा अन्तरण केन्द्रों तक कच्चे तेल के परिवहन के समय आयतन ताप और घनत्व आदि की माप के दौरान माप संबंधी त्रुटियां।

रसोई गैस कनेक्शन

4239. श्री अनंत कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक में रसोई गैस कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत थे;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार कर्नाटक राज्य का रसोई गैस कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कर्नाटक में ईस समय रसोई गैस के कितने उपभोक्ता हैं; और

(च) राज्य में रसोई गैस के उपभोक्ताओं को रसोई गैस की आपूर्ति करने वाली कितनी गैस एजेंसियां हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास एलपीजी कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या करीब 1.20 लाख है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कर्नाटक राज्य में नए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए व्यक्तियों की संख्या करीब 1.0 लाख है।

(ग) और (घ). नए एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी की उपलब्धता, नए ग्राहकों की पंजीयन योजना, प्रतीक्षा सूची, क्षेत्र के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर कर्नाटक सहित सम्पर्ण देश में एक चरणबद्ध ढंग से जारी किये जाते हैं। एलपीजी एक आबंटित उत्पाद नहीं है और इसका कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया जाता।

(ङ) 1.4.96 को कर्नाटक में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत एलपीजी ग्राहकों की कुल सं. 13.24 लाख है।

(च) 1.4.96 को कर्नाटक राज्य में 291 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कार्यरत थीं।

[हिन्दी]

चालकों का गायब होना

4240. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में चुनाव डयूटी पर तैनात कुछ चालक और वाहन गायब हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन चालकों और वाहनों का पता लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गैस/डीजल पर आधारित विद्युत परियोजना

4241. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री एम. सैल्वारासु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषतः केरल में गैस/डीजल पर आधारित कुछ विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए यदि कोई धनराशि उपलब्ध करायी/प्रदान की गयी हो तो उसका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने किसी गैस आधारित डीजल आधारित (द्वि-ईंधन) विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल अन्वेषण

4242. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :
श्री सनत मेहता :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में तेल अन्वेषण के लिए निजी उद्यमियों को अन्वेषण हेतु कितनी बार बोली लगाने की पेशकश की गई;

(ख) प्रत्येक चक्र और ब्लाक में प्राप्त बोलियों तथा सरकार द्वारा इस संबंध में स्वीकार की गई बोलियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार स्वीकार की गई बोलियों के आधार पर किए जा रहे अन्वेषण और उनसे प्राप्त कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) जनवरी, 1993 से सरकार द्वारा अन्वेषण ब्लाकों के लिए कुल पांच बोली चक्र आयोजित किए गए हैं।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

चक्र	प्राप्त बोलियों की संख्या	उन ब्लाकों की संख्या जिनके लिए बोलियां प्राप्त हुई	उन ब्लाकों की संख्या जिनके लिए ठेके दिए गए
पांचवां	15	10	6
छठा	20	12	5
सातवां	12	10	-
आठवां	33	19	-
संयुक्त उद्यम अन्वेषण	22	7	-

सातवें, आठवें और संयुक्त अन्वेषण चैक्रों के अंतर्गत प्राप्त बोलियां सरकार के विचाराधीन है।

(ग) पांचवें और छठे अन्वेषण चक्रों के अंतर्गत ब्लाकों के लिए दिए गए ठेकों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और उन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

[हिन्दी]

नागरिक सुविधाएं

4243. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान रैनबसेरा योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रैनबसेरे बनाने और जिन सार्वजनिक शौचालयों में फ्लश सुविधा उपलब्ध नहीं है उनमें यह सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मार्च, 1996 तक उक्त प्रस्तावों के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों से प्राप्त उक्त प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ङ). जन सुविधाओं में जलवाही सुविधाएं मुहैया कराना, किसी भी केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत शामिल नहीं है। तथापि, शहरी पटरीवासियों के लिए रैन बसेरे और स्वच्छतम सुविधाओं के तहत सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में 1994-95 और 1995-96 के दौरान कुल 22 स्कीमें स्वीकृत की हैं। इन 22 स्कीमों में से 3 स्कीमें मध्य प्रदेश में हैं। पूरी होने पर ये स्कीमें 4740 बिस्तर 3537 जलवाही शौचालय सीटें, 10 स्नानघर और पेशाबघर मुहैया करायेंगी। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

मध्य प्रदेश सरकार से जून, 1996 में मसत्र एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में पटरीवासियों के लिए आये और स्वच्छता सुविधाओं की स्वीकृतियों का स्तर

(लाख रुपये में) (31.3.95 को)

राज्य	स्कीमों की सं.	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत सब्सिडी	सीटे/ बिस्तर	स्वीकृत एकक		
						शौचालय	स्नानघर	पेशाबघर
वर्ष 1994-95 के लिए								
असम	1	7.24	5.24	2.00	200	8	8	0
बिहार	4	100.61	63.80	15.95	1595	0	0	0
चंडीगढ़	1	39.61	0.00	2.74	274	0	0	0
केरल	3	50.68	30.10	3.58	358	0	0	0
महाराष्ट्र	5	595.10	0.00	326.48	0	2272	2	60
मध्य प्रदेश	2	454.10	222.13	130.90	0	935	0	0
राजस्थान	1	21.65	0.00	1.68	168	0	0	0
	17	1268.99	321.27	483.33	2595	3215	10	60
वर्ग 1995-96 के लिए								
बिहार	2	92.03	70.80	17.70	1770	0	0	0
महाराष्ट्र	1	75.84	0.00	46.20	330	0	0	0
मध्य प्रदेश	1	124.67	63.85	45.08	0	322	0	0
राजस्थान	1	6.00	0.00	0.45	45	0	0	0
	5	298.54	134.65	109.43	2145	322	0	0

[अनुवाद]

पेयजल आपूर्ति हेतु निजी ठेकेदार

4244. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख नगरों में पेयजल की आपूर्ति के कार्य में निजी ठेकेदारों को सम्मिलित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार देवास जल आपूर्ति योजना के निजीकरण संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) उपलब्ध संसाधनों और मंजूर शहरी जल आपूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अपेक्षित धन राशि के बीच काफी अंतर है इसकी वजह से समय और लागत में वृद्धि होती है, इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कुछ शहरी जल आपूर्ति योजनाओं के प्रायोजिक आधार पर निजीकरण के विकल्प पर विचार कर रही है। तथापि, सरकार द्वारा इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तेल की चोरी

4245. डा. ए.के. पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में तेल की चोरी के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उक्त चोरी में शामिल कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जाने वाले निवारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में निगम को अब तक कुल कितना नुकसान हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान आज को तारीख तक ओ एन जी सी द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थित इसके कार्य केन्द्रों पर तेल चोरी के कुल 34 मामलों का पता लगाया गया था।

(ख) संबंधित पुलिस स्टेशनों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गुजरात में बार-बार ट्रंक लाइन पंक्चर किए जाने से संबंधित मामले को राज्य सरकार के प्राधिकारियों तथा पुलिस महानिदेशक, गुजरात की जानकारी में लाया गया था।

(ग) सुरक्षा तथा उत्पादन कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण, कांटेदार तारों से तेल कूपों की घेराबंदी, खुली के बजाय भूमिगत प्रवाह लाइनें बिछाने तथा चोरी प्रवण क्षेत्रों में सशस्त्र गार्ड तैनात करने के अतिरिक्त ओ एन जी सी ने इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मचारियों को शामिल किया है तथा हैलीकाप्टरों द्वारा तेल क्षेत्रों/पाइपलाइनों की हवाई निगरानी भी आरंभ की है।

(घ) ओ एन जी सी ने वर्ष 1994-95 से अब तक की अवधि के दौरान तेल चोरियों के कारण हुई लगभग 7.39 लाख रुपए की विशुद्ध हानि का अनुमान लगाया है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की समीक्षा

4246. श्रीमती शीला गौतम :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1994-95 और 1995-96 की वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित धन में शुरू की गई परियोजनाओं/योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या है जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ आबंटित धन का पूरा उपयोग नहीं किया है;

(ग) क्या आवंटित धन का उपयोग राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित विशेष योजनाओं/परियोजनाओं के लिए ही किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए योजना आवंटन में वृद्धि/कमी करने संबंधी मानदंड क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) 1995-96 के वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण स्कीमों/परियोजनाओं के 1994-95 के निष्पादन की एक समग्र मूल्याकंन /पुनरीक्षा की गई। तथापि, 1996-97 के लिए वार्षिक योजना विचार-विमर्श, जिसमें 1995-96 से संबंधित निष्पादन की पुनरीक्षा की जानी थी, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). विभिन्न शीर्षों के अधीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 1994-95 और 1995-96 के अनुमोदित परिव्ययों और संशोधित परिव्ययों के विवरण संलग्न है। उन वर्षों के लिए संगत शीर्षों के अधीन व्यय संबंधी आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (विधान मंडल सहित) को केन्द्रीय ग्राम सहायता के समायोजन के संबंध में पालन किए जाने वाला सामान्य सिद्धान्त यह है कि यदि राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का कुल खर्च अनुमोदित/संशोधित अनुमोदित परिव्ययों से कम बैठता है अथवा यदि निर्धारित क्षेत्रकों/स्कीमों के अधीन खर्च उन क्षेत्रों/स्कीमों के संबंध में अनुमोदित/संशोधित, अनुमोदित परिव्यय से कम बैठता है तो सहायता में आनुपातिक कटौती कर दी जाती है। विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के मामलों में गैर-योजना प्रयोजनों के लिए 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के अन्यत्र खर्च किए जाने की छूट देते हुए उसी सिद्धांत को आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू किया जाता है। जहां तक ऐसे संघ शासित क्षेत्रों (विधान मंडल रहित) का संबंध है, जिनकी योजनाओं का वित्तपोषण पूरी तरह केन्द्रीय सहायता के जरिए किया जाता है, उनके मामले में केन्द्रीय सहायता से संबंधित निर्णय उनकी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लिया जाता है।

विवरण

राज्य योजना प्रभाग

13.07.1994

वार्षिक योजना 1994-95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	आंध्र-प्रदेश	अरुणा-चल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुज-रात	हरि-याणा	हिमाचल प्रदेश	जे.एण्ड के.	कर्ना-टक	केरल	मध्य प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप												
1 01 2401 00	कृषि फसल	1529	1475	5852	5147	272	2920	1515	2409	3240	3865	7850	6860
2402 00	मुद्रा एवं जल संरक्षण	80	570	550	740	60	962	782	484	1127	3087	450	1065
2403 00	पशु पालन	575	406	1185	833	205	610	633	718	1363	2361	1250	1300
2404 00	डेरी विकास	100	164	315	625	17	105	61	184	128	254	375	710
2405 00	मछली पालन	940	150	765	547	202	639	242	170	227	1323	2825	415
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	1600	1200	2584	3264	217	5517	3090	4169	1896	5668	2350	5090
2407 00	पौधा रोपण	0	0	12	0	0	0	0	0	0	139	0	0
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	25	0	55	50	15	55	14	0	0	20	25	0
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	500	23	1200	1111	49	873	614	852	740	2137	900	1050
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	800	0	25	152	1	711	75	20	66	833	350	0
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम												
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	26	105	140	254	6	0	0	659	400	40	1650	15
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	295	200	1250	3079	90	939	480	341	259	3031	1200	2000
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**6470**	**4293**	**13933**	**15802**	**1134**	**13331**	**7514**	**10011**	**9446**	**22758**	**19225**	**18505**
		(3.04)	(12.01)	(13.26)	(6.50)	(6.23)	(5.95)	(7.33)	(15.40)	(9.94)	(6.95)	(15.26)	(6.73)
	II. ग्रामीण विकास												
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम												
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	3905	332	1545	7616	91	1739	795	326	855/[21]	3227	1320	5000
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	1202	0	0	555	0	559	135	0	247	1119	0	470
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	20	63	50	62	25	83	125	130	53	156	0	150
1. 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार												
2505 01	(क) एनआरईपी/जवाहर रोजगार यो.	8184	100	1800	10094	84	2391	575	372	518	5173	2150	12950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0	185/[4A]	360/[4A]	0	0	1714	610	0	0	293/[4A]	0	0
1 02 2506 00	भूमि सुधार	1000	37	310	3449	21/[11]	300	69	986	528	206	100	400
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	1025 /[1]	508	1900	1236	67	1409/[13]	437/[14]	295	223	1707	3740	950
1 02 0000 00	**जोड़-II**	**15336**	**1225**	**5965**	**23013**	**288**	**8195**	**2746**	**2109**	**2424**	**17881**	**7310**	**19920**
		(7.20)	(3.66)	(5.68)	(9.59)	(1.58)	(3.66)	(2.60)	(3.24)	(2.55)	(5.46)	(5.80)	(7.24)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम** (पिछड़े क्षेत्र)	5	0	310 (0.29)	10362 (4.32)	0	0	674 (0.66)	0	3094 (4.10)	11246 (3.43)	140 (0.11)	0
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**												
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	32555	100	2565	31900	2971	48598	12409	274	1071	62892	10400	36260
2702 00	लघु सिंचाई	8299	1420	3000	10127	360	10000	4054	2326	1897	6703	3350	16670
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	1275	42	350	1365	160	925	1265	83	210	3041	1100	1300
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	5515	250	1980	4488	40	160	908	132	1007	1210	1500	100
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**47644**	**1812**	**8695**	**55860**	**3531**	**59683**	**18636**	**2815**	**5085**	**73846**	**16350**	**54330**
		(23.37)	(5.41)	(8.27)	(23.20)	(19.40)	(26.64)	(10.18)	(4.33)	(5.35)	(22.55)	(12.98)	(19.76)
	V. ऊर्जा												
1 05 2801 00	विद्युत	63915	5500	19169	39826	1730	49323	23688	13654	28110	60062	30000	81716
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	40	90	50	439	20	567	40	87	50	1001	700	410
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**63955**	**5590**	**19219**	**40265**	**1750**	**49890**	**23728**	**13741**	**28168**	**61063**	**30700**	**82126**
		(30.03)	(16.69)	(18.29)	(16.78)	(9.62)	(22.27)	(23.15)	(21.14)	(29.65)	(18.65)	(24.37)	(29.66)
	VI. उद्योग एवं खनिज												
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	3196	430	2900	2135	480	8578	2160	992	2411	16276	5550	4945
2852 00	उद्योग (वी एंड आई के अलावा)	1893	158	3650	4375	200	3820	912	698	2741	7655	10700	3230
2853 02	खनन	25	34	300	621	0	200	12	50	298	71	300	410
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**5114**	**622**	**6850**	**7131**	**688**	**12598**	**3084**	**1740**	**5450**	**24002**	**16550**	**8505**
		(2.40)	(1.86)	(6.52)	(2.97)	(3.78)	(5.62)	(3.01)	(2.60)	(5.74)	(7.33)	(13.13)	(3.12)
	VII. परिवहन												
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	3539	0	0	0	19	800	0	0	0	1157	500	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	474	0	23	0	0	17	120	0	0	0	115
3054 00	सड़क और पुल	8546	8254	6200	24481	1500	8417	2258	6485	6518	15050	7000	7300
3055 00	सड़क परिवहन	12070	417	750	926	238	1000	3738	262	770	721	785	1500
3056 00	अन्तर्देशी जल परिहवन	45	0	1000	25	200	0	0	3	537	17	350	9
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	750 /2	35/5	50	0	0	0	0	35	94	51/22	0	0
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**24950**	**9100**	**8000**	**25455**	**1948**	**10217**	**6013**	**6905**	**7910**	**16996**	**8635**	**8915**
		(13.71)	(27.40)	(7.61)	(10.61)	(10.70)	(4.56)	(5.87)	(10.82)	(8.34)	(5.19)	(6.85)	(3.24)
1 08 0000 00	**VIII. संचार**	0	0	0	0	0	165	0	95	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	(0.07)	-	(0.15)	-	-	-	-
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण												
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	15	14	145	139	60	40	93	40	37	252	770	270
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	45	7	80	119	20	65	110	41	210	307	180	700
	जोड़ - IX	**60**	**21**	**225**	**258**	**80**	**105**	**203**	**81**	**247**	**559**	**950**	**970**
		(0.03)	(0.06)	(0.21)	(0.11)	(0.44)	(0.05)	(0.20)	(0.12)	(0.26)	(0.17)	(0.75)	(0.35)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं												
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	325	45	284	90	8	17	8	126	736	106	359	6760
3452 00	पर्यटन	120	150	500	486	270	200	320	775	2161	587	700	410
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	50	75	100	92	16	70	7	28	191	101	231	70
3456 00	नागरिक आपत्ति	0	77	80	324	5	45	0	645	141	0	10	310
3475 00	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**												
	(i) जिला आयोजन/जिला परिषद्	0	300	1505	6829	0	4000	1439	3676	0	298	0	9484
	(ii) माप एवं तोल	9	20	25	21	5	34	10	10	18	14	10	20
	(iii) अन्य	0	5/6	140/9	0	0	0	0	58/16	0	0	0	0
1. 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**504**	**672**	**2634**	**7042**	**304**	**4366**	**1784**	**5318**	**3247**	**1106**	**1310**	**17054**
		(0.24)	(2.01)	(2.51)	(3.27)	(1.67)	(1.95)	(1.74)	(8.18)	(3.42)	(0.34)	(1.04)	(6.20)
	XI. सामाजिक सेवाएं												
	शिक्षा												
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	4645	4287	20171	11899	1374	3435	7440	6747	7649	24759	2575	19363
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1180	0	1281	3287	820	2400	3897	1137	491	1894	2500	4990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	517	106	500	93	180	198	282	203	310	980	285	410
2205 00	कला एवं संस्कृति	163	247	818	97	231	172	79	115	142	1115	320	430
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	6505	4640	22770	15376	2605	6205	11698	8202	8592	28748	5600	25193
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3259	773	4520	12016	1253	4841	2547	2875	3876	10771	3100	8450
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	11072	1964	4900	10997	2200	19556	3853	7468	6454	16813	7600	8600
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	8899	1375	915	2735	582	5026	4873	600	880	14535	2600	3300
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	5846	58/7	1250	1505	252	5057	899	460	6253	5097	1125	4683
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	150	78	200	97	42	630	146	142	51	325	200	260
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहि	9167	0	829	4052	65	8566	992	489/[17]	356	10143	1500	8412
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**												
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1009	111	1986	431	242	2701	21	93	1266	688	485	967
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	508	58	160	428	160	363	11201	657/[18]	241	3411	210	1300
2 27 2236 00	पोषाहार	1600	120	770	3028	56	10780	637	400	341	3411	210	1300
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	0	52
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	48015	9178	38310	50663	7457	65382	36867	21266	28316	93930	22900	64257
		(22.54)	(27.40)	(36.45)	(21.11)	(40.97)	(29.19)	(35.97)	(32.72)	(29.81)	(28.68)	(18.17)	(23.37)
	XII. सामान्य सेवाएं												
3 42 2056 00	जेलें	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	20
42058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	5	62	35	0	15	0	29	94	64	181	60	90
2059 00	सार्वजनिक कार्य	724/[3]	609	685	2430	850	0	601	625	689	3161	1870	220
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**												
	(i) प्रशिक्षण	118	16	200	0	0	68	521/[15]	50/[10]	51	20	0	0
	(ii) अन्य	100/4	220/8	39/[10]	870	155/[12]	0	100	150/[20]	0	751/[23]	0	0
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	947	907	959	3339	1020	68	1251	919	604	4113	1930	338
		(0.44)	(2.71)	(0.91)	(1.39)	(5.60)	(0.03)	(1.22)	(1.41)	(0.05)	(1.26)	(1.53)	(0.12)
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	213000	33500	105100	240000	18200	224000	102500	65000	95000	327500	126000	275000
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

वार्षिक योजना 1994-95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

राज्य योजना प्रभाग

13.07.1994

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	महा-राष्ट्र	मणि-पुर	मेघा-लय	मिजो-रम	नागा-लैंड	उड़ी-सा	पंजाब	राज-स्थान	सिक्किम	तमिल-नाडु	त्रि-पुरा	उत्तर-प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप														
1 01 2401 00	कृषि फसल	5811	582	1087	640	552	3930	2536	11807	405	12257	1228	17410	1733	102912
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	8607	250	702	370	335	1500	951	1570	180	1603	258	4315	221	30819
2403 00	पशु पालन	1000	300	450	300	416	775	1448	1486	212	2106	340	1667	622	22641
2404 00	डेरी विकास	361	45	50	52	52	400	246	525	27	37	100	2005	187	7125
2405 00	मछली पालन	833	180	114	55	156	1395	271	148	27	939	300	658	1300	14821
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	11110	490	1100	675	471	4801	733	5900	315	4587	360	4085	3547	74819
2407 00	पौधा रोपण	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	440	791
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	100	25	25	0	6	10	0	25	22	0	55	170	93	790
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	711	70	30	15	36	496	1200	750	27	2198	18	1325	440	17367
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	650	345	1	0	0	10	812	421	0	230	2	900	66	6470
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम														
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	0	4	390	125	13	45	0	3	14	76	57	2342	210	6574
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
2425 00	सहकारिता	8024	110	250	170	71	1650	758	1920	63	327	358	1891	741	29505
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**37287**	**2451**	**4199**	**2402**	**2110**	**15012**	**8955**	**24555**	**1292**	**24360**	**3226**	**36768**	**9600**	**314639**
		(8.47)	(10.21)	(14.94)	(11.57)	(9.59)	(7.69)	(6.18)	(10:02)	(9.57)	(8.86)	(10.41)	(8.06)	(5.63)	(8.09)
	II. ग्रामीण विकास														
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम														
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	4600	120	210	253	280	4430	480	3411	27	4213	284	9800	4300	59159
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	1203	0	0	0	15	357	0	501	0	498	0	1351	301	8513
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	110	25	100	10	40	50	60	145	20	49	19	370	30	1946
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार														
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	8000	145	79	200	175	6050	400	5100	60	4125	230	11992	7200	88147

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	23215	0	0	0	0	0	0	2500	20/[4A]	1582	617/[43]	10108/[46]	0	41204
0 01 2506 00	भूमि सुधार	44	35	100	59	146	2087	0	466	5	12	213	4513	668	15754
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	787/[24]	130	606/[30]	3059/[34]	1943	490	3436	2627/[39]	104	1773	245	2450	596	37745
1 02 0000 00	**जोड़-II**	**37959**	**455**	**1095**	**3581**	**2599**	**13464**	**4378**	**14750**	**236**	**12252**	**1608**	**40584**	**13095**	**252468**
		(8.63)	(1.90)	(3.90)	(17.24)	(11.01)	(6.90)	(3.02)	(6.02)	(1.75)	(4.46)	(5.19)	(8.90)	(7.60)	(6.49)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम** (पिछड़े क्षेत्र)	4603	0	265	0	178	0	1350	3186	0	0	1980	6600	1751	46554
		(1.05)		(0.94)		(0.81)		(0.93)	(1.30)			(6.39)	(1.45)	(1.03)	(1.20)
1 04 0000 00	IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण														
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	61809	3222	270	5	80	29999	5644	27184	0	6541	357	38076	10160	426142
2702 00	लघु सिंचाई	22644	530	663	278	245	8085	2899	4600	199	5914	441	3959	6425	133994
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	8798	133	50	5	20	521	3432	8149	5	1000	2	1750	75	33864
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	53	361	100	0	25	700	1565	699	12	127	200	800	3600	25512
1 04 0000 00	**जोड़ – IV**	**93304**	**4246**	**1083**	**288**	**370**	**39305**	**13540**	**49638**	**216**	**13591**	**1000**	**44585**	**20260**	**620712**
		(21.21)	(17.69)	(3.85)	(1.39)	(1.68)	(20.15)	(9.34)	(16.59)	(1.60)	(4.94)	(3.23)	(9.77)	(11.88)	(15.95)
	V. ऊर्जा														
1 05 2801 00	विद्युत	103391	4342/[27]	4450	3909	2341	35902	56000	66500	2250	62500	3550	157162	34000	952998
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत –	237	36	85	40	24	150	670	325	25	450	62	412	71	6081
1 95 0000 00	**जोड़ – V** –	**103628**	**4378**	**4535**	**3949**	**2365**	**36052**	**56670**	**66825**	**2275**	**62950**	**3612**	**157574**	**34071**	**959879**
		(23.55)	(18.24)	(16.14)	(19.02)	(10.75)	(18.48)	(39.08)	(27.28)	(16.85)	(22.89)	(11.65)	(34.54)	(19.97)	(24.65)
	VI. उद्योग एवं खनिज														
1 06 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	8288	681	280	835	339	2135	2199	4926	100	7085	1344	3809	2069	85003
2852 00	उद्योग (वी एंड आई के अलावा)	19596	1317	1460	970	907	2615	4280	5175	250	26929	558	6500	7790	107398
2853 00	खनन	60	27	263	50	158	17210	0	1150	20	43	1	156	280	21747
1 96 9000 00	**जोड़-VI**	**19596**	**1317**	**1460**	**970**	**907**	**21960**	**6479**	**11251**	**430**	**34057**	**1963**	**10465**	**10939**	**214140**
		(4.45)	(5.49)	(5.20)	(4.67)	(4.12)	(11.26)	(4.47)	(4.59)	(3.19)	(12.38)	(6.14)	(2.29)	(6.41)	(5.50)
	VII. परिवहन														
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	229	0	0	0	0	700	0	0	0	146	0	0	0	7081
3052 00	जहाजरानी	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3053 00	नागर विमानन	150	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	1397
3054 00	सड़क और पुल	22795	2712	5300	2175	2410	18945	2683	13700	1446	12327	2034	39900	5926	234358
3055 00	सड़क परिवहन	16266	141	250	195	295	787	1295	1531	100	16604	307	7955	2999	71982
3056 00	अन्तर्देशी जल परिहवन	51	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	299	2587
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0	843/[28]	118	12	44/[35]	0	0	0	0	0	9/[44]	5	0	2046
1 07 0000 00	**जोड़ –VII**	**39491**	**3696**	**5668**	**2392**	**2749**	**20557**	**4035**	**15231**	**1620**	**29477**	**2350**	**48123**	**9239**	**319361**
		(8.98)	(15.40)	(20.17)	(11.52)	(12.50)	(10.54)	(2.78)	(6.22)	(12.00)	(10.57)	(7.53)	(10.55)	(5.42)	(8.21)
1 08 0000 00	**VIII. संचार**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	280
												(0.06)			(0.01)
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण														
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ.-सहित	90	82	110	38	27	364	52	150	34	234	48	580	154	3838
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	45	22	50	5	5	324	28	397	34	220	21	165	61	3241
	जोड़ – IX	**135**	**104**	**160**	**43**	**32**	**688**	**80**	**547**	**68**	**454**	**69**	**745**	**195**	**7079**
		(0.03)	(0.43)	(0.57)	(0.21)	(0.15)	(0.35)	(0.06)	(0.22)	(0.50)	(0.17)	(0.22)	(0.16)	(0.11)	(0.18)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं														
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	125	66	85	30	73	17	251	191	30	68	5514	770	27	16119
3452 00	पर्यटन	517	60	350	50	132	450	82	900	99	184	44	1275	119	10941
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	50	40	24	17	56	41	208	127	21	49	30	203	2	1899
3456 00	नागरिक आपूर्ति	0	34	31	42	79	50	4	243	45	157	10	10	13	2355
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं														
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	11530	175	250	995	3000	13673	3019	2175	0	4000	4	0	803	67155
	(ii) माप एवं तोल	0	4	14	10	20	2	0	63	0	24	7	6	30	376
	(iii) अन्य	67/[25]	246/[29]	50/[31]	18/[31]	28/[36]	0	0	2500/[16]	0	0	4/[36]	17044/[47]	26735	46899
1 10 0000 00	**जोड़–(X)**	**12289**	**625**	**804**	**1162**	**3388**	**14233**	**3568**	**6199**	**195**	**4482**	**5613**	**19316**	**27729**	**145744**
		(2.79)	(2.60)	(2.86)	(5.60)	(15.40)	(7.30)	(2.46)	(2.53)	(1.44)	(1.63)	(18.11)	(4.23)	(16.25)	(3.75)
	XI. सामाजिक सेवाएं														
	शिक्षा														
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	12975	1357	2575	981	893	9797	5428	21194	1025	8160	2750	25527	7894	214900
2203 00	तकनीकी शिक्षा	6100	89	56	75	110	2845	4190	2881	25	1503	15	6241	2170	50177
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	966	370	325	110	373	700	1339	250	30	244	106	1515	616	11008

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2205 00	कला एवं संस्कृति	411	130	150	65	88	298	383	371	63	308	15	300	535	7046
2 21 0000 00	उप-जोड़ (शिक्षा)	20452	1946	3106	1231	1464	13640	11340	24696	1143	10215	2886	33583	11215	283131
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	10140	485	1079	720	1053	3940	4302	7191	1330	8210	900	11095	3164	111896
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	31849	1590	1811	1270	1143	5745	10389	20744	596	11715	1005	16130	3500	237595
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	3545	380	400	540	1453	1750	6712	2198	94	2721	800	6060	2542	76611
2 23 2217	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	11672	249	877	1474	442	657	1618	1681	92	11572	1482	8201	16892	89685
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	75	40	75	75	114	320	203	80	45	33	127	275	242	4105
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	5075	183	7	0	0	3100	3735	1212	54	7052	1020	4353	2310	72652
2 26 2239 00	श्रम एवं रोजगार														
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	3244	71	118	30	111	360	935	800	5	585	78	1201	1375	18921
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	104	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	221
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	501	67	85	80	63	587	2816/[37]	250	22	2764	185/[45]	7092	380	33509
2 27 2236 00	पोषाहार	1000	165	238	115	154	2783	200	800	170	10043	730	2650	744	42249
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	800/[29]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1704
2 00 0000 00	जोड़ -(XI)	87553	6000	7816	5535	6074	32896	42441	59652	3555	91910	9133	90648	42379	972199
		(19.90)	(25.33)	(27.81)	(26.65)	(27.61)	(16.86)	(29.27)	(24.35)	(26.33)	(33.42)	(29.46)	(19.87)	(24.84)	(24.99)
	XII. सामान्य सेवाएं														
3 42 2056 00	जेलें	/[26]	0	0	0	0	0	546	90	/[26]	0	0	0	357	1052
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0	24	60/[32]	30	49	50	646	56	33	13	15	100	30	1741
2059 00	सार्वजनिक कार्य	4155	610	750	390	1124	889	2266	1982	279	1655	469	700	887	28622
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं														
	(i) प्रशिक्षण	0	14	55	24	55	0	0	15	0	0	0	0	0	1207
	(ii) अन्य	0	0	150/[33]	0	0	0	52/[38]	23/[41]	3301/[41]	200/[42]	2	0	68/[48]	6181
3 00 0000 00	जोड़ - (XII)	4155	648	1015	444	1228	939	3504	2166	3613	1868	486	800	1342	38003
		(0.94)	(2.70)	(3.61)	(2.14)	(5.58)	(0.48)	(2.42)	(0.88)	(26.76)	(0.68)	(1.57)	(0.18)	(0.79)	(1.00)
9 99 9999 99	कुल जोड़	440000	24000	28100	20766	22000	195100	145000	245000	13500	275000	31000	456290	170600	3891066
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

राज्य योजना प्रभाग

वार्षिक योजना 1994-95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

13.07.1995

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख लघु शीर्ष	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	चंडी-गढ़	दादर व नगर हवेली	दमन और दीव	दिल्ली	लक्ष-द्वीप	पांडि-चेरी	कुल संघ क्षेत्र	कुल जोड़ राज्य/संघ क्षेत्र	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप										
1 01 2401 00	कृषि फसल	104.59	2.90	114.50	30.00	188.57	148.00	385.00	973.56	103885.56	2.54
2402 00	मुद्रा एवं जल संरक्षण	47.20	2.86	107.30	2.00	2.00	15.00	30.00	206.30	31025.30	0.76
2403 00	पशु पालन	190.00	31.00	29.69	29.00	327.85	110.00	185.00	893.45	23534.45	0.57
2404 00	डेरी विकास	0.00	/51	3.60	0.80	100.00	0.00	21.00	125.40	7250.40	0.18
2405 00	मछली पालन	458.21	4.45	3.00	50.05	19.00	280.00	240.00	1054.71	15075.71	0.39
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	533.20	102.13	250.00	33.00	509.00	17.00	96.00	1549.41	76359.41	1.86
2407 00	पौधा रोपण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.02
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.02
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	368.00	17735.00	0.43
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6470.00	0.16
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	(क) विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	27.00	30.50	6604.50	0.16
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2425 00	सहकारिता	294.00	32.00	50.00	5.15	60.00	75.00	500.00	1016.15	30521.15	0.74
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**1627.20**	**175.28**	**558.00**	**141.00**	**1210.00**	**645.00**	**1852.00**	**6208.48**	**320847.48**	**7.83**
		(7.94)	(1.99)	(22.32)	(7.62)	(0.78)	(20.16)	(13.72)	(3.01)	(7.83)	
	II. ग्रामीण विकास										
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59159.00	1.44
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8513.00	0.21
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	9.00	4.00	2.50	1.00	130.00	9.00	25.00	180.50	2126.50	0.05

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	ग्रामीण रोजगार										
1 00 2505 00	(क) एमआरईपीजवाहर रोजगार यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88147.00	2.15
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41204	1.01
1 02 2506 00	भूमि सुधार	0.00	0.00	10.10	7.00	5.00	7.00	9.00	38.10	15792.10	0.39
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	116.00	174.35	44.72	10.20	5745.00	100.00	258.00	6448.27	44193.27	1.08
102 0000 00	**जोड़-II**	**125.00**	**178.35**	**57.32**	**18.20**	**5880.00**	**116.00**	**292.00**	**6666.87**	**259134.87**	**6.32**
		(0.61)	(2.03)	(2.29)	(0.38)	(3.77)	(3.63)	(2.16)	(3.23)	(6.32)	
1 03 0000 00	III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पिछड़े क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46554.00 (1.14)	1.14
1 04 0000 00	IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण										
1 04 0000 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	0.00	0.00	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	155.00	426297.00	10.40
2702 00	लघु सिंचाई	199.00	25.00	85.00	10.00	250.00	0.00	220.00	789.00	134783.00	3.29
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	35069.00	0.06
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	29.69	0.00	0.00	35.00	1200.00	155.00	275.00	1694.69	27206.69	0.66
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**228.69**	**25.00**	**190.00**	**100.00**	**1450.00**	**155.00**	**495.00**	**2643.69**	**623355.69**	**15.21**
		(1.12)	(0.28)	(7.60)	(5.41)	(0.93)	(4.04)	(3.67)	(1.28)	(15.21)	
	V. ऊर्जा										
1 05 2801 00	विद्युत	1194.00	985.00	380.00	204.00	39885.00	175.00	3370.00	46193.00	999191.00	24.39
2810 00	ऊर्जा-के गैर-पारंपरिक स्रोत	126.00	15.50	3.20	0.00	215.00	210.00	21.00	599.79	6671.70	0.16
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**1320.00**	**1000.50**	**383.20**	**204.00**	**40100.00**	**385.00**	**3391.00**	**46783.70**	**1005862.70**	**24.55**
		(6.44)	(11.37)	(15.33)	(11.03)	(25.71)	(12.03)	(25.12)	(22.67)	(24.55)	
	VI. उद्योग एवं खनिज										
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	300.20	63.10	50.00	117.25	700.00	80.00	918.00	2228.55	87231.55	2.13
2852 00	उद्योग (बी एंड आई के अलावा)	0.00	4.00	15.40	0.00	100.00	0.00	706.00	825.40	108223.40	2.64
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21747.00	0.53
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**300.20**	**67.10**	**65.40**	**117.25**	**800.00**	**80.00**	**1624.00**	**3053.95**	**217201.95**	**5.30**
		(1.46)	(0.76)	(2.62)	(6.34)	(0.51)	(2.50)	(12.03)	(1.48)	(5.30)	

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	VII. परिवहन										
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	416.64	0.00	0.00	35.00	0.00	55.39	270.00	777.03	7858.03	0.19
3052 00	जहाजरानी	8165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	813.33	0.00	8979.23	8979.23	0.22
3053 00	नागर विमानन	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	3307.00	0.08
3054 00	सड़क और पुल	1482.00	45.00	295.00	213.00	13950.00	75.00	650.00	16710.00	251068.00	5.13
3055 00	सड़क परिवहन	120.00	272.00	0.00	1.00	8150.00	6.00	55.00	8684.00	80586.00	1.97
3056 00	अन्तर्देशी जल परिहवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17	0.00	82.17	2669.17	0.07
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	13.00/52	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	2071.00	0.05
1 07 0000 00	**जोड़ –VII**	**12184.54**	**330.00**	**307.00**	**249.00**	**22100.00**	**1031.89**	**975.00**	**37177.43**	**356538.43**	**8.70**
		(59.44)	(3.75)	(12.28)	(13.46)	(14.17)	(32.25)	(7.22)	(18.02)	(8.70)	
1 08 0000 00	VIII. संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	289.50	0.01
							(0.30)			(0.01)	
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण										
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	23.75	10.00	5.50	16.50	7.00	21.86	15.00	99.61	3937.61	0.10
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	5.00	27.20	0.00	0.00	77.00	8.14	15.00	132.34	3373.34	0.08
	जोड़ – IX	**28.75**	**37.20**	**5.50**	**16.50**	**84.00**	**30.00**	**30.00**	**231.95**	**7310.95**	**0.18**
		(0.14)	(0.42)	(0.22)	(0.89)	(0.05)	(0.94)	(0.22)	(0.11)	(0.18)	
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं										
1 10 3451 00	संचिवालय आर्थिक सेवाएं	15.00	20.50	5.00	0.30	80.00	6.00	10.00	136.80	16255.80	0.40
3452 00	पर्यटन	331.52	128.00	60.04	189.00	795.00	54.00	66.80	1623.56	12564.56	0.31
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	4.00	0.50	5.00	10.40	100.00	4.00	-22.00/57	145.90	2044.96	0.05
3456 00	नागरिक आपत्ति	81.77	31.70	10.00	0.60	70.00	0.00	16.00	210.87	2565.07	0.06
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67155.00	1.64
	(ii) माप एवं तोल	0.00	0.00	3.00	0.70	11.00	8.28	3.00	25.98	401.98	0.01
	(iii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46899.00	1.14
1 10 0000 00	**जोड़–(X)**	**432.29**	**180.70**	**83.04**	**201.00**	**1056.00**	**72.28**	**117.00**	**2142.31**	**147886.31**	**3.61**
		(2.11)	(2.05)	(3.32)	(10.86)	(0.68)	(2.26)	(0.87)	(1.04)	(3.61)	

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	XI. सामाजिक सेवाएं										
	शिक्षा										
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	1395.69	987.00	275.30	170.00	12750.00	148.00	1276.00	17001.99	231901.99	5.66
2203 00	तकनीकी शिक्षा	207.00	216.07	85.00	130.00	2900.00	0.00	324.00	3862.07	54039.07	1.32
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	66.20	183.40	5.00	10.00	800.00	25.00	50.00	1139.60	12147.60	0.30
2205 00	कला एवं संस्कृति	17.60	40.00	5.00	10.00	530.00	40.00	67.00	709.60	7755.60	0.19
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	1686.49	1426.47	370.30	320.00	16980.00	213.00	1717.00	22713.26	305844.26	7.46
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	800.00/[49]	1387.50	88.40	79.75	9128.00	100.00	686.00	12252.65	124148.65	3.03
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	491.00	1360.00	87.00	100.00	18000.00	108.11	458.00	20596.11	258191.11	6.30
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	435.00	585.00	104.00	50.00	3700.00	85.00	401.00	5420.00	82051.00	2.00
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	211.00	1907.29	7.00	10.00	24000.00	10.00	335.00	27460.29	117065.29	2.86
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	62.60	8.00	12.00	10.00	60.00	25.00	30.00	207.60	4312.60	0.11
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	17.10	40.60	100.00	29.30	1600.00	0.00	240.00	2027.00	74679.00	1.82
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**										
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	67.65	27.00	13.00	35.00	700.00	15.00	124.00	981.65	19902.65	0.49
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	226.00	
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	30.00	20.01/[53]	5.40	6.00	1250.00	27.00	198.00	1528.41	35037.41	0.86
2 27 2236 00	पोषाहार	34.74	3.00	37.94	25.00	1000.00	15.00	250.00	1365.68	43614.68	1.06
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1704.00	0.04
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**3035.58**	**6764.87**	**830.04**	**656.05**	**77390.00**	**598.11**	**4483.00**	**94557.65**	**1066756.65**	**26.03**
		(18.71)	(76.87)	(33.28)	(35.46)	(49.61)	(18.69)	(33.21)	(45.82)	(26.03)	
	XII. सामान्य सेवाएं										
3 42 2056 00	जेलें	85.00	0.00	0.00	2.00	800.00	4.22	/[26]	891.22	1843.23	0.05
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.00	0.00	5.00	17.00	4.00	40.00	60.00	126.00	1667.00	0.05
2059 00	सार्वजनिक कार्य	250.00	0.00	15.50	120.00	2885.00	0.00	171.00	3541.50	32163.50	0.70
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**										
	(i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	1237.00	0.03

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	(ii) अन्य	82.75/[51]	41.00/[54]	0.00	8.00/[55]	2111.80	53.00/[56]	10.00/[58]	2285.75	8466.75	0.21
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**417.75**	**41.00**	**20.50**	**147.00**	**5930.00**	**77.22**	**241.00**	**5874.47**	**45677.47**	**1.11**
		(2.04)	(0.47)	(0.82)	(7.95)	(3.80)	(2.41)	(1.78)	(3.33)	(1.11)	
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**20500.00**	**8800.00**	**2500.00**	**1550.00**	**156900.00**	**3200.00**	**13500.00**	**206350.00**	**4097416.00**	**100.00**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	

क्षेत्रीय कार्यक्रम	
(i) एन ई सी	27700.00
(ii) टी एस पी	27500.00
(iii) एन ए डी पी	32000.00
(iv) बी ए डी पी	16000.00
जोड़ (क्षेत्रीय कार्यक्रम)	**103200.00**
कुल जोड़ (क्षेत्रीय कार्यक्रम सहित)	**4200616.00**

वार्षिक योजना — 1994-95 — अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघ क्षेत्र

टिप्पणी :— कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परस्पर प्रतिशत दर्शाते हैं.

पाद टिप्पणी

1. कृषि-श्रम के कल्याण के लिए 1000 लाख रुपये तथा चक्रवात शैल्टरों के लिए 21 लाख रुपये शामिल हैं।
2. एलआरटीएस के लिए 700 लाख रुपये तथा अन्य परिवहन सेवाओं के लिए 50 लाख रुपये शामिल हैं।
3. मंडल भवन के लिए 100 लाख रुपये शामिल हैं।
4. पुलिस अकादमी परिसर के लिए

4A. रोजगार बीमा योजना के लिए

5. परिवहन निदेशालय के लिए 30 लाख रुपये तथा सड़क सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।
6. लघु बचतों के लिए
7. नेहरू रोजगार योजना के लिए, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं।
8. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 200 लाख रुपये तथा न्याय प्रशासन के लिए 20 लाख रुपये शामिल हैं।
9. प्रशासन तथा न्याय के लिए 100 लाख रुपये तथा लोक उद्यम के लिए 40 लाख रुपये शामिल हैं।

10. अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के लिए 35 लाख रुपये तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान के लिए 4 लाख रुपये शामिल हैं।

11. स्थल सेना के लिए 1 लाख रुपये शामिल हैं।

12. न्याय प्रशासन के लिए 150 लाख रुपये तथा लेखा के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।

13. सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के इतर कुछ अन्य कार्यक्रमों के लिए 954 लाख रुपये शामिल हैं।

14. अधिशेष घोषित भूमि की देखरेख करने वालों की सहायता के लिए 2 लाख रुपये शामिल हैं।

15. हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के लिए

16. तीस जिला तीस काम के लिए

17. जनजातीय क्षेत्रों के लिए 145 लाख रुपये तथा जनजातीय विकास तंत्र के लिए 11 लाख रुपये शामिल हैं।

18. पूर्व सैनिकों के निगम जिसमें पीईएक्सएसईएम शामिल हैं के लिए 53 लाख रुपये शामिल हैं।

19. हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के लिए।

20. न्यायिक तंत्र की सुविधाओं के लिए अवस्थापनाओं के उन्नयन के लिएं

21. ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए 500 लाख रुपये शामिल हैं।

22. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए ।

23. न्यायिक तंत्र अवस्थापना के लिए 600 लाख रुपये, अग्नि सुरक्षा के लिए 100 लाख रुपये तथा प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 51 लाख रुपये शामिल हैं।

24. महिला तथा बाल कल्याण विकास समिति के लिए 653 लाख रुपये तथा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की शेयर पूंजी के लिए 11 लाख रुपये।

25. बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को पुरस्कार के लिए 41 लाख रुपये तथा विकास प्रशासन की यशवंत राव चौहान अकादमी के लिए 26 लाख रुपये शामिल हैं।

26. सार्वजनिक निर्माणर कार्यों में सम्मिलित।

27. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 500 रुपये तथा लीज वित्त पोषण के लिए 300 लाख रुपये शामिल हैं।

28. लीज वित्त पोषण के लिए 750 लाख रुपये तथा अन्य परिवहन सेवाओं के लिए 93 लाख रुपये शामिल हैं।

29. लीज विथ पोषण के लिए।

30. लीज विथ पोषण के लिए 750 लाख रुपये तथा अन्य परिवहन सेवाओं के लिए 93 लाख रुपये शामिल हैं।

31. न्यायालय भवन निर्माण के लिए।

32. मेघालय राज्य विधानसभा प्रेस के लिए 20 लाख रुपये शामिल हैं।

33. अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण के लिए।

34. नई भूमि उपयोग नीति के लिए 2833 लाख रुपये वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए।

35. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए।

36. मूल्यांकन के लिए।

37. रक्षा सेवा कल्याण के लिए 226 लाख रुपये शामिल हैं।

38. पंजाब राज्य लोक प्रशासन संस्थान के लिए।

39. "अपना गांव अपना काम" के लिए 1500 लाख रुपये शामिल हैं।

40. हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान के लिए।

41. गैर योजनागत लेखा घाटे के लिए 3300 लाख रुपये तथा न्याय प्रशासन के लिए । लाख रुपये शामिल हैं।

42. न्याकि तंत्र के लिए।

43. रोजगार बीमा योजना के लिए 417 लाख रुपये तथा राज्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए 200 लाख रुपये शामिल हैं।

44. सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 5 लाख रुपये तथा योजना तथा विकास प्रकोष्ठ के लिए 4 लाख रुपये शामिल हैं।

45. कानूनी सहायता तथा सलाह के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।

46. विशेष रोजगार योजना तथा रोजगार बीमा योजना के लिए अपबंध शामिल हैं।

47. विदेशी सहायता प्राप्त नई योजनाओं के लिए एकमुश्त उपबंध के लिए 16392 लाख रुपये तथा भूचाल राहत/पुनर्निर्माण के लिए 692 लाख रुपये शामिल हैं।

48. न्याय प्रशासन के लिए।

49. सन् 2000 एडी तक नियोजित परिवारों के संबंध में स्कीम के लिए 135.00 लाख रुपये शामिल हैं।

50. अन्तर-द्वीप संचार के लिए 50 लाख रुपये, पहचान पत्र जारी करने के लिए 25 लाख रुपये और स्थानीय फण्ड आडिट विभाग की स्थापना के लिए 7.75 लाख रुपये शामिल है।

51. पशु पालन के अन्तर्गत सम्मिलित।

52. सड़क सुरक्षा तथा एसटीए के सुदृढ़ीकरण के लिए।

53. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 2.86 लाख रुपये और स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के लिए एक लाख रुपये शामिल हैं।

54. अग्नि सुरक्षा और नियंत्रण तथा लाइसेंस ब्रांच के सुदृढ़ीकरण के लिए 10.00 लाख रुपये शामिल है।

55. पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 7.00 लाख रुपये और लेखा तथा लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए 1.00 लाख रुपये शामिल है।

56. अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण के लिए।

57. कम्प्यूटरीकरण के लिए 20 लाख रुपये शामिल है।

58. अग्नि सेवाओं के लिए।

विवरण

वार्षिक योजना 1994-95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रु. में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	आंध्र-प्रदेश	अरुणा-चल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुज-रात	हरि-याणा	हिमाचल प्रदेश	जे.एण्ड के.	कर्ना-टक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप													
1 01 2401 00	कृषि. फसल	700	1477	4422	1412	279	2920	1657	1750	3373	3716	7850	5464	5774
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	70	559	450	0	55	962	760	468	13 9	1927	450	964	8185
2403 00	पशु पालन	575	514	1065	321	194	610	575	712	1973	2615	1250	1170	929
2404 00	डेरी विकास	0	45	265	2	15	105	50	186	127	254	375	710	310
2405 00	मछली पालन	100	147	665	200	161	638	230	167	229	1279	2225	415	716
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	600	1175	2387	930	214	5517	2758	4039	2087	4369	2360	4572	10566
2407 00	पौधा रोपण	0	0	12	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	0	0	40	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0
2415 00	कृषि अंनुसंधान एवं शिक्षा	500	26	1200	725	25	973	550	852	547	2137	900	1150	611
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	900	0	20	0	0	711	75	20	50	833	350	0	559
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम													
	(क) विपणन एवं गुपवत्तर नियंत्रण	4	61	113	0	6	0	0	273	164	40	1650	15	0
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	100	196	1244	1050	86	939	433	338	523	2131	1200	2000	6901
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**3449**	**4207**	**11823**	**4646**	**1043**	**13330**	**7102**	**8810**	**9847**	**19850**	**19225**	**16460**	**34637**
		(1.59)	(12.63)	(11.86)	(5.16)	(6.38)	(5.95)	(6.97)	(13.22)	(11.34)	(7.09)	(15.25)	(7.30)	(7.22)
	II. ग्रामीण विकास													
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	3905	400	2481	6225	91	1739	918	337	420	2550	1320	5000	4600
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	1201	0	0	393	0	560	135	0	285	840	0	470	1034
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	20	62	50	0	25	83	85	130	48	116	0	150	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार													
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	8184	100	324	17370	84	2391	575	290	1118	4500	2150	12959	8800
2505 00	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0	185	146	0	0	1714	610	0	0	2864	0	0	23215
1 02 2506 00	भूमि सुधार	1000	38	310	2450	20	300	65	988	421	71	100	300	38
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	525/[1]	465	2128	1192	58	1409	480	335	287	6949	3749	950	707/[22]
1 02 0000 00	**जोड़-II**	**14835**	**1250**	**8955**	**27630**	**278**	**8196**	**2868**	**2020**	**2579**	**17801**	**7310**	**19820**	**37688**
		(6.84)	(3.75)	(8.98)	(30.70)	(1.70)	(3.66)	(2.81)	(3.12)	(3.97)	(6.39)	(5.80)	(8.80)	(7.92)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	**0**	**310**	**3000**	**0**	**0**	**1225**	**0**	**4015**	**10100**	**140**	**0**	**4490**	
	(पिछड़े क्षेत्र)		(0.31)	(3.33)			(1.20)		(4.63)	(3.61)	(0.11)		(9.54)	
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**													
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	42119	50	2565	14941	2771	48598	10609	259	1810	42892	10400	24210	27482
2703 00	लघु सिंचाई	5959	1439	3667	3594	360	10000	3107	1256	8018	4032	3910	10393	21959
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	1400	41	350	1091	160	1000	1086	62	234	1402	1100	1300	8182
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	4915	250	2950	3857	40	160	200	154	1139	1410	1500	100	45
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**53534**	**1780**	**8842**	**22413**	**3331**	**59766**	**15689**	**2841**	**5210**	**51426**	**16350**	**35922**	**86769**
		(24.67)	(5.35)	(0.07)	(24.90)	(20.39)	(26.67)	(15.40)	(4.29)	(6.00)	(10.37)	(12.97)	(15.95)	
	V. ऊर्जा													
1 05 2801 00	विद्युत	60241	5000	12137	6937	1379	47673	27268	11582	23719	61161	30000	67784	99124
2810 00	ऊर्जा-के गैर-पारंपरिक स्रोत	48	98	58	48	29	567	45	87	97	861	796	410	204
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**60201**	**6088**	**12187**	**5987**	**1399**	**40240**	**29313**	**11069**	**23016**	**62022**	**30700**	**68194**	**99328**
		(27.78)	(18.22)	(11.21)	(7.76)	(8.56)	(21.53)	(26.82)	(17.51)	(27.44)	(22.16)	(34.35)	(30.38)	(20.88)
	VI. उद्योग एवं खनिज													
1 05 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	3196	479	2602	567	469	0087	1695	1066	2066	10771	5550	2275	7009
2852 01	उद्योग-(बी एंड आई के अलावा)	1893	165	2850	162	15	3510	572	712	1015	4998	10700	4796	9774
2853 02	खनन	25	30	258	112	0	200	12	47	288	41	300	410	50
1 06 0000 00	**जोड़ VI**	**5114**	**605**	**5510**	**941**	**483**	**12697**	**2489**	**1026**	**3369**	**16011**	**16550**	**7481**	**17433**
		(2.36)	(1.02)	(5.53)	(1.05)	(2.96)	(5.63)	(2.44)	(2.74)	(3.68)	(5.66)	(12.12)	(9.92)	(3.65)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	VII. परिवहन													
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	3539	0	0	0	0	800	0	162	0	926	500	0	196
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	415	0	16	0	0	17	0	0	0	0	115	129
3054 00	सड़क और पुल	8966	8998	6496	4825	1500	8417	2080	1350	7115	11382	7008	5705	42725
3055 00	सड़क परिवहन	12076	413	750	0	212	1000	3443	969	631	721	785	1500	15874
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	45	0	900	10	160	0	0	0	261	17	250	0	44
3076 00	अन्य परिवहन सेवाएं	750/2	29/4	62	0	0	0	0	23	0	51/16	0	0	0
1 07 0000 00	**जोड़ –VII**	**25370**	**8946**	**8216**	**4851**	**1883**	**10217**	**5480**	**9044**	**7997**	**13091**	**8635**	**7320**	**59039**
		(11.69)	(26.27)	(8.23)	(5.39)	(11.39)	(4.56)	(5.36)	(13.57)	(9.21)	(4.00)	(6.35)	(3.25)	(12.41)
1 00 0000 00	**VIII. संचार**	0	0	0	0	0	185	0	97	0	0	0	0	0
							(0.97)		(0.15)					
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण													
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	15	14	155	37	43	40	83	46	36	252	770	270	77
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	95	7	60	11	20	65	70	41	174	307	180	497	39
	जोड़ – IX	**110**	**21**	**215**	**48**	**63**	**105**	**153**	**87**	**210**	**559**	**950**	**767**	**116**
		(0.05)	(0.06)	(0.22)	(0.05)	(0.39)	(0.05)	(0.15)	(0.13)	(0.24)	(0.20)	(0.75)	(0.34)	(0.02)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं													
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	185	39	272	83	9	18	7	141	646	108	359	260	315/23
3452 00	पर्यटन	20	114	348	31	561	200	240	602	1671	587	760	410	445
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	35	74	107	42	12	70	6	127	138	101	231	70	43
3456 00	नागरिक आपत्ति	0	75	80	10	5	45	0	657	124	0	10	310	0
3475 00	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**													
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	0	294	1505	0	0	6000	730	3224	0	292	0	5200	0
	(ii) माप एवं तोल	9	20	32	3	4	34	10	10	20	14	10	20	0
	(iii) अन्य	0	4/5	195/9	0	0	0	0	92/15	0	51/19	0	7018/21	11565/24
1 10 0000 00	**जोड़–(X)**	**249**	**620**	**2639**	**169**	**591**	**6367**	**993**	**4753**	**2599**	**1157**	**1310**	**13288**	**12368**
		(0.11)	(1.86)	(2.55)	(0.19)	(3.62)	(2.84)	(0.97)	(7.13)	(2.99)	(0.41)	(1.04)	(5.90)	(2.50)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	XI. सामाजिक सेवाएं													
	शिक्षा													
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	3496	4201	21271	6300	1274	3436	7328	7216	7680	20507	2575	15944	11929
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1180	0	1281	950	812	2400	2692	1196	325	1894	2500	4473	7970
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	517	104	500	0	165	192	282	252	200	980	205	410	831
2206 00	कला एवं संस्कृति	163	241	916	8	180	172	61	121	104	1183	320	430	353
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	5366	4546	23968	7253	2431	6205	10363	8787	8397	24564	5520	21257	21083
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3259	774	4938	3900	1152	4841	2447	3473	4257	2776	3160	7000	10140
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	18191	1932	4930	3189	2177	19556	3603	2036	7556	15536	7600	8600	29859
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	8473	1418	915	0	489	5576	3952	1140	330	11180	2600	3000	3356
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	5207	34	1440	530	250	5057	890	594	4113	3420	1125	4252	10242
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	75	73	200	5	42	630	146	149	66	325	200	250	64
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	9167	0	879	2600	64	8566	850	348	282	14463	1500	5804	4365
2 25 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**													
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1009	108	2020/[11]	62	195	2701	16	101	366	688	485	1007	2790
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	869	61	205	64	160	363	14411	662	336	3363	210	1300	431
2 27 2236 00	पोषाहार	1500	118	770	1380	56	10700	762	390	500	1382	400	2190	1000
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	25/[6]	0	0	0	837	0	0	0	0	0	52	0
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**53106**	**9089**	**40265**	**18914**	**7015**	**65032**	**37455**	**23740**	**26213**	**83700**	**22950**	**55728**	**83336**
		(24.47)	(27.30)	(40.38)	(21.02)	(42.94)	(29.02)	(36.75)	(36.63)	(30.20)	(29.89)	(18.21)	(24.73)	(17.51)
	XII. सामान्य सेवाएं													
3 42 2056 00	जेलें	0	0/[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	/7
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	5	66	35	0	10	0	27	94	63	31	50	90	0
2059 00	सार्वजनिक कार्य	574	681	590	320	194/[12]	0	581	1192	872	3669	1870	228	4792
2070 00.	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**													
	(i) प्रशिक्षण	0	14	200	0	0	68	450/[14]	50/[16]	10	20	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(ii) अन्य	368/[3]	10/[8]	39/[11]	81	47/[13]	0	80	330/[17]	0	675/[20]	0	0	35000/[24]
3 00 0000 00	**जोड़ – (XII)**	**947**	**691**	**864**	**401**	**251**	**68**	**1138**	**1666**	**945**	**4395**	**1930**	**338**	**40592**
		(0.44)	(2.08)	(0.87)	(0.45)	(1.54)	(0.03)	(1.12)	(2.50)	(1.09)	(1.57)	(1.53)	(0.15)	(8.53)
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**217000**	**33297**	**99720**	**90000**	**16338**	**224083**	**101905**	**56632**	**86800**	**280000**	**126060**	**225520**	**475800**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

वार्षिक योजना 1994–95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

राज्य योजना प्रभाग

21.06.1995

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	मणि-पुर	मेघा-लय	मिजो-रम	नागा-लैंड	उड़ी-सा	पंजाब	राज-स्थान	सिक्किम	तमिल-नाडु	त्रि-पुरा	उत्तर-प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	1. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप													
1 01 2401 00	कृषि फसल	593	800	544	187	2085	2030	10057	563	12257	1268	17277	1632	90087
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	250	500	346	46	1100	919	1396	180	1603	266	3436	221	26474
2403 00	पशु पालन	300	325	255	172	675	1448	1381	242	1842	346	1558	622	21024
2404 00	डेरी विकास	45	39	44	15	330	221	525	27	37	94	1230	187	5244
2405 00	मछली पालन	180	85	55	65	795	226	115	27	939	375	510	1300	12444
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	490	500	574	110	3088	733	7372	315	3908	360	4364	3147	66925
2407 00	पौधा रोपण	50	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	440	790
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	22	25	0	2	10	0	25	23	0	15	11	93	474
2415 00	कृषि अंनुसंधान एवं शिक्षा	62	30	13	4	496	1193	753	27	2198	35	1318	440	16665
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	0	1	0	0	10	812	734	0	230	2	1228	66	6501
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम													
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	4	115	106	2	35	6	2	13	76	40	2312	210	5254
	(ख) अन्य	0	0	0	7/[31]	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2425 00	सहेकारिता	110	204/[25]	145	8	865	744	2220	63	327	258	1605	641	24331
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**2106**	**2624**	**2082**	**618**	**9489**	**8332**	**24580**	**1480**	**23417**	**3201**	**34859**	**9000**	**276225**
		(9.82)	(11.30)	(10.28)	(7.32)	(6.48)	(6.06)	(10.83)	(10.96)	(8.51)	(13.09)	(9.58)	(6.07)	(7.95)

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	II. ग्रामीण विकास													
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	120	210	253	0	4609	489	3411	35	4213	307	8978	3800	56411
2501 00	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	0	789	0	501	0	498	0	1119	301	8126
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	25	50	10	0	30	40	150	20	30	19	248	20	1483
1 02 2505 00	**ग्रामीण रोजगार**													
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	145	79	400	0	10606	400	4375	60	4125	230	13642	7200	101494
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार.गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0	0	0	0	0	0	3365	20	1582	805/[11]	1500	0	37316
1 92 2506 00	भूमि सुधार	35	86	2547/[29]	39	2398	0	389	5	12	245	5920	668	18445
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	130	601/[26]	218	102	1137	3398	2955/[35]	104	1750	377	3017	400	33405
1 92 0000 00	**जोड़-II**	**455**	**1026**	**3428**	**141**	**19569**	**4327**	**15116**	**244**	**12210**	**1983**	**34422**	**12389**	**256680**
		(2.12)	(4.42)	(16.93)	(1.67)	(13.37)	(3.15)	(6.17)	(1.81)	(4.44)	(8.11)	(9.46)	(8.36)	(7.40)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	0	228	0	22	0	1350	361	0	0	1996	5600	1764	34594
	(पिछड़े क्षेत्र)		(0.98)		(0.26)		(0.98)	(0.15)			(0.10)	(1.54)	(1.19)	(1.00)
1 04 0300 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**													
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	2971	58	4	0	17242	5711	27247	0	6281	357	30001	8260	356868
2702 00	लघु सिंचाई	530	409	237	225	7202	2984	3990	199	5914	466	4866	2800	103247
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	133	10	4	0	421	3432	6849	5	1003	2	1759	75	31195
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	529	1100	0	0	700	1353	702	12	127	200	1199	3600	23756
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**4163**	**1568**	**245**	**225**	**25565**	**13480**	**38794**	**216**	**13330**	**1025**	**37816**	**14735**	**515055**
		(19.41)	(6.76)	(1.21)	(2.67)	(17.46)	(9.81)	(15.83)	(1.60)	(4.85)	(4.19)	(10.35)	(9.93)	(14.84)
	V. ऊर्जा													
1 05 2801 00	विद्युत	3542	650	2702	1016	22035	55216	64575	2316	64664	2608	97817	43100	815268
2010 00	ऊर्जा-के गैर-पारंपरिक स्रोत	36	35	40	0	105	487	231	25	450	62	490	71	5249
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**3578**	**685**	**2742**	**1016**	**22140**	**55703**	**64806**	**2341**	**65114**	**2670**	**98307**	**43171**	**820517**
		(16.68)	(2.95)	(13.54)	(12.04)	(15.12)	(40.53)	(26.45)	(17.34)	(23.67)	(10.92)	(27.01)	(29.10)	(23.64)

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	VI. उद्योग एवं खनिज													
105 2851 00	ग्राम एवं लघु-उद्योग	681	250	758	194	2658	1811	5983	160	6884	557	3724	2869	73753
2052 00	उद्योग (श्री एंड आई के अलावा)	250	400	72	157	1269	3351	4562	298	26929	457	5950	12590	97593
2853 02	खनन	27	97	64	123	13525	0	1284	20	43	3	124	280	17372
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**958**	**747**	**894**	**474**	**17452**	**5162**	**11936**	**478**	**33856**	**1017**	**9798**	**15739**	**188718**
		(4.47)	(3.22)	(4.41)	(5.52)	(11.92)	(3.76)	(4.87)	(3.64)	(12.31)	(4.16)	(2.69)	(10.61)	(5.44)
	VII. परिवहन													
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	0	0	0	0	756	0	0	0	346	0	0	0	7024
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	700	1000	0	79	42	0	0	0	0	177	13	2703
3054 00	सड़क और पुल	3135	5435	2319	418	14168	4133	14438	1440	12327	2034	44178	7928	234169
3055 00	सड़क परिवहन	141	250	150	32	1231	1144	3759	180	16604	292	5501	2999	70594
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	299	2140
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	93	75	12	0	0	0	0	0	0	9/42	3	0	1165
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**3369**	**6450**	**3490**	**450**	**16276**	**5315**	**18139**	**1620**	**29077**	**2335**	**49859**	**11239**	**317736**
		(15.71)	(27.79)	(17.23)	(5.33)	(11.12)	(3.37)	(7.42)	(12.00)	(10.57)	(9.55)	(13.70)	(8.50)	(9.16)
1 00 0000 00	**VIII. संचार**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	282
											(0.08)			(0.01)
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण													
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	82	80	35	10	530	52	125	48	234	48	300	154	3537
3436 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	22	50	2	0	320	10	311	34	220	21	223	41	2820
	जोड़ - IX	**104**	**130**	**37**	**10**	**850**	**92**	**437**	**82**	**454**	**69**	**523**	**195**	**6357**
		(0.48)	(0.56)	(0.18)	(0.12)	(0.52)	(0.05)	(0.18)	(0.61)	(0.17)	(0.82)	(0.14)	(0.13)	(0.12)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं													
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	66	70	35	66	18	135	526	30	68	67	703	27	4251
3452 00	पर्यटन	60	300	52	29	450	82	1190	99	184	44	1221	119	9759
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	40	24	17	13	38	171	128	21	19	30	213	1	1699
3456 00	नागरिक आपूर्ति	34	31	42	24	77	4	184	45	147	10	9	13	1936
25 00	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**													
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	175	250	1126	2943	1721	2549	2000	0	4000	4	0	6400	38439

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	(ii) माप एवं तोल	4	14	12	9	3	0	8	0	24	7	6	30	303
	(iii) अन्य	0	5/[27]	18/[30]	31/[32]	0	0	2400/[36]	0	0	4/[43]	692/[45]	0	22075
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**375**	**694**	**1302**	**3135**	**2307**	**2941**	**6434**	**195**	**4472**	**166**	**2844**	**6596**	**78462**
		(1.77)	(2.99)	(6.43)	(37.15)	(1.58)	(2.14)	(2.63)	(1.44)	(1.63)	(0.68)	(0.78)	(4.44)	(2.26)
	XI. सामाजिक सेवाएं													
	शिक्षा													
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	1357	2425	936	849	10511	5313	22051	1471	8166	3269	30357	4520	206401
2203 00	तकनीकी शिक्षा	84	51	75	45	1683	3873	1601	25	1203	17	4630	3213	44130
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	670	300	172	28	599	1155	274	34	244	106	1662	616	10678
2205 00	कला एवं संस्कृति	135	85	60	26	341	330	352	63	308	153	372	535	5330
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	2246	2861	1243	948	13134	10671	24275	1593	9921	3427	37033	10009	268139
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	485	379	681	165	2312	1009	7248	1349	8218	900	10115	2997	98767
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1665	1300	1429	335	5060	5030	22604	633	69227	1215	12526	3500	225362
2 23 2216 00	आवासि (पुलिस आवास सहित)	380	158	570	6	1393	6841	2298	90	14593	730	6944	1620	78052
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	249	577	1403	259	1789	2933	1691	124	139	561	6757	9100	52718
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	40	72	75	23	370	278	90	49	139	127	506	241	4139
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	183	14	0	0	4221	3986	1193	54	7052	1672	3767	2310	74340
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**													
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	78	98	58	364	736	813	5	391	91	250	375	15436	
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	67	78	30	20	532	2824/[33]	226	30	2749	143	3551	330	38115
2 27 2236 00	पोषाहार	165	233	98	0	1385	170	550	170	9101	730	2207	545	30528
2 28 2262 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5/[44]	0	30	949
2 90 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**5655**	**6250**	**5627**	**2114**	**31210**	**37480**	**61391**	**4097**	**91277**	**9701**	**89256**	**32007**	**502699**
		(26.36)	(26.93)	(27.75)	(25.05)	(21.32)	(27.27)	(25.06)	(30.35)	(33.10)	(39.67)	(24.52)	(21.63)	(26.01)
	XII. सामान्य सेवाएं													
3 42 2056 00	जेलें	0	/[7]	49	0	0	546	100	/7	0	4	0	357	1076
2050 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	34	50	47	8	50	332	56	33	13	15	80	30	1205

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2059 00	सार्वजनिक कार्य	535	434	293	224	1510	2254	2763	279	1635	264	650	967	27415
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**													
	(i) प्रशिक्षण	14	1	17	2	0	0	15	0	0	0	0	0	351
	(ii) अन्य	0	2315/[28]	0	0	0	158/[34]	23/[37]	2435/[38]	200/[40]	2	0	62	42631
3 09 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**683**	**2810**	**406**	**234**	**1550**	**3230**	**2957**	**2747**	**1868**	**290**	**700**	**1422**	**73193**
		(3.18)	(12.11)	(2.00)	(2.77)	(1.07)	(2.39)	(1.21)	(20.35)	(0.53)	(1.19)	(0.19)	(0.96)	(2.11)
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**21450**	**23212**	**20253**	**8439**	**146418**	**137446**	**245000**	**13500**	**275075**	**34457**	**363336**	**146331**	**3470529**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

वार्षिक योजना 1994–95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख लघु शीर्ष	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	चंडीगढ़	दादर व नगर हवेली	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	कुल संघ क्षेत्र	कुल जोड़ राज्य/संघ क्षेत्र	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप										
1 01 2401 00	कृषि फसल	104.59	2.90	114.50	30.00	188.57	143.00	401.00	929.56	91076.53	2.43
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	17.20	2.80	107.30	2.00	2.00	15.00	26.00	202.30	25676.30	0.73
2403 00	पशु पालन	190.00	31.00	29.60	20.00	327.85	110.00	235.00	943.45	21967.45	0.50
2404 00	डेरी विकास	0.00	/[48]	3.60	0.80	100.00	0.00	21.00	126.40	5369.40	0.15
2405 00	मछली पालन	458.21	4.45	3.00	50.05	19.00	280.00	198.00	1012.71	13456.71	0.37
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	533.20	102.13	250.00	33.00	509.08	17.00	99.00	1543.41	58468.41	1.86
2407 00	पौधा रोपण	*0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.02
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.01
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00	374.00	17039.00	0.46
2416 00	कृषि क्षेत्रीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6501.00	0.12
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	33.00	36.50	5290.50	0.14
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2425 00	सहकारिता	234.00	32.00	50.00	5.15	50.00	75.00	507.00	1023.15	25354.15	0.59
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**1627.20**	**175.28**	**558.00**	**141.00**	**1210.00**	**645.00**	**1894.00**	**6250.48**	**202475.48**	**7.68**
		(8.14)	(1.99)	(20.67)	(6.56)	(0.78)	(20.16)	(14.03)	(3.83)	(7.68)	
	II. ग्रामीण विकास										
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56411.00	1.53
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8126.00	0.22
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	9.00	4.00	2.50	1.00	130.00	9.00	25.00	180.50	1643.50	0.05
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101494.00	2.76
2505 04	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37316.00	1.01
1 02 2506 00	भूमि सुधार	0.00	0.00	10.10	7.00	5.00	7.00	8.00	37.10	18482.10	0.50
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	116.00	174.35	44.72	10.20	5745.00	100.00	243.00	6433.27	39838.27	1.00
102 0000 00	**जोड़-II**	**125.00**	**178.35**	**57.32**	**18.20**	**5800.00**	**116.00**	**276.00**	**6656.87**	**263330.67**	**7.16**
		(0.63)	(2.03)	(2.12)	(0.85)	(3.77)	(3.63)	(2.04)	(3.22)	(7.16)	
1 83 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पिछड़े क्षेत्र)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34594.00 (0.94)	0.94
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**										
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	0.00	0.00	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	165.00	357023.00	9.71
2702 00	लघु सिंचाई	199.00	26.00	85.00	10.00	250.00	0.00	223.00	792.00	104039.00	2.83
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	31200.00	0.85
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	29.69	0.00	0.00	35.00	1200.00	155.00	275.00	1694.69	25450.53	0.69
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**220.69**	**25.00**	**190.00**	**100.00**	**1450.00**	**155.00**	**498.00**	**2646.69**	**517712.69**	**14.08**
		(1.14)	(0.23)	(7.04)	(4.65)	(0.93)	(4.34)	(3.09)	(1.23)	(14.08)	
	V. ऊर्जा										
1 05 2801 00	विद्युत	1194.00	985.00	527.00	454.00	39885.00	175.00	3370.00	48590.00	861858.00	23.44

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	126.00	15.50	3.20	0.00	215.00	21.00	17.00	586.70	5838.70	0.15
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**1320.00**	**1000.50**	**530.20**	**454.00**	**40100.00**	**385.00**	**3387.00**	**47175.70**	**867693.70**	**23.60**
		(6.60)	(11.37)	(19.64)	(21.12)	(26.71)	(12.03)	(25.09)	(22.85)	(23.60)	
	VI. उद्योग एवं खनिज										
102 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	300.20	63.10	50.00	117.25	700.00	80.00	931.00	2241.55	75994.55	2.07
2852 00	उद्योग (स्ती एंड आई को अलावा)	0.00	4.00	15.40	0.00	100.00	0.00	701.00	820.40	98413.40	2.68
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17372.00	0.47
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**300.20**	**67.10**	**65.40**	**117.25**	**800.00**	**80.00**	**1632.00**	**3061.95**	**191779.95**	**5.22**
		(1.50)	(0.76)	(2.42)	(5.45)	(0.51)	(2.50)	(12.09)	(1.48)	(5.22)	
	VII. परिवहन										
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	416.64	0.00	0.00	35.00	0.00	55.39	270.00	777.03	7201.03	0.21
3052 00	जहाजरानी	7665.90	0.00	0.00	0.00	0.00	813.33	0.00	8479.23	3479.23	9.23
3853 00	नागर विमानन	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	4703.00	0.13
3054 00	सड़क और पुल	1442.00	45.00	295.00	213.00	13950.00	75.00	450.00	16710.00	250675.00	5.82
3055 00	सड़क परिवहन	120.00	272.00	0.00	1.00	8150.00	6.00	38.00	3687.00	79181.00	2.16
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.17	0.00	82.17	2222.17	0.04
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	13.00[49]	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	1131.00	0.03
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**11694.54**	**330.00**	**307.00**	**249.00**	**22100.00**	**1031.89**	**952.00**	**36660.43**	**354396.43**	**9.64**
		(53.42)	(3.75)	(11.37)	(11.52)	(14.17)	(33.25)	(7.10)	(17.77)	(5.64)	
1 02 0000 00	VIII. संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50	291.50	0.62
							(0.30)			(0.01)	
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण										
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	23.75	10.00	5.50	16.50	7.00	21.86	9.00	93.61	3630.61	0.10
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	5.00	27.20	0.00	0.00	77.00	8.14	15.00	132.34	2552.34	0.08
	जोड़ - IX	**28.75**	**37.20**	**5.50**	**16.50**	**34.00**	**30.00**	**24.00**	**225.95**	**6582.95**	**0.18**
		(0.14)	(0.42)	(0.20)	(0.77)	(0.05)	(0.94)	(0.18)	(0.11)	(0.18)	
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं										
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	15.00	20.50	5.00	0.30	80.00	5.00	8.00	134.80	4385.80	0.12
3452 00	पर्यटन	331.52	128.00	60.04	189.00	795.00	64.00	66.00	1623.56	11382.54	0.31
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यकी	4.00	0.50	5.00	10.40	100.00	4.00	2.00	125.90	1824.90	0.05

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
3456 00	नागरिक आपत्ति	81.77	31.70	10.00	0.60	70.00	0.00	26.00	220.07	2156.07	0.06
3475 00	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**										
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38439.00	1.05
	(ii) माप एवं तोल	0.00	0.00	3.00	0.70	11.00	8.26	3.00	25.98	328.98	0.01
	(iii) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00/54	20.00	22095.00	0.50
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**432.29**	**180.70**	**83.04**	**201.00**	**1056.00**	**72.23**	**125.00**	**2150.31**	**80612.31**	**2.19**
		(2.16)	(2.05)	(3.08)	(9.35)	(0.68)	(2.26)	(0.93)	(1.04)	(2.19)	
	XI. सामाजिक सेवाएं										
	शिक्षा										
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	1395.69	987.00	275.30	170.00	12750.00	148.00	1281.00	17006.99	223407.99	6.08
2203 00	तकनीकी शिक्षा	207.00	216.07	85.00	130.00	2900.00	0.00	236.00	3824.07	40004.07	1.31
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	66.20	183.40	5.00	10.00	800.00	25.00	67.00	1156.60	11834.58	0.32
2205 00	कला एवं संस्कृति	17.60	40.00	5.00	10.00	530.00	40.00	83.00	725.60	7605.60	0.21
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	1686.49	1426.47	370.30	320.00	16930.00	213.00	1717.00	22713.26	290052.26	7.91
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	808.00/46	1387.50	88.40	70.75	9120.00	100.00	600.00	12252.65	111010.45	3.02
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	491.00	1360.00	87.00	100.00	10000.00	108.11	465.00	20611.11	245973.11	6.69
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	635.00	585.00	104.00	50.00	3700.00	85.00	442.00	5401.00	8343.00	2.27
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	211.00	1907.29	7.00	10.00	21980.00	10.00	345.00	27470.29	90188.29	2.45
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	62.60	8.00	12.00	10.00	60.00	25.00	31.00	208.60	4347.60	0.12
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	17.10	40.60	100.00	29.30	1600.00	0.00	240.00	2027.00	76367.00	2.42
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**										
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	67.65	27.00	13.00	35.00	700.00	15.00	106.00	963.65	16449.65	0.45
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	9.00	0.06	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	109.90	
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	30.00	20.01/51	5.10	6.00	1250.00	27.00	190.00	1528.41	39643.41	1.08
2 27 2236 00	पोषाहार	34.74	3.00	37.94	25.00	1000.00	15.00	253.00	1368.68	37896.68	1.03
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00	0.03
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**3835.58**	**6764.87**	**830.04**	**656.05**	**77330.00**	**598.11**	**4475.00**	**94549.65**	**997248.65**	**27.12**
		(19.18)	(76.87)	(30.74)	(30.51)	(49.61)	(18.69)	(33.15)	(45.82)	(27.12)	

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	XII. सामान्य सेवाएं										
3 42 2056 00	जेलें	85.00	0.00	0.00	2.00	800.00	4.22		891.82	1967.22	0.05
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.00	0.00	5.00	17.00	4.00	40.00	69.00	135.00	1344.00	0.04
2059 00	सार्वजनिक कार्य	250.00	0.00	68.50	170.00	2985.00	0.00	151.00	3624.50	31040.50	0.84
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**										
	(i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	831.00	0.02
	(ii) अन्य	82.75/[47]	41.00/[51]	0.00	8.00/[52]	2111.00	33.00/[53]	11.00	2286.75	44817.75	1.22
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**417.75**	**41.00**	**73.50**	**197.00**	**5930.00**	**77.22**	**231.00**	**6967.47**	**80160.47**	**2.18**
		(2.09)	(0.47)	(2.72)	(9.14)	(3.80)	(2.41)	(1.71)	(3.38)	(2.18)	
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**20000.00**	**8800.00**	**2700.00**	**2150.00**	**15600.00**	**3200.00**	**13500.00**	**206350.00**	**3676879.00**	**100.00**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	

वार्षिक योजना — 1994-95 — संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघ क्षेत्र

टिप्पणी :— कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परस्पर प्रतिशत दर्शाते हैं.

* संशोधन नहीं कराया गया,. अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

1. कृषि श्रम कल्याण के लिए 500 लाख रुपये तथा चक्रवात शेल्टरों के लिए 20.70 लाख रुपये शामिल हैं।
2. जलमार्ग परिवहन के लिए 50 लाख रुपये तथा एल आर पी एस के लिए 700 लाख रुपये शामिल है।
3. न्यायालय भवन के लिए 50 लाख रुपये, पुलिस अकादमी परिसर के लिए 100 लाख रुपये, मंडल भवन के लिए 100 लाख रुपये और आई ओ ए के लिए 110 लाख रुपये शामिल है।
4. परिवहन निदेशालय के लिए 23 लाख रुपये तथा सड़क सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।
5. लघु व्ययतों के लिए
6. एन आर वाई/यू बी एस पी के लिए
7. सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सम्मिलित
8. न्यायिक तंत्र की सुविधाओं के लिए अवस्थापना के लिए ।
9. न्याय प्रशासन के लिए 165 लाख रुपये तथा लोक उद्यमों के लिए 30 लाख रुपये शामिल हैं।
10. दिशाहीन युवकों के रोजगार के लिए 1500 लाख रुपये शामिल हैं।
11. अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के लिए 35 लाख रुपये तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान के लिए 4 लाख रुपये शामिल हैं।
12. नये विधान सभा परिसर के लिए 14 लाख रुपये शामिल हैं।
13. न्याय प्रशासन के लिए 40 लाख रुपये तथा लेखा के लिए 7.45 लाख रुपये शामिल हैं।

14. हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के लिए

15. संस्थागत वित्त पोषण के लिए

16. एच आई पी ए के लिए

17. जनजातीय क्षेत्रों के लिए 147 लाख रुपये, जनजातीय विकास तंत्र के लिए 110 लाख रुपये, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 53 लाख रुपये तथा न्यायिक तंत्र के लिए अवस्थापना सुविधाओं हेतु 20 लाख रुपये शामिल हैं।

18. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए

19. प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए

20. अग्नि सुरक्षा के लिए 75 लाख रुपये शामिल हैं।

21. टी एस पी/एस सी पी (मुक्त निधियां) के लिए

22. क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की शेयर पूंजी के लिए 10 लाख रुपये और महिला तथा बाल कल्याण विकास समिति के लिए 562 लाख रुपये।

23. योजना तंत्र के लिए 275 लाख रुपये तथा विकास प्रशासन की यशवंत राव चौहान अकादमी के लिए 40 लाख रुपये शामिल हैं।

24. स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिए 11530 लाख रुपये और 120 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों के पुरस्कार के लिए 35 लाख रुपये शामिल हैं।

24.ए. महाराष्ट्र भूचाल पुनर्वास परियोजना के लिए

25. ग्रामीण बैंक को अंशदान के लिए 3.75 लाख रुपये

26. ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए 10 लाख रुपये, ई ए एस के लिए 96 लाख रुपये तथा विशेष ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिए 90 लाख रुपये शामिल हैं।

27. न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए

28. अग्नि सुरक्षा नियंत्रण के लिए 103 लाख तथा सातवीं योजना की वचनबद्धता के रूप में 2212 लाख रुपये शामिल हैं।

29. नई भूमि उपयोग नीति के लिए 2497.15 लाख रुपये

30. न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए

31. बंजर भूमि विकास के लिए

32. मूल्यांकन के लिए

33. रक्षा सेवा कल्याण के लिए 182.60 लाख रुपये

34. पी एस आई पी ए के लिए

35. अपना गांव अपना काम के लिए 1500 लाख रुपये अरावली वोल्यूम एजेंसी स्थापित करने के लिए 70 लाख रुपये।

36. तीस जिला तीस काम के लिए

37. एच सी एम आर पी ए के लिए

38. गैर योजनागत लेखा घाटे के लिए 2434 लाख रुपये शामिल हैं।

39. आवास क्षेत्र में सम्मिलित

40. न्यायिक तंत्र के लिए

41. एस आर ई पी के लिए 350 लाख रुपये तथा ई ए एस के लिए 455 लाख रुपये शामिल हैं।

42. योजना तथा विकास प्रकोष्ठ के लिए 4 लाख रुपये तथा सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।

43. मूल्यांकन के लिए

44. कानूनी सहायता तथा सलाह के लिए

45. भूचाल राहत/पुनर्निर्माण के लिए

46. सन् 2000 तक नियोजित परिवार की योजना के लिए 135 लाख रुपये शामिल हैं।

47. अन्तःद्वीप संचय के लिए 50 रुपये, पहचान पत्र जारी करने के लिए 25 लाख रुपये तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना के लिए 7.75 लाख रुपये शामिल हैं।

48. पशुपालन के अधीन शामिल हैं।

49. सड़क सुरक्षा तथा एसटीए के सुदृढ़ीकरण के लिए।

50. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 2.86 लाख रुपये तथा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए । लाख रुपये शामिल हैं।

51. अग्नि सुरक्षा नियंत्रण तथा लाइसेंस शाखा के सुदृढ़ीकरण के लिए 31 लाख रुपये तथा प्रवर्तन स्कन्ध के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 लाख रुपये शामिल हैं।

52. पुलिस विभाग के विस्तार के लिए 7 लाख रुपये तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए । लाख रुपये शामिल हैं।

53. अग्नि सुरक्षा नियंत्रण के लिए।

54. कम्प्यूटरीकरण के लिए।

विवरण

वार्षिक योजना 1995-96 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रु.)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	आंध्र-प्रदेश	अरुणा-चल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुज-रात	हरि-याणा	हिमाचल प्रदेश	जे.एण्ड के.	कर्ना-टक	केरल	मध्य प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप												
1 01 2401 00	कृषि फसल	2009	1669	6730	5099	270	4157	1754	2120	3098	3909	7900	6540
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	80	728	605	740	60	2455	860	580	1836	3021	500	862
2403 00	पशु पालन	1100	651	1720	833	200	916	743	864	1569	2695	1950	1487
2404 00	डेरी विकास	100	51	325	625	16	120	70	184	137	254	400	755
2405 00	मछली पालन	665	170	1086	547	182	838	325	200	260	1361	3350	500
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	1600	1376	2890	3264	233	7407	3747	4699	2181	6061	2600	7665
2407 00	पौधा रोपण	0	0	14	0	0	0	0	0	0	133	0	0
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	25	0	55	50	13	55	15	0	627	20	75	340
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	500	29	1500	900	46	900	675	992	667	2237	1200	1085
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	808	0	25	152	1	900	75	25	60	833	350	0
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम												
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	26	76	140	254	8	0	0	750	225	40	1050	17
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	287	220	1510	3079	90	1200	700	350	351	3181	1350	2132
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**7200**	**4970**	**16600**	**15543**	**1119**	**18948**	**8964**	**10769**	**11011**	**23735**	**20725**	**21383**
		(2.28)	(10.55)	(11.70)	(6.22)	(5.33)	(7.26)	(7.17)	(14.36)	(10.49)	(6.64)	(13.37)	(7.37)
	II. ग्रामीण विकास												
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम												
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	3905	538	2545	12832	91	1739	880	330	428	3334	1400	6830
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	1202	0	0	1245	0	1723	150	112	315	1037	0	2000
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	60	70	50	63	25	0	150	145	53	170	0	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार												
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	7058	100	2520	15280	84	3209	635	495	1588	4714	2278	17530
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0	595/[1]	1465/[1]	4005/[1]	0	817	880	0	0	1500/[1]	0	0
1 02 2506 00	भूमि सुधार	1050	59	510	3449	35	300	79	1130	539	207	100	330
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	1025/[47]	576	2520	1682	80	8929/[53]	653	320	321	8093	3822	4549
102 0000 00	**जोड़-II**	**14300**	**1938**	**9600**	**38556**	**315**	**16717**	**3427**	**2532**	**3244**	**19055**	**7600**	**31404**
		(4.53)	(4.11)	(6.77)	(15.42)	(1.50)	(6.40)	(2.74)	(3.38)	(3.09)	(5.33)	(4.90)	(10.83)
1 03 0000 00	III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	745	0	357	9598	0	0	762	0	4173	10000	150	0
	(पिछड़े क्षेत्र)	(0.24)		(0.25)	(3.84)			(0.61)		(3.97)	(2.80)	0.10)	
1 04 0000 00	IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण												
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	98061	50	2600	31646	3028	53653	17895	306	2039	17550	11300	27060
2702 00	लघु सिंचाई	14228	1616	4100	17870	400	10185	4551	2570	2160	6678	3400	15814
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	2500	46	528	1385	90	925	1390	100	256	3062	1200	1350
271 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	4817	312	2376	5000	30	150	1000	200	1238	972	1800	100
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**119606**	**2024**	**9604**	**55881**	**3548**	**64923**	**24836**	**3176**	**5693**	**88262**	**17700**	**44324**
		(37.86)	(4.30)	(6.77)	(22.35)	(16.90)	(24.87)	(19.87)	(4.23)	(5.42)	(24.69)	(11.42)	(15.28)
	V. ऊर्जा												
1 05 2801 00	विद्युत	69877	7700	20295	39826	1760	52823	26100	13879	60657	68000	45000	80063
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	123	98	73.	439	20	567	85	207	72	906	900	460
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**70000**	**7798**	**20368**	**40265**	**1780**	**53390**	**26185**	**14086**	**30729**	**68906**	**45900**	**80513**
		(22.16)	(16.56)	(14.36)	(16.11)	(8.48)	(20.46)	(20.95)	(18.78)	(29.27)	(19.27)	(29.61)	(27.76)
	VI. उद्योग एवं खनिज												
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	3600	533	3460	2106	500	10262	4730	1015	3563	13962	7225	5765
2852 00	उद्योग (बी एंड आई के अलावा)	2000	433	4188	4375	200	3538	875	950	2580	7262	11885	2189
2853 02	खनन	170	40	400	386	8	200	13	50	304	71	400	451
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**5770**	**1006**	**8048**	**6867**	**708**	**14000**	**5618**	**2015**	**6447**	**21295**	**19510**	**8405**
		(1.83)	(2.14)	(5.67)	(2.75)	(3.37)	(5.36)	(4.49)	(2.69)	(6.14)	(5.96)	(12.59)	(2.90)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VII. परिवहन												
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	3539	0	0	0	10	0	0	0	0	672	590	0
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	466	0	23	0	0	19	95	0	0	0	126
3054 00	सड़क और पुल	9096	9431	10102	17728	1750	10117	2500	7068	6581	12384	9450	6276
3055 00	सड़क परिवहन	12070	469	1100	360	250	895	4175	391	650	5100	800	1650
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	45	0	1050	26	235	0	0	5	201	17	295	0
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	50	34/[12]	58	0	1000/[9]	0	0	37	438	51/[15]	0	0
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**24800**	**10400**	**12310**	**18137**	**3245**	**11012**	**6694**	**7596**	**7870**	**18224**	**11135**	**3052**
		(7.85)	(22.08)	(8.68)	(7.25)	(15.45)	(4.22)	(5.36)	(10.13)	(7.50)	(5.10)	(7.18)	(2.78)
1 08 0000 00	VIII. संचार	0	0	0	0	0	165	0	100	0	0	0	0
							(0.06)		(0.13)				
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण												
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	18	18	356	139	60	60	120	55	40	252	980	297
3435 00	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	147	8	118	119	20	508	121	67	222	347	170	4398
	जोड़ - IX	**165**	**26**	**474**	**258**	**80**	**568**	**241**	**122**	**262**	**599**	**1150**	**4685**
		(0.05)	(0.06)	(0.33)	(0.10)	(0.33)	(0.22)	(0.19)	(0[illegible])	(0.25)	(0.17)	(0.74)	(1.62)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं												
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	760	75	337	95	10	18	9	169	793	120	399	355
3452 00	पर्यटन	120	200	750	486	280	200	352	776	2105	600	1000	500
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	50	98	219	92	12	70	8	34	235	108	260	77
3456 00	नागरिक आपूर्ति	0	109	135	324	5	80	0	849	0	0	55	0
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं												
	(i) जिला आयोजना/जिला परिषद	0	390	2760	6829	0	4910	1562	4971	0	356	0	10000
	(ii) माप एवं तोल	9	32	30	21	5	34	11	15	21	25	23	22
	(iii) अन्य	0	5/[3]	245/[6]	0	0	0	0	58/[12]	132	51/[16]	0	0
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**939**	**909**	**4476**	**7847**	**312**	**5312**	**1942**	**6872**	**3286**	**1260**	**1737**	**10954**
		(0.30)	(1.93)	(3.16)	(3.14)	(1.49)	(2.04)	(1.55)	(9.16)	(3.13)	(0.35)	(1.12)	(3.78)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	XI. सामाजिक सेवाएं												
	शिक्षा												
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	10000	4805	29805	11899	1435	3890	8602	8630	8900	28795	3270	20358
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1200	0	1473	6192	1538	3000	3854	1200	440	1900	3050	5370
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	530	285	859	93	250	260	313	235	331	978	385	600
2205 00	कला एवं संस्कृति	165	244	1548	102	193	449	103	140	194	1115	340	473
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	11895	5334	33685	18286	3416	7599	12872	10205	9865	32788	7045	26801
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4100	1069	6550	12014	1309	7100	3020	3479	4964	11472	3900	7700
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	14993	2208	6922	10965	2275	17820	4975	8223	7753	20555	8400	10930
2 23 2216 00	आवास (पुलिस आवास सहित)	11500	1721	1350	2735	557	7633	5670	1896	745	13518	3000	1325
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	8208	197	4000	1505	338	7034	1187	656	4598	5091	1325	6248
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	210	82	261	15	47	730	161	160	67	325	240	286
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	14481	0	1275	4052	65	12482	1021	303	306	10768	1910	16834/[18]
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**												
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	1010	126	561	425	247	2701	597	105	1922	795	545	3186
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	1500/[7]	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	795	84	320	428	160	863	14929	691	431	3625	220	1463
2 27 2236 00	पोषाहार	3153	270	1645	3028	56	11935	1106	425	600	3627	450	2200
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	84/[4]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**70345**	**11175**	**58169**	**53593**	**8570**	**75897**	**45538**	**26223**	**31251**	**102564**	**27035**	**79949**
		(22.27)	(23.73)	(41.01)	(21.44)	(40.81)	(29.08)	(36.43)	(34.96)	(29.76)	(28.69)	(17.44)	(27.57)
	XII. सामान्य सेवाएं												
3 42 2056 00	जेलें	0	0	0	52	0	0	0	0	0	300	0	22
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	5	74	40	0	15	0	32	103	88	181	68	99
2059 00	सार्वजनिक कार्य	581	872	53	2293	1250	0	661	820	845	2361	2290	100
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**												
	(i) प्रशिक्षण	0	46	300	0	0	68	100/[11]	55/[13]	101	20	0	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(ii) अन्य	1444/[48]	5862/[5]	1433/[8]	1110	58/[10]	0	0	531/[14]	0	738/[17]	0	0
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**2030**	**6854**	**1826**	**3455**	**1323**	**68**	**793**	**1509**	**1034**	**3600**	**2358**	**321**
		(0.64)	(14.55)	(1.29)	(1.38)	(6.30)	(0.03)	(0.63)	(2.01)	(0.98)	(1.01)	(1.52)	(0.11)
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**315900**	**47100**	**141832**	**250000**	**21000**	**261000**	**125000**	**75000**	**105000**	**357500**	**155000**	**290000**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

राज्य योजना प्रभाग

28.12.95

वार्षिक योजना 1994–95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	महा-राष्ट्र	मणि-पुर	मेघा-लय	मिजो-रम	नागा-लैंड	उड़ी-सा	पंजाब	राज-स्थान	सिक्किम	तमिल-नाडु	त्रि-पुरा	उत्तर-प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप														
1 01 2401 00	कृषि फसल	6624	810	1102	665	547	2479	2702	12530	716	12820	1980	16936	1486	106652
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	10214	300	650	335	335	2093	1040	2932	207	1752	270	5875	210	38540
2403 00	पशु पालन	1757	400	600	270	418	733	1800	1668	370	2175	568	1890	673	28050
2404 00	डेरी विकास	1000	45	76	30	50	391	387	605	31	61	32	1777	207	7723
2405 00	मछली पालन	1068	240	135	80	156	3079	304	167	41	1276	500	594	1860	18984
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	12625	588	800	600	471	3228	1270	9459	402	5183	600	5355	3584	87878
2407 00	पौधा रोपण	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0	470	872
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	57	25	30	0	8	10	0	25	26	0	67	120	200	1843
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	818	45	28	15	44	550	1602	9225	61	2732	25	1435	450	19461
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	748	0	1	0	0	10	900	952	0	230	5	1300	68	7443
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम														
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	0	5	115	25	10	10	5	3	16	74	41	0	230	3120
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	2433	0	2461
2425 00	सहकारिता	8661	125	275	170	71	4477	779	2474	72	262	495	1892	840	35043
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**43572**	**2663**	**3812**	**2190**	**2110**	**17083**	**10789**	**31740**	**1942**	**26565**	**4758**	**39607**	**10278**	**358076**
		(7.38)	(8.88)	(12.11)	(9.65)	(8.79)	(10.35)	(6.44)	(9.92)	(10.11)	(8.30)	(13.59)	(7.23)	(4.38)	(7.74)

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	II. ग्रामीण विकास														
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम														
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	5121	140	300	253	265	4688	546	4374	131	4887	500	9609	4700	70356
2501 02	(ख) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	3798	0	0	0	15	437	0	1300	0	553	0	1146	305	15338
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	120	27	100	10	40	40	60	161	28	218	15	395	15	2180
1 02 2505 00	**ग्रामीण रोजगार**														
2505 01	(क) एनआरईपी/जवाहर रोजगार यो.	11728	150	100	600	140	6858	500	4400	319	7799	450	15330	8900	112765
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	27100	750[1]	0	0	1200[1]	3748[1]	0	3500	273[1]	0	1200[17]	11000	0	58033
1 02 2506 00	भूमि सुधार	261	40	100	2552[27]	146	2352	0	334	5	13	370	5022	710	19693
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	729[49]	190	1230[23]	320	1608	405	3542	5605[33]	220	1040	1020	3491	863	52833
102 0000 00	**जोड़-II**	**48857**	**1297**	**1830**	**3735**	**3414**	**18528**	**4648**	**19674**	**976**	**14510**	**3555**	**45993**	**15493**	**331198**
		(8.27)	(4.32)	(5.97)	(16.45)	(14.23)	(11.23)	(2.77)	(6.15)	(5.08)	(4.53)	(10.16)	(8.40)	(7.50)	(7.16)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम** (पिछड़े क्षेत्र)	4001	0	328	123	178	0	1376	752	0	0	2200	8000	2175	44918
		(0.68)		(1.07)	(0.54)	(0.74)		(0.82)	(0.24)			(6.29)	(1.46)	(1.05)	(0.97)
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**														
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	62243	3873	300	7	80	19809	6496	32800	0	7623	563	37201	10500	506683
2702 00	लघु सिंचाई	29356	700	600	240	255	9400	3368	4895	231	4801	465	5758	1600	145301
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	10057	151	70	5	15	370	3700	9381	10	1000	2	1750	300	39623
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	55	528	823	0	20	680	1579	865	26	349	220	1323	4700	29173
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**101691**	**5252**	**1873**	**252**	**370**	**30259**	**15143**	**47941**	**267**	**13773**	**1250**	**46032**	**17100**	**720780**
		(17.22)	(17.51)	(6.11)	(1.11)	(1.54)	(18.34)	(9.04)	(14.98)	(1.39)	(4.30)	(3.57)	(8.40)	(8.28)	(15.59)
	V. ऊर्जा														
1 05 2801 00	विद्युत	108274	4450	3565	2960	2141	26157	69932	81132	2588	76609	4800	187981	61425	1087994
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	300	50	100	40	24	115	430	390	49	466	79	662	87	6732
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**108574**	**4500**	**3665**	**3000**	**2165**	**26272**	**70362**	**81522**	**2637**	**77075**	**4879**	**188643**	**61512**	**1094726**
		(18.38)	(15.00)	(11.96)	(13.22)	(9.02)	(15.92)	(42.01)	(25.48)	(13.73)	(24.09)	(13.94)	(34.44)	(29.79)	(23.68)

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	VI. उद्योग एवं खनिज														
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	9477	863	305	850	362	2639	1600	6945	234	7314	911	4470	3055	95746
2852 00	उद्योग (वी एंड आई के अलावा)	13435	48	920	77	387	1651	4960	5487	1438	27623	810	6575	17223	121169
2853 02	खनन	69	155/[19]	174	64	158	3074	5	1087	23	63	4	161	280	7810
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**22981**	**1066**	**1399**	**991**	**907**	**7364**	**6565**	**13519**	**1695**	**35000**	**1725**	**11206**	**20558**	**224665**
		(3.89)	(3.55)	(4.56)	(4.37)	(3.18)	(4.46)	(3.92)	(4.22)	(8.83)	(10.94)	(4.93)	(2.05)	(9.96)	(4.80)
	VII. परिवहन														
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	262	0	0	0	0	641	0	0	0	36	0	0	0	5750
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	172	0	0	1000	0	50	58	0	0	0	0	563	5	2577
3054 00	सड़क और पुल	42655	4125	6900	2200	2710	15183	4710	22000	1656	15620	2925	43800	11520	278487
3055 00	सड़क परिवहन	12675	100	250	124	295	1909	1340	3108	207	15097	510	8505	3272	75302
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	86	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0	3	283	2306
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	3600/[50]	103	95	13/[28]	44/[15]	0	0	0	0	0	55/[38]	0	0	5578
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**59450**	**4328**	**7245**	**3347**	**3049**	**17833**	**6108**	**25108**	**1863**	**30753**	**3490**	**52871**	**15080**	**370000**
		(10.06)	(14.43)	(23.64)	(14.74)	(12.70)	(10.81)	(3.65)	(7.85)	(9.70)	(9.61)	(9.97)	(9.65)	(7.30)	(8.00)
1 08 0000 00	**VIII. संचार**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	302
												(0.11)			(0.01)
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण														
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	146	90	70	38	27	304	41	170	65	245	76	600	174	4441
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	92	30	50	2	5	410	511	350	39	361	30	240	45	8410
	जोड़ - IX	**238**	**120**	**120**	**40**	**32**	**714**	**552**	**520**	**104**	**606**	**106**	**840**	**219**	**12851**
		(0.04)	(0.40)	(0.39)	(0.18)	(0.13)	(0.43)	(0.33)	(0.16)	(0.54)	(0.19)	(0.30)	(0.15)	(0.11)	(0.28)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं														
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	279/[51]	37	90	50	73	24	293	618	35	83	821	2042	35	7620
3452 00	पर्यटन	546	80	400	50	132	468	86	1510	154	380	180	5079	175	16609
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	88	43	30	37	56	43	240	152	26	66	25	294	1	2364
3456 00	नागरिक आपूर्ति	0	58	40	60	79	74	5	278	52	210	17	10	100	2540

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3475 00	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**														
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	18310	200	300	1176	3000	3328	3500	2000	0	5000	9	0	1800	70401
	(ii) माप एवं तोल	0	8	19	12	20	6	0	49	0	29	10	0	30	431
	(iii) अन्य	0	32/[20]	100/[24]	20/[29]	108/[30]	3	4	3500/[34]	0	0	0	22401	0	26659
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**19223**	**458**	**979**	**1405**	**3468**	**3946**	**4128**	**8107**	**267**	**5768**	**1062**	**29826**	**2141**	**126624**
		(3.25)	(1.53)	(3.19)	(6.19)	(14.45)	(2.39)	(2.46)	(2.53)	(1.39)	(1.80)	(3.03)	(5.45)	(1.04)	(2.74)
	XI. सामाजिक सेवाएं														
	शिक्षा														
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	22400	1736	2883	1070	978	12652	5713	28296	1873	9817	4055	32025	8040	271927
2203 00	तकनीकी शिक्षा	7269	120	60	80	110	2557	5300	2243	59	1064	38	6274	2524	56915
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	707	925	425	105	503	683	1367	198	69	736	214	1729	739	13519
2205 00	कला एवं संस्कृति	533	174	165	70	88	338	502	457	102	425	30	335	574	8859
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	30909	2955	3533	1325	1679	16230	12882	31194	2103	12042	4337	40363	11877	351220
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	13939	678	1331	787	2023	3769	4600	14153	1258	00	1200	12998	3330	135987
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	48489	2350	1925	1270	1143	6140	7699	25690	747	42567	1585	24719	4840	284983
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	5133	537	340	542	1453	1600	7138	3218	274	4337	587	8174	3121	91169
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	18586	677	665	1415	542	1939	2825	5579	226	19167	541	8563	27741	128853
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	84	55	90	80	114	270	500	123	52	37	210	290	284	4893
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	12076	270	7	0	0	4990	3879	1660	112	11264	1680	11919	3600	113954
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**														
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	4391	115	127	40	111	365	1615	4053	15	576	155	1215	1082	36170
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	1050/[21]	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2671
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1837	90	95	80	63	1556	3071/[31]	313	46	3578	208	11801	502	47249
2 27 2236 00	पोषाहार	1155	200	238	135	154	4900	200	1521	207	11603	715	3040	1154	53717
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	1971
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**136599**	**8977**	**8351**	**5674**	**7359**	**41749**	**44409**	**87504**	**5040**	**114415**	**11538**	**123082**	**57831**	**1242837**
		(23.12)	(29.92)	(27.24)	(25.00)	(30.66)	(25.30)	(26.51)	(27.35)	(26.25)	(35.75)	(32.97)	(22.47)	(28.01)	(26.88)

1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	XII. सामान्य सेवाएं														
3 42 2056 00	जेलें	/[25]	30	/[25]	70	0	0	824	75	/[25]	0	25	0	400	1798
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0	35	50	45	49	38	480	86	38	16	20	50	30	1642
2059 00	सार्वजनिक कार्य	4919	758	850	300	844	1214	1561	3420	371	1519	300	1600	3618	33400
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं														
	(i) प्रशिक्षण	0	16	50	27	55	0	0	15	0	0	0	0	0	954
	(ii) अन्य	40595/[52]	500/[22]	100/[26]	1500/[22]	0	0	555/[12]	17/[35]	4000/[36]	0	55/[39]	0	65	58563
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**45514**	**1339**	**1050**	**1943**	**948**	**1252**	**3420**	**3613**	**4409**	**1535**	**400**	**1650**	**4113**	**96357**
		(7.71)	(4.46)	(3.43)	(8.56)	(3.95)	(0.76)	(2.04)	(1.13)	(22.96)	(0.48)	(1.14)	(0.30)	(1.99)	(2.08)
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**590700**	**30000**	**30652**	**22700**	**24000**	**166000**	**167500**	**320000**	**19200**	**320000**	**35000**	**547750**	**206500**	**4623334**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

राज्य योजना प्रभाग

28.12.95

वार्षिक योजना 1995-96 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख लघु शीर्ष	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	चंडीगढ़	दादर व नगर हवेली	दमन और दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	कुल संघ क्षेत्र	कुल जोड़ राज्य/संघ क्षेत्र	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	1. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप										
1 01 2401 00	कृषि फसल	105.00	3.10	115.00	35.00	182.00	185.54	419.00	1044.64	107696.64	2.22
2402 00	मुद्रा एवं जल संरक्षण	55.26	2.80	103.08	2.50	2.00	21.46	46.00	233.10	38773.10	0.80
2403 00	पशु पालन	185.00	34.00	17.00	20.00	434.50	154.80	421.00	1266.00	29316.30	0.60
2404 00	डेरी विकास	0.00	/41	4.08	0.00	200.00	0.00	17.00	221.88	7950.88	0.16
2405 00	मछली पालन	471.91	4.70	1.58	60.00	28.50	260.00	248.00	1074.69	20058.69	0.41
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	600.33	183.03	260.00	35.70	448.00	21.00	110.00	1658.12	1.84	
2407 00	पौधा रोपण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.02
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1843.00	0.04
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	19915.00	0.41

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7443.00	0.15
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	27.00	32.00	3152.00	0.06
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2461.00	0.05
2425 00	सहकारिता	155.83	32.00	21.35	6.00	60.00	40.00	498.00	813.18	35856.18	0.74
1 01 0000 00	**जोड़े (I)**	**1573.39**	**259.63**	**522.09**	**160.00**	**1360.00**	**682.00**	**2240.00**	**6797.91**	**364873.91**	**7.52**
		(7.32)	(2.60)	(18.00)	(6.96)	(0.79)	(17.69)	(12.76)	(2.95)	(7.52)	
	II. ग्रामीण विकास										
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70356.00	1.45
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15338.00	0.32
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	18.50	4.00	4.50	1.00	155.00	9.00	50.00	242.00	2422.00	0.05
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112765.00	2.32
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58033.00	1.20
1 02 2506 00	भूमि सुधार	0.00	0.00	3.93	8.00	5.00	10.00	13.00	39.93	19732.93	0.41
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	300.00	176.00	48.12	11.00	5765.00	90.00	430.00	6820.12	59653.12	1.23
102 0000 00	**जोड़-II**	**318.50**	**180.00**	**56.55**	**20.00**	**5925.00**	**109.00**	**493.00**	7102.05	**338300.00**	**6.97**
		(1.48)	(1.80)	(1.95)	(0.87)	(3.44)	(2.82)	(2.81)	(3.09)	(6.97)	
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पिछड़े क्षेत्र)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44918.00 (0.93)	0.93
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**										
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	0.00	105.00	506788.00	10.44
2702 00	लघु सिंचाई	141.50	20.00	105.00	12.00	252.00	0.00	283.00	813.50	146114.50	3.01
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	39624.00	0.82

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
271 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	71.00	0.00	0.00	35.00	1415.00	185.00	350.00	2056.00	31229.00	0.64
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**212.50**	**20.00**	**154.00**	**102.00**	**1667.00**	**185.00**	**633.00**	**2975.50**	**723755.50**	**14.91**
		(0.99)	(0.20)	(5.38)	(4.43)	(0.97)	(4.79)	(3.61)	(1.29)	(14.91)	
	V. ऊर्जा										
1 05 2801 00	विद्युत	1528.10	985.00	486.00	342.00	43775.00	195.00	4001.00	51312.10	1139306.10	23.47
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	161.90	25.00	2.76	2.00	225.00	209.00	42.00	667.6	7399.66	0.15
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**1690.00**	**1010.00**	**488.76**	**344.0**	**44000.00**	**404.00**	**443.00**	**51979.76**	**1146705.76**	**23.63**
		(7.86)	(10.10)	(16.85)	(14.96)	(25.58)	(10.47)	(23.03)	(22.59)	(23.63)	
	VI. उद्योग एवं खनिज										
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	1002.73	143.10	89.00	20.00	650.00	180.00	1164.00	3248.83	98994.83	2.04
2852 00	उद्योग (बी एंड आई के अलावा)	0.00	4.00	0.00	30.00	50.00	0.00	328.00	1012.00	122121.00	2.52
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7810.00	0.16
1 06 0000 00	**जोड़-VI**	**1002.75**	**147.10**	**89.00**	**50.00**	**700.00**	**180.00**	**2092.00**	**4260.83**	**228925.83**	**4.72**
		(4.66)	(1.47)	(3.07)	(2.17)	(0.41)	(4.68)	(11.92)	(1.85)	(4.72)	
	VII. परिवहन										
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	582.65	0.00	0.00	45.00	0.00	74.74	275.00	977.39	6727.39	0.14
3052 00	जहाजरानी	5505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.88	0.00	6505.88	6505.88	0.13
3053 00	नागर विमानन	985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	995.68	3572.68	0.07
3054 00	सड़क और पुल	1883.00	45.00	368.00	254.00	16675.00	82.00	950.00	20257.00	298744.00	0.15
3055 00	सड़क परिवहन	140.00	296.50	0.00	0.00	1466.00	3.50	39.00	1945.00	77247.00	1.59
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.46	0.00	134.46	2440.46	0.05
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	13.50/42	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	27.50	5605.50	0.12
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**9096.33**	**355.00**	**381.00**	**300.00**	**18141.0**	**1305.58**	**1264.00**	**30842.91**	**40842.91**	**8.28**
		(12.31)	(3.55)	(13.14)	(13.04)	(10.55)	(33.82)	(7.20)	(13.49)	(8.26)	
	VIII. संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	317.90	0.01
							(0.39)			(0.01)	
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण										
1 09 3425 00	वैज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	48.75	14.00	5.50	1300	7.00	24.43	40.00	152.68	4593.68	0.09

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	5.00	30.10	0.00	0.00	79.00	24.57	25.00	163.67	8573.67	0.18
	जोड़ - IX	**53.75**	**44.10**	**5.50**	**13.00**	**86.00**	**49.00**	**65.00**	**316.35**	**13167.35**	**0.27**
		(0.25)	(0.44)	(0.19)	(0.57)	(0.05)	(1.27)	(0.37)	(0.14)	(0.27)	
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं										
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	27.37	10.60	0.00	0.35	80.00	8.00	18.00	144.32	7764.32	0.16
3452 00	पर्यटन	677.39	215.00	70.00	215.00	772.00	60.92	118.00	2128.31	18737.31	0.39
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	6.00	0.50	0.00	10.00	150.00	5.00	3.00	174.50	2538.50	0.05
3456 00	नागरिक आपत्ति	92.40	48.76	15.30	3.95	210.00	33.20	81.00	484.61	3024.61	0.06
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70401.00	1.45
	(ii) माप एवं तोल	0.00	0.00	1.25	0.70	11.00	30.00	4.00	46.95	477.95	0.01
	(iii) अन्य	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00/46	35.00	26694.00	0.55
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**803.16**	**274.86**	**101.55**	**230.00**	**1223.00**	**137.12**	**244.00**	**3013.69**	**129637.69**	**2.67**
		(3.74)	(2.75)	(3.50)	(10.00)	(0.71)	(3.55)	(1.39)	(1.31)	(2.67)	
	XI. सामाजिक सेवाएं										
	शिक्षा										
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	2068.70	1145.03	406.13	225.40	13940.00	162.00	1389.00	19336.26	291263.26	6.00
2203 00	तकनीकी शिक्षा	182.06	220.00	180.00	149.60	3417.00	0.00	351.00	4499.60	61414.60	1.27
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	506.30	190.00	20.00	25.00	807.00	27.00	63.00	1638.20	15157.20	0.31
2205 00	कला एवं संस्कृति	92.80	43.00	14.00	25.00	530.00	44.00	122.00	870.00	9729.80	0.20
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	2849.70	1598.03	620.13	425.00	18694.00	233.00	1925.00	26344.86	377564.86	7.78
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1025.00	2043.84	111.80	100.00	19055.00	122.00	1245.00	14702.64	150689.64	3.10
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1162.00	829.00	99.00	124.00	21050.00	111.00	569.00	23944.00	308927.00	6.37
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	670.00	735.00	111.35	95.00	3927.00	123.50	580.00	6241.85	97410.85	2.01
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	326.00	2180.83	15.00	20.00	32490.00	5.00	549.00	35585.83	164438.83	3.39
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	79.00	8.00	11.00	10.00	93.00	26.00	55.00	202.00	5175.00	0.11
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	18.00	149.32	28.00	26.00	1600.00	0.00	435.00	2249.12	116203.12	2.39

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**										
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	56.70	42.59	20.50	45.00	845.00	19.00	192.00	1220.70	27390.70	0.56
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2671.00	0.06
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	93.70	63.46	7.90	6.00	1474.00	30.00	259.00	1934.06	49183.06	1.01
2 27 2236 00	पोषाहार	34.74	5.00	46.87	40.00	1926.00	17.00	310.00	2379.61	56096.61	1.16
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	6.33/43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.33	1977.33	0.04
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**6315.64**	**7661.31**	**1063.55**	**891.00**	**92154.00**	**686.50**	**6119.00**	**114891.00**	**1357728.00**	**27.97**
		(29.38)	(76.61)	(36.67)	(38.74)	(53.58)	(17.78)	(34.86)	(49.93)	(27.97)	
	XII. सामान्य सेवाएं										
3 42 2056 00	जेलें	50.00	0.00	0.00	0.00	1062.00	5.00	/35	1120.00	2918.00	0.06
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	66.00	90.00	181.00	1823.00	0.04
2059 00	सार्वजनिक कार्य	300.00	0.00	11.00	164.00	3045.00	0.00	230.00	3750.00	37150.00	0.77
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
	(i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	394.00	0.02
	(ii) अन्य	84.00/41	48.00/44	20.00/26	8.00/45	2597.00	35.00/26	39.00/26	2826.00	61389.00	1.26
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**434.00**	**48.00**	**36.00**	**190.00**	**5744.00**	**106.00**	**359.00**	**7917.00**	**104274.00**	**3.15**
		(2.02)	(0.48)	(1.24)	(8.26)	(2.92)	(3.75)	(2.05)	(3.44)	(2.15)	
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**21500.00**	**10000.00**	**2900.00**	**2300.00**	**17200.00**	**3860.00**	**17552.00**	**230112.00**	**4853446.00**	**100.00**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	

कार्यक्रम	
(i) एन ई सी	41000.00
(ii) टी एस पी	33000.00
(iii) एन ए डी पी	35200.00
(iv) बी ए डी पी	17500.00
(v) अन्य	5500.00
(vi)	79000.00
जोड़ (कार्यक्रम)	**212100.00**
कुल जोड़	**5065546.00**

वार्षिक योजना — 1995-96 — शुरू में अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघ क्षेत्र
टिप्पणी :— कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परस्पर प्रतिशत दर्शाते हैं.

पाद	टिप्पणी
1.	रोजगार बीमा योजना के लिए
2.	सड़क सुरक्षा के लिए 8 लाख रुपये तथा परिवहन निदेशालय के लिए लाख रुपये शामिल हैं।
3.	लघु बचतों के लिए
4.	एन आर वाई/यू बी एसा पी के लिए
5.	न्यायिक प्रशासने के लिए 62 लाख रुपये शामिल है तथा 5800 लाख रुपये रिजर्व रख गए।
6.	न्यायिक प्रशासन के लिए 200 लाख रुपये तथा लोक उद्यमों के लिए 45 लाख रुपये तथा लोक उद्यमों के लिए 45 लाख रुपये शामिल हैं।
7.	दिशाहीन युवकों के रोजगार के लिए
8.	लोक सेवाओं के निर्माण के लिए 1228 लाख रुपये, आयोग भवन के लिए 100 लाख रुपये, अल्प संख्यक विकास बोर्ड के लिए 100 लाख रुपये तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।
9.	न्याय प्रशासन के लिए 50 लाख रुपये लेखाओं क लिए 8 लाख रुपये शामिल हैं।
10.	न्याय प्रशायन के लिए 50 लाख रुपये तथा लेखाओं के लिए 8 लाख रुपये शामिल हैं।
11.	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के लिए।
12.	संस्थागत वित्त पोषण तथा लोक उद्यमों के लिए
13.	एच आई पी ए के लिए
14.	जनजातीय क्षेत्रों के लिए 224 लाख रुपये, जनजातीय विकास तंत्र के लिए 89 लाख रुपये, पूर्व सैनिक निगम जिसमें पी ई एक्स एस ई एम शामिल हैं में हिस्से के लिए 68 लाख रुपये तथा नयायिक तंत्र की सुविधाओं हेतु अवस्थापना के उन्नयन के लिए 150 लाख रुपये शामिल हैं।
15.	वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए
16.	प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए
17.	अग्नि सुरक्षा के लिए 100 लाख रुपये तथा न्यायिक अवस्थापना के लिए 638 लाख रुपये शामिल हैं।
18.	टी एस पी/एस सी पी कार्यक्रमों के लिए 8060 लाख रुपये शामिल है।
19.	विशेष विकास निधि के लिए 125 लाख रुपये शामिल हैं।
20.	खजाना के लिए 23 लाख रुपये, मानव शक्ति नियोजना के लिए 5 लाख रुपये तथा एल एफ ए के लिए 4 लाख रुपये शामिल हैं।
21.	विशेष स्वयंय के रोजगार के लिए 900 लाख रुपये शामिल है।
22.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए
23.	विशेष ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिए 600 लाख रुपये, ई ए एस के लिए 115 लाख रुपये तथा ग्रामीण है।
24.	न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए।
25.	सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सम्मिलित।
26.	अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण के लिए

27. नई भूमि उपयोग नीति के लिए 2500 लाख रुपये शामिल हैं।

28. एम श्री स्कध के लिए

29. कानून तथा न्याय (भवन) के लिए

30. न्यायिक सत्र के लिए 80 लाख रुपये तथा मूल्यांकन के लिए 28 लाख रुपये शामिल हैं।

31. रक्षा सेवा कल्याण के लिए 213 लाख रुपये शामिल हैं।

32. पी एस आई पी ए के लिए

33. अपना गांव अपना काम के लिए 1500 लाख रुपये ग्रामीण विकास केन्द्र के लिए 1500 लाख रु+पये, ग्रामीण हाट बाजार क लिए 250 लाख रुपये तथा डी डी पी के लिए 220 लाख रुपये शामिल हैं।

34. तीस जिला तीस काम के लिए 3000 लाख रुपये तथा विकेन्द्रीकृत विकास/नई योजनाओं के लिए 500 लाख रुपये शामिल हैं।

35. एच सी एम आर आई पी ए के लिए

36. गैर योजनागत लेखा घाटे के लिए

37. एस आर ई पी क लिए 400 लाख रुपये तथा ई ए एस क लिए 800 लाख रुपये शामिल हैं।

38. योजना तथा विकास प्रकोष्ठ के लिए 41 लाख रुपये तथा सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 14 लाख रुपये शामिल हैं।

39. न्यायिक तंत्र अवस्थापना के लिए 44 लाख रुपये शामिल हैं।

40. अन्तः द्वीप समूह संचार के लिए 50 लाख रुपये, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लिए लाख रुपये तथा पहचान पत्र जारी करने के लिए 25 लाख रुपये शामिल हैं।

41. डेरी विकास के अधीन शामिल।

42. सड़क सुरक्षा तथा एस टी ए के सुदृढ़ीकरण के लिए।

43. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 5.33 लाख रुपये तथा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लिए। लाख रुपये शामिल हैं।

44. प्रवर्तन स्कन्ध के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 लाख रुपये तथा अग्नि सुरक्षा नियंत्रण और लाइसेंस शाखा के सुदृढ़ीकरण के लिए 28 लाख रुपये शामिल हैं।

45. लेखा तथा लेखा परीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए । लाख रुपये तथा अग्नि शमन सेवाओं के लिए 2 लाख रुपये शामिल हैं।

46. कम्प्यूट्रीकरण के लिए।

47. चक्रवात आश्रय स्थलों के लिए 20.70 लाख रुपये तथा कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए 1000 लाख रुपये शामिल हैं।

48. न्यायालय भवनों के लिए 126 लाख रुपये, आई ओ ए के लिए 118 लाख रुपये तथा मण्डल भवनों के लिए 1100 लाख रुपये शामिल हैं।

49. क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों में शेयर पूंजी के लिए 12 लाख रुपये कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि के निमित्त 369 लाख रुपये शामिल हैं।

50. शहरी परिवहन के लिए।

51. योजना तंत्र के लिए 200 लाख रुपये, यशवन्त राव चह्वान विकास प्रशासन अकादमी के लिए 32 लाख रुपये तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अधीन जिलों को दिए जाने वाले इनामों के लिए 47 लाख रुपये शामिल हैं।

52. भूकम्प पुनर्वास कार्यक्रम के लिए तथा अश्वितरित।

53. विशेष कार्यक्रम संगठन के सुदृढ़ीकरण तथा अनुसमर्थन के लिए 62 लाख रुपये, ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ।। लाख रुपये, डी डब्ल्यू सी आर ए के लिए 160 लाख रुपये आर आर बी के लिए 20 लाख रुपये, जी एस आर डी सी को सहायता के लिए 10 लाख रुपये, गोकल ग्राम योजना के लिए 7200 लाख रुपये, पंचायत वित्त बोर्ड के लिए 500 लाख रुपये तथा सामुदायिक विकास और पंचायतों के लिए 242.50 लाख रुपये शामिल हैं।

राज्य योजना प्रभाग

24.6.95

विवरण

वार्षिक योजना 1995-96 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(लाख रु.)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	आंध्र-प्रदेश	अरुणा-चल प्रदेश	असम	बिहार	गोवा	गुज-रात	हरि-याणा	हिमाचल प्रदेश	जे.एण्ड के.	कर्ना-टक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप													
1 01 2401 00	कृषि फसल	1266	1669	4700	1548	183	3745	2070	2098	3426	3543	7900	5989	7227
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	60	724	453	0	60	2867	1266	583	1597	1753	500	859	11370
2403 00	पशु पालन	700	657	1641	273	200	918	678	949	1514	2772	1950	1279	1772
2404 00	डेरी विकास	100	41	271	9	16	120	70	199	117	196	400	710	1266
2405 00	मछली पालन	150	170	990	239	112	838	325	227	260	1001	3350	406	1068
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	1375	1368	2491	1215	200	7407	3544	5103	2630	4857	2600	6505	12625
2407 00	पौधा रोपण	0	0	12	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	0	0	40	0	7	55	15	0	152	20	75	0	57
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	850	29	1497	621	33	900	744	1189	716	1678	1200	831	844
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	1200	0	20	37	0	900	75	58	60	10119	350	0	748
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम													
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	5	63	96	0	8	0	0	809	198	40	1050	16	0
	(ख) अन्य	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
2425 00	सहकारिता	100	219	1782	107	90	1200	3257	407	373	2000	1350	2012	8681
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**5806**	**4940**	**13993**	**4049**	**909**	**18948**	**12044**	**11627**	**11043**	**18799**	**20725**	**18406**	**45638**
		(2.31)	(11.25)	(11.64)	(4.17)	(4.67)	(7.26)	(9.83)	(13.92)	(10.48)	(6.06)	(13.26)	(7.16)	(7.12)
	II. ग्रामीण विकास													
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	3905	551	2535	5856	93	1739	900	369	426	2882	1400	6320	5121
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	1202	0	0	725	0	1724	75	112	257	1037	0	773	3798
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	60	70	50	0	25	0	170	141	34	170	0	165	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 02 2505 00	**ग्रामीण रोजगार**													
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	9058	100	2520	10000	82	3209	635	325	1768	4534	2278	18949	12868
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0	589	1465	2700	0	817	880	0	0	2293	0	0	45000
1 02 2506 00	भूमि सुधार	1050	59	344	2992	32	300	51	1129	450	255	100	315	281
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	525/[1]	521	2078	1572	60	8929	705/[12]	417	608	9317	3822	4426	817/[19]
102 0000 00	**जोड़-II**	**15800**	**1890**	**8992**	**23845**	**292**	**16718**	**3416**	**2493**	**3543**	**20638**	**7600**	**30948**	**67985**
		(6.29)	(4.30)	(7.48)	(24.53)	(1.50)	(6.41)	(2.79)	(2.99)	(3.36)	(6.68)	(4.86)	(12.03)	(10.61)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	7379	0	310	3000	0	0	1000	0	4544	4750	150	0	4001
	(पिछड़े क्षेत्र)	(12.94)		(0.26)	(3.09)			(0.82)		(4.31)	(1.53)	(0.10)		(0.62)
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**													
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	50967	50	2578	18274	3028	63653	11433	306	2032	85050	11300	29826	63593
2702 00	लघु सिंचाई	7000	1595	4264	2483	400	10185	4051	2577	2402	5619	3400	12738	29968
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	800	46	528	1054	90	925	1390	100	250	869	1200	1049	10057
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	3000	322	2297	3515	30	160	1000	204	1371	972	2100	100	55
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**71767**	**2013**	**9657**	**25326**	**3548**	**74923**	**17874**	**3787**	**6065**	**72510**	**19000**	**43713**	**103673**
		(28.59)	(4.58)	(8.04)	(26.06)	(18.24)	(28.71)	(14.59)	(3.82)	(5.76)	(23.39)	(11.52)	(15.99)	(16.18)
	V. ऊर्जा													
1 05 2801 00	विद्युत	54077	10663	15355	8196	1479	52823	28600	13720	29481	52179	46000	62297	108255
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	66	97	52	129	1	538	103	253	117	500	900	450	300
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**64143**	**10760**	**15407**	**8325**	**1480**	**53361**	**28703**	**13973**	**29598**	**52779**	**46900**	**62747**	**108566**
		(25.55)	(24.49)	(12.82)	(8.56)	(7.61)	(20.44)	(23.43)	(16.73)	(28.10)	(17.03)	(30.01)	(24.39)	(16.94)
	VI. उद्योग एवं खनिज													
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	3600	533	2640	1064	400	10262	5119	1026	3307	8976	7225	8387/[17]	9648
2852 00	उद्योग (वी एंड आई के अलावा)	500	109	2700	875	0	3538	1285	949	1202	5511	11885	0	13523
2853 02	खनन	170	40	250	97	8	200	13	50	241	47	400	709	89
1 06 0000 00	**जोड़ -VI**	**4270**	**682**	**5590**	**2036**	**408**	**14000**	**6417**	**2025**	**4750**	**14534**	**19510**	**7096**	**23240**
		(1.70)	(1.55)	(4.65)	(2.09)	(2.10)	(5.06)	(5.24)	(2.43)	(4.51)	(4.59)	(12.48)	(2.76)	(3.63)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	VII. परिवहन													
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	5539	0	0	0	10	0	0	0	0	672	596	0	263
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	389	0	0	0	0	19	89	0	0	0	126	172
3054 00	सड़क और पुल	5473	9378	8876	7368	1750	10117	2000	10103	8804	11486	9450	5997	45362
3055 00	सड़क परिवहन	22150	486	790	0	250	895	4100	1207	550	10751	800	1636	9256
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	0	0	950	14	185	0	0	5	201	13	295	0	86
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	16/[2]	34/[4]	46	11	1000/[2]	0	0	31	555	51/[14]	0	0	3600/[20]
1 07 0000 00	**जोड़ -VII**	**33178**	**10267**	**10662**	**7401**	**3195**	**11012**	**6119**	**11415**	**10110**	**22953**	**11135**	**7759**	**58739**
		(13.21)	(23.37)	(8.87)	(7.61)	(16.43)	(4.22)	(5.00)	(13.67)	(9.60)	(7.40)	(7.12)	(3.02)	(9.17)
1 08 0000 00	**VIII. संचार**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
							(0.06)		(0.12)					
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण													
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	36	18	208	26	48	60	120	54	40	252	980	219	148
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	74	8	85	18	20	508	121	67	201	348	170	2216	92
	जोड़ - IX	**110**	**26**	**273**	**42**	**58**	**568**	**241**	**121**	**241**	**600**	**1150**	**2435**	**238**
		(0.04)	(0.06)	(0.23)	(0.04)	(0.35)	(0.22)	(0.20)	(0.14)	(0.23)	(0.19)	(0.74)	(0.95)	(0.04)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं													
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	636	75	330	74	12	18	13	192	2042	156/[15]	399	327	20283/[21]
3452 00	पर्यटन	120	199	337	29	295	200	412	816	1660	454	1000	358	546
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	50	97	228	76	10	70	2	34	226	106	260	30	88
3456 00	नागरिक आपत्ति	0	198	75	16	5	70	0	841	0	0	55	340	0
3475 00	**अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं**													
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	0	388	2760	524	0	4910	1180	3496	0	350	0	5670	0
	(ii) माप एवं तोल	9	32	40	2	5	34	12	15	16	25	23	20	0
	(iii) अन्य	0	5/[5]	223/[8]	0	0	0	0	182/[13]	0	0	0	5	0
1 10 0000 00	**जोड़[2](X)**	**815**	**994**	**3991**	**723**	**327**	**5302**	**1619**	**5576**	**3944**	**1091**	**1737**	**7750**	**20917**
		(0.32)	(2.26)	(3.32)	(0.74)	(1.68)	(2.03)	(1.32)	(6.58)	(3.74)	(0.35)	(1.11)	(3.01)	(3.26)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	XI. सामाजिक सेवाएं													
	शिक्षा													
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	1995	4778	30403	6210	1385	5172	12214	10008	8828	25602	3270	16588	25884
2203 00	तकनीकी शिक्षा	1260	0	1277	680	901	3000	2005	1196	447	1753	3050	5370	7318
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	243	283	1008	20	250	260	366	254	334	1012	385	700	808
2205 00	कला एवं संस्कृति	119	246	1383	3	264	450	114	153	100	1170	340	635	633
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	3617	5307	34071	6913	2800	8882	14699	11611	9709	29537	7045	23293	34443
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2967	1063	5098	4192	1282	7100	3030	4238	5220	8995	3900	8528	15339
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	11593	2196	5274	4582	2300	7820	5025	8720	9709	18427	8400	10236	63168
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	11208	1711	958	45	522	7573	4746	3299	661	9901	3000	3295	5133
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	4322	396	1592	681	338	7034	1388	763	2752	9884	1325	6142	19801
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	130	85	232	4	47	730	156	258	65	322	240	224	84
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	9052	0	1174	3422	65	12482	1006	414	339	14942	1910	16404/[18]	12171
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**													
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	508	126	833	101	242	2701	503	110	746	644	545	2744	9438
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	100/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	√
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	744	89	292	60	160	863	12467	721	509	3175	220	1304	1849
2 27 2236 00	पोषाहार	2653	268	745	1373	56	2843	1106	425	600	3315	450	2200	955
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	84/[6]	0	0	0	7907	0	0	0	0	0	601	0
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**46894**	**11325**	**50167**	**21373**	**7812**	**85935**	**44136**	**30569**	**30310**	**99142**	**27035**	**75001**	**162381**
		(18.68)	(25.78)	(41.74)	(21.99)	(40.17)	(25.26)	(36.03)	(36.61)	(28.78)	(31.98)	(17.30)	(29.16)	(25.34)
	XII. सामान्य सेवाएं													
3 42 2056 00	जेलें	0	0	40	98	0	0	0	8	0	153	0	22	/[22]
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	5	71	35	0	15	0	190	249	64	106	58	99	0
2059 00	सार्वजनिक कार्य	381	867	828	891	1335	0	661	1252	1041	1298	2290	100	5007
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**													
	(i) प्रशिक्षण	0	33	200	0	0	68	80	55	72	20	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(ii) अन्य	516/[3]	82/[17]	45/[10]	91	60/[11]	0	0	850		627/[16]	0	1156	40500/[23]
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**902**	**1033**	**1148**	**1080**	**1410**	**68**	**931**	**2414**	**1177**	**2204**	**2358**	**1377**	**45507**
		(0.36)	(2.35)	(0.96)	(1.11)	(7.25)	(0.03)	(0.75)	(2.89)	(1.12)	(0.71)	(1.51)	(0.54)	(7.10)
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**251064**	**43930**	**120200**	**97200**	**19449**	**261000**	**122500**	**83500**	**105325**	**310000**	**156300**	**257232**	**540885**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

राज्य योजना प्रभाग

24.6.95

वार्षिक योजना 1995-96 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	मणि-पुर	मेघा-लय	मिजो-रम	नागा-लैंड	उड़ी-सा	पंजाब	राज-स्थान	सिक्किम	तमिल-नाडु	त्रि-पुरा	उत्तर-प्रदेश	पश्चिम बंगाल	कुल (राज्य)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप													
1 01 2401 00	कृषि फसल	781	1002	665	435	2429	1995	11417	826	13514	1611	15942	1305	97286
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	287	650	335	310	2093	956	2932	207	1752	205	5265	200	37083
2403 00	पशु पालन	385	500	310	250	675	1303	1506	465	2175	439	1718	610	25738
2404 00	डेरी विकास	43	76	30	25	391	105	605	31	61	25	1690	200	6797
2405 00	मछली पालन	232	132	80	156	1754	195	119	41	1276	381	542	3000	17044
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	556	750	600	352	2828	1075	9259	425	5183	471	5167	3300	81686
2407 00	पौधा रोपण	74	0	0	5	0	0	0	0	0	140	0	140	491
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	25	0	0	5	10	0	25	26	0	46	82	100	720
2415 00	कृषि अंनुसंधान एवं शिक्षा	42	28	15	25	450	972	925	61	2732	21	1435	400	18238
2016 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	0	1	0	0	10	900	1416	0	230	5	1200	58	8297
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम													
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	5	115	25	5	10	6	3	16	74	34	0	200	2778
	(ख) अन्य	0	24	0	0	23	0	0	0	0	0	2432	0	2484
2425 00	सहकारिता	125	265	200	50	4539	668	3191	72	262	272	1265	700	33165
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**2556**	**3643**	**2260**	**1618**	**15212**	**8173**	**31398**	**2170**	**27259**	**3650**	**36718**	**10223**	**331807**
		(8.80)	(14.25)	(9.66)	(8.30)	(10.01)	(5.44)	(9.81)	(12.00)	(8.52)	(12.23)	(9.12)	(4.91)	(7.96)

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	II. ग्रामीण विकास													
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	129	506	253	215	4688	658	4367	131	4870	440	9609	4700	62663
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0	10	437	0	1300	0	553	0	1146	250	13399
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	25	75	10	25	40	40	141	28	218	14	395	15	2031
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार													
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	833	129	600	140	6857	689	3500	319	7698	300	20394	8900	116835
2505 80	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0	0	0	1000	3748	0	3500	293	0	1107	2530	0	65922
1 02 2506 60	भूमि सुधार	40	100	2577/[29]	128	2352	0	495	5	12	302	7123	400	20872
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	190	1363/[26]	320	1400	405	1794	5034/[35]	246	443	850	2545	764	49152
102 0000 00	**जोड़-II**	**1217**	**2173**	**3760**	**2918**	**18528**	**3181**	**18337**	**1022**	**13794**	**3013**	**43742**	**15029**	**330874**
		(4.19)	(8.50)	(18.07)	(14.96)	(12.19)	(2.12)	(5.73)	(5.65)	(4.31)	(10.10)	(10.86)	(7.22)	(7.94)
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम**	0	279	0	178	0	1776	970	0	0	2134	6600	2175	39246
	(पिछड़े क्षेत्र)		(1.09)		(0.91)		(1.18)	(0.30)			(7.15)	(1.64)	(1.04)	(0.94)
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**													
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	3595	185	2	80	21309	7390	29870	0	7623	549	33701	10500	445895
2702 00	लघु सिंचाई	652	630	240	253	8900	3399	5085	258	2962	446	5807	1500	116812
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	140	25	5	0	370	3700	8791	5	1156	2	2267	200	35030
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	501	160	0	20	880	3129	2241	34	349	204	1073	4300	28017
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**4889**	**1000**	**247**	**355**	**31459**	**17618**	**45987**	**296**	**12090**	**1201**	**42848**	**16500**	**626756**
		(16.83)	(3.91)	(1.06)	(1.82)	(20.70)	(11.73)	(14.37)	(1.64)	(3.78)	(4.02)	(10.64)	(7.93)	(15.04)
	V. ऊर्जा													
1 05 2801 00	विद्युत	4302	1424	2895	2093	15912	70515	81132	3088	76609	3466	93309	74275	922258
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	48	75	40	7	115	130	320	49	466	55	662	87	5658
1 05 0000 00	**जोड़ - V**	**4348**	**1499**	**2935**	**2100**	**16027**	**70745**	**81452**	**3137**	**77075**	**3521**	**93971**	**74362**	**927914**
		(14.97)	(5.86)	(12.54)	(10.77)	(10.54)	(47.11)	(25.45)	(17.35)	(24.09)	(11.80)	(23.33)	(35.72)	(22.27)

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	VI. उद्योग एवं खनिज													
1 06 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	838	305	902	268	2539	1074	7501	248	7314	629	4350	3200	89353
2852 00	उद्योग (स्त्री एंड आई के अलावा)	237/[24]	770	77	313	1651	2650	7699	574	28623	559	2182	16100	103512
2853 02	खनन	30	174	64	112	3074	5	1087	76	63	3	188	200	7370
1 06 0000 00	**जोड़–VI**	**1105**	**1249**	**1043**	**693**	**7264**	**3729**	**16287**	**896**	**36000**	**1191**	**6720**	**19500**	**200235**
		(3.80)	(4.89)	(4.46)	(3.55)	(4.78)	(2.48)	(5.09)	(4.96)	(11.25)	(3.99)	(1.67)	(9.37)	(4.81)
	VII. परिवहन													
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	0	0	0	0	641	0	0	0	36	0	0	0	7751
3052 00	जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3053 00	नागर विमानन	0	0	1000	0	50	42	0	0	0	0	1732	5	3612
3054 00	सड़क और पुल	3888	6010	3291	1296	14818	4078	22000	2456	14920	2575	39209	11973	262458
3055 00	सड़क परिवहन	92	250	156	185	633	935	3492	207	15097	495	5555	3472	83420
3056 00	अन्तर्देशी जल परिवहन	0	0	10	0	50	0	0	0	0	0	0	250	2062
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	98	85	23/[30]	25/[14]	0	0	0	0	0	54/[38]	0	0	5505
1 07 0000 00	**जोड़ –VII**	**4078**	**6325**	**4480**	**1506**	**16192**	**5055**	**25492**	**2663**	**30053**	**3124**	**46499**	**15500**	**364912**
		(14.04)	(24.74)	(19.15)	(7.72)	(10.85)	(3.37)	(7.97)	(14.73)	(9.39)	(10.47)	(11.55)	(7.44)	(8.76)
1 08 0000 00	**VIII. संचार**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	294
											(0.10)			
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण													
1 09 3425 00	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	84	62	48	14	304	41	162	70	245	51	600	174	4062
3435 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	28	50	2	5	410	37	322	39	361	20	243	45	5468
	जोड़ – IX	**112**	**112**	**50**	**19**	**714**	**78**	**484**	**109**	**606**	**71**	**843**	**219**	**9530**
		(0.39)	(0.44)	(0.21)	(0.10)	(0.47)	(0.05)	(0.15)	(0.60)	(0.19)	(0.24)	(0.21)	(0.11)	(0.23)
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं													
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	65	70	45	73	32	191	666	49	83	23	842	35	26731
3452 00	पर्यटन	78	300	60	75	468	56	1500	159	380	128	5260	100	14990
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	46	43	37	56	62	123	135	27	66	22	115	1	2009
3456 00	नागरिक आपूर्ति	58	33	60	43	74	5	222	52	208	10	9	300	2676
	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
3475 00	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	185	300	1296	3000	893	2065	2900	0	5000	2	0	1600	37519

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	(ii) माप एवं तोल	7	19	17	10	6	0	30	0	29	8	0	30	389
	(iii) अन्य	0	20/27	20/31	63/32	53	1	3470/36	0	0	5/39	6	0	4053
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**439**	**785**	**1535**	**3320**	**1588**	**2441**	**8924**	**287**	**5766**	**198**	**6232**	**2066**	**88367**
		(1.51)	(3.07)	(6.56)	(17.03)	(1.04)	(1.63)	(2.79)	(1.59)	(1.80)	(0.66)	(1.55)	(0.99)	(2.12)
	XI. सामाजिक सेवाएं													
	शिक्षा													
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	1690	2883	1490	978	12652	5203	28562	2123	10024	4165	37420	6800	266127
2203 00	तकनीकी शिक्षा	115	60	80	68	1557	4002	2808	59	1064	29	3835	3000	44934
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	1342	425	118	64	683	881	256	101	3483	131	1573	650	15640
2405 00	कला एवं संस्कृति	227	142	75	58	338	405	412	122	425	22	564	528	8928
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	3374	3510	1763	1168	15230	10491	32048	2405	14996	4347	43392	10978	335629
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	681	1331	897	1930	3769	3841	13230	1297	9061	900	10261	3330	121498
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2230	1575	1516	780	6390	3758	26955	1112	41520	1920	16822	4700	268846
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	937	240	583	753	1300	5035	2801	1394	4467	841	5822	3145	80350
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	617	635	1415	492	1935	2108	4299	358	19314	896	5605	19622	113718
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	51	70	93	96	325	373	142	52	37	150	277	241	4506
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	285	14	0	0	4890	3128	1660	112	11264	1516	16668	2600	115518
2 26 2230 00	**श्रम एवं रोजगार**													
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	110	85	40	96	355	1711	3920	15	576	118	941	1080	28088
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	971	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	1178
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	94	95	95	46	1566	2973/33	267	72	3578	180	13699	498	45616
2 27 2236 00	पोषाहार	200	238	135	154	8000	150	1221	246	11000	530	3040	954	42857
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	9912
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**9552**	**7793**	**6516**	**5612**	**43754**	**34568**	**86553**	**7063**	**115822**	**11398**	**116527**	**48468**	**1165716**
		(32.89)	(30.48)	(27.85)	(28.78)	(28.79)	(23.02)	(27.05)	(39.06)	(36.19)	(38.20)	(28.93)	(23.28)	(27.97)
	XII. सामान्य सेवाएं													
3 42 2056 00	जेलें	28	/22	70	0	0	746	148	0	0	10	0	350	1673
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	33	50	45	18	38	276	86	38	16	20	40	30	1592

1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2059 00	सार्वजनिक कार्य	667	589	433	1129	1214	1507	3832	401	1519	246	2000	3618	33106
2070 00	अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
	(i) प्रशिक्षण	0	20	26	34	0	0	0	0	0	0	0	0	508
	(ii) अन्य	18/25	50/28	0	0	0	290/34	50/37	0	0	33/41	0	160	44508
3 00 0000 00	जोड़ - (XII)	746	709	574	1181	1252	2819	4116	439	1535	309	2040	4158	81487
		(2.57)	(2.77)	(2.45)	(6.06)	(0.82)	(1.88)	(1.29)	(2.43)	(0.48)	(1.04)	(0.51)	(2.00)	(1.96)
9 99 9999 99	कुल जोड़	29042	25587	23400	19500	152000	150183	320000	18082	320000	29839	402740	208200	4167138
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)

राज्य योजना प्रभाग

24.6.95

वार्षिक योजना 1994-95 अनुमोदित परिव्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(रु. लाख में)

कोड सं.	विकास के प्रमुख लघु शीर्ष	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	चंडी-गढ़	दादर व नगर हवेली	दमन और दीव	दिल्ली	लक्ष-द्वीप	पांडि-चेरी	कुल संघ क्षेत्र	कुल जोड़ राज्य/ संघ क्षेत्र	कुल परिव्यय का प्रतिशत
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	I. कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप										
1 01 2401 00	कृषि फसल	105.00	3.10	115.00	35.00	182.00	185.54	420.00	1045.64	98331.64	2.24
2402 00	मृदा एवं जल संरक्षण	55.26	2.80	103.08	2.50	2.00	21.46	47.00	234.10	37317.10	0.85
2403 00	पशु पालन	185.00	34.00	17.00	20.00	434.50	154.80	421.00	1266.30	27004.30	0.61
2404 00	डेरी विकास	0.00	/42	4.08	0.80	200.00	0.00	17.00	221.88	7018.88	0.16
2405 00	मछली पालन	471.91	4.70	1.58	60.00	28.50	250.00	248.00	1074.69	18118.69	0.41
2406 00	पर्यावरण एवं वन्य जीवन	600.39	183.03	260.00	35.70	448.00	21.00	105.00	1653.12	83339.12	1.90
2407 00	पौधा रोपण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.01
2408 00	खाद्य संग्रह एवं माल गोदाम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.02
2415 00	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	454.00	18692.00	0.43
2416 00	कृषि वित्तीय संस्थाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8297.00	0.19

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2435 00	अन्य कृषि कार्यक्रम										
	(क) विपणन एवं गुणवत्तर नियंत्रण	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	27.00	32.00	2810.00	0.06
	(ख) अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2484.00	0.06
2425 00	सहकारिता	155.83	32.00	21.35	6.00	80.00	40.00	498.00	813.18	33978.18	0.77
1 01 0000 00	**जोड़ (I)**	**1573.39**	**259.63**	**522.09**	**160.00**	**1360.00**	**682.80**	**2237.00**	**6794.91**	**338601.91**	**7.70**
		(7.32)	(2.60)	(18.00)	(6.96)	(0.79)	(17.69)	(12.74)	(2.95)	(7.70)	
	II. ग्रामीण विकास										
1 02 2501 00	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2501 01	(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं संबद्ध कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62663.00	1.43
2501 02	(ख) सूखा प्रवृण क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13399.00	0.30
2501 04	(ग) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्य.	18.50	4.00	4.50	1.00	155.00	9.00	50.00	242.00	2273.00	0.05
1 02 2505 00	ग्रामीण रोजगार										
2505 01	(क) एनआरईपीजवाहर रोजगार यो.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116835.00	2.66
2505 60	(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि जैसे)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65922.00	1.50
1 02 2506 00	भूमि सुधार	0.00	0.00	3.93	8.00	5.00	10.00	12.00	38.93	20910.93	0.48
2515 00	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास एवं पंचायत सहित)	300.00	176.00	48.12	11.00	5765.00	90.00	408.00	6798.12	55950.12	1.27
1 02 0000 00	**जोड़-II**	**318.50**	**180.00**	**56.55**	**20.00**	**5925.00**	**109.00**	**470.00**	**7079.05**	**337953.05**	**7.69**
		(1.48)	(1.80)	(1.95)	(0.87)	(3.44)	(2.82)	(2.68)	(3.08)	(7.69)	
1 03 0000 00	**III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पिछड़े क्षेत्र)**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39246.00 (0.89)	0.89
1 04 0000 00	**IV. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण**										
1 04 2701 00	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	0.00	0.00	50.00	55.00	0.00	0.00	0.00	105.00	447000.00	10.17
2702 00	लघु सिंचाई	141.50	20.00	105.00	12.00	252.00	0.00	283.00	813.50	117627.50	2.68
2705 00	कमान क्षेत्र विकास	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	35031.00	0.80
2711 00	बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी)	71.00	0.00	0.0	35.00	1415.00	185.00	350.00	2056.00	30073.00	0.68
1 04 0000 00	**जोड़ - IV**	**212.50**	**20.00**	**156.00**	**102.00**	**1667.00**	**185.00**	**633.00**	**2975.00**	**629731.50**	**14.32**
		(0.99)	(0.20)	(5.38)	(4.43)	(0.97)	(4.79)	(3.61)	(1.29)	(14.32)	

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	V. ऊर्जा										
1 05 2801 00	विद्युत	1528.00	985.00	486.00	342.00	43775.00	195.00	4001.00	51312.00	973568.10	22.14
2810 00	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	161.90	25.00	2.76	2.00	225.00	209.00	72.00	697.66	8355.66	0.14
1 05 0000 00	**जोड़ – V**	**1690.00**	**1010.00**	**488.76**	**344.00**	**44000.00**	**404.00**	**4073.00**	**52009.76**	**979923.76**	**22.28**
		(7.85)	(10.10)	(16.85)	(14.96)	(25.58)	(10.47)	(23.21)	(22.60)	(22.28)	
	VI. उद्योग एवं खनिज										
106 2851 00	ग्राम एवं लघु उद्योग	1002.73	143.10	89.00	20.00	650.00	180.00	1164.00	3248.83	92601.83	2.11
2852 00	उद्योग (वी एंड आई के अलावा)	0.00	4.00	0.00	30.00	50.00	0.00	928.00	1012.00	104524.00	2.38
2853 02	खनन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7370.00	0.17
1 06 0000 00	**जोड़–VI**	**1002.73**	**147.10**	**89.00**	**50.00**	**700.00**	**180.00**	**2092.00**	**4260.83**	**204495.83**	**4.65**
		(4.66)	(1.47)	(3.07)	(2.17)	(0.41)	(4.66)	(11.92)	(1.85)	(4.65)	
	VII. परिवहन										
1 07 3051 00	पत्तन एवं प्रकाश गृह	582.55	0.00	0.00	45.00	0.00	74.74	275.00	977.39	8728.39	0.20
3052 00	जहाजरानी	5505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.88	0.00	6505.88	6505.88	0.15
3053 00	नागर विमानन	985.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	995.68	4807.58	0.10
3054 00	सड़क और पुल	1883.00	45.00	368.00	254.00	16675.00	82.00	950.00	20257.00	282715.00	6.43
3055 00	सड़क परिवहन	140.00	296.50	0.00	0.00	1466.00	3.50	39.00	1945.00	85385.00	1.94
3056 00	अन्तर्देशी जल परिहवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.45	0.00	134.46	2196.46	0.05
3075 00	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	13.50/43	13.00	1.00	0.00	0.00	0.00	27.50	5636.50	0.13
1 07 0000 00	**जोड़ –VII**	**9096.33**	**355.00**	**381.00**	**300.00**	**18141.00**	**1305.58**	**1264.00**	**30842.91**	**395754.91**	**9.00**
		(42.31)	(3.55)	(13.14)	(13.04)	(10.55)	(33.82)	(7.20)	(13.40)	(9.00)	
1 08 0000 00	VIII. संचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	309.00	0.01
							(0.39)			(0.01)	
	IX. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण										
1 09 3425 000	विज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रौ. सहित)	48.75	14.00	5.50	13.00	7.00	24.43	38.00	150.68	4212.68	0.10
3425 00	पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	5.00	30.10	0.00	0.00	79.00	24.57	25.00	163.67	5631.67	0.13
	जोड़ – IX	**53.75**	**44.10**	**5.50**	**13.00**	**88.00**	**49.00**	**63.00**	**314.35**	**9844.35**	**0.22**
		(0.25)	(0.44)	(0.19)	(0.57)	(0.05)	(1.27)	(0.36)	(0.14)	(0.22)	
	X. सामान्य आर्थिक सेवाएं										
1 10 3451 00	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	27.37	10.60	0.00	0.35	80.00	8.00	9.00	135.32	26866.32	0.61

1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
3452 00	पर्यटन	677.39	215.00	70.00	215.00	772.00	60.92	118.00	2128.31	17118.31	0.39
3454 00	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	6.00	0.50	0.00	10.00	150.00	5.00	3.00	174.50	2183.50	0.05
3456 00	नागरिक आपत्ति	92.40	48.75	15.30	3.95	210.00	33.20	82.00	485.61	3161.61	0.07
3475 00	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
	(i) जिला आयोजनजिला परिषद्	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37519.00	0.85
	(ii) माप एवं तोल	0.00	0.00	1.25	0.70	11.00	30.00	4.0	46.95	435.95	0.01
	(iii) अन्य	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00/47	4078.00	0.09
1 10 0000 00	**जोड़-(X)**	**803.16**	**274.86**	**101.55**	**230.00**	**1223.00**	**137.12**	**226.00**	**2995.69**	**91362.69**	**2.08**
		(3.74)	(2.75)	(3.50)	(10.00)	(0.71)	(3.55)	(1.29)	(1.30)	(2.08)	
	XI. सामाजिक सेवाएं										
	शिक्षा										
2 21 2202 00	सामान्य शिक्षा	2068.70	1145.03	406.13	225.40	13940.00	162.00	1389.00	19336.26	285463.26	6.49
2203 00	तकनीकी शिक्षा	182.00	220.00	180.00	149.60	3417.00	0.00	384.00	4532.60	49466.60	1.12
2204 00	खेल एवं युवा सेवाएं	506.20	190.00	20.00	25.00	807.00	27.00	63.00	1638.20	17278.20	0.39
2205 00	कला एवं संस्कृति	92.80	43.00	14.00	25.00	530.00	44.00	84.00	832.80	9760.80	0.22
2 21 0000 00	**उप-जोड़ (शिक्षा)**	2849.70	1598.03	520.13	425.00	18694.00	233.00	1920.00	26339.86	361968.86	8.23
2 22 2210 00	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1025.00	2043.84	111.80	100.00	10055.00	122.00	1245.00	14702.64	136200.	3.10
2 23 2215 00	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1162.00	829.00	99.00	124.00	21050.00	111.00	559.00	23944.00	290790.00	6.61
2 23 2216 00	आवसि (पुलिस आवास सहित)	670.00	735.00	111.35	95.00	3927.00	123.50	580.00	5241.85	86591.85	1.97
2 23 2217 00	शहरी विकास (राज्य पूंजी परि. सहित)	326.00	2180.83	15.00	20.00	32490.00	5.00	549.00	35585.83	149303.83	3.40
2 24 2220 00	सूचना एवं प्रसारण	79.00	8.00	11.00	10.00	93.00	26.00	87.00	314.00	4820.00	0.11
2 25 2225 00	अनु.जाति अनु.जनजाति एवं पि. वर्ग सहित	18.00	149.32	20.00	25.00	1500.00	0.00	435.00	2249.12	117767.12	2.68
2 26 2230 00	श्रम एवं रोजगार										
	(i) श्रम एवं श्रमिक कल्याण	56.70	42.50	20.50	45.00	845.00	19.00	143.00	1171.70	29259.70	0.67
	(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1178.00	0.03
2 27 2235 00	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	93.70	63.48	7.90	6.00	1474.00	30.00	274.00	1949.06	47565.06	1.08
2 27 2236 00	पोषाहार	34.74	5.00	46.87	40.00	1926.00	17.00	295.00	2364.61	49221.81	1.03

1	2	29	30.	31	32	33	34	35	36	37	38
2 28 2252 00	अन्य सामाजिक सेवाएं	0.00	5.33/44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.33	9918.33	0.23
2 00 0000 00	**जोड़ -(XI)**	**6315.64**	**7661.31**	**1063.55**	**891.00**	**92154.00**	**886.50**	**6097.00**	**114869.00**	**1280585.00**	**29.12**
		(29.38)	**(76.61)**	**(36.74)**	**(38.74)**	**(53.58)**	**17.78)**	**34.74)**	**(49.92)**	**(29.12)**	
	XII. सामान्य सेवाएं										
3 42 2056 00	जेलें	50.00	0.00	0.00	3.00	1062.00	5.00	?22	1120.00	2793.00	0.06
2058 00	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	0.00	0.00	5.00	20.00	0.00	86.00	90.00	181.00	1773.00	0.04
2059 00	सार्वजनिक कार्य	300.00	0.00	11.00	164.00	3045.00	0.00	293.00	3813.00	36919.00	0.84
2070 00	**अन्य प्रशासनिक सेवाएं**										
	(i) प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	646.00	0.01
	(ii) अन्य	84.00/41	48.00/45	20.00/28	3.00/46	2597.00	35.00/26	14.00/48	2801.00	47309.00	1.08
3 00 0000 00	**जोड़ - (XII)**	**434.00**	**48.00**	**36.00**	**190.00**	**6744.00**	**106.00**	**397.00**	**7955.00**	**89442.00**	**2.03**
		(2.02)	(0.48)	(1.24)	(8.26)	(3.92)	(2.75)	(2.26)	(3.46)	(2.03)	
9 99 9999 99	**कुल जोड़**	**21500.00**	**10000.00**	**2900.00**	**2300.00**	**172000.00**	**3860.00**	**17552.00**	**230112.00**	**4397250.00**	**100.00**
		(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	

वार्षिक योजना — 1995-96 — संशोधित अनुमोदित परिव्यय - राज्य/संघ क्षेत्र

टिप्पणी :— कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परस्पर प्रतिशत दर्शाते हैं.

* संशोधन नहीं कराया गया, अनुमोदित परिव्यय दोहराया गया।

1. सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 4.50 लाख रुपये, चक्रवात शेल्टरों के लिए 20.70 लाख रुपये तथा कृषि-श्रम के कल्याण के लिए 500 लाख रुपये शामिल हैं।
2. रेलवे के लिए
3. मंडल भवनों के लिए 250 लाख रुपये, पुलिस अकादमी परिसर के लिए 100 लाख रुपये और आई ओ ए के लिए 40 लाख रुपये शामिल हैं।
4. सड़क सुरक्षा के लिए 8 लाख रुपये तथा परिवहन निदेशालय के लिए 26 लाख रुपये शामिल हैं।
5. लघु बचतों के लिए
6. एन आर वाई/यू बी एस पी के लिए
7. न्यायिक प्रशासन के लिए
8. न्याय प्रशासन के लिए 200 लाख रुपये तथा लोक उद्यमों के लिए 23 लाख रुपये शामिल है।
9. दिशाहीन युवकों के रोजगार के लिए
10. अल्प संख्यक विकास बोर्ड के लिए 40 लाख रुपये तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।
11. न्यायिक प्रशासन के लिए 50 लाख तथा लेखाओं के लिए 9.50 लाख रुपये शामिल हैं।

12. सामुदायिक विकास तथा पंचायतों के लिए 702 लाख रुपये तथा अधिशेष घोषित भूमि की देखरेख करने वालों के लिए 3 लाख रुपये शामिल है।

13. संस्थागत वित्त पोषण के लिए

14. वाहन प्रदूषण नियंत्रण के लिए

15. प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए 51 लाख रुपये शामिल हैं।

16. अग्नि सुरक्षा के लिए 75 लाख रुपये तथा न्याय प्रशासन के लिए 552 लाख शामिल है।

17. वी तथा एस आई के लिए भी उपबंध शामिल हैं।

18. टी एस पी/एस सी पी कार्यक्रमों के लिए 8143 लाख रुपये शामिल हैं।

19. क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों की शेयर पूंजी के लिए 100 लाख रुपये तथा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि के लिए 369 लाख रुपये।

20. शहरी परिवहन के लिए

21. योजना तंत्र के लिए 221 लाख रुपये, विकास प्रशासन की यशवंत राव चौहान अकादमी के लिए 57 लाख रुपये, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जिलों को पुरस्कार हेतु 47 लाख रुपये तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम के लिए 1995 लाख रुपये शामिल हैं।

22. सार्वजनिक निर्माण कार्यों में सम्मिलित

23. भूचाल पुनर्वास कार्यक्रम के लिए

24. विशेष विकास निधि के लिए 190.63 लाख रुपये

25. एस ए टी के लिए

26. ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए 15 लाख रुपये, ई ए एस के लिए 160 लाख रुपये तथा विशेष ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के लिए 782 लाख रुपये शामिल हैं।

27. न्यायिक भवन के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये तथा ई ए एस/एन जी ओ के लिए स्वैच्छिक कार्य निधि के लिए 10 लाख रुपये शामिल है।

28. अग्नि सुरक्षा तथा नियंत्रण के लिए

29. नई भूमि उपयोग नीति के लिए 2500 लाख रुपये

30. एम वी स्कंध के लिए

31. कानून तथा न्यायिक भवन के लिए

32. मूल्यांकन के लिए 28 लाख रुपये तथा न्यायिक तंत्र के लिए 35 लाख रुपये शामिल हैं।

33. रक्षा सेवा कल्याण के लिए 144 लाख रुपये शामिल है।

34. पी एस आई पी ए के लिए

35. अपना गांव अपना काम के लिए 1500 लाख रुपये, ग्रामीण विकास केन्द्र के लिए 1500 लाख रुपये तथा ग्रामीण हाट बाजार के लिए 250 लाख रुपये शामिल हैं।

36. तीस जिला तीस काम के लिए 3000 लाख रुपये तथा विकेन्द्रीकृत विकास/नई योजनाओं के लिए 470 लाख रुपये शामिला हैं।

37. प्रशासनिक सुधारों के लिए 15 लाख रुपये तथा एच सी एम आर आई पी ए के लिए 35 लाख रुपये

38. योजना तथा विकास प्रकोष्ठ के लिए 40 लाख रुपये तथा सड़क सुरक्षा उपायों के लिए 14 लाख रुपये शामिल हैं।

39. मूल्यांकन के लिए

40. कानूनी सहायता तथा सलाह के लिए।
41. अन्तर-द्वीप संचार के लिए 50 लाख रुपये, स्थानीय फंड आडिट विभाग के लिए 9 लाख रुपये और पहचान-पत्र जारी करने के लिए 25 लाख रुपये शामिल हैं।
42. डेयरी विकास के अन्तर्गत सम्मिलित
43. सड़क सुरक्षा और एस टी ए के सुदृढ़ीकरण के लिए।
44. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए 5.33 लाख रुपये और स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन के लिए एक लाख रुपए शामिल हैं।
45. प्रवर्तन विंग के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 लाख रुपए और अग्नि सुरक्षा नियंत्रण और लाइसेंस शाखा के सुदृढ़ीकरण के लिए 28 लाख रुपए शामिल हैं।
46. लेखों और लेखा परीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए एक लाख रुपए और अग्नि सेवाओं के लिए 2 लाख रुपए शामिल हैं।
47. कम्प्यूटरीकरण के लिए।
48. अग्नि सेवाओं के लिए।

मध्य प्रदेश की पेयजल योजना

4247. श्री नंदकुमार सिंह चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुख्यालय खण्डवा शहर, मध्य प्रदेश की पेयजल योजना अनुमोदनार्थ केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) उसकी लागत कितनी है; और

(ग) इसे कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

4248. डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक प्रस्ताव गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए है और अन्य प्रस्ताव बकरी मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के बारे में है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा परियोजनावार अलग अलग कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या ये परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और शुरू हो गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ये कब तक पूरी कर ली जायेंगी ओर शुरू हो जाएंगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) असम में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 21, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक तथा भेड़ एवं बकरी मांस प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 62.55 लाख रु., गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के लिए 25.556 लाख रु. तथा भेड़ एवं बकरी मास प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए 90.00 लाख रु. जारी किए हैं।

(ग) और (घ). पांच खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को पूरा कर लिया गया है और वे चालू हो गए हैं जबकि अन्यों के एक उचित समयावधि के भीतर पूरा होकर चालू हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

4249. श्री आर.एल.पी. वर्मा :
श्री दरबारा सिंह :
श्री प्रदीप भट्टाचार्य :
श्री राजमोहन राम :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य की प्रतीक्षा सूची में रसोई गैस के कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) किस राज्य में सर्वाधिक आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ग) लंबित आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने नए रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने में निजी क्षेत्र की रसोई गैस कंपनियों की भूमिका का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) दिनांक 1.4.96 तक नए एलपीजी कनेक्शनों के लिए महाराष्ट्र में सबसे अधिक अर्थात 17.81 लाख व्यक्ति प्रतीक्षा सूची पर हैं।

(ग) इस बात के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि यथा संभव अधिक से अधिक व्यक्तियों को एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाएं। मौजूदा उत्पादन स्त्रोतों की क्षमता को बढ़ाकर, नए संयंत्र लगाकर तथा अधिक आयातों से आपूर्ति को बढ़ाते हुए एलपीजी की अधिक उपलब्धता के लिए योजनाएं बनाई गई हैं।

(घ) से (ङ). निजी एजेंसियों को समानांतर विपणन पद्धति के तहत एलपीजी के आयात व विपणन की इजाजत देने के निर्णय के पीछे ध्येय यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के प्रयासों को पूर्ति हो सके तथा देश में एल पी जी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से एल पी जी की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। तथापि एल पी जी का समानान्तर विपणन वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाया। दिनांक 31.7.1996 तक 17 पक्षकारों ने वास्तव में करीब 136.3 टी.एम.टी. एलपीजी थोक में तथा 2 पक्षकारों ने 0.19 टीएमटी पैक्ड एलपीजी का आयात किया है।

विवरण

1.4.1996 की स्थिति के अनुसार राज्यवार प्रतीक्षा सूची

राज्य	संख्या लाख में
आंध्र प्रदेश	10.14
अरुणाचल प्रदेश	0.16
असम	1.51
बिहार	3.72
गोवा	0.61
गुजरात	7.95
हिमाचल प्रदेश	4.68
जम्मू और कश्मीर	1.03
कर्नाटक	1.36
केरल	6.55
मध्य प्रदेश	5.86
महाराष्ट्र	17.81
मणिपुर	0.05
मेघालय	0.07
मिजोरम	0.05
नागालैंड	0.04
उड़ीसा	1.26
पंजाब	7.02
राजस्थान	8.50
सिक्किम	0.02
तमिलनाडु	13.91
त्रिपुरा	0.32
उत्तर प्रदेश	14.87
पश्चिम बंगाल	9.35
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान निकोबार	0.12
चंडीगढ़	0.81
दादरा व नागर हवेली	0.01
दिल्ली	7.95
दमन और द्वीव	0.02
लक्षदीप	–
पांडिचेरी	0.46

[अनुवाद]

डी.डी.ए. पार्क पर अवैध कब्जा

4250. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासपुरी के ए-ब्लाक में डी.डी.ए. पार्क पर जिसमें चारों और ग्रिलें लगाई हैं; अवैध कब्जा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.डी.ए./नागरिक प्रशासन ने अनधिकृत व्यक्तियों से इसे खाली करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

4251. श्री एस. अजय कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में अल्प आय वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवास समस्या को दूर करने के लिए नए टाइप दो क्वार्टरों का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) 540 क्वार्टस श्रेणी-II के देव नगर में तथा 515 क्वार्टर्स श्रेणी-II के माता सुन्दरी रोड क्षेत्र में बनाए जाने प्रस्तावित है।

(ग) उपर्युक्त भाग "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

परमाणु विद्युत

4252. श्री अजमीरा चन्दूलाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत उत्पादन में परमाणु विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान है;

(ख) परमाणु विद्युत उत्पादन के असंतोषजनक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) अत्यधिक धनाभाव का सामना कर रहे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त बजटीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) देश में 1995-96 के दौरान उत्पादित कुल बिजली में परमाणु विद्युत का योगदान 2.1 प्रतिशत है।

(ख) वर्ष 1995-96 में 60 प्रतिशत के वार्षिक क्षमता गुणक के साथ परमाणु विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक माना गया है।

(ग) चालू परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए और अतिरिक्त परमाणु विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के लिए नवीं योजना में सरकार से बजटीय सहायता बढ़ाने के प्रयास जारी है।

अम्बेडकर आवास योजना

4253. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिसम्बर, 1992 में अम्बेडकर आवास योजना आरम्भ की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्गीय फ्लैटों के सभी 7000 पंजीकृत आवेदकों को फ्लैटों का आबंटन कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो आज की तारीख तक मध्यम आय वर्गीय फ्लैटों के आवंटियों की संख्या कितनी है और शेष पंजीकृत आवेदकों को कब तक फ्लैटों का आबंटन कर दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) अम्बेडकर आवास योजना दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1989 में प्रारम्भ की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि एम आई जी श्रेणी के 1302 आवंटन किये गये है। यह आशा है कि भूमि और अवस्थापना सुविधाओं के मिलने पर अम्बेडकर आवास योजना के एम आई जी श्रेणी के सभी प्रतिक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों को लगभग दो वर्षों की, अवधि में फ्लैटस आवंटित कर दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

रसोई गैस की मांग

4254. कुमारी उमा भारती :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस की इस समय कितनी मांग है;

(ख) रसोई गैस की मांग तथा इसकी आपूर्ति में कितना अंतर है;

(ग) आने वाले दशक के दौरान रसोई गैस की मांग में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई बाजार सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). देश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत वर्तमान ग्राहकों की मांग घरेलू स्त्रोतों से उपलब्ध एल पी जी और संभव आयातों के द्वारा पूर्णतः पूरी की जा रही है। फिर भी प्रतीक्षा सूचीबद्ध ग्राहकों सहित कुल मांग घरेलू रूप से उपलब्ध गैस से अधिक है। इसलिए नए पंजीयन घरेलू उपलब्धता और आयात क्षमता के अनुरूप चरणबद्ध ढंग से किए जाते हैं।

1995-96 के दौरान एल पी जी खपत, उत्पादन और आयातों का ब्यौरा निम्नवत हैं :

आंकड़े टीएमटी में

वर्ष	उत्पादन	आयात	खपत
1995-96 (अनन्तिम)	3246	683	3836

(ग) से (ङ). देश में एल पी जी की मांग संभाव्यता का अंदाजा लगाने के लिए तेल उद्योग ने वर्ष 2000 तक वर्तमान लागत आधार पर मुक्त उपलब्धता के विधान के अंतर्गत देश में एल पी जी की संभाव्य मांग को आंकने के लिए वर्ष 1991 में भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (आई एम आर बी) द्वारा एक सर्वेक्षण कराया था। "आईएमआरबी" सर्वेक्षण के अनुसार एलपीजी की संभाव्य मांग 1991 में 4122 टीएमटी थी जो 26.9 मिलियन संभाव्य ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई। आईएमआरबी ने वर्ष 2000 में 40.7 मिलियन घरों को उपलब्ध कराने हेतु 6354 टीएमटी की संभाव्य मांग का अनुमान लगाया है।

सरकार द्वारा एलपीजी के संबंध में गठित नौवीं योजना के उपदल ने नौवीं योजना रिपोर्ट का एक व्यापक प्रारूप पेश किया है। इस रिपोर्ट में देश में एल पी जी की मांग का अनुमान उच्च और सामान्य स्तरों पर लगाया गया है। उच्च स्तर पर देश में समग्र एल पी जी मांग संभाव्यता का अनुमान इस बात का ध्यान किए बिना लगाया गया था कि मांग कौन (निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र) पूरी करने जा रहा है। सामान्य स्तर पर मांग सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पूरी किए जाने का अनुमान लगाया गया था।

वर्ष 2006-2007 के लिए उच्च स्तर और सामान्य स्तर पर एल पी जी की मांग के आकलन क्रमशः 13087 टी एम टी और 10786 टी एम टी है।

[अनुवाद]

सकल राष्ट्रीय उत्पाद/सकल घरेलू उत्पाद

4255. श्री हरिन पाठक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अद्यतन ब्यौरे क्या हैं; और

(ख) उसमें उद्योग और कृषि का हिस्सा कितना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) तथा (ख). सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान राज्य स्तर पर नहीं लगाया जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अद्यतन ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात तथा महाराष्ट्र के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान तथा उसमें कृषि तथा उद्योग का हिस्सा

(रुपये लाख में)

वर्ष/क्षेत्र	गुजरात			महाराष्ट्र		
	कृषि	उद्योग (विनिर्माणकारी)	कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कृषि	उद्योग (विनिर्माणकारी)	कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद
प्रचलित मूल्यों पर						
1994-95*	1362862	1343907	5365823	2238316	3184364	12317751
	(25.40)	(25.05)	(100.00)	(18.17)	(25.85)	(100.00)
स्थिर (1980-81) मूल्यों पर						
1994-95*	350546	493063	1623963	624274	1153708	3876596
	(21.59)	(30.36)	(100.00)	(16.10)	(29.76)	(100.00)

* त्वरित अनुमान

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।

इंडियन रेयर अर्थ्स

4256. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेयर अर्थस रिन्यूसन गोल्ड कंसोलिडेटड और केरल राज्य सरकार के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने खनन संयंत्रों की स्थापना के लिए कतिपय निजी पार्टियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं और इस पर केन्द्र सरकार से स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) तथा (ख). इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, केरल सरकार, चैमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और रेनिसन गोल्डफील्डस कनसॉलिडेटिड लिमिटेड के एक संयुक्त उद्यम के जरिए खनन और खनिज पृथक्करण संयंत्र तथा सिंथेटिक स्टाइल संयंत्र स्थापित करने

के लिए 1.2.1995 को इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, रेनिसन गोल्ड फील्डस कनसॉलिडेटिड लिमिटेड और चैमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में इसके स्थान पर एक अन्य समझौता ज्ञापन इसी उद्देश्य के लिए इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड, चैमप्लास्ट सन्मार लिमिटेड और केरल सरकार के बीच हस्ताक्षरित किया गया और इस समझौता ज्ञापन की वैद्यता 31.5.1996 को समाप्त हो गई है।

120000 मीटरी टन की वार्षिक क्षमता के साथ इस सिंथेटिक स्टाइल संयंत्र पर 500 करोड़ रुपए के कुल निवेश का अनुमान लगाया गया था।

(ग) तथा (घ). खनन संयंत्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार ने ऊपर (क) पर उल्लिखित को छोड़कर किसी भी अन्य प्राइवेट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा

4257. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के अनेक शहरों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान राज्यवार दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : 1996-97 के दौरान राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 250 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है ताकि केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री विकास स्कीम के तहत शहरी गंदी बस्ती के निवासियों को बुनियादी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। राज्यों के बीच इस बढ़े हुए आबंटन की वितरण विधियों को निष्पादन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निधि

4258. श्री राज केशर सिंह ;
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष के दौरान सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में धनराशि आवंटन में वृद्धि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो वे विशिष्ट योजनाएं कौन सी है जिनके लिए आवंटन में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). सात मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत आने वाली केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और राज्य योजनाओं की स्कीमों के लिए केन्द्रीय बजट में 1996-97 हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 2466 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। 4-5 जुलाई, 1996 को नई दिल्ली में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा पहचान की गई सात न्यूनतम सेवाएं हैं :

(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के शत-प्रतिशत कवरेज का प्रावधान।

(2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं का शत-प्रतिशत कवरेज।

(3) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

(4) सभी आश्रयविहीन गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान।

(5) सभी ग्रामीण ब्लाकों, शहरी गन्दी बस्तियों और अलाभ प्राप्त कर्ता वर्गों के प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन कार्यक्रम का विस्तार।

(6) सभी असम्बद्ध गांवों और आवास स्थलों के लिए सम्बन्धन का प्रावधान।

(7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाना।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

4259. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री पी.आर. दास मुंशी :
श्री सौम्य रंजन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी निवेशकों विशेष रूप से अप्रवासी भारतीयों से विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने प्राप्त हुए है और कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) ऐसे निवेशकों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है और ये परियोजनाएं किन राज्यों में स्थापित की जानी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). भारत में विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1991 में बनायी गयी नीति भारतीय तथा विदेशी (अप्रवासी भारतीयों सहित) दोनों प्रकार के निवेशकों के लिए खुली है। विदेशी निवेशकों से निजी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु 48 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से के.वि.प्रा. द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप से स्वीकृत प्रस्तावों को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विदेशी निवेश वाले उन प्रस्तावों का विवरण जिन्हें के.वि.प्रा. की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है

जल-विद्युत स्कीमें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	अवस्थिति
	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	महेश्वर एचईपी (मै. एस.कुमार लि.)	10×40=400	मध्य प्रदेश
	ताप विद्युत योजनाएं		
	पश्चिमी क्षेत्र		
1.	पेगुथन सीसीजीटी (मै. जीटीईसीएल)	654.7	गुजरात
2.	हजीरा सीसीजीटी (मै. एस्सार पावर लि.)	515	गुजरात
3.	डाभोल सीसीजीटी (मै. डाभोल पावर कं., मै. एनरॉन यूएसए की)	2015	महाराष्ट्र
4.	भद्रावती टीपीएस (निप्पन डेनरो इस्पात लि. द्वारा प्रवर्तित मै. सेंट्रल इंडिया पावर कं. लि.)	2×536=1072	महाराष्ट्र
	दक्षिणी क्षेत्र		
1.	जेगुरूपाड़ सीसीजीटी (मै. जी.वी.के. इंडस्ट्रिज)	216	आंध्र प्रदेश
2.	गोदावरी सीसीजीटी (मै. एसपीजीएल)	208	आंध्र प्रदेश
3.	विजाग टीपीएस (मै. हिंदुजा नेशनल कार्पोरेशन प्रा. लि.)	2×500=1000	आंध्र प्रदेश
4.	तोरांगलु टीपीएस (मै. जिंदल ट्रेक्टेबल पावर कं. लि.)	2×130=260	कर्नाटक
5.	मंगलौर टीपीएस (कोजेंट्रिक्स इनर्जी इंक यूएसए तथा जनरल इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन की सहायक मै. मंगलौर पावर कं.)	4×250=1000	कर्नाटक
6.	नेवैली टीपीएस-जीरो यूनिट (मै. एसटी सीएमएस इलेक्ट्रिक कं.)	1×250=250	तमिलनाडु
7.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सीसीजीटी (मै. डायना मोकोवस्की पावर कं.)	330.5	तमिलनाडु
8.	उत्तर मद्रास टीपीएस-II (मै. वीडियोकोन पावर लि.)	2×525=1050	तमिलनाडु
9.	बेसिन ब्रिज डीजीपीपी (मै. जीएमआर वासवी पावर कार्पोरेशन लि.)	4×50=200	तमिलनाडु
	पूर्वी क्षेत्र		
1.	इब वैली टीपीएस (यूनिट-3 और 4) (मै. आईबीपीएल)	2×210	उड़ीसा
2.	बालागढ़ टीपीएस (मै. बीपीसीएल)	2×250=500	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

स्वरोजगार योजना

4260. श्री दरबार सिंह : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार कितने लघु उद्योग स्थापित किए गये हैं;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को प्रदान की गई राज सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1996-97 के दौरान सरकार का स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में और लघु उद्योग लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) उद्योग मंत्रालय 2 अक्टूबर, 1993 से स्व-रोजगार योजना अर्थात् प्रधानमंत्री जी को रोजगार योजना की कार्यान्वित कर रहा है। उनकी ओर से मिली सूचनाओं के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना को केवल शहरी क्षेत्रों में तथा वर्ष 1994-95 से आगे सम्पूर्ण देश में चलाया गया। इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्रों में लघु उद्यम स्थापित किए जाते हैं। इस योजना की संरचना के अनुसार इसके कार्यान्वयन में ग्रामीण शहरी विभिन्नता नहीं है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए उद्यमों में विभिन्नता को केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है।

(ख) प्रधान मंत्री जी की रोजगार योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए प्रत्येक उद्यमों को 7500/- रुपये की अधिकतम सीमा की शर्त के आधार पर भारत सरकार योजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से पूंजीगत सबसिडी उपलब्ध करवाती है। इस योजना के अंतर्गत पूंजीगत सबसिडी भारतीय रिजर्व बैंक को निर्मुक्त की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक इस पूंजीगत सबसिडी को लाभार्थियों को वितरित किए गए ऋणों में समायोजित करने के लिए कार्यान्वयन बैंकों को भेजता है। वर्ष 1995-96 के दौरान 120 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना में शामिल की गई शिक्षित युवा बेरोजगारों की स्व-रोजगार योजना (एस.ई.ई.यू.वाई) के अंतर्गत जारी की गई 1.80 करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सबसिडी का प्रेषण रिजर्व बैंक लाभार्थियों को उपलब्ध कराये गए ऋणों के आधार पर बैंक-वार किया जाता है। सबसिडी का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ). वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्योग सेवा व व्यवसाय क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 2.20 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना चालू वर्ष के दौरान भी कार्यान्वित है।

[हिन्दी]

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

4261. श्री नीतीश कुमार :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि क्षेत्र में कतिपय विद्युत रियायतें देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रियायतें अन्य राज्यों के किसानों के संबंध में भी लागू होंगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें किस प्रारूप कार्यसूची पर चर्चा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी नलकूपों/पंप सेटों के उपभोक्ताओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो छूट देने की घोषणा की है वह 50 रुपये प्रति ब्रिटिश अश्वशक्ति (बी.एच.पी)/माह से घटकर 40 रुपये प्रति ब्रिटिश अश्वशक्ति माह होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसार राज्य सरकारों/रा.बि. बोर्डों को अपने राज्य में फुटकर उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान की गयी है। उ.प्र. सरकार की यह घोषणा अन्य राज्यों पर लागू नहीं होती है।

(घ) से (च). विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है। विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ राज्य सरकारों की समस्याओं, क्षमता अभिवृद्धि, मांग व पूर्ति के बीच अंतर इत्यादि, पर विचार विमर्श करने के लिए आवधिक रूप से मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास, रा.बि.बो. का सुधार तथा विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण इत्यादि पर विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखती है।

लाखों कुएं खोदने की योजना

4262. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा लाखें कुएं खोदने की योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा के लिए कोई सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) मार्गदर्शिकाओं के संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) जी, हां।

(घ) योजना के तहत अनुमेय गतिविधि के रूप में टयूबवैलों/बोरवैलों की स्थापना को शामिल करने के लिए मार्गदर्शिकाओं को 1.10.1996 से संशोधित किया गया।

विवरण

1. प्रस्तावना

1988-89 के दौरान दस लाख कुंओं की योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया था। 1.4.1989 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का विलय कर दिया था और जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। दस लाख कुओं की योजना 31.12.1995 तक जवाहर योजना की एक उप-योजना के रूप में चल रही थी। अब इसे 1.1.1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

2. उद्देश्य

दस लाख कुओं की योजना का प्राथमिक उद्देश्य, लक्षित समूह के लिए निःशुल्क आधार पर सिंचाई स्त्रोतों के निर्माण और भूमि विकास हेतु सहायता उपलब्ध करना है।

3. लक्षित समूह

1992-93 तक, दस लाख कुओं की योजना के लक्षित समूह में अनुसूचित जाति/जनजातियों से संबंधित गरीब, छोटे तथा सीमांत किसान तथा मुक्त बंधुआ मजदूर शामिल थे। 1993-94 से, दस लाख कुओं की योजना में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब, छोटे और सीमान्त किसानों को भी शामिल किया गया। तथापि, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाए कि दस लाख कुओं की योजना के तहत गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम के कुल आबंटन का एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. भागीदारी की पद्धति

दस लाख कुओं की योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, निधियां केन्द्र और राज्यों के बीच 80:20 के आधार पर वहन की जाती हैं।

5. जिलों को दस लाख कुओं की योजना निधियों का आबंटन

दस लाख कुओं की योजना में निधियां राज्यों के लिए निर्धारित की जाती हैं और राज्य सरकारों द्वारा लक्षित समूह की असिंचित भूमि की कुओं द्वारा सिंचाई की संभावना के आधार पर जिलों को आबंटित की जाती हैं।

6. दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

दस लाख कुंओं की योजना के आबंटन का आशय खुले कुओं से है, परन्तु टयूब-वैलों/बोर कुंओं को भी इसमें इस शर्त के साथ शामिल किया जा सकता है कि टयूब-वैलों/बोर कुंओं के अन्तर्गत राज्य में व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत दी गयी धन-राशि को अन्य लघु सिंचाई परियोजनाओं जैसे सिंचाई तालाबों, जल इकठ्ठा करने के ढांचों तथा छोटे और सीमान्त किसानों की भूमि के विकास की योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस राशि को अन्य योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जा सकता।

(1) इस योजना के अन्तर्गत वैयक्तिम एवं सामुदायिक दोनों ही बोर कुंओं/टयूब-वैलों की स्वीकृति दी जाएगी।

(2) टयूब-वैलों/बोर कुंओं के मामले में सबसिडी परियोजना की वास्तविक लागत अथवा प्रति व्यक्ति 35000/- रुपए, जो भी कम हो, तक सीमित होगी। परियोजना की शेष लागत को जनजातीय उप योजना के अधीन अन्य कार्यक्रमों या अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना को विशेष सहायता के अन्तर्गत, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या कोई अन्य राज्य प्रायोजित कार्यक्रम जैसे दूसरे कार्यक्रमों को शामिल कर पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. लागत/क्षेत्र संबंधी मानदण्ड

दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत कार्यों तथा कुंओं की खुदाई शुरू करने के लिए स्वीकृत एजेन्सियों के बारे में लागत/क्षेत्र संबंधी मानदण्डों का निर्णय एक समिति द्वारा लिया जाएगा जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव (योजना), सचिव (सिंचाई) तथा राज्य की लघु सिंचाई के मुख्य अभियंता शामिल होंगे। हालांकि, बोर/टयूब वैलों के मामले में इस योजना के अन्तर्गत सबसिडी अंश परियोजना की लागत अथवा प्रति व्यक्ति 35000/- रुपए जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। बोर/टयूब वैलों को खराब घोषित करने के लिए पैरामीटर भी इस समिति द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

8. कार्यान्वयन एजेन्सी

लाभार्थियों को अपने श्रम अथवा स्थानीय श्रम, जिसके लिए उन्हें भुगतान किया जाएगा, से कुंए खोदने के लिए कहा जाएगा। किसी भी हालत में परियोजना अधिकारियों द्वारा ठेके पर काम नहीं दिया जाएगा। बोर कुंओं के मामले में, हालांकि खुदाई का कार्य ऐसी एजेन्सी द्वारा कराया जा सकता है, जिन्हें उपरवर्णित समिति द्वारा मंजूरी दे दी जाती है।

9. कुओं का पंजीकरण

योजना के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक कुंआ/सिंचाई का साधन लाभार्थी के खेत में होना चाहिए और इसका ब्यौरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।

10. निगरानी तथा पर्यवेक्षण

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के परियोजना निदेशक के साथ कलक्टर/जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले में कार्यक्रम की निगरानी और पर्यवेक्षण के प्रभारी होंगे। वे लेखाओं के रखने और ऐसे कदम उठाने के लिए भी उत्तरदायी होंगे जो परियोजना को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों। राज्य स्तर की निगरानी का उत्तरदायित्व राज्य के परियोजना अनुमोदन बोर्ड पर होगी। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग का सचिव इस योजना के नोडल कार्यों को पूरा करेगा।

पेयजल की कमी

4263. श्री सोहन वीर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में छोटे और मध्यम कस्बों में पेयजल की भारी कमी का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस बारे में अपनी ही योजनाएं प्रस्तुत की हैं तथा इन कस्बों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार कर रही है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल शहरी जनसंख्या 216 मिलियन है। राज्य/संघ शासित राज्य द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार 31.3.93 तक 84.33 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया किये जाने की सूचना है। तथापि, जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के नाते, जल आपूर्ति स्कीमें तैयार करना, उनका निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकार का दायित्व है। तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए जल आपूर्ति सुविधाएं मुहैया करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 50:50 की बराबर की भागीदारी के आधार पर केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस स्कीम के तहत सहायता हेत 2151 कस्बे पात्र हैं।

(ग) और (घ). इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और उनकी साध्यता के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 164.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 209 स्कीमें स्वीकृत की हैं। केन्द्रीय शेयर के रूप में राज्य सरकारों को 48.49 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश में शहरी विकास परियोजनाएं

4264. श्रीमती छबीला अरविन्द नेताम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में शहरी विकास के संबंध में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं में जनजातीय क्षेत्र के कितने शहर शामिल किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते मध्य प्रदेश के छोटे नगरों में चल रहे शहरी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के वितरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। फिर भी, छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास ही केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 65 कस्बे शामिल किये गये हैं। जन-जातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों के कस्बों तथा अनुमानित परियोजना, लागत, दी गई केन्द्रीय सहायता और सूचित व्यय बाबत सूचना संलग्न विवरण में है।

विवरण

आई डी एस एम टी के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता (1979-80 से 31 मार्च 1996 तक)
केन्द्रीय सहायता की कुल रिलीज

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/कस्बा	अनुपोदित लागत	छठी योजना	सातवीं योजना	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	केन्द्रीय रिलीज का योग	सितम्बर 1995 तक सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छठी योजना												
1.	बिलासपुर	110.750	27.250	21.500	-	-	-	-	-	-	48.750	122.630
2.	खजुराहों	79.470	5.000	34.730	-	-	-	-	-	-	39.730	33.030
3.	दवास	84.780	32.000	8.000	-	-	-	-	-	-	40.000	92.950
4.	इटारतरी	106.260	36.300	11.000	-	-	-	-	-	-	47.300	92.430
5.	रीवा	97.510	12.400	34.000	-	-	-	-	-	-	46.400	181.940
6.	कटनी	115.540	7.400	35.000	-	-	-	-	-	-	42.400	64.230
7.	ब्रहमपुर	154.000	44.300	3.000	-	-	-	-	-	-	47.300	136.920
8.	मुरेना	85.110	3.000	36.000	-	-	-	-	-	-	39.000	105.280
9.	डीगरगढ़	81.380	4.000	36.000	-	-	-	-	-	-	40.000	70.290
10.	राजनंदगांव	93.660	33.000	7.000	-	-	-	-	-	-	40.000	63.620
11.	बालाघाट	116.650	20.100	25.000	-	-	-	-	-	-	45.100	79.420
12.	छिंदवाड़ा	151.820	17.590	21.500	-	-	-	-	-	-	39.090	82.860
13.	हर्दा	111.060	15.000	25.000	-	-	-	-	-	-	40.000	100.610
14.	वैधान	81.650	10.000	30.000	-	-	-	-	-	-	40.000	197.990
15.	गुना	84.120	14.000	25.000	-	-	-	-	-	-	39.000	79.420
16.	सिद्दी	86.350	16.000	23.000	-	-	-	-	-	-	39.000	82.860
	योग	1640.110	297.340	375.730	-	-	-	-	-	-	673.070	1586.480
7वी योजना												
17.	होशंगाबाद	120.990	-	50.160	-	-	-	-	-	-	50.160	51.830
18.	गदरवाड़ा	98.730	-	46.870	-	-	-	-	-	-	46.870	70.100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	पंचमढ़ी	119.490	–	23.760	–	–	–	–	–	–	23.760	12.480
20.	अमरकंटक	92.020	–	45.000	–	–	–	–	–	–	45.000	73.020
21.	कोटा	118.200	–	15.400	–	–	–	–	–	–	15.400	15.240
22.	शडोल	110.450	–	47.700	–	–	–	–	–	–	47.700	112.220
23.	भांदर	31.610	–	10.000	–	–	–	–	–	–	10.000	17.350
24.	मोवू	103.760	–	13.540	–	–	–	–	–	–	13.540	–
25.	जगदलपुर	92.470	–	25.820	–	–	–	–	15.00	–	40.820	50.870
26.	रतलाम	102.390	–	10.000	–	–	–	–	–	30.00	42.000	42.280
27.	भिलाई-दुर्ग	154.740	–	29.750	–	–	–	–	–	–	29.750	135.450
28.	सतना	145.410	–	29.750	–	–	–	–	–	–	29.750	48.700
29.	छत्तरपुर	98.130	–	24.000	–	–	–	–	–	–	24.000	53.340
	योग	1388.390	–	371.750	–	–	–	–	15.00	30.00	416.750	682.880
1990-91												
30.	वेतुन	96.000	–	–	15.00	–	–	–	–	20.00	35.000	36.960
31.	अब्दुल्लाहगंज	63.800	–	–	25.00	–	–	–	–	–	25.000	–
32.	निमच	114.070	–	–	27.50	–	–	–	–	18.50	46.000	85.910
33.	भिड	87.960	–	–	27.50	–	–	–	–	–	27.500	84.980
34.	दामोह	124.150	–	–	27.50	–	–	–	–	–	27.500	–
35.	सिहोर	85.790	–	–	25.00	–	–	–	15.00	–	40.000	44.160
36.	विदिशा	90.080	–	–	10.00	–	–	–	–	–	10.000	–
37.	पन्ना	101.330	–	–	27.50	–	–	–	–	–	27.500	–
	योग	763.180	–	–	185.00	–	–	–	15.00	38.50	238.500	252.010
1991-92												
38.	दतिया	32.950	–	–	–	10.00	–	–	–	–	10.000	–
39.	खरगांव	138.180	–	–	–	20.00	–	–	20.00	–	40.000	66.360
40.	शिपुरी	131.130	–	–	–	25.00	–	–	–	–	25.000	–
41.	रायगढ़	102.880	–	–	–	20.00	–	–	–	–	20.000	–
	योग	405.140	–	–	–	75.00	–	–	20.00	–	95.000	66.360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8वीं योजना												
42.	सागर	496.340	-	-	-	-	25.00	-	-	-	25.000	49.520
43.	खडसोर	76.430	-	-	-	-	15.00	-	-	-	15.000	34.250
44.	ढीकमगढ़	229.600	-	-	-	-	20.00	-	-	40.00	60.000	38.750
45.	मांडला	206.400	-	-	-	-	-	24.00	-	-	24.000	-
46.	मुलटाई	89.860	-	-	-	-	-	11.00	-	-	11.000	-
47.	पानधरना	191.690	-	-	-	-	-	-	23.00	-	23.000	-
48.	सौसर	90.780	-	-	-	-	-	-	11.00	-	11.00	
49.	खांडवा	502.440	-	-	-	-	-	-	30.00	-	30.000	-
50.	जोरा	414.320	-	-	-	-	-	-	33.00	-	33.000	-
51.	दल्लीराजरा	237.770	-	-	-	-	-	-	28.50	-	28.500	-
52.	बैकोर	112.050	-	-	-	-	-	-	18.00	-	18.000	
53.	चित्रैकूट	100.090	-	-	-	-	-	-	8.00	-	8.000	-
54.	पितमपुर	228.090	-	-	-	-	-	-	14.00	-	14.000	-
55.	कवरधा	125.260	-	-	-	-	-	-	10.00	-	10.000	-
56.	नरसिंगपुर	170.680	-	-	-	-	-	-	12.00	-	12.000	-
57.	अजयगढ़	124.190	-	-	-	-	-	-	8.00	-	8.000	-
58.	गरोध	100.340	-	-	-	-	-	-	8.00	-	8.000	-
59.	राजगढ़	100.630	-	-	-	-	-	-		16.00	16.000	-
60.	बीओरा	200.180	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.000	-
61.	बेरसिया	101.760	-	-	-	-	-	-	-	16.00	16.000	-
62.	नरसिंहगढ़	182.180	-	-	-	-	-	-	-	27.00	27.000	-
63.	अशोक नगर	163.950	-	-	-	-	-	-	-	25.00	25.000	-
64.	कंकर	180.250	-	-	-	-	-	-	-	27.00	27.000	-
65.	गंज बसोदा	204.350	-	-	-	-	-	-	-	30.00	30.000	-
	योग	4629.630	-	-	-	-	60.00	35.00	203.50	211.00	549.500	122.520
कुल योग		8826.45	297.34	747.48	185.00	75.00	60.00	35.00	253.50	279.50	1932.820	2710.250

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में आई.डी.एस.एम.टी. योजना

4265. श्री एल.रमना : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.डी.एस.एम.टी. योजना का आरंभ किए जाने के समय से ब्यौरा क्या है और इस योजना हेतु राज्यवार अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कार्य की प्रगति क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में क्या कार्य किया जाना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम वर्ष 1979-80 से चल रही है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 828 कस्बों को शामिल किया गया है और 258.05 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई है। राज्यवार विवरण संलग्न में है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आई डी एस एम टी के तहत निम्नलिखित कस्बे शामिल किय गये थे :

1994-95 - मीवालगुड़ा, अडोनी, संगारेडी, गुडुर, हिन्दुपुर और बोधान (135 लाख रुपये, केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई) 1995-96 अमादालावालासा, विनियानगरमु, राजाहमुन्डरी, गुन्टुर, चित्तूर, वारांगल (190 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई (गत दो वर्षों के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश में कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है क्योंकि बहुत सी अनुमोदित परियोजनाएं कार्यान्वित होनी है।

(ग) आई डी एस एम टी स्कीम के दिशानिर्देशों के तहत परियोजनाओं के अनुमोदन और प्रबोधन का कार्य राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति का है। यद्यपि इस समिति की बैठक चालू वित्तीय वर्ष में नहीं हुई, अतः वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित कार्य दिखाये नहीं जा सकते है।

विवरण

आई डी एस एम डी के तहत जारी केन्द्रीय सहायता (1979-80 से मार्च 31, 1996 तक)

(रु. करोड़ों में)

क्र.स.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	शमिल कस्बों की संख्या	रिलीज की गई राशि	सूचित व्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66	19.83	25.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	0.71	0.49
3.	असम	17	5.61	6.88
4.	बिहार	35	10.76	10.01
5.	गोवा	6	1.67	1.19
6.	गुजरात	47	14.28	18.23
7.	हरियाणा	12	3.95	8.50
8.	हिमाचल प्रदेश	4	1.16	1.08
9.	जम्मू और कश्मीर	7	1.77	1.72
10.	कर्नाटक	68	19.15	19.33
11.	केरल	30	10.22	19.22
12.	मध्य प्रदेश	65	19.33	25.25
13.	महाराष्ट्र	90	31.59	42.97
14.	मणिपुर	10	2.66	3.36
15.	मेघालय	7	1.95	3.84
16.	मिजोरम	4	1.59	2.32
17.	नागालैंड	6	2.01	3.59
18.	उड़ीसा	39	10.98	12.68
19.	पंजाब	22	8.80	20.35
20.	राजस्थान	41	15.22	28.01
21.	सिक्किम	4	1.11	2.02
22.	तमिलनाडु	93	28.12	39.53
23.	त्रिपुरा	7	1.72	2.63
24.	उत्तर प्रदेश	73	21.83	26.49
25.	पश्चिम बंगाल	60	17.70	21.88
	केन्द्र शासित प्रदेश			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0.92	1.24
2.	दादरा और नागर हवेली	2	1.00	0.16
3.	दमन और द्वीव	1	0.05	-
4.	लक्षद्वीप	1	0.25	-
5.	पांडिचेरी	6	2.11	1.45
	योग	828	258.05	349.32

विस्थापितों का पुनर्वास

4266. श्री दिनशा पटेल :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, ओ.एन.जी.सी. की विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है;

(ख) इनका पुनर्वास कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या अफसरों के साथ सांठ-गांठ करके एक षडयंत्र के अंतर्गत इन जाली भूमि विस्थापितों को इन उपक्रमों में नौकरी दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो असली विस्थापितों को नौकरी दिए जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) व (ख). गुजरात में तेल कम्पनियों की विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों को आर्थिक प्रतिपूर्ति के रूप में तथा रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर कम्पनियों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए पुनर्वासित किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नकली सिलिंडर

4267. श्री इलियास आज़मी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में नकली रसोई गैस के सिलिंडर काफी ज्यादा संख्या में प्रचलन में हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) हाल में नकली सिलेंडरों के परिचालन की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु वितरकों/परिवहनकर्ताओं से प्राप्त खाली सिलेंडरों की जांच करते समय एल पी जी भरण संयंत्रों में नकली सिलेंडर पकड़े जाते/प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) वितरकों और परिवहतकर्ताओं के पास नकली सिलेंडरों के परिचालन का पता लगाने के लिए एल पी जी विपणन कंपनियों के क्षेत्र कार्मिकों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। परन्तु, निरीक्षण के समय नकली सिलेंडरों का पता अधिकतर भरण संयंत्रों से चलता है जहां उनको तोड़कर नष्ट कर दिया जाता है। जब परिवहनकर्ता और वितरक नकली सिलेंडर अपने पास रखे हुए और बेचते हुए अथवा उनका परिचालन करते हुए पाए जाते हैं तो उनको चेतावनी दी जाती है और उनसे प्रति नकली सिलेंडर 1800 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाता है।

मैगा/मेट्रो सिटी का विकास

4268. श्री सुरेश प्रभु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में मैट्रो सिटी के विकास पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा मेगा सिटी के विकास के लिए की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे मेट्रो/सिटी के ढांचे के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते मेट्रो नगरों के विकास पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता। तदनुसार विगत 5 वर्षों के दौरान हाथ में लिये गये मेट्रो पोलिटन विकास कार्यक्रमों पर व्यय के ब्यौरे दर्शाना संभव नहीं है। तथापि, मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत सूचित राशि का इस्तेमाल गत 5 वर्षों के दौरान चुनिंदा मेगा शहरों द्वारा इस प्रकार किया गया है :-

शहर	खर्च राशि (करोड़ रु.)
बंबई	82.02
कलकत्ता	79.31
मद्रास	54.33
बंगलौर	00.02
हैदराबाद	47.30

(ख) मेगा सिटी योजना के तहत संबंधित राज्य स्तरीय अनुमोदन समितियों ने निम्नलिखित अनुमानित लागत की परियोजनाएं मंजूर की हैं :-

शहरी	अनुमानित लागत (रु. करोड़ों में)
बंबई	266.83
कलकत्ता	334.50
मद्रास	132.93
बंगलौर	260.23
हैदराबाद	251.17

मेगा सिटी स्कीम में निम्नलिखित वित्त व्यवस्था पद्धति पर विचार किया गया है :- केन्द्रीय अंश 25 प्रतिशत, राज्य अंश 25 प्रतिशत संस्थागत वित्त व्यवस्था 50 प्रतिशत। संबंधित राज्य सरकारों ने मांग की है कि अनुमोदित परियोजना की उपर्युक्त 25 प्रतिशत राशि उन्हें केन्द्रीय अंश के रूप में जारी की जाए।

(ग) केन्द्र प्रवर्तित मेगा सिटी स्कीम के तहत 1993-96 के दौरान मेगा सिटी शहरों को केन्द्रीय सहायता के रूप में निम्नलिखित राशि जारी की गई है :-

वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता राशि (करोड़ रु. में)
1993-94	70.00 (योजना आयोग द्वारा जारी)
1994-95	74.50
1995-96	83.90

इस योजना के तहत आपेक्षित संस्थागत वित्त जुटाने में मेगा शहरों को मदद देने के लिए भारत सरकार ने आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) से मेगा सिटी परियोजना की नोडल एजेंसियों को ऋण स्वीकृति करने का अनुरोध किया है। हडको ने इन एजेंसियों के अनुरोधों पर विचार करने की सहमति दे दी है।

[हिन्दी]

कापार्ट

4269. श्री डी.पी. यादव :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री मुरलीधर जेना :
श्री के.एस.आर. मूर्ति :
श्री पी.सी. थामस :
श्री रमेश चेन्नितल्ला :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास हेतु कापार्ट के जरिये परियोजनाएं मंजूर की है;

(ख) "कापार्ट" के स्वयंसेवी संगठनों के ऋण और अनुदान देने के लिए क्या मानदंड अपनाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के एन.सी.टी. सहित कापार्ट द्वारा राज्यवार कौन कौन सी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(घ) स्वयंसेवी संगठनों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण विकास योजनाओं के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) कापार्ट द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितना आवंटन और व्यय किया गया;

(छ) क्या "कापार्ट" द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की समीक्षा कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ). कापार्ट, सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1869 अथवा संबंधित राज्य अधिनियम के तहत सोसाइटी के रूप में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अथवा धर्मार्थ एवं धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 के तहत पंजीकृत न्यास के रूप में पंजीकृत होने के बाद कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाली स्वयंसेवी एजेंसियों को निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं को कवर करने वाली ग्रामीण विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है :-

1. जवाहर रोजगार योजना
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
3. ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना
4. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम
5. केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
6. इंदिरा आवास योजना
7. पंचायती राज कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
8. ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना।
9. लाभार्थियों का संगठन
10. ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना

अन्य बातों के साथ साथ वित्तीय सहायता हेतु परियोजना प्रस्तावों पर विचार करते समय परियोजना प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक व्यावहार्यता और स्वयंसेवी संगठन की प्रशासनिक सक्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

कापार्ट द्वारा इसके शुरू होने से लेकर 30.3.1996 तक सहायता प्राप्त स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या, संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, संस्वीकृत राशि तथा रिलीज की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(च) कापार्ट निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं करता। स्वयंसेवी एजेंसियों को निधियों की संस्वीकृति और रिलीज कापार्ट द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और अनुमोदन के आधार पर की जाती है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट का खर्च निम्नानुसार है।

वर्ष	खर्च (रुपए करोड़ में)
1993-94	62.54
1994-95	49.54
1995-96	57.10

(छ) और (ज). कापार्ट ने सूचित किया है कि इसके द्वारा सभी संस्वीकृत परियोजनाओं की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवधिक रूप से निगरानी एवं मूल्यांकन किया जाता है। कापार्ट ने आगे सूचित किया है कि इसने निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाया है। अब प्रत्येक परियोजना के लिए सामान्य तौर पर तीन मूल्यांकन अर्थात पूर्व वित्त पोषण मूल्यांकन, मध्यवर्ती मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन किए जाते हैं। तथापि, कापार्ट के पास जहां कहीं लिखित साक्ष्य होता है कि कापार्ट द्वारा सहायता प्राप्त कम से कम एक परियोजना को स्वयंसेवी संगठन द्वारा उसी अथवा संबंधित क्षेत्र में पूरा कर लिया गया है। तो पूर्व वित्त पोषण मूल्यांकन को छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में स्वयंसेवी संगठन का कापार्ट की नजर में अच्छा रिकार्ड होना चाहिए।

विवरण

कापार्ट के शुरू होने से लेकर 31.3.1996 तक सहायता दी गई स्वयंसेवी एजेन्सियां स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, स्वीकृत राशि तथा रिलीज की गई राशि के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	सहायता प्राप्त स्वयंसेवी एजेन्सियों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	रिलीज की गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	659	1469	3791.16	2201.46
अरुणाचल प्रदेश	3	8	11.99	7.23
असम	75	145	233.52	104.07
बिहार	678	1869	3694.81	2202.61
चंडीगढ़	5	14	69.63	34.98
दिल्ली	166	403	929.73	580.03
गोवा	3	3	5.30	2.71
गुजरात	129	421	1705.37	1120.95
हरियाणा	88	257	477.59	270.18
हिमाचल प्रदेश	45	158	290.00	199.51
जम्मू और कश्मीर	14	38	105.87	64.42
कर्नाटक	201	481	1349.79	626.34
केरल	200	448	1659.68	884.56
मध्य प्रदेश	164	347	718.98	327.14
महाराष्ट्र	236	570	2216.00	1252.77
मणिपुर	181	423	1048.73	605.31
मेघालय	6	10	27.88	15.99
मिजोरम	16	38	328.51	165.73
नागालैंड	20	31	105.12	75.05
उड़ीसा	276	641	1605.05	776.59
पांडिचेरी	4	8	4.61	1.65
पंजाब	6	23	35.26	24.06
राजस्थान	183	460	1264.38	685.92

1	2	3	4	5
तमिलनाडु	448	1073	2554.22	1417.43
त्रिपुरा	4	5	14.45	10.37
उत्तर प्रदेश	1053	2890	4948.19	2913.22
पश्चिम बंगाल	718	2172	5767.29	3177.44
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1	1	4.93	3.86
योग	5582	14406	34938.06	19751.58

[अनुवाद]

जनजातीय युवकों को रोजगार

4270. कुमारी क्रिडा तोपनो : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में बेरोजगार जनजातीय युवकों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निजी अथवा सरकारी क्षेत्रों में राज्यवार कितनी जनजातीय युवकों को रोजगार दिया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बंजर भूमि विकास में गैर-सरकारी संगठन

4271. श्री शरत पटनायक :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग को आरम्भ करने से ही गैर-सरकारी संगठन बंजरभूमि के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने समेकित बंजर भूमि विकास योजना के अंतर्गत किए गए विभिन्न कार्यों की सफलता के लिए लोगों से सहयोग मांगा है;

(घ) यदि हां, तो 1992-93 से 1995-96 के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बंजर भूमि के विकास के लिए उड़ीसा में स्वैच्छिक संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(च) क्या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अनियमितताएं हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं, इन संगठनों ने भूमि के और अधिक अवक्रमण के खतरे और इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करके पहले ही अवक्रमित भूमि को वनिकरण के अंतर्गत लाने, के संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अच्छा कार्य किया है।

(ख) उपरोक्त (क) के संदर्भ में (ख). प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों जोकि उनके द्वारा चयनित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां या गैर सरकारी संगठन है, के माध्यम से उनके सफल कार्यान्वयन के लिए लोगों से सहयोग मांगा जाता है।

(घ) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 136 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 164.21 करोड़ रुपये रिलीज किये गये हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में गैर सरकारी संगठनों को 7.80 लाख रुपये का कुल अनुदान रिलीज किया गया है।

(च) व (छ). उड़ीसा राज्य सरकार के ध्यान में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी गैर सरकारी संगठन को स्वीकृत परियोजना में अनियमितता के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, दो मामलों में, पौधों की जीवितता के प्रतिशत में कमी को देखते हुए गैर-सरकारी संगठनों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अगले चरण के दौरान उनके निष्पादन में सुधार लाने के निर्देश दिये गये हैं।

शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

4272. श्री ए. सम्पथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों के गरीबों और गंदी बस्तियों में रहने वालों को पेयजल की आपूर्ति के लिए कौन-कौन से उपाए किए जा रहे हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान शहरी क्षेत्रों में जल-जनित रोगों के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू.वेंकटेस्वरलू) : (क) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना, डिजायन, कार्यान्वयन और प्रबोधन राज्य सरकारों का दायित्व है।

राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए 1993-94 में एक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसमें 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में (1991 की जनगणना के अनुसार) सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति मुहैया कराने की व्यवस्था है। इसकी वित्त व्यवस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में की जाती है।

दूसरी केन्द्र प्रवर्ति मेगा सिटी स्कीम में पांच मेगा शहरों में अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है। इसमें जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए भी एक घटक है।

(ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

डी.डी.ए. द्वारा निर्माण

4273. श्री नवल किशोर राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 1996 के हिन्दू में "प्रोफिट मेकिंग ओवरराइडिंग प्रन्सीपिल फॉर डी.डी.ए." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). इस समाचार में अन्य बातों के साथ "शहरी बुनियादी सेवाओं हेतु विकेन्द्रीकृत अवधारणा" विषय पर कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में दिल्ली के मुख्य मंत्री की निम्नलिखित टिप्पणी है :-

(1) डी.डी.ए. के नियोजकों और नीति निर्माताओं ने शहरी सेवाओं के प्रावधानों की अवहेलना की है और भूमि का इस्तेमाल केवल मुनाफा कमाने के लिए किया है।

(2) नियोजक बड़े क्षेत्रों पर जनसंख्या के फैलाव का महत्व नहीं समझते तथा डी.डी.ए. के आवास कार्यकलाप भूमि के उन कुछेक पाकेट तक ही सीमित रहता है जहां लाभांश दर अधिक रहती हो। चितरंजन पार्क ग्रेटर कैलास-II और पंचशील इन्कलेव इत्यादि में आवास कालोनियां मुख्य सड़कों तक आ गई हैं।

(3) जो अभागे लोग अपनी अजीविका कमाने के लिए दिल्ली आकर बसे उन्हें रहने के लिए मकान मुहैया न कराये जाने के कारण अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी झोपड़ी समूहों में असंतुलित विकास हुआ है।

(4) डी.डी.ए. के करीब 60 प्रतिशत इंजीनियरों के पास काम नहीं है।

डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत स्थिति के आधार पर दिल्ली सरकार की टिप्पणियां इस प्रकार हैं :-

(1) डी.डी.ए. एक गैर मुनाफा खोर संगठन है जिसकी स्थापना दिल्ली के नियोजित विकास के लिए, जिसमें हरित/मनोरंजक स्थलों तथा अर्ध सरकारी सुविधाओं, परिचालन जैसे गैर मुनाफाकारी उपयोग शामिल है, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत की गई थी।

(2) बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डी.डी.ए. ने शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैट बनाये हैं। चितरंजन पार्क, पंचशील इन्कलेव, जैसी आवास कालोनियों का निर्माण मुख्य सड़कों पर नहीं बल्कि पहुंच (सर्विस) मार्गों पर हुआ है। दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रीजनल प्लान 2001 में उल्लिखित विकेन्द्रीकरण की नीति को मान्यता तथा समर्थन दिया गया है।

(3) डी.डी.ए. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग सहित विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए मकान मुहैया कराता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के मामले में मकानों की लागत में सब्सिडी घटक भी शामिल हैं।

(4) डी.डी.ए. में कार्यरत सभी इंजीनियरों के लिए पर्याप्त कार्य हैं।

[हिन्दी]

ग्रेनाइट कारखानों को मिट्टी का तेल

4274. श्री परसराम मेघवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जालोर में 450 से अधिक कारखानों का संचालन मिट्टी तेल पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कारणों के लिए मिट्टी तेल का कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इन कारखानों को चलाने के लिए मिट्टी तेल की आपूर्ति कहां से की जा रही हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). मिट्टी तेल एक आवंटित उत्पाद है। केन्द्रीय सरकार पूर्ववर्ती आधार पर अर्थात पिछली हकदारियों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसका थोक आवंटन करती है। राज्य के अन्तर्गत इसके खुदरा, वितरण, जिसमें राज्य के अन्तर्गत स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए भी इसका आबंटन शामिल है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

समानान्तर विपणन योजना के तहत निजी पक्षकार बाजार निर्धारित मूल्यों पर मिट्टी तेल का आयात तथा विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं। औद्योगिक इकाइयां, जिनमें ग्रेनाइट कारखाने शामिल हैं, समानान्तर विपणनकर्ताओं से मिट्टी तेल की आपूर्तियां प्राप्त कर सकती हैं।

[अनुवाद]

ठेका मजदूर

4275. श्री चर्चिल अलेमाओ :
श्री सनत मेहता :
श्री एम. सेल्वारासु :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधन के अधीन और अन्य स्थानों पर कितने ठेका मजदूर कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को इनकी दयनीय हालत और वेतन एवं अन्य सुविधाओं के मामले में इनके शोषण के बारे में जानकारी है; और

(ग) इन ठेका मजदूरों को नियमित वेतन और अन्य लाभ कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) ओ एन जी सी लिमिटेड, गोवा सहित विभिन्न कार्य केन्द्रों पर कार्य की प्रकृति के आधार पर कार्य संविदाएं तथा इसकी मांग के आधार पर प्रचालन कार्य प्रदान करती है। इसके बाद ठेकेदार कार्य करने के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करते हैं। कॉर्पोरेशन के पास यह ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं कि विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए ठेकेदार द्वारा कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया था।

(ख) और (ग). ठेकेदारों द्वारा अपने कामगारों के संबंध में श्रम कानूनों के तहत सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ओ एन जी सी द्वारा सूक्ष्म नजर रखी जाती है। श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, ठेकेदारों को अपने कामगारों को कम से कम उतनी न्यूनतम मजदूरी देनी आवश्यक है जो उस कार्य के लिए समुचित सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो।

जम्मू और कश्मीर में सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी

4276. श्री मंगत राम शर्मा :
डा. एम.पी. जायसवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में जेलों का कार्यभार संभालने के लिए सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

4277. श्री कचरू भाऊ राऊत : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विफल हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं। गरीबी का अनुपात वर्ष 1983-84 की तुलना में 1987-88 में घट गया है। यह कमी आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रिया में उत्पादन और रोजगार की वृद्धि के साथ ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभाव इन दोनों के कारण संभावित हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नियोजन प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण

4278. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ अपनी बैठक में नियोजन प्रक्रिया को विकेन्द्रित करने का सुझाव दिया है ताकि इसे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके;

(ख) क्या उन गैर-सरकारी संगठनों ने इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां। गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री के साथ दिनांक 24 जून, 1996 को हुई अपनी पूर्व बजट बैठक में नियोजन प्रक्रिया को विकेन्द्रित करने का तथा इसे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने का सुझाव दिया था।

(ख) जी, हां। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि राज्यों में सही मायने में हस्तांतरण/विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(ग) राज्यों को केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के हस्तांतरण के सम्पूर्ण मुद्दे पर आगामी राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

कर्नाटक के लिए पेयजल योजना

4279. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक के शहरी क्षेत्रों में पेयजल देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इस प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विकास परियोजनाओं में विलंब

4280. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष दिसम्बर तक देश में 399 ऐसी परियोजनाएं लंबित पड़ी थी जिनकी लागत 20 करोड़ रु. से अधिक थी;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन परियोजनाओं का मंत्रालयवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा न किए जाने के कारण इनकी निर्यात लागत में भारी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत क्या थी तथा उनके पूरे होने पर उनकी संशोधित अनुमानित लागत क्या होगी और इन परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं ने विदेशी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। 31.12.1995 को 20 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 399 विकासात्मक परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन थी जिनका प्रबोधन कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। इन 399 परियोजनाओं का परियोजना-वार एवं मंत्रालय वार ब्यौरा अक्तूबर-दिसम्बर, 1995 की तिमाही परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट की प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) दिनांक 31.12.1996 के दिन की स्थिति के अनुसार, 138 परियोजनाओं की लागत में उनकी अद्यतन अनुमोनित लागत के संबंध में 50.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। लागत वृद्धि के अन्य कारणों में मुख्य कारण परियोजनाओं का समय पर पूरा न होना है।

(घ) परियोजनाओं की मूल अनुमानित लागत एवं हाल ही में प्रत्याशित लागत का ब्यौरा भी अक्तूबर दिसम्बर, 1995 की तिमाही की तिमाही परियोजना में से 60 परियोजनाओं को विदेशी वित्तीय संस्थाओं की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

रख-रखाव का कार्य

4281. श्री अमर राय प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने निर्णयों में ठेका श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ऐसा सबसे बड़ा विभाग है जिसमें सरकारी कालोनियों के नियमित रख-रखाव के कार्य श्रमिक ठेकों द्वारा करवाना आरम्भ किया है; और

(ग) यह निर्देश केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कब तक लागू होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं। उच्चतम न्यायालय ने केवल यह सिफारिश की है कि ठेका श्रम (विनियमन तथा समापन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित कारकों को पूरा करने वाले उन सभी उपक्रमों को, जो किसी शोधन/संचालन या कार्य में ठेका श्रम प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, स्वयं ठेका श्रमिको को हटा दें तथा अधिकाधिक श्रमिकों को अपने सीधे भर्ती कर्मचारियों के रूप में समायोजित करें।

(ख) अधिकसंतः रोजमर्रा अनुरक्षण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विभाग के कर्मचारियों की मार्फत करवाये जा रहे हैं। कुछेक अपवादस्वरूप मामलों में जिनमें मौसमी या सविरामी प्रकृति के कार्य शामिल हैं, अनुरक्षण कार्य सी पी डब्ल्यू डी द्वारा ठेका देकर करवाये जाते हैं।

(ग) श्रम मंत्रालय, जो अधिनियम के तहत समुचित सरकार है, उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों पर सभी विभागों और राज्य सरकारों की टिप्पणियां मंगवा रहा है। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर श्रम मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

बंजरभूमि विकास

4282. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के बंजरभूमि और पहाड़ी क्षेत्रों में वानिकी और खारी मिट्टी में सुधार लाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं हेतु किन-किन जिलों का चयन किया गया है;

(घ) कब तक इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा और राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत कितनी एकड़ भूमि शामिल की जाएगी; और

(ङ) इन योजनाओं से कितने परिवार लाभान्वित होंगे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) असम राज्य सरकार ने असम में बंजरभूमि या पहाड़ी क्षेत्रों में वानिकी और क्षारीय मिट्टी में सुधार लाने हेतु कोई योजना तैयार नहीं की है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

तेल आयात

4283. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
प्रो. ओम पाल सिंह "निडर" :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष, अप्रैल-जून की अवधि के मुकाबले इस वर्ष इसी अवधि अर्थात अप्रैल-जून, 1996 के दौरान तेल आयात में 44.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस वृद्धि के कारण क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर बालू) : (क) से (ग). पिछले वर्ष अप्रैल-जून की अवधि के मुकाबले वर्ष 1996 की इसी अवधि के दौरान तेल आयातों में वृद्धि मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि, देश में कच्चे तेल के संसाधन में वृद्धि तथा देशी कच्चे तेल के कम उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों के ऊंचा होने के कारण थी। ब्यौरा निम्नवत है :-

मद		इकाई	अप्रैल-जून 1995×	अप्रैल-जून 1996×	प्रतिशत वृद्धि
सकल आयात					
(क) मात्रा :	कच्चा तेल	मि. टन	5.95	7.95	33.6
	पो ओ एल उत्पाद	"	4.60	5.83	26.7
	कुल (क)	"	10.55	13.78	30.6
(ख) मूल्य :	कच्चा तेल	करोड़ रुपये	2431	3853	58.5
	पी ओ एल उत्पाद	"	2545	4069	59.9
	कुल (ख)	"	4976	7922	59.2

[हिन्दी]

रोजगार

4284. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में सभी शिक्षित, अशिक्षित, कुशल/अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कोई नया प्रस्ताव नहीं है। कृषि, कृषि और ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण आधार संरचना, लघु और विकेन्द्रीकृत निर्माण क्षेत्रकों और उप क्षेत्रकों को संवृद्धि के माध्यम से रोजगार अवसरों का विस्तारण करना पंचवर्षीय

योजनाओं के महत्व के क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में भी विशेष रोजगार स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए पुर्नगठित योजना आयोग द्वारा रोजगार सृजन की नीतियों की जांच की जाएगी।

अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए अनुमति

4285. श्री पंकज चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार के सदस्यों की बढ़ती संख्या और उनकी आवश्यकता को देखते हुए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दस वर्ष या उससे भी अधिक पुराने डीडीए फ्लैटों में एक या दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए अनुमति देने की सिफारिश करने हेतु एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी अनुमति पहले भी कभी दी गयी थी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी। तथापि, सामूहिक आवास पाकेटों की रेजीडेन्टल वेलफेयर एसोशिएसनों से प्राप्त सिफारिशों/अनुरोधों पर, जहां ये मौजूदा आवास की रोशनी और रोशनदानों को प्रभावित नहीं कर रहे हो, बरामदा/कमरा निर्माण के लिए छोटे परिवर्तनों/परिवर्तनों की अनुमति दी जाती रही है।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना

4286. श्री के.एस.आर. मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 1989-90 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान 63185.25 लाख रुपये जारी किये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों द्वारा इस अवधि के दौरान केवल 54247.77 लाख रुपए का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या 42170.20 लाख की अप्रयुक्त धनराशि राज्य सरकारों की है;

(घ) क्या अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अंतर्गत अपना हिस्सा जारी नहीं किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत जारी की गयी धनराशि को राज्यवार सूची क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रयोग में न लायी गयी शेष निधियों, जिनमें केन्द्र और राज्य शेयर दोनों हैं, को आने वाले वर्ष में खर्च करने की अनुमति है।

(घ) और (ङ). राज्य सरकारों द्वारा रिलीज किये गये राज्य शेयर का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(च) गत पांच वर्षों में नेहरू रोजगार योजना के तहत रिलीज किये गये केन्द्रीय शेयर के राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

1995-96 तक रिलीज केन्द्रीय निधियों के लिए अपेक्षित/मुहैया किया गया राज्य शेयर

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	अपेक्षित राज्य शेयर	मुहैया किया गया राज्य शेयर	मुहैया किया गया प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2571.60	2033.28	79
2.	अरुणाचल प्रदेश	129.27	106.50	82
3.	असम	616.03	321.80	52
4.	बिहार	2108.72	1380.39	65
5.	गोवा	87.48	73.38	84
6.	गुजरात	1102.26	1196.71	109
7.	हरियाणा	527.23	395.53	75
8.	हिमाचल प्रदेश	258.17	205.16	79
9.	जम्मू और कश्मीर	345.40	243.45	70
10.	कर्नाटक	2176.81	1640.04	75
11.	केरल	1016.77	787.21	77
12.	मध्य प्रदेश	2843.05	2492.78	88
13.	महाराष्ट्र	2917.34	1692.86	58
14.	मणिपुर	205.50	141.19	69
15.	मेघालय	122.96	105.56	86
16.	मिजोरम	103.96	82.55	79
17.	नागालैंड	86.65	–	–

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	867.28	683.36	79
19.	पंजाब	829.75	681.42	82
20.	राजस्थान	1662.24	1531.23	92
21.	सिक्किम	114.18	91.80	80
22.	तमिलनाडु	2946.51	2319.54	79
23.	त्रिपुरा	111.95	91.75	82
24.	उत्तर प्रदेश	6712.22	3129.82	47
25.	पश्चिम बंगाल	1905.11	1281.59	67
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	NR*	NR	–
27.	चंडीगढ़	NR*	NR	–
28.	दादरा और नागर हवेली	NR*	NR	–
29.	दमन और द्वीव	NR*	NR	–
30.	दिल्ली	140.58	67.19	48
31.	पांडिचेरी	82.93	69.76	84
	योग	32591.95	22845.85	70

* अपेक्षित नहीं

विवरण–II

नेहरू रोजगार योजना के तहत 1991–92 से 1995–96 में निधियों की रिलीज

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	794.80	527.40	679.53	508.90	463.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	31.50	16.60	19.75	45.09	57.20
3.	असम	187.50	156.20	89.49	184.72	147.20
4.	बिहार	670.05	457.35	359.30	429.95	471.45
5.	गोवा	37.90	19.70	17.85	18.25	18.30
6.	गुजरात	291.15	198.45	212.52	194.45	215.90
7.	हरियाणा	163.70	111.90	123.29	122.72	111.99
8.	हिमाचल प्रदेश	70.90	64.30	56.19	64.75	66.15
9.	जम्मू और कश्मीर	91.10	86.50	87.48	73.61	77.88
10.	कर्नाटक	793.50	510.20	440.17	398.25	252.06
11.	केरल	318.80	225.90	234.82	241.58	154.60
12.	मध्य प्रदेश	797.80	550.40	684.48	595.03	508.25
13.	महाराष्ट्र	1018.10	700.50	669.50	494.85	521.33
14.	मणिपुर	49.50	40.90	43.33	66.42	62.91
15.	मेघालय	47.20	37.45	24.10	22.27	31.80
16.	मिजोरम	34.60	24.30	21.74	29.06	27.58
17.	नागालैंड	38.20	19.20	15.70	21.95	3.50

1	2	3	4	5	6	7
18.	उड़ीसा	281.70	191.60	219.80	168.50	156.60
19.	पंजाब	270.80	192.90	216.47	196.12	105.60
20.	राजस्थान	561.10	309.40	379.50	361.55	330.37
21.	सिक्किम	27.90	34.20	29.68	29.15	28.46
22.	तमिलनाडु	892.90	587.00	765.58	631.76	563.49
23.	त्रिपुरा	34.50	25.20	25.50	28.81	26.41
24.	उत्तर प्रदेश	2092.90	1426.20	1711.54	1549.54	1138.89
25.	पश्चिम बंगाल	561.10	481.20	259.00	392.18	441.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11.90	9.20	13.53	21.21	16.70
27.	चंडीगढ़	21.70	12.20	13.86	15.79	12.03
28.	दादरा और नागर हवेली	10.80	8.40	11.05	10.35	9.65
29.	दमन और द्वीव	18.70	15.10	18.25	13.82	22.60
30.	दिल्ली	40.00	22.00	22.00	22.00	22.00
31.	पांडिचेरी	17.70	17.90	11.70	27.30	18.60
	योग	10280.00	7079.75	7477.00	6980.00	6084.00

[हिन्दी]

जनजातीय युवकों को रोजगार

4287. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री शिवराज सिंह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों के युवकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई विशेष योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आई डी एस एम टी स्कीम के लिए दिशा-निर्देश

4288. श्री विजय हाण्डिक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया छोटे तथा मझोले कस्बों के समेकित विकास का कार्यक्रम (आई.डी.एस. एम.टी.) अभी भी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये कस्बों की क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ग) क्या इस बीच दिशा निर्देशों में कोई संशोधन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वी. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के प्रारम्भ से 31 मार्च, 1996 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लाभान्वित किए गए कस्बों की संख्या विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रारंभिक वर्षों के अनुभवों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों कि वित्त पोषण पद्धति में अनुदान घटक शामिल किए बिना योजना के तहत विभिन्न लाभकारी उपभोक्ता शुल्क आधारित तथा सेवान्मुखी योजनाएं आरम्भ करने का लक्ष्य व्यवहार्य नहीं है तथा चुने गए कस्बे और नगर अपेक्षित सांस्थानिक वित्त जुटाने की स्थिति में नहीं हैं, को देखते हुए अगस्त, 1995 में आई डी एस एम टी मार्गनिर्देश संशोधित किए गए हैं।

विवरण

आई.डी.एस.एम.टी.

1979-80 से 31.3.1996 तक विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लाभान्वित कस्बे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लाभान्वित कस्बों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	66
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	17
4.	बिहार	35
5.	गोवा	6
6.	गुजरात	47
7.	हरियाणा	12
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू और कश्मीर	7
10.	कर्नाटक	68
11.	केरल	30
12.	मध्य प्रदेश	65
13.	महाराष्ट्र	90
14.	मणिपुर	10
15.	मेघालय	7
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	6
18.	उड़ीसा	39
19.	पंजाब	22
20.	राजस्थान	41
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	93
23.	त्रिपुरा	7
24.	उत्तर प्रदेश	73
25.	पश्चिम बंगाल	60
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	दादरा और नागर हवेली	2
3.	दमन और द्वीव	1
4.	लक्षद्वीप	1
5.	पांडिचेरी	6
	योग	828

कलकत्ता शहर में पानी की कमी

4289. श्री चित्त बसु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दौरान सरकार का ध्यान कलकत्ता शहर में पानी को अत्यधिक कमी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) मेगा शहरों के अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत कलकत्ता शहर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए 147.68 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत वाली जल आपूर्ति योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

कमजोर वर्गों के लिए मकान

4290. श्रीमती शारदा टाडी पारथी :

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने हेतु सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में "हुडको" द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) तथा (ख). आन्ध्र प्रदेश में उधार लेने वाले अभिकरणों द्वारा ऋण सहायता के लिए हडको को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) की बारह शहरी आवास योजनाएं तथा छः ग्रामीण आवास योजनाएं प्रस्तुत की गई है। उन योजनाओं के लिए कुल 15.77 करोड़ रुपये की ऋण राशि मांगी गई है।

31 जुलाई, 1996 तक हडको ने आन्ध्र प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए कुल 5.37 करोड़ रु. की ऋण राशि के साथ 3 ग्रामीण आवास योजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान हुडको ने शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलाकर ई.डब्ल्यू.एस. आवास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 1996-97 के ऋण नियतन का 50 प्रतिशत अंश अर्थात 11.17 करोड़ रु. प्रदान किए हैं। आंध्र प्रदेश के लिए चालू वित्त वर्ष के ऋण नियतन का निर्णय हडको द्वारा सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से मिलने वाली मांग और प्रारंभ में रिलीज किए गए ऋण नियतन के उपयोग की स्थिति के अनुसार किया जाएगा।

कमजोर वर्गों के लिए मकान

4291. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना से जुड़ी विभिन्न विदेशी कंपनियों को मेगा विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का कोई पूर्व अनुभव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कुछ निहित स्वार्थ तथा विदेशी दबाव के कारण कोजेन्ट्रिक्य विद्युत परियोजना को स्वीकृति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ (आईपीपीएआई) ने सरकार को क्रियान्वयन हेतु कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की है; और

(च) यदि हां, तो स्वतंत्र विद्युत उत्पादक संघ द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इन सिफारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स मंगलौर पावर कंपनी द्वारा कर्नाटक में क्रियान्वित की जा रही मंगलौर टीपीएस (1000 मेगावाट) मै. कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी इन्क, यूएसए तथा मै. चाइना लाइट एण्ड पावर (इंटरनेशनल) लिमिटेड, हांग कांग द्वारा प्रवर्तित है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के दौरान विचारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार :-

- मै. कोजेन्ट्रिक्स, 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले 10 कोयला तथा गैस आधारित विद्युत संयंत्रों का सफलतापूर्वक विकास व उनके कार्य को पूरा कर चुका था तथा
- मैसर्स चाइना लाइट एण्ड पावर के पास विद्युत केन्द्रों के निर्माण एवं प्रचालन का विस्तृत अनुभव है तथा वह इस समय चार विद्युत केन्द्रों (कुल 7450 मे.वा. अधिष्ठापित क्षमता) का प्रचालक है जिनमें कैसलपीक पावर स्टेशन भी शामिल है जोकि विश्व के विशालतम ताप विद्युत संयंत्रों में से एक है।

(ग) जी, नहीं। अभी तक परियोजना को प्रदान की गई स्वीकृतियां सरकार की प्रचलित नीतियों/प्रक्रियाओं के अनुरूप हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च). मैसर्स आईपीपीएआई निजी विद्युत नीति में सुधार लाने के लिए समय-समय पर सुझाव देता रहा है। भारत सरकार समय-समय पर विद्युत संबंधी नीति में संशोधन करते समय मै. आईपीपीएआई सहित विभिन्न एजेंसियों के सुझावों को ध्यान में रखती है।

जूराला हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना

4292. श्री एन.राम कृष्ण रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूराला हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी समय सीमा निर्धारित की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नागापट्टीनम पोर्ट

4293. श्री एम. सेल्वारासु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कच्चे तेल का आयात करने के लिए नागापट्टीनम में कोई बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नामापट्टीनम में कच्चे तेल का आयात करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले

4294. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 7.1.95 से 30.6.96 के बीच कुल कितने मामले दायर किए गए;

(ख) 30.6.96 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई/की जा रही जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 7.1.95 से 30.6.1996 तक कुल 816 मामले दायर किये गये, जो निम्नानुसार हैं :—

अवधि	दिल्ली	मुम्बई	कलकत्ता	मद्रास
7.1.1995 से 30.6.1996 तक	296	211	165	144
कुल :				816

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान अर्थात् 1993 से 1995 तक के बीच तथा 30.6.1996 तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 10033 मामले हाथ में लिये जो निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	हाथ में लिय गये मामलों की संख्या
1993	2543
1994	2584
1995	2679
1996 (30.6.1996 तक)	2227
	10,033

30.6.1996 की स्थिति के अनुसार कुल 1689 मामले जांच के लिए लम्बित हैं।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, 2285 मामलों में जांच को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात् न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल कर दिए गए।

एम.आर.टी.एस.

4295. श्री अय्यन्ना पटरुघु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और देश के अन्य भागों में एम.आर.टी.एस. में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परिवहन प्रणाली के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है; और

(ग) एम.आर.टी.एस. की लागत राज्य/क्षेत्रवार किस ढंग से वहन की जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ग).

(1) दिल्ली में एम आर टी एस

4182 करोड़ रुपये की लागत की दिल्ली एम आर टी एस परियोजना पर भारत सरकार के निवेश संबंधी अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

(2) कलकत्ता में मैट्रो रेल

दमदम से टोलीगंज तक भूमिगत रेलवे कॉरीडोर पहले से चालू है। इस कॉरीडोर को टोलीगंज से गरिया (8.45 कि.मी.) तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(3) मद्रास में एम आर टी एस

बीच से लूज तक एम आर टी एस के प्रथम चरण को रेल मंत्रालय द्वारा पूरा किया जा रहा है। लूज से बलाचेरी (10.306 कि.मी.) का दूसरा चरण भी रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। परियोजना की लागत को रेल मंत्रालय तथ तमिलनाडु सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

(4) बंगलौर एम आर टी एस

कर्नाटक सरकार ने करीब 90 कि.मी. को कुल दूरी पर 4200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हल्की रेल प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है।

राज्य सरकार परियोजना लागत की 25% राशि मुहैया करा रही है और शेष लागत परियोजना में प्राइवेट सेक्टर और भारत सरकार की भागीदारी से जुटाई जानी है।

(5) बम्बई शहर के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक व्यापक बम्बई शहरी ट्रांजिट परिवहन परियोजना-II तैयार की गई है। इस प्रस्ताव में मौजूदा प्रावधान में सुधार तथा नई सड़क तथा रेल सुविधाएं शामिल हैं।

परियोजना की कुल अनुमानित लागत करीब 4,000 करोड़ रुपये है। इस लागत को महाराष्ट्र, सरकार रेल मंत्रालय और इसे बैंक द्वारा पूरा किया जायेगा।

(6) हैदराबाद

हैदराबाद शहर के लिए एक हल्की रेल प्रणाली शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1992-93 के अनुसार 584 करोड़ रुपये है। इसे भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, आई एल एंड एफ एस तथा प्राइवेट सेक्टर द्वारा वहन किया जाएगा।

इस परियोजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से अरबन मॉस ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड नामक एक ज्वाइंट स्टोक कंपनी बनाई गई है। कंपनी ने परियोजना को बूट/टर्नकी के आधार पर निष्पादित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फर्मों से "एक्सप्रेसन्स ऑफ इंटररेस्टस" आमंत्रित किए हैं। कंपनी ने इस प्रयोजनार्थ कुछ फर्में छांटकर मध्य प्रदेश सरकार को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है तथापि, आंध्र प्रदेश सरकार की निर्णय की प्रतीक्षा है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

4296. श्री ए.जी.एस. राम बाबू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन द्वारा मकानों का निर्माण करने संबंधी भावी कार्यक्रम में तमिलनाडु में मदुरै को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने 1991 में समग्र देश में मांग सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण मदुरै में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास स्कीम हेतु किसी मांग का उल्लेख नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों हेतु मकान

4297. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्मित किए गए मकानों का श्रेणीवार/टाइपवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान निर्मित आवासों के श्रेणी-वार और टाईप-वार विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	I	II	III	IV	V	योग
1994-95	256	40	349	112	28	785
1995-96	92	128	128	112	—	460

(घ) गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार निर्मित मकानों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	I	II	III	IV	V	योग
चंडीगढ़	80	—	48	—	—	128
न्यू बंबई	—	—	130	112	28	278
दिल्ली	—	—	135	—	—	135
गाजियाबाद	176	—	—	—	—	176
राजकोट	—	—	36	—	—	36
इलाहाबाद	—	40	—	—	—	40
कुल	256	40	349	112	28	785
1995-96						
फरीबाद	92	128	128	—	—	348
नई दिल्ली	—	—	—	112	—	112
योग	92	128	128	112	—	460

[हिन्दी]

अवैध निर्माण

4298. श्री ओ.पी. जिन्दल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 1996 के 'नवभारत टाइम्स' में "जमकर फलफूल रहा है अवैध निर्माण का धन्धा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपराज्यपाल के आदेश के बावजूद दिल्ली में अवैध निर्माण बढ़ रहा है;

(ग) क्या यह अवैध धंधा नगर निगम, डी.डी.ए. तथा दिल्ली पुलिस के संरक्षण में फलफूल रहा है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस संबंध में जल्दी कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि पिछले कुछ वर्षों में हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). जी, हां।

(ख) अनधिकृत निर्माण एक सतत समस्या है और इसका हटाया जाना भी सतत प्रक्रिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). इस मंत्रालय द्वारा समय-समय पर भूमि स्वामित्व वाली एजेंसियों और स्थानीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनधिकृत निर्माणों विशेषकर इन अनधिकृत कालोनियों के अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। जब कभी भी अनधिकृत निर्माण की सूचना मिलती है। पता लगता है तो यथा आवश्यक पुलिस की सहायता के साथ स्थानीय एजेंसियों/दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संगत कानूनों के तहत कार्यवाही की जाती है।

भूमि से बेदखल व्यक्तियों को मुआवजा

4299. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केवल उन्हीं भू-स्वामियों को मुआवजे का पूरा भुगतान करती है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या उन मजदूरों को भी कोई मुआवजा दिया जाता है जो भूमि पर काम करके अपनी जीविका कमाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में ऐसे मजदूरों को कोई भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

सहकारी क्षेत्र में फल प्रसंस्करण उद्योग

4300. श्री सौम्य रंजन : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र में फल प्रसंस्करण उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). फिलहाल उड़ीसा में सहकारिता क्षेत्र में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान 250.98 लाख रु. की कुल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

केरल में कस्बों का विकास

4301. श्री पी.सी. थामस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50,000 से कम जनसंख्या वाले मध्यम स्तरीय और छोटे कस्बों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे कस्बों के नाम क्या हैं, जिनका इस प्रकार के कार्यक्रमों से संबंध है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों को पहले ही दो केन्द्र प्रवर्तित गरीबी उपशमन योजनाओं नामतः नेहरू रोजगार योजना तथा निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा के तहत लाभान्वित किया गया है।

(ख) जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में पहले ही बताया गया है कि नेहरू रोजगार योजना तथा निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा नामक दो योजनाएं चल रही हैं। जो 50,000 से कम आबादी वाले कस्बों में लागू हैं। प्रत्येक योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी विवरण-I तथा II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

विवरण-I

नेहरू रोजगार योजना

नेहरू रोजगार योजना अक्तूबर, 1989 में प्रारंभ की गई थी जिसका लक्ष्य बेरोजगार तथा अल्परोजगार शहरी निर्धनों को रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तथा विशेष लक्ष्य समूह के रूप में

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/महिलाओं के व्यापक वर्ग के लिए लागू है। योजना में निम्नलिखित तीन स्कीमें शामिल हैं :

(1) **शहरी लघु उद्यम योजना (सूमे)**

इस योजना का लक्ष्य उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय के क्षेत्रों में लघु उद्यमों की स्थापना हेतु शहरी निर्धन लाभार्थियों की दक्षता उन्नयन करना तथा उन्हें सब्सिडी और ऋण उपलब्ध कराना है। शहरी लघु उद्यम योजना सभी बाहरी बस्तियों में लागू है।

(2) **शहरी वेतन रोजगार योजना (सूवे)** का लक्ष्य एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में निम्न आय प्रतिवेशों में आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण द्वारा शहरी निर्धन लाभार्थियों के लिए वेतन श्रम उपलब्ध कराना है। सामग्री श्रम अनुपात 60:40 रखा जाना है।

(3) **आवास एवं आश्रय उन्नयन योजना (शासू)** का लक्ष्य निर्माण व्यवसाय में प्रशिक्षण के साथ-साथ हडको से सब्सिडी तथा ऋण उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर लाभार्थियों के रिहायशी एककों के उन्नयन हेतु सरकार की सब्सिडी 1000/- रुपये की अधिकतम सीमा तथा हडको से मिलने वाला ऋण 9,950/- रु. तक सीमित है। आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) की ई. डब्ल्यू एस. योजना के अन्तर्गत अधिकतम 19,500/- रुपये तक की अतिरिक्त निधियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह योजना 20 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में लागू हैं।

वित्तपोषण पद्धति

नेहरू रोजगार योजना पर होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार तथा विधानमंडल वाली राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश 60:40 आधार पर भागीदार होंगे।

रिलीज की गई निधियाँ

वर्ष	(रु. करोड़ में) राशि
1989-90	145.65
1990-91	112.14
1991-92	102.80
1992-93	70.80
1993-94	74.77
1994-95	69.80
1995-96	61.04
1996-97	71.00 (नियतन)

उपलब्धियां (31.7.1996 तक) (आंकड़े लाख में)

	उपलब्धियां	लक्ष्य
सूमे के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	8.00	7.23
सूवे तथा शासू के अंतर्गत सृजित श्रम दिवसों की संख्या	642.36	947.98
सूमे तथा शासू के अंतर्गत प्रशिक्षित/ प्रशिक्षण पा रहे व्यक्तियों की संख्या :	2.79	3.40

विवरण-II

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यूबीएसपी)

लक्ष्य :

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना का लक्ष्य विकास कार्य-कलापों में स्लम निवासियों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने ओर विशेषज्ञ विभागों द्वारा अनुकूल ढंग से उपलब्ध कराई गई सामाजिक सेवाओं, पर्यावरणी ये सुधार तथा आय सृजन कार्यकलापों के समन्वय हेतु स्लमों में प्रतिवास विकास समितियों को प्रोत्साहित करना है। संक्षेप में कार्यक्रम का लक्ष्य शहरी निर्धनों, विशेषकर समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों, जैसे महिलाएं, बच्चे, युवा, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित व्यक्ति, जिनकी शहरी नगरों में उपेक्षा की जाती है, के जीवन-स्तर में सुधार करना है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं :

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता तथा एक और मां तथा शिशु स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निराश्रितों/ अपंगों का पुनर्वास तथा सामुदायिक सद्भाव बढ़ाने से संबंधित सेवाओं के अनुकूल प्रावधान और दूसरी ओर पीने के पानी, कम लागत से सफाई प्रबंध तथा अन्य अनिवार्य भौतिक सेवाओं के प्रावधान पर बल दिया गया है। यह लक्ष्य प्रतिवास विकास समितियों के सक्रिय सहयोग से स्लम स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों जैसे समन्वित बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस), मूलभूत प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किया जाना है।

लाभान्वयन :

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से चुने गए कस्बों/नगरों की स्लम पॉकेटों में लागू है। निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवा योजना शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में लाभान्वयन हेतु चुने गए निम्न आय प्रतिवासों (स्लम पॉकेटों) में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू है।

वित्तीय परिव्यय :

यूबीएसपी योजना 1990-91 में आरंभ की गई थी। 1991-92 तक योजना पर होने वाला समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था। आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से योजना पर होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश 60:40 आधार पर भागीदार हैं। इसके अलावा, प्रत्येक चुने गये स्लम पॉकेट के निवासियों पर किया जाने वाला प्रति व्यक्ति व्यय प्रथम वर्ष में 75/- रुपये होगा जो कि आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के शेष वर्षों के लिए बुनियादी सुविधायें मुहैय्या करा देने के बाद द्वितीय वर्ष से 50/- रुपये कर दिया जाएगा। योजनावधि के दौरान इस योजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

मध्य प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

4302. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त हुई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ये नलकूप किन स्थानों पर लगाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक नलकूप लगाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान विश्व बैंक से कोई सहायता नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सी.ई.ए. के पनबिजली स्टेशन

4303. श्री बी.एल. शंकर
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत की अतिरिक्त क्षमता के सृजन, नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा दर्जा बढ़ाने हेतु सीईए द्वारा पहचाने गए पनबिजली स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) उन पर राज्य वार और परियोजना वार अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में कुछ पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना की गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना की स्थापित क्षमता क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत की अतिरिक्त क्षमता उत्पादन किए जाने के लिए नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन किए जाने हेतु 55 जल विद्युत स्कीमों का पता लगाया है, जिनमें 21 यूनिटें शामिल हैं।

(ख) इन स्कीमों की अनुमानित लागत तथा उनका राज्यवार तथा परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). कर्नाटक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई/ चालू की गई जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :—

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1.	कालीनदी-II	3×40+3×50 = 270 मे.वा.
2.	मल्लापुर	2×4.5 = 9 मे.वा.
3.	वराही (मनी बांध)	2×4.5 = 9 मे.वा.
4.	शिवपुर (निजी)	2×9 = 18 मे.वा.
5.	घाटप्रभा यूनिट-2	1×16 = 16 मे.वा.

इसमें से केवल 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता को अब आठवीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात् मार्च, 1997 तक, चालू किए जाने की प्रत्याश है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना चालू होने का वर्ष कंपनी	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	मचकुंड** चरण-I, 1955-56 एम. स्मिथ, यूएसए (टी) डब्ल्यू, हाउस। यू.एस.ए. (जी)	3×17+	
	चरण-2, 1959 वोइथ, डब्ल्यू.जी. (टी) बीबीएल. स्विटजरलैंड (जी)	3×21.25	89.11

1	2	3	4
2.	निजाम सागर ** 1956 ई.ई., यू.के. (टी) और (जी) (यूनिट-3 समाप्त)	2×5	8.00
3.	लोअर सिलेरु # 1976-78 एलएमडब्ल्यू, यूएसएसआर (टी) इलेक्ट्रोसिला, यू.एस.एस.आर. (जी) भेल (यूनिट 3, 4) (जी)	4×115	13.35
4.	श्री सेलम # 1982-87 भेल (टी) और (जी)	7×110	16.32
	बिहार		
5.	सुबर्णरेखा ** 1977-80 भेल (टी) और (जी)	2×65	6.20
	गुजरात		
6.	उकई (यूनिट 1 और 3) # 1974-76 भेल (टी) और (जी)	4×75	20.17
	हिमाचल प्रदेश		
7.	बस्सी ** 1970-91 भेल (टी) और (जी)	4×15	5.35
8.	गिरि # 1978 भेल (टी) और (जी)	2×30	9.85
	जम्मू और कश्मीर		
9.	चेनानी @@ 1971-75 गंज मोवांग, (टी) और (जी) हंगरी	5×4.66	11.00
10.	लोअर झेलम @@ 1978-79 भेल (टी) और (जी)	3×35	20.00
11.	संबल सिंध @@ 1973-74 भेल (टी) और (जी)	2×11.3	11.00
	कर्नाटक		
12.	महात्मा गांधी # 1947-52 बोविंग यू.के. (टी) ब्रिटिश थाम्पसन (जी) यू.के. (12 मे.वा. यूनिट) जी.ई.सी. यूएसए (18 मे.वा. यूनिटें)	4×12 + 4×18	33.90
13.	नाइझरी (यूनिट-2) @@ 1979-84 भेल (टी) और (जी)	6×135	11.97
14.	शरावती # (यूनिट 1 से 8) यूनिट 1 से 2 1964-65 यूनिट 3 से 8 1967-71 नियरपिक, (यूनिट 1-8) (टी) फ्रांस हिताची, (यूनिट 1 और 2) (जी) जापान जी.ई.सी. यूएसए (यूनिट 3-8) (जी)	8×89.1	65.00
15.	शरावती # (यूनिट 9 और 10) 1976-77 भेल (टी) और (जी)	2×89.1	17.96
16.	शिवसमुन्द्रम @ 1919-38 बोविंग, यू.के. (टी) (यूनिट 1 से 7, 9 और 10) एशॉरे वीस (यूनिट-8) (टी) स्विटजरलैंड जी.ई.सी. यूएसए (यूनिट 1 से 10) (जी)	6×3 + 4×6	8.00
	केरल		
17.	नेरिया मंगलम ** 1961-63 चारमिल्स, जिनेवा (टी) एबीबी, स्विटजरलैंड (जी)	3×15	31.92
18.	पोरिंगलकुठु ** 1957-60 चारमिल्स जिनेवा (टी) ई.ई.यू.के. (जी)	4×8	9.55

1	2	3	4
19.	सबारी गिरि SS 1966 एलिस चालमर्स यू.एस.ए. (टी) और (जी)	6×50	163.34
20.	शीलायर ** 1966-68 लिटोस्ट्राय यगोस्लाविया (टी) रैड कांकर, यूगोस्लाविया (जी)	3×18	7.58
	महाराष्ट्र		
21.	कोयला-I और 2 # चरण-I 1962-68 नियरपिक, फ्रांस (टी) एईजी प. जर्मनी (जी) चरण-2 1966-67 चारमिल्स, जिनेवा (टी) ए.ई.जी., जर्मनी (जी)	4×65 + 4×75	38.53
22.	कोयना-III ** 1975-78 भेल (टी) और (जी) मेघालय	4.80	0.80
23.	किरीडमकुलई ** 1979 भेल (टी) और (जी)	2×30	7.40
24.	उमियम I और 2 SS 1965-79 तोशिबा जापान (टी) और (जी)	4×9+2×9	140.19
	उड़ीसा		
25.	हीराकुंड I (यूनिट-I और 2) # 1956-57 ई.ई. यू.के. (टी) और (जी)	2×37.5	90.26
26.	हीराकुंड-I (यूनिट 3 और 4) ** 1956-57 वोइथ, प. जर्मनी (टी) सीमेन्स, प. जर्मनी (जी)	2×24	54.30
27.	हीराकुंड-I (यूनिट 5 और 6) * 1962-63 हिताची, जापान (टी) और (जी)	2×37.5	106.77
28.	हीराकुंड-I ** स्विचयार्ड इक्विपमेंट्स	—	9.85
29.	हीराकुंड-II # 1962-64 वोइथ (यूनिट I और 2) (टी) प. जर्मनी एलएमडब्ल्यू, यूएसएसआर (यूनिट-3) (टी) हिताची (यूनिट-I और 2) (जी) जापान, इलेक्ट्रोसिला (यूनिट-3) (जी) यू.एस.एस.आर.	3×24	50
	पंजाब		
30.	यूबीडीसी-I " 1971-73 एईआई, यू.के. (यूनिट-1) (टी) और (जी) भेल (यूनिट-2 और 3) (टी) और (जी)	3×15	11
	तमिलनाडु		
31.	कदमपराई # 1987-88 बोविंग, यू.के. (यूनिट-1) (टी) जीईसी, यू.के. (यूनिट-1) (जी) भेल (यूनिट-2, 3 और 4) (टी) और (जी)	4×100	23.17
32.	कुंडा-III (यूनिट-I और 2) " 1965-78 वनकॉवर (यूनिट-I और 2) (टी) डोमिनियन (यूनिट-3) (टी) डब्ल्यू. हाउस (यूनिट-1, और 2) (जी) सीजीए (यूनिट-3) टीएंडजी यूनिट 1, 2 और 3 कनाडा	3×60	5.45
33.	मेत्तूर बांध ** 1937-48 ई.ई.यू.के. (टी) मैट्रो वीकर्स, यू.के. (जी)	4×10	41.50
34.	मोयार " 1952-53 बोविंग यू.के. (टी) वीकर्स, यू.के. (जी)	3×12	1.62

1	2	3	4
35.	पपानासम **	4×5.8	40.23
	ई.ई.,यू.के. (टी)		
	ब्रिटिश थाम्पसन (जी) यू.के.		
36.	पाईकारा #	3×6.65 +	17.06
	1932-54	2×11+2×14	
	एशॉर वीस, स्विटजरलैंड (टी)		
	मैट्रो वीकर्स, यू.के. (जी)		
37.	शोलायर-I "	2×35	1.40
	1971		
	लिटोस्ट्रॉय, यूगोस्लाविया (टी)		
	रैड कांकर, यूगोस्लाविया (जी)		
	त्रिपुरा		
38.	गुमती "	3×5	17.50
	1976-84		
	भेल (वाई) और (जी)		
39.	चिल्ला **	4×36	4.26
	1980-81		
	भेल (टी) और (जी)		
40.	खटोमा **	3×13.8	1.64
	1955-56		
	ई.ई.यू.के. (टी) और (जी)		
41.	ओबरा **	3×33	1.53
	1970-71		
	भेल (टी) और (जी)		
42.	पथरी (यूनिट-3) **	3×6.8	3.80
	1955		
	वोइथ, प. जर्मनी (टी)		
	सीमेन्स, प. जर्मनी (जी)		
43.	रामगंगा **	3×66	1.60
	1975-77		
	भेल (टी) और (जी)		
44.	रिहन्द "	6×50	1.43
	1962-66		
	ई.इं.यू.के. (टी) और (जी)		
45.	तिलोथ **	3×30	8.02
	1984		
	भेल (टी) और (जी)		

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
46.	जल ढाका-I " "	3×9	12.60
	1967-83		
	चरण-I		
	लिटोस्ट्रॉय, यूगोस्लाविया (टी)		
	रैड कांकर, यूगोस्लाविया (जी)		
	केन्द्रीय क्षेत्र		
	बीबीएमबी		
47.	भाखड़ा आरबी #	5×132	77.50
	एलएमडब्ल्यू, यूएसएसआर (टी)		
	कीरोव, यूएसएसआर (जी)		
48.	देहर (यूनिट 2, 3, और 4) #	6×165	46
	1977-83		
	भेल (टी) और (जी)		
49.	गंगुवाल (यूनिट-2) **	2×24.2 +	18.90
	1955	1×29.25	
	डब्ल्यू, हाउस, कनाडा		
	(टी) और (जी)		
50.	कोटला (यूनिट-3) **	2×24.2 +	18.90
	1966	1×29.25	
	डब्ल्यू, हाउस, कनाडा		
	(टी) और (जी)		
	डीवीसी		
51.	मैथॉन **	3×20	17.34
	1957-58		
	नेयिरप्रिक, फ्रांस (टी)		
	सीमेन्स, प. जर्मनी (जी)		
52.	पंचेट **	1×40	2.17
	1959		
	नोहाब (टी)		
	ए.ई.जी. प. जर्मनी (जी)		
	एनएचपीसी		
53.	बैरास्यूल "	3×60	25.98
	1980-81		
	भेल (टी) और (जी)		
54.	लोकटक " "	3×35	24.40
	1983		
	भेल (टी) और (जी)		

1	2	3	4
नीपको			
55.	खानडोंग (यूनिट-1) @ 1984 भेल (टी) और (जी).	2×25	0.62
	जोड़ :	9653	1493
	जीर्णोद्धार	398 मे.वा.	
	उन्नयन	570 मे.वा.	
	रोकी गई क्षमता	1563 मे.वा.	
	हानि	2531 मे.वा.	

@ — पूर्ण

SS — जांयाधीन

— निर्माणाधीन-के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित

* — विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

** — क्रियान्वयन कार्य प्रगति पर नहीं।

@@ — निर्माणाधीन-राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित

नोट : — 30 वर्ष या उससे पहले चालू की गयी यूनिटें क्षमता हानि को रोकने के लिए हैं।

चिकित्सकों को आवास का आवंटन

4304. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 तक केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सकों को दिये जाने वाले एन.पी.ए. को आवास के आवंटन के लिये उनके मूल वेतन में सम्मिलित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना को रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इसकी पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां। केन्द्र सरकारी डाक्टरों को मिलने वाले गैर-पेशा भत्ते को पहले सामान्य पूल रिहायशी वास के आवंटन के प्रयोजन से 1.1.88 से पूर्व हिसाब में लिया जाता था।

(ख) जी, हां। लेकिन 1.1.88 से यह प्रथा अब बन्द है।

(ग) सरकारी आवास आवंटन की पात्रता अवधारित करने के मानदण्डों को अब संशोधित कर दिया गया है। अब सरकारी अधिकारियों के निर्णायक तारीख को, मूल नियम (9) (21)(9)(1) में यथा परिभाषित मूल वेतन को ही किसी भी टाइप के वास की पात्रता निर्धारण के लिए हिसाब में लिया जाता है। 1.1.88 से पहले, सरकारी कर्मचारियों (डाक्टरों के अलावा) विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि को हिसाब में लिया जाता था। यह प्रथा भी अब बन्द कर दी गयी है।

(घ) इस नीति के पुनर्विचार का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सरकारी वास के आवंटन के प्रयोजन से, मूल वेतन में गैर-डाक्टरी पेशा भत्ते को शामिल करने का प्रस्ताव पहले ही उच्च स्तर पर विचार के बाद, दो बार अस्वीकृत किया जा चुका है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम के तेल कुएं

4305. श्री के.एस. रायुडू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा-गोदावरी बेसिन परियोजना में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने कितने तेल कुओं का पता लगाया है;

(ख) कितने तेल कुओं में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार मिले हैं;

(ग) क्या सरकार ऐसे तेल और प्राकृतिक गैस की वाणिज्यिक आधार पर आपूर्ति कर रही है;

(घ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि उक्त प्राकृतिक भण्डार कब तक उपलब्ध रहेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). कृष्णा-गोदावरी बेसिन (राव्वा क्षेत्र सहित) में वेधित कूपों की संख्या तथा तेल एवं गैस उत्पादन कर रहे कूपों की संख्या नीचे दी गई है :—

(1 अप्रैल, 96 की स्थिति)

	भूस्थित कूप	अपतटीय कूप	योग
वेधित कूपों की संख्या	186	94	280
तेल कूप	12	28	40
गैस कूप	51	6	57

(ग) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन विशाखापटनम में एक रिफाइनरी और गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक को प्रशासित मूल्यों पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। राव्वा क्षेत्र से कच्चे तेल की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय दरों पर की जाती है। आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण वर्तमान में इस क्षेत्र से गैस की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

(घ) और (ङ). जी, हां कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल और गैस के वसूली योज्य भण्डार नीचे दिए गए हैं :—

	के जी भूस्थित	के जी अपतटीय
गैस	37.98 बी सी एम	6.46 बी सी एम
तेल	1.68 एम एम टी	21.09 एम एम टी

ये भण्डार कितने वर्षों में समाप्त होंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोहन की दर क्या है।

हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन

4306. श्री सुख राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की कितनी लघु और पन विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी हैं और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्र, दोनों में अलग-अलग कितनी पन विद्युत का उत्पादन किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा पंजीगत आर्थिक राज्य सहायता योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में जिला शिमला के रोहडू तहसील में गुम्मा (2×1500 कि.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना को 13.3.1995 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उपरोक्त के अलावा, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए 15 कि.वा. के 10 तथा 10 कि.वा. के 5 लाईट वेट माइक्रो हाइडल सेट भी आवंटित किए गए हैं।

(ख) शून्य।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में राज्य क्षेत्र तथा केन्द्रीय क्षेत्र में कुल जल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मिलियन यूनिट में)

	1993-94	1994-95	1995-96
राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	957	1116	1265
केन्द्रीय क्षेत्र (चमेरा एवं बैरा स्यूल)	609	3141	3076
जोड़ :	1566	4257	4341

सामरिक महत्व के क्षेत्रों का निजीकरण

4307. श्री छतर सिंह दरबार :
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामरिक महत्व के क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन नहीं देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या किसी समिति/उपसमूह ने हाल ही में इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के नाम हैं, रक्षा उत्पाद, परमाणु ऊर्जा, कोयला और लिगनाइट, खनिज तेल, रेलवे परिवहन और खनिज, जो परमाणु ऊर्जा आदेश, 1953 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इनमें से कुछ क्षेत्रों में मामलेवार आधार पर प्राइवेट सहभागिता की भी मंजूरी दी जाती है।

(ग) योजना आयोग को इस सम्बन्ध में किसी सिफारिश की जानकारी नहीं है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

शहरी गरीबों के लिए योजनाएं

4308. श्री एन. डेनिस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां। प्रधान मंत्री जी ने 25 अगस्त, 1996 को स्लम विकास के लिए एक नई योजना की घोषणा की है।

(ख) दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

आवंटन को रद्द करना

4309. डा. एम.पी. जायसवाल :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी डी ए ने दिल्ली में लगभग 200 मकानों के आवंटन को रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आर्बोटितियों से कब्जा वापस करने को कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) डी डी ए ने बताया है कि आवंटन की शर्तों एवं निबंधनों का उल्लंघन जैसे देय राशि का भुगतान न करना, अनधिकृत परिवर्द्धन/परिवर्तन, सामूहिक भूमि का अतिक्रमण करना इत्यादि के कारण फ्लैटों का आवंटन रद्द किया गया है।

(ग) और (घ). आवंटन रद्द करने के पश्चात् फ्लैटों के दखलकारों को उनके फ्लैटों का कब्जा डीडीए को सौंपने के लिए कहा जाता है। जो दखलकार/आर्वोटिति स्वेच्छा से कब्जा नहीं सौंपते, उनके विरुद्ध लोक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली की कार्रवाई आरंभ की जाती है।

(ङ) और (च). आवंटन/विलेख की शर्तों तथा निबंधनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क

4310. श्री निहाल चन्द्र चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन पर विद्युत शुल्क बकाया है;

(ख) सरकार द्वारा विद्युत शुल्क की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ उद्योग विद्युत का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्योगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ). देश के सभी रा.बि.बो./विद्युत विभागों द्वारा उद्योगों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू औद्योगिक टैरिफ के बारे में अधिसूचित कर दिया गया है। उन उद्योगों, जिन पर बिजली के बिलों की राशियां बकाया हैं तथा उन उद्योगों, जिन्हे अवैध सप से बिजली का प्रयोग करते पाया गया है, से संबंधित सूची राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा बनायी जाती है। यह सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

तेल का फैलना

4311. डा. एम. जगन्नाथ :
श्रीमती मेनका गांधी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलोर तेल शोधक कारखाने से तेल फैलने से प्रदूषण फैल रहा है;

(ख) इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इसके कारण कितनी फसल को बर्बादी हुई है; और

(घ) प्रभावित किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (घ). मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सभी अनिवार्य पर्यावरणीय मानकों को पूरा कर रही है। तथापि, हाल ही में निरंतर भारी वर्षा के कारण जल हौदी से वर्षा-जल के साथ कुछ तेल के बिखर जाने की घटना हुई थी। तेल के बिखराव को काबू करने के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड द्वारा उठाए गए उपायों में अपेक्षाकृत बड़े पंपों की स्थापना, हौदी के अन्तर्गत भार को कम करने से संबंधित तैलीय जल पृथक्कारक से तूफान (वर्षा) जल प्रणाली का अपेक्षाकृत बेहतर पृथक्करण, तूफान जल के निस्सरण को रोकने के लिए तैलीय जल प्रणाली को बंद करना तथा विद्युत संयंत्र ईंधन तेल टैंक फार्म क्षेत्र तथा दहन क्षेत्र का पृथक्करण शामिल है। मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने राजस्व विभाग द्वारा लगाए गए हर्जाने के प्रति उपायुक्त, दक्षिण कन्नड़, मंगलौर के कार्यालय में 4.99 लाख रुपए का भुगतान किए हैं।

गरीब ग्रामीण परिवार

4312. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा के गरीब ग्रामीण परिवारों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). योजना आयोग विभिन्न राज्यों के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित पंचवार्षिक घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग करता है। गरीबों की संख्या के नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध है, जो 43वें दौर में उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है। इसके अनुसार उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 111.60 लाख होने का अनुमान है।

(ग) से (घ). उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

प्राकृतिक गैस

4313. श्री बादल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस की गुणवत्ता क्या है;

(ख) त्रिपुरा में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के उचित उपयोग के लिए गैस आधारित उर्वरक उद्योग तथा 500 मेगावाट वाली ताप विद्युत ताप विद्युत परियोजना की स्थापना सहित कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) क्या त्रिपुरा में प्रति 1000 घन मीटर गैस की बिक्री दर असम की तुलना में बहुत ज्यादा है जिसके फलस्वरूप उद्यमियों पर राज्य में गैस पर आधारित उद्योग लगाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की वर्तमान उत्पादन मात्रा 0.42 एमएमएससीएमडी है।

(ख) 1.64 एम एम एस सी एम डी मात्रा विविध उपभोक्ताओं को आवंटित की गई है तथा 0.5 एम एम एस सी एम डी मात्रा एक उर्वरक संयंत्र के लिए अलग रखी गई है। अन्य गैस आबंटन वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी, नहीं। असम और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस का मूल्य एक जैसा है।

[हिन्दी]

पट्टे के आधार पर भूमि देना

4314. श्री शिवराज सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पट्टे के आधार पर भूमि देती है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान पट्टे पर भूमि दी गई है;

(ग) क्या पट्टे के आधार पर भूमि देने संबंधी कुछ राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश के कुछ आवेदन केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इन लम्बित मामलों को कब तक स्वीकृति देगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ). तक जहां तक शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय का सवाल है, राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के वर्गों सहित किसी को भी पट्टे आधार पर भूमि आवंटित नहीं की जा रही है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर डी.डी.ए. की रोहिणी आवास योजना के तहत इन वर्गों के लिए योजना के तहत 50% आरक्षण मौजूद हैं। इस स्कीम के तहत गत 3 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के जिन व्यक्तियों को पट्टे आधार पर फ्लैट आवंटित किये हैं उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	आवंटित फ्लैटों की संख्या
1993-94	कोई ड्रा नहीं निकाला गया
1994-95	08
1995-96	12

आज की तारीख में इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के वर्गों के व्यक्तियों का कोई आवेदन लंबित नहीं है।

बिहार के लिए आवंटन

4315. श्री राजेश रंजन "ऊर्फ" पप्पू यादव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्र सरकार ने बिहार के लिए कितनी धनराशि आवंटित की;

(ख) उक्त राशि में से पूर्णिया मंडल में कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आवंटित धनराशि का जनसंख्या के अनुसार सभी जिलों में उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग ने राज्य योजना के तहत वार्षिक योजनाओं 1994-95 तथा 1995-96 के लिए क्रमशः 2400 करोड़ रु. तथा 2500 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित कर दिया है।

(ख) से (घ). योजना आयोग राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य के लिए समग्र रूप से वार्षिक योजनाओं के परिव्ययों को अनुमोदित करता है तथा जिलों को किसी राशि का कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया जाता है। योजना आयोग योजना निधियों के व्यय को जिला वार मानीटर नहीं करता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग

4316. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली पूरी तरह सफल हुई है;

(घ) आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा प्रणाली का कितने गांवों को लाभ मिला है; और

(ङ) क्या सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है, यदि हां तो इसकी सफलता दर क्या है एवं सौर ऊर्जा प्रणाली अथवा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा आदि से कितने क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में सौर प्रकाशवोल्टीय और सौर तापीय ऊर्जा युक्तियों एवं प्रणालियों को शामिल करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहनों में सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी प्रणालियों, सड़क रोशनी प्रणालियों, छोटे विद्युत संयंत्रों, सौर भभकों (स्टिल्स) और सौर शुष्ककों के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता शामिल है। सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों के लिए उदार शर्तों पर ऋण और आर्थिक राज सहायता का एक पैकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। देश के अधिकांश भागों में सौर ऊर्जा युक्तियां और प्रणालियां सफल रही हैं।

(घ) आंध्र प्रदेश के 2000 से अधिक गांवों में सौर ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों की स्थापना की गई है।

(ङ) सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन प्रणालियों और जल पंपन पवन चक्कियों को सिंचाई के उद्देश्यों के लिए, सीमित पैमाने पर, सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। भूमिगत जल सतह, फसल विशेष आदि पर निर्भर करते हुए इन युक्तियों के द्वारा सामान्यतया लगभग 0.5-2 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की जा सकती है।

[हिन्दी]

विकसित भूखण्ड

4317. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन लोगों को जिनकी जमीन इसके द्वारा अधिग्रहण की गई है, विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर 1991 से जनवरी 1996 की अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र में ऐसे भूखण्डों के आबंटियों की संख्या क्या थी;

(ग) क्या 1975 से पहले 400 वर्ग फीट के विकसित भूखण्ड उपलब्ध होने तथा दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन निर्माण संबंधी विभाग की सिफारिशों के बावजूद सबको ऐसे भूखण्ड वितरित नहीं किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में उनको भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार की सिफारिश पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास और निपटान की स्कीम के तहत जिन व्यक्तियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था उनको वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। जनवरी, 1986 से दिसम्बर, 1991 तक उत्तरी क्षेत्र में सिफारिश किए गए लोगों को 57 विकसित भूखंड आवंटित किए गए हैं।

(ग) सभी 400 वर्ग गज हेतु सिफारिश किए गए व्यक्तियों, जिनकी सिफारिशें 1975 से पूर्व प्राप्त हो गयी थी, को विकसित भूखंड आवंटित कर दिए गये हैं।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुमंजिली इमारतों का निर्माण

4318. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भीड़भाड़ वाले शहरों और सड़कों पर बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है;

(ख) क्या निर्माताओं द्वारा अनधिकृत निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार के अवैध निर्माणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं। शहरी विकास राज्य का विषय होने के नाते घने बसे शहरों में बहुमंजली इमारतों और सड़कों के निर्माण का विनियमन राज्य द्वारा बनाये तथा लागू किये भवन निर्माण उपनियमों तथा विकास नियंत्रण विनियमों के तहत किया जाता है।

(ख) भवन-नियमों का अनुपालन अथवा उल्लंघन शहरों और कस्बों में अलग-अलग हैं और इसके कारण इस बारे में कोई आमधारणा नहीं हो सकती। भवन निर्माण उपनियमों को लागू करना संबंधित राज्य तथा स्थानीय शासनों का दायित्व है।

(ग) और (घ). यह टिप्पणी करना संभव नहीं है कि शहरों और कस्बों के कितने नागरिक सामान्य तौर पर अनधिकृत निर्माण के कारण प्रभावित हैं। तथापि, भवन नियमों का उल्लंघन करके भवनों का निर्माण करने से गंभीर समस्यायें खड़ी होने की संभावनायें हैं जैसे खुले स्थल और पेड़ पौधों का अभाव, पार्किंग सुविधाओं की कमी, मोटर वाहनों की भीड़-भाड़, आग से खतरा, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि, जो पुनः शहरों/कस्बों की खास स्थिति पर निर्भर करेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों (विशेष रूप से मेट्रोपोलिटन शहरों) का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में जिला तथा मेट्रोपोलिटन नियोजन समितियों के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास के विनियमन हेतु राज्य सरकारों को यथा शीघ्र ऐसी समितियां गठित करने तथा कानूनी फ्रेम वर्क को सुदृढ़ करने की सलाह दी गई है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

4319. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेते समय मंहगाई भत्ते की उतनी धनराशि नहीं दी जाती है जो उन नियमित कर्मचारियों को मिलती है जिनका वेतन उनकी पेंशन की धनराशि के बराबर होता है;

(ख) यदि हां, तो पेंशनभोगियों और विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं के नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले दो तरह के मंहगाई भत्तों की धनराशि के बीच कितना अंतर है; और

(ग) इस प्रकार की असमानता के कारण क्या हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) चौथे वेतन आयोग द्वारा यथासंस्तुत, सेवारत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत की विद्यमान दरें मूल्य-स्तर में वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने की दरों पर आधारित हैं। यह दरें निम्न प्रकार से हैं :—

(1) **मंहगाई भत्ता**

वेतन	निष्प्रभावीकरण का प्रतिशत
3500/- रु. तक	100%
3501/- रु0 से 6000/-रु. तक	75%
6000/- रु. से अधिक	65%

(2) **मंहगाई राहत**

पेंशन/कुटुम्ब पेंशन	निष्प्रभावीकरण का प्रतिशत
1750/- रु. तक	100%
1751/- रु0 से 3000/-रु. तक	75%
3000/- रु. से अधिक	65%

तद्नुसार सेवारत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत की अदायगी उन्हें मूल्य स्तर में छः माह में हुई वृद्धि की गणना के आधार पर भरपाई करके की जाती है। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पूर्व 10 माह के प्राप्त वेतन का आधा पेंशन के रूप में अदा किया जाता है। निष्प्रभावीकरण के प्रयोजन से, पेंशन पर मंहगाई राहत की दरें, वेतन पर मंहगाई भत्ते की दरों के अनुरूप होती हैं।

[हिन्दी]

"ट्राइसेम"

4320. श्री सुशील चन्द्र : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ट्राइसेम" योजना के अंतर्गत कितने पोलिटेक्नीकों की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है;

(ख) देश में विशेष रूप से मध्य प्रदेश में अब तक कितने पोलीटेक्नीक स्थापित किए गए हैं और इन पोलिटेक्नीकों के मुख्यालयों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) इन पोलीटेक्नीकों में कौन-कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाये जायेंगे तथा ये कितनी अवधि के होंगे और प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्रत्येक पोलीटेक्नीक में कितने अध्यापकों की नियुक्ति किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ). ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत किसी पोलीटेक्नीक को स्थापित करने की घोषणा नहीं की गयी है।

हालांकि, ट्राइसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन वर्ष 1995-96 के दौरान 8 राज्यों में कुल 242 लघु-आई.टी.आई. को स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से 66 लघु आई.टी.आई. मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रस्तावित थीं। इनकी सूची संलग्न विवरण में दी गयी है। इन लघु आई.टी.आई. में इलैक्ट्रीशियन, फिटर, स्टेनोग्राफी, ड्राफ्टमैन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रानिक्स, रेडियो एवं टेलिविजन वेल्डर, मोटर मैकेनिक, राजगीर, डाटा प्रोसेसिंग एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर, कारपेन्टर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एवं टेलरिंग, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कन्डीशनिंग तथा सेक्रेटरीयल एवं हैण्ड्लूम जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। इन पाठ्यक्रमों की अवधि व्यवसाय के आधार पर एक महीने से दो वर्षों तक की होती है। लघु आई.टी.आई. का आकार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उन व्यवसायों या लघु उद्यमों, जिनमें प्रशिक्षण दिया जाना है, की प्रकृति एवं संख्या पर निर्भर होगा और संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के हवाले में सौंप दिया जाएगा। शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों इत्यादि की बहाली राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय के नियमों एवं मानदण्डों के अनुसार किए जाने का प्रस्ताव है। अल्पकालिक प्रशिक्षकों, शिक्षकों, कुशल कारीगरों तथा स्वतंत्र परामर्शदाताओं अथवा गैर सरकारी, संगठनों को भी इस उद्देश्य के लिए मानदेय देकर कार्य पर लगाया जा सकता है।

विवरण

(लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान)

क्र. सं.	जिले का नाम	खण्ड का नाम	लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का स्थान
1	2	3	4
1.	रायपुर	1. कुरूद	1. कुरूद
		2. मैनपुर	2. मैनपुर
		3. सिमगा	3. हाथबांध
		4. बासना	4. बासना
		5. धमतारी	5. धमतारी
2.	दुर्ग	6. साजा	6. ग्राम पानपोडी
		7. बेमेतारा	7. बेमेतारा
3.	बिलासपुर	8. शक्ति	8. शक्ति
		9. पाली	9. पाली
		10. मरवाही	10. मरवाही
		11. दभारा	11. दभारा
		12. छापा	12. सारागांव
		13. मलखारोडा	13. मलखारोडा
		14. गौराला	14. गौराला
4.	होशंगाबाद	15. तिमारनी	15. तिमारनी
		16. पिपारिया	16. पिपारिया
		17. हारदा	17. हारदा
		18. सेओनी मालवा	18. सेओनी मालवा
5.	झबुआ	19. अलीराजपुर	19. अलीराजपुर
		20. पेटलावाद	20. बामानिया
		21. जोबत	21. जोबत
6.	रायगढ़	22. पाथलगांव	22. पाथलगांव
		23. धर्मजायगढ़	23. धर्मजायगढ़
		24. सारैलेन्धा	24. सारिया
		25. खारसिया	25. खारसिया
7.	पन्ना	26. गुन्नौर	26. गुन्नौर
8.	शहडोल	27. कोटमा	27. कोटमा
		28. पुष्पराजगढ़	28. राजेन्द्रगढ़
		29. जेटथारी	29. जेटधारी
9.	मांडला	30. निवास	30. निवास
		31. नैनपुर	31. नैनपुर
		32. शाहपुरा	32. शाहपुरा
10.	रतलाम	33. सैलाना	33. सैलाना
11.	सेहोर	34. नसरूल्लाहगंज	34. नसरूल्लाहगंज
12.	राजनांदगाव	35. मोहाल्ला	35. मोहाल्ला
		36. डोंगरगढ़	36. डोंगरगढ़
13.	सतना	37. मैहार	37. मैहार
		38. न्यू रामनगर	38. न्यू रामनगर
14.	बस्तर	39. कोइलीबेदा	39. पाखांजुर
		40. केशकुल	40 केशकुल
15.	जबलपुर	41. बारगी	41. बारगी
		42. बोहारीबांद	42. बोहारीबांद
		43. विजयराघवगढ़	43. विजयराघवगढ़
		44. शाहपुरा	44. शाहपुरा
16.	सेओनी	45. कुरैई	45. कुराई
		46. घांसौर	46. घांसौर
17.	खारगांव	47. निवाली	47. निवाली
		48. महेश्वर	48. मंडलेश्वर
		49. कासरवाद	49. कासरावाद
18.	देवास	50. टोंक खुर्द	50. टोक खुर्द

1	2	3	4
19.	नरसिंहपुर	51. गोटेगांव	51. गोटेगांव
20.	भिंड	52. लहर	52. लहर
		53. अटेर	53. अटेर
21.	सुरगुजा	54. प्रतापपुर	54. प्रतापपुर
22.	बालाघाट	55. किरनापुर	55. किरनापुर
23.	मुरैना	56. सबलगढ़	56. सबलगढ़
24.	धार	57. कुक्षी	57. कुक्षी
25.	राजगढ़	58. नरसिंहगढ़	58. नरसिंहगढ़
26.	छिंदवाड़ा	59. पांडुरन्ना	59. पांडुरना
27.	सागर	60. बिना	60. बिना
28.	गुना	61. मुंगाली	61. मुंगाली
29.	राजगढ़	62. सारंगपुर	62. सारंगपुर
30.	खानगोन	63. महेश्वर	63. महेश्वर
31.	बालघाट	64. बारासिओनी	64. बारासिओनी
32.	राजगढ़	65. सारंगढ़	65. सारंगढ़
33.	बिलासपुर	66. कटघोरा	66. कटघोरा

टिप्पणी :— क्रमांक 61 से 66 तक लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का स्थान विशेष रूप से रेशम उत्पादन/हथकरघा/वस्त्र उद्योग के लिए होगा।

[अनुवाद]

निधियों का अंतरण

4321. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्र प्रायोजित परियोजनाओं के तहत आवंटित निधियों के अंतरण के लिए हाल में की गई व्यवस्थाओं को अगस्त, 1996 से शुरू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में परिव्यय भी बढ़ा दिया है;

(ग) क्या राज्यों को उन "न्यूनतम सेवाएं" योजनाओं का चुनाव करने की स्वतंत्रता होगी जिन्हें वे कार्यान्वित करना चाहते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय मुख्य मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में उनसे चर्चा करने के बाद किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). दिनांक 4-5 जुलाई, 1996 को संपन्न हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं की प्राथमिकता के आधार पर सन् 2000 तक पूरा करने के हर संभव प्रयास के उद्देश्य से पहचान की गई। ये सेवाएं निम्नलिखित हैं : (1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान का 100 प्रतिशत कवरेज, (2) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं का 100 प्रतिशत कवरेज, (3) प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, (4) सभी आश्रय विहीन गरीब परिवारों को सार्वजनिक आवास सहायता का प्रावधान (5) सभी ग्रामीण ब्लाकों और शहरी गन्दी बस्तियों तथा अलाभान्वित वर्गों के प्राथमिक विद्यालयों में "दोपहर का भोजन" कार्यक्रम का विस्तार, (6) सभी असम्बद्ध गांवों और निवास स्थानों को सम्बद्ध करने का प्रावधान और (7) गरीबों पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना।

यह भी निर्णय लिया गया कि इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में से प्रथम तीन उद्देश्यों को आगामी 2-3 वर्षों में पूरा करने के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाएंगे। फिर भी, जिन राज्यों ने इन क्षेत्रों में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त किया है, वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप इन सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं में से प्राथमिकता के आधार पर अन्य सेवाओं को चुन सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्रीय सरकार ने अनन्य रूप से इन न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 2216 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध कराया है। यह परिव्यय इन सात पहचान किए गए सेवाओं के लिए राज्य योजनाओं में पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त होगा। यह प्रस्तावित किया गया है कि ये निधियां संबंधित नोडल विभागों/मंत्रालयों के वर्तमान केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से भेजी जाएगी तथा राज्यों को इनमें से किसी को चुनने की स्वतंत्रता होगी।

पैराफिन वैक्स की कीमतें

4322. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1994 से पैराफिन वैक्स और स्लैक वैक्स की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक अवसर पर की गई वृद्धि की मात्रा कितनी है;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वैक्स विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद की कीमतों में भी समतुल्य वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) पैराफिन मोम के भण्डार विंदु मूल्य में दिसंबर, 1994 से केवल एक बार 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी जो 03 जुलाई, 1996 से प्रभावी थी। स्लैक मोम एक मुक्त व्यापार उत्पाद है तथा तेल कंपनियां स्लैक मोम का विक्री मूल्य बाजार दशाओं के आधार पर नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) तेल पूल लेखे में आई कमी को नियंत्रित करने और इस प्रकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति कायम रखने के लिए तेल कंपनियों को समर्थ बनाने हेतु मूल्य वृद्धि की आवश्यकता हुई है।

(ग) से (ङ). इस आंकड़े का रखरखाव नहीं किया जाता है।

जलापूर्ति

4323. श्री जी. वेंकटस्वामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को 28% पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र के निवासियों को 27% अधिक पेयजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह विसंगति कब तक दूर कर दी जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग). नई दिल्ली नगर परिषद ने सूचना दी है कि नई दिल्ली नगर परिषद क्षेत्र में कोई अधिशेष जल आपूर्ति नहीं है। तथापि, दिल्ली की आंकलित पेयजल आवश्यकताओं एवं मल व्ययन संस्थान के तहत दिल्ली के क्षेत्र 257 एल पी सी डी प्राप्त कर रहे हैं जो देश के अन्य महानगरीय शहरों में जल आपूर्ति की स्थिति से अधिक अच्छी है।

दिल्ली के निवासियों को और अधिक जल उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. लघु अवधि उपाय :

एक 40 एम जी डी जल शोधन संयंत्र नांगलोई में निर्माणाधीन है। कार्य शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

बवाना में 20 एम जी डी जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।

जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु दो रैनी कुंए चालू किए गये हैं और तीसरे को करके परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है।

2. दीर्घावधि उपाय :

दिल्ली सहित पांच पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के मध्य यमुना नदी के जल के बंटवारे के लिए 12.5.94 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस करार के अनुसार यमुना नदी पर रेणुका, रखवार व्यासी और किसाऊ बांधों के पूरे हो जाने पर दिल्ली 0.724 वी सी एम (उपभोग्य) अथवा 2000 क्यूसेक कच्चा पानी प्राप्त करेगा।

जल पम्पिंग प्रणाली

4324. श्री जगमोहन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने उन विभिन्न जल पम्पिंग प्रणालियों का मूल्यांकन किया है जो पवन चक्कियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मूल्य निर्धारण

4325. श्री शिबु सोरेन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकारण के जनता, एल.आई.जी. तथा एम.आई.जी. फ्लैटों के क्या मूल्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) मूल्य निर्धारण हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डी.डी.ए. ने बताया है कि अम्बेडकर आवास योजना सहित जनता, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग फ्लैटों का वर्तमान मूल्य इस प्रकार है :—

(1) जनता —	1.50 रु. से 1.75 लाख रु. तक	फ्लैट के कुरसी क्षेत्र के आधार पर
(2) निम्न आय —	3.50 लाख रु. से 4.00 लाख रु. तक	
(3) मध्यम आय — वर्ग	5.50 लाख रु. से 6.50 लाख रु. तक	

(ख) डीडीए फ्लैटों का मूल्य निर्माण पर हुए वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तथापि, एक महीने में पूरी की गई सभी योजनाओं की लागत जोड़ दी जाती है ताकि एक ही बैंक के आवंटितियों से वसूल किए जाने वाले मूल्य में एकरूपता बनी रहे। उपर्युक्त के अलावा, अन्य योजनाओं के लिए लागू ऊपरी खर्चे भी जोड़े जाते हैं।

गांवों में सड़क सम्पर्क

4326. श्री राम सागर : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :,

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के 1000 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले कितने गांव हैं जो सड़क द्वारा शहरों तथा नगरों से जुड़े हुए हैं तथा कब तक शेष गांव भी इन सड़कों द्वारा जोड़ दिए जायेंगे;

(ख) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सड़क) के अन्तर्गत 1994-95 तक 1000 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले 834 प्रतिशत गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था;

(ग) यदि हां, तो किस हद तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है;

(घ) क्या आठवीं योजना के अन्त तक 1000 तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी गांवों को सड़क द्वारा जोड़ने का विचार था; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जो सड़कों से नहीं जोड़े जा सकेंगे तथा इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) यह मंत्रालय राज्यों में गांवों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में जिलेवार ब्यौरों को तैयार नहीं करता है।

(ख) और (ग). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत, 1994-95 तक 1000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले लगभग 85% गांवों को सड़कों से जोड़ा गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऐसे गांवों की संख्या का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है कि आठवीं योजना के अंत तक सड़कों से जोड़ने के लिए कितने गांव शेष रहेंगे।

अवैध निर्माण

4327. श्री ए.सी. जोस : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को डीडीए आवासीय फ्लैटों में अवैध निर्माण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्माण को हटाने के लिए उठाए गए कदमों, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ऐसे निर्माण को हटाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उनके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली विकास प्राधिकारण ने सूचना दी है कि उनके द्वारा विकसित परन्तु दिल्ली नगर निगम को अंतरित न की गई किसी कालोनी में जब भी कोई अवैध निर्माण का पता चलता है तो दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत उचित स्तर पर कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई की जाती है। यदि अवैध निर्माण नहीं रोका जाता है तो आबंटी/कब्जाधारी को निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए जाते हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान (मार्च, 1996 तक) अवैध निर्माण हटाने के लिए डीडीए द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) ऐसे मामले जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए	12996
(2) ऐसे मामले जिनमें निर्माण को गिराने की कार्रवाई की गई	408
(3) ऐसे मामले जिनमें सील करने की कार्रवाई की गई	23
(4) ऐसे मामले जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई	07

उन मामलों में, जिन्हें डिनोटिफाइड करके दिल्ली नगर निगम को अंतरित किया गया है। अवैध निर्माण का पता लगाने और हटाने के लिए कार्रवाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की जाती है। तथापि, दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि डीडीए फ्लैटों में अवैध निर्माण के बारे में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता। गत तीन वर्षों (30.6.96 तक) के दौरान अवैध निर्माणों के विरूद्ध की गई कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

मामले दर्ज करना	8612
अवैध निर्माण को गिराना	567
डीएमसी अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट	81
परिसंपत्तियां	581
डेसू को बिजली काटने के लिए भेजे गए अनुरोध	370

पलायन

4328. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन में दिन-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पलायन करने वालों में महिलाओं का अनुपात अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) पलायन बाबत वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों को अभी भारत के जनगणना द्वारा प्रकाशित किया जाना है। इसलिए फिलहाल ग्रामीण-शहरी पलायन बाबत ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ग) ग्रामीण-शहरी पलायन बाबत जनगणना आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण इस बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष लेना संभव नहीं है कि बढ़ते हुए पलायन में महिलाओं का अनुपात अधिक है या नहीं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के पलायन बाबत संबंधित भारत सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद में पेय जल समस्या

4329. श्री बी. धर्म भिक्षम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हैदराबाद में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कितनी सहायता मांगी गई है और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : आंध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं मांगी है। इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने कोई निधियां नहीं दी हैं।

शहरी निर्धन व्यक्तियों हेतु योजनाएं

4330. श्री सनत मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं अर्थात शहरी दिहाड़ी रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, शहरी लघु उद्यमियों संबंधी योजना तथा आश्रय उन्नयन संबंधी योजना हेतु कुल कितना उपबंध किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना पर कुल कितना व्यय किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) तथा (ख). वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान नेहरू रोजगार योजना की विभिन्न स्कीमों के लिए कुल वित्तीय प्रावधान तथा व्यय के ब्यौर इस प्रकार हैं :—

(रुपये लाखों में)

स्कीम	1995-96		1996-97	
	प्रदत्त-राशि (केन्द्र + राज्य)	व्यय	प्रदत्त राशि (केन्द्र + राज्य)	व्यय 31.7.96 तक
सूमे	4375.53	4071.49	4383.67	1300.29
सूवे	3620.32	3734.68	3600.50	897.00
शासू	408.29	1388.06	2053.29	51.31

सूमे — शहरी लघु उद्यम योजना

सूवे — शहरी वेतन रोजगार योजना

शासू — आवास एवं आश्रय उन्नयन योजना

गरीबी निवारण कार्यक्रम

4331. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने गरीबी निवारण कार्यक्रम के लिए किए जाने वाले धनावंटन में वृद्धि करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है;

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक गरीबी निवारण कार्यक्रम हेतु आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राज्यों में क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). जी, हां। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1996-97 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) तथा मिलियन वेल स्कीम (एमडब्ल्यूएस) आदि जैसे प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। चूंकि रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) एक मांग आधारित स्कीम है अतएव कार्यक्रम के लिए कई राज्यवार आवण्टन नहीं किए जाते।

(घ) राज्य सरकारों ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में उल्लिखित गरीबी उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यनीतियां बनायी हैं।

विवरण

1996-97 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत निधियों का आवण्टन (केन्द्र+राज्य)

(लाख रु.)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईआरडीपी	जेआरवाई	आईएवाई	एमडब्ल्यूएस
आंध्र प्रदेश	8336.41	17372.39	11087.88	4342.14
अरुणाचल प्रदेश	623.43	178.30	99.64	44.58
असम	2743.50	5718.18	3649.60	1429.41
बिहार	16218.24	34075.58	21748.65	8516.94
गोवा	141.87	192.65	107.65	48.16
गुजरात	3059.22	6376.25	4069.63	1593.91
हरियाणा	735.33	1531.81	977.68	382.88
हिमाचल प्रदेश	239.78	612.16	342.06	153.04
जम्मू और कश्मीर	999.09	1243.93	695.09	310.99
कर्नाटक	5594.91	11665.34	7445.36	2915.55
केरल	2036.15	4244.16	2708.83	1060.71
मध्य प्रदेश	10565.39	22014.51	14050.70	5502.11
महाराष्ट्र	9087.73	18937.55	12086.84	4733.53
मणिपुर	449.59	228.53	127.70	57.14
मेघालय	477.57	267.40	149.43	66.85
मिजोरम	201.82	112.65	62.95	28.16
नागालैंड	335.69	286.64	160.16	71.66
उड़ीसा	6763.85	14093.11	8994.89	3522.49
पंजाब	521.53	1089.39	695.30	272.28
राजस्थान	4388.01	9146.40	5837.66	2285.93
सिक्किम	55.95	104.36	58.31	26.09
तमिलनाडु	7537.14	15704.96	10023.65	3925.23
त्रिपुरा	641.42	296.83	166.03	74.21
उत्तर प्रदेश	20316.50	42334.91	27020.14	10581.64
पश्चिम बंगाल	7472.20	15569.34	9937.09	3891.19
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	70.94	84.41	47.17	21.11
दादर और नगर हवेली	14.99	45.81	25.61	11.46
दमन और द्वीव	27.97	26.99	15.08	6.76
लक्षद्वीप	6.99	42.32	23.65	10.58
पांडिचेरी	57.95	82.64	46.18	20.66
जोड़	109721.16	223679.48	142460.58	55907.36

पेट्रोल की मांग

4332. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल तथा डीजल दोनों प्रकार के वाहन ईंधनों की भारत में अत्यधिक खपत का कारण वाहनों की संख्या में वर्तमान वृद्धि है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान वाहनों की वृद्धि के कारण इसकी भारत में मांग प्रतिदिन बैरलों के हिसाब से किस प्रकार बढ़ने की संभावना है;

(ग) बिजली की कमी, यात्रियों की बढ़ती संख्या तथा माल यातायात से इस समस्या में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) तेल का बिना आयात किए देश में तेल की आवश्यकता का पता करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) जी हां। वर्ष 1995-96 के दौरान पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या में लगभग 31.5% की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल और डीजल की खपत में भी वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान पेट्रोल की मांग में अनुमानित 11783 बैरल प्रतिदिन और डीजल की मांग में 56464 बैरल प्रतिदिन है।

(ग) बिजली की कमी और यात्रियों एवं माल के यातायात में वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू/लघु उद्योग क्षेत्र में घरेलू उत्पादन के लिए और परिवहन क्षेत्र में डीजल की मांग में वृद्धि हुई है। चूंकि डीजल का घरेलू उत्पादन मांग की तुलना में कम है इसलिए इसके परिणामस्वरूप होने वाली कमी को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

यात्रियों के यातायात में वृद्धि के कारण भी पेट्रोल की खपत में वृद्धि हुई है।

(घ) वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में नई रिफाइनरियों की अनुमति देकर देश में शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। अनुमान है कि प्रत्याशित रिफाइनरी परियोजनाओं के चालू होने पर देश पेट्रोल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। परन्तु घरेलू डीजल की उपलब्धता में कमी और कुछ समय तक जारी रहने की संभावना है। कच्चे तेल के आयात में अत्यधिक निर्भरता बनी रहेगी क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन और खपत में भारी अन्तराल है।

वर्ली-बांदरा लिंक परियोजनाएं

4333. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में परिवहन समस्याओं के समाधान हेतु वर्ली-बांदरा लिंक परियोजनाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना को स्वीकृति दे दी गयी है तथा इसके लिए राशि आवंटित कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ङ). मुम्बई में बांद्रा के साथ वर्ली को जोड़ने के लिए वर्ष 1992 में बंबई मैट्रोपोलिटन रिजन डवलपमेंट अथारिटी द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव सहित एक साध्यता अध्ययन किया गया था। इस प्रयोजनार्थ, वर्ष 1994 में ए.डी.वी. द्वारा परियोजना का दूसरा अध्ययन अर्थात् प्रारम्भिक पर्यावरणीय परीक्षा किया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 1994 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को लिखा था। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकार को वर्ली-बांद्रा परियोजना सहित समग्र पश्चिमी फ्री-वे के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराने का अनुरोध किया था। यह अध्ययन अभी प्रगति पर है।

राज्य सरकार द्वारा निधियों के आवंटन का प्रश्न पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अन्तिम रूप से परियोजना को स्वीकृति कर दिये जाने के पश्चात् ही उठेगा।

आंध्र प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं

4334. श्री येल्लैया नंदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय चल रही विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं गैर-सरकारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों तथा आंध्र प्रदेश तथा केन्द्र सरकार के अंतर्गत हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक लंबित तथा स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणूगोपालाचारी) : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ). आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से, आज की तिथि में, तीन प्रस्तावों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीको-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। शेष चार प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व सुनिश्चित लागत अनुमान प्रवर्तकों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के केन्द्रवार ब्यौरे।

स्टेशन का नाम	स्थान (जिला)	क्षमता (मे.वा.)	क्षेत्र
रामागुंडम एसटीपीएस (टी)	करीम नगर	2100	केन्द्रीय क्षेत्र
कोठागुंडम (टी)	खम्मम	670	राज्य क्षेत्र
विजयवाड़ा (टी)	कृष्णा	1260	राज्य क्षेत्र
रामागुंडम (टी)	करीम नगर	62.5	राज्य क्षेत्र
नेल्लौर (टी)	नेल्लौर	30.0	राज्य क्षेत्र
विजेस्वर्म (टी)	वेस्ट गोदावरी	99.0	संयुक्त क्षेत्र
जेगरूपाडु (जीबीपीपी)	ईस्ट गोदावरी	45.8	निजी क्षेत्र
रायलसीमा (टी)	कुड्प्पा	420	राज्य क्षेत्र
मचकुंड (एच)	श्रीकाकुलम	114.7	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच संयुक्त क्षेत्र
तुंगभद्रा (एच).	करनूल	72.0	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संयुक्त क्षेत्र
अप्परसिलेस (एच)	विशाखापट्टनम	180	राज्य क्षेत्र
लोअर सिलेम	खम्माम	460	राज्य क्षेत्र
नागार्जुन (एच)	गुंटूर और	810	राज्य क्षेत्र
सागर	नालगुंडा		
नागार्जुन सागर राईट (एच)	गुंटूर	90	राज्य क्षेत्र
नागार्जुन सागर लैफ्ट (एच)	नालगुंडा	60	राज्य क्षेत्र
श्रीसैलम (एच)	करनूल	770	राज्य क्षेत्र
अन्य छोटे जल विद्युत	—	82	राज्य क्षेत्र

टी – थर्मल

एच – जल विद्युत

जीबीपीपी – गैस आधारित विद्युत परियोजना

एसटीपीएस – सुपर थर्मल पावर स्टेशन

कम्प्रैशर

4335. श्री केशव महंत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अब तक कितने कम्प्रैशर लगाये गये हैं तथा लगाये गये प्रत्येक कम्प्रैशर की अधिस्थापित क्षमता क्या है; और

(ख) अगले तीन वर्षों में कितने और कहां-कहां उक्त कम्प्रैशर लगाये जाने का प्रस्ताव है तथा इनके लगाने में अनुमानतः कितनी गैस का संग्रह किये जाने की आशा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) और (ख). ओ एन जी सी और ओ आई एल ने अब तक 251 संपीड़कों की स्थापना की है। अगले तीन वर्षों में लगभग 17 एम एम एस सी एम डी गैस का संपीड़न करने की क्षमता के 32 और संपीड़क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

केरल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवेलपमेंट कारपोरेशन

4336. श्री टी. गोविंदन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कारपोरेशन को सहायता देने का है ताकि वह भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्पर्धा कर सके; और

(ख) सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे ऐसे उद्योगों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, नहीं। केरल इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम से ऐसा कोई प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के विचारार्थ नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) प्रतिस्पर्धी एवं लाभप्रद बना रहना प्रत्येक औद्योगिक इकाई का उत्तरदायित्व है। लेकिन सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1. पूंजीनिवेश सहज बनाने के लिए स्थापना-स्थल संबंधी सीमाओं से छूट, चार विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर लाइसेंसिंग की समाप्ति, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की समाप्ति तथा एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति (एम.आर.टी.पी.) अधिनियम में संशोधन जैसे नीतिगत उपाय।
2. आयातित पूंजीगत वस्तुएं मुक्त रूप से प्राप्त करने के लिए आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण, मूल्य पर आधारित उन्नत लाइसेंसिंग प्रणाली आदि।
3. विशेष रूप से शुल्क के ढांचे, निर्गमित कराधान आदि के क्षेत्र में वित्तीय एवं कर संबंधी नीति को तर्कसंगत बनाया जाना।
4. सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना आरम्भ करना जिसके अंतर्गत निर्यात बाजार में प्रवेश करने के इच्छुक छोटे सॉफ्टवेयर गृहों के लिए मूलसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत निजी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) भी स्थापित किए जा सकते हैं। जो बड़ी कम्पनियां पूंजीगत वस्तुओं आदि के आयात के मामले में उपलब्ध शुल्क सुविधाओं का लाभ उठाकर कर सकती हैं।
5. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना (ईएचटीपी) आरम्भ करना, जिसे विश्व उन्मुखी इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इससे एक लचीली नीतिगत परिवेश उपलब्ध होगा जो व्यवसाय के लिए भारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा देश में निर्यात के प्रयोजन से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में विशाल भारतीय घरेलू बाजार में तरजीही रूप से पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
6. पूंजीनिवेश एवं प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% तक की विदेशी साम्या पूंजी के प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के लिए स्वतः अनुमोदन तथा अदायगी की एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ऐसे उद्योगों में विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वतः अनुमति शामिल है।
7. भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) कार्यक्रम नामक गुणवत्ता मूलसंरचनात्मक सुविधा कार्यक्रम का कार्यान्वयन।
8. विदेशों तथा भारत में सेमिनारों, प्रदर्शनियों, व्यावसायिक प्रतिनिधि-मण्डल आदि में सहभागिता तथा इन्हें प्रायोजित करना।
9. भारतीय सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सेवा सहयोग एवं शिक्षण केन्द्र की स्थापना।

पेयजल की समस्या

4337. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यमुना पार की कालोनियों, जिसमें कुंदन नगर भी है (जो कि एक हरिजन कालोनी है), के आम लोगों की पेयजल की कमी के कारण समस्याओं की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पेयजल की समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या लोगों ने गैर-कानूनी ढंग से पानी के कनैक्शन ले रखे हैं जिसके फलस्वरूप वास्तविक उपभोक्ता को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में जांच करवाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) तथा (ख). यमुना पार क्षेत्र में कुन्दन नगर सहित जो एक अनधिकृत कालोनी है न कि हरिजन बस्ती, में पेय जल की कमी नहीं है।

(ग) से (ङ). अवैध कनैक्शनों के मामलों पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

वेतनमान का संशोधन

4338. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यस्थम् बोर्ड (बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन) ने उच्च श्रेणी लिपिक (यू.डी.सी.) के वेतनमान का संशोधन किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस काम को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले पर आगे की कार्रवाई बोर्ड का अधिनिर्णय (अवार्ड) प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

तेल शोधक कारखाने

4339. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने के लिए किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ख) इन तेल शोधक कारखानों में से प्रत्येक की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) इन तेल शोधक कारखानों को स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (घ). इंडियन आयल कारपोरेशन ने एक संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में पूर्वी भारत में 6 एम एम टी पी ए क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए 16 सितम्बर, 1995 को कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन (के पी सी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। परियोजना के संबंध में सही स्थान तथा अन्य ब्यौरे विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर निर्णित किए जाएंगे। सरकार ने परियोजना के संबंध में प्रथम स्तर की स्वीकृति पहले ही दे दी है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट की आई ओ सी द्वारा जांच की जा रही है।

मुख्यतया स्नेहक तेल बेस भण्डारों (एल ओ बी एस) की मात्रा उत्पादित करने के लिए संबंध में मैसर्स अशोक लीलैण्ड को उड़ीसा में 2 एम एम टी पी ए क्षमता की तेल रिफाइनरी स्थापित करने तथा इसका प्रचालन करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है।

उड़ीसा में 9 एम एम टी पी ए क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए भी 5 जून, 96 को मैसर्स निप्पान डेनरो को आशय पत्र जारी किया गया है।

[हिन्दी]

मद्य नीति

4340. श्री प्रहलाद सिंह : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब बनाने के लिए महुआ की बजाए शीरे का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या शीरे से बनी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ग) मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों की मद्य नीति में क्या समानता है;

(घ) क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई मद्य नीति विद्यमान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार के इस संबंध में क्या विचार हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) शीरे का उपयोग पेय अल्कोहल के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है। लेकिन, यह कच्चे माल के रूप में महुआ-फूलों के प्रतिस्थापन के लिए नहीं किया जा रहा है।

(ख) सामान्यतः यह माना जाता है कि शीरे से बनी शराब का सेवन गैर शीरे से बनी शराब के सेवन की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक या कम हानिकारक नहीं है।

(ग) से (ङ). अल्कोहलयुक्त पेयों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। लेकिन अन्य पहलुओं, जिसमें अल्कोहलयुक्त पेयों की बिक्री तथा ढुलाई शामिल है, के संबंध में प्रत्येक राज्य की अपनी नीति है।

[अनुवाद]

"यूएनडीपी" रिपोर्ट

4341. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के इस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 89 देशों के लाखों लोग आज आर्थिक रूप से उनके एक दशक पूर्व की स्थिति से खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति समग्र रूप से उत्साहवर्द्धक नहीं है;

(ग) भारत के सम्बन्ध में रिपोर्ट में क्या मुख्य बातें उल्लिखित हैं;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में मानव विकास के विशेष अध्ययन के लिए अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इस वर्ष कोई बड़ा गरीबी कार्यक्रम शुरू कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए भारत को सहयोग करने पर सहमत हो गया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) मानव विकास रिपोर्ट, 1996 के अनुसार, आर्थिक गिरावट अथवा स्थिरता ने 1980 से 100 देशों को प्रभावित किया है, जिससे 1.6 बिलियन लोगों की आय घट गई है। इन देशों में से 70 में औसत आय 1980 से भी कम हैं और 43 देशों में 1970 की आय से भी कम है। केवल 1990-93 की अवधि के दौरान 21 देशों में औसत आय पांचवें अथवा उससे भी अधिक हिस्से की गिरावट आई है।

(ख) 1980-93 अवधि के दौरान वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत की औसत वार्षिक वृद्धि 3.1 प्रतिशत रही है, जबकि विश्व के सम्बन्ध में यह 2.9 प्रतिशत थी। इसलिए, विश्व औसत की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है।

(ग) भारत के सम्बन्ध में वर्णित महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं :—

(1) 1980 से बाद की अवधि में सकारात्मक प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है;

(2) भारत उन देशों में से है, जहां आय का समानतापूर्वक वितरण हुआ है;

(3) अलग-अलग स्तर पर एचडीआई तथा लिंग सम्बद्ध विकास सूचकांक से क्षेत्रों के बीच बड़ी असमानताओं का पता चलता है।

(4) भारत उन देशों में से है, जहां रोजगार में वार्षिक वृद्धि जीडीपी में वृद्धि से पिछड़ गई है।

(5) भारत उन देशों में से है, जहां यूनीयनकृत श्रमिक बल का हिस्सा दस प्रतिशत से कम है।

(6) 10 वर्ष की अवधि के दौरान ही भारत ने अपने सॉफ्टवेयर विकास उद्योग का इतना विस्तार किया है कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक बन गया है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने एक परामर्शदल के मार्गदर्शन में वर्ष, 1995 के लिए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के सम्बन्ध में एक अध्ययन पूरा किया है। यह अध्ययन अन्य बातों के अलावा यूएनडीपी द्वारा अपना एचडीआई तैयार करने के लिए चुने गए संकेतकों, राष्ट्रों की प्रगति के सम्बन्ध में यूनीसेफ की रिपोर्ट, विभिन्न संगठनों द्वारा देश विशिष्ट एचडीआर और विश्व विकास रिपोर्ट में प्रयुक्त संकेतकों पर आधारित है।

(ङ) तथा (च). यूएचडीपी के कार्यकारी बोर्ड, जिसका भारत एक सदस्य है, के एक निर्णय के अनुसार गरीबी उन्मूलन और स्थिर मानव विकास यूएनडीपी की प्राथमिकताओं में शामिल है।

क्योंकि यह वर्ष गरीबी उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष है, इसलिए यूएनडीपी अनेक देशों में कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

यूएनडीपी तथा भारत सरकार फिलहाल नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए सहायता के एक कार्यक्रम की योजना बना रही है। भारत द्वारा यूएनडीपी सहायता का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जहां इसे उपयुक्त समझा जायेगा, जिसमें गरीबी को कम करने में मदद देने के कार्यक्रम शामिल हैं।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन

4342. श्री सत्य देव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायदा किया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्षों में कृषि के लिए बजट-आवंटन में कमी आई है:

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान बजट में किया गया आवंटन देश में कृषि में सुधार लाने के लिए अपर्याप्त है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना अवधि के दौरान और अधिक आवंटन देने का है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). सरकार घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति तथा निर्यात एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आय तथा रोजगार सृजन के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आठवीं योजना के लिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण, वानिकी तथा वन्य जीवन सहित कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय 10170 करोड़ रु. है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष आवंटन में वृद्धि हुई है और अधिकतम वृद्धि चालू वर्ष की वार्षिक योजना में हुई है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

कृषि तथा समबद्ध क्षेत्रक के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय*

(करोड़ रुपये में)

वार्षिक योजना	
1992-93	2119.27
1993-94	2724.83
1994-95	2912.70
1995-96	3323.78
1996-97	4097.46**

* इसमें वानिकी, वन्य जीवन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा फरक्का बैराज शामिल है।

** रु. 900 करोड़ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हेतु।

(घ) से (ङ). नौवीं योजना निरूपण की अवस्था में है।

[अनुवाद]

सड़कों के लिए आवंटन

4343. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य निधि से इलाहाबाद जिले में सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई:

(ख) इस अवधि के दौरान इलाहाबाद में किन राज्य सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया गया है और जिनका कार्य प्रगति पर है तथा उनके लिए वित्तीय आवंटन की स्थिति क्या है: और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

4344. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो. हनुमंत राव समिति ने कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है: और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). योजना आयोग ने कृषि क्षेत्रक में पूंजी निवेश हेतु प्रो. हनुमंतराव की अध्यक्षता में समिति का गठन नहीं किया है।

[हिन्दी]

तुरुमडीह परियोजना

4345. श्री चित्रसेन सिंकू : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सिंहभूम जिले में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड की तुरुमडीह परियोजना बंद कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना को पुनः शुरू करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किए जाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) तथा (ख). नरवापहाड़ और तुरमडीह में यूरेनियम की खानें और तुरमडीह में एक मिल स्थापित करने की परियोजना को सरकार ने सन् 2000 ई. तक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत के उस समय पूर्वापेक्षित उत्पादन के लिए ईंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1989 में अनुमोदित किया था। बाद में परमाणु विद्युत कार्यक्रम को VIII पंचवर्षीय योजना के दौरान संशोधित किया गया था। संशोधित विद्युत कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आवश्यकता और संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए तुरडीह परियोजना को बन्द कर दिया गया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष फण्ड

4346. श्री बची सिंह रावत "बचदा" : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार देश के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु कोई विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता किस तारीख से प्रदान की जा रही है तथा इसका अनुपात क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य वार ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू जी डी पी) के अंतर्गत निर्धारित ताल्लुकों के लिए पांचवीं योजना के बाद से विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह सहायता आबादी और क्षेत्र के आधार पर एच ए डी पी के अंतर्गत क्रमशः 50:50 के भारांश और डब्ल्यू जी डी पी के अंतर्गत क्रमशः 25:75 के भारांश के अनुसार दी जाती है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपये)

राज्य/क्षेत्र	5वीं योजना 1974-79	6वीं योजना 1980-85	7वीं योजना 1985-90	वा. योजना 1990-91	वा. योजना 1991-92	आठवीं योजना 1992-97
निम्नलिखित राज्यों में एच ए डी पी क्षेत्र						
असम	24.00	71.58	118.20	38.87	38.87	194.34
तमिलनाडु	7.00	21.81	33.75	11.09	11.09	55.49
उत्तर प्रदेश	104.00	350.00	553.50	182.01	182.01	910.04
पश्चिम बंगाल	15.00	29.85	44.55	16.32	19.32	73.25
निम्नलिखित राज्यों में डब्लू जी डी पी क्षेत्र						
केरल	4.88	17.80	23.80	6.05	6.05	39.09
महाराष्ट्र	6.45	23.08	38.10	13.50	13.50	62.69
तमिलनाडु	3.55	13.02	19.90	7.18	7.18	32.72
कर्नाटक	4.04	14.45	28.20	9.47	9.47	46.35
गोवा	1.00	3.65	6.00	1.61	1.61	9.55

[अनुवाद]

मल-जल प्रदूषण

4347. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख शहरों में मल-जल से कितना प्रदूषण है;

(ख) क्या इस प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) प्रथम श्रेणी के 212 शहरों (1981 की जनगणना के अनुसार) में 12145.50 मि. लीटर दैनिक दूषित जल (1988 के अनुसार) पैदा होता है, जिसमें से 2485.40 मि. लीटर दैनिक जल शुद्ध किया जाता है। प्रथम श्रेणी शहरों में दूषित जल के उत्पादन, संग्रह और शोधन की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-I में है। शेष 9660.10 मि. लीटर दैनिक दूषित जल के शोधन की सुविधायें जुटायी जानी हैं।

(ख) से (घ). जल निकासी और मल-जल निपटान राज्य का विषय होने के नाते, दूषित जल निकासी स्कीमों की योजनाएं बनाना और चलाना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। मल जल निपटान और प्रबंधन के क्षेत्र में कोई केन्द्रीय स्कीम नहीं है।

तथापि, मेगा सिटी स्कीम के अवस्थापनात्मक विकास कार्यक्रम जो पांच (मेगा) महानगरों, बम्बई, बंगलौर, मद्रास, हैदराबाद और कलकत्ता में चलाया जा रहा है, के तहत कुछ अनुमोदित परियोजनाएं जल निकासी और सीवेज प्रबंध/निपटान यावत हैं। मेगा सिटी स्कीम के तहत इन नगरों हेतु स्वीकृत मल जल निस्तारण निकासी स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

राज्य सरकारों/बोर्डों से प्राप्त ब्यौरों के अनुसार दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता की स्थिति संलग्न विवरण-III में है

विवरण-I

प्रथम श्रेणी शहरों में दूषित जल के उत्पादन, संग्रह और शोधन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कुल शहर	आबादी (1981) जनगणना	प्रायोजित आबादी 1988	दूषित जल (मि.लि. दैनिक) उत्पन्न	संग्रह	दूषित जल शोधन क्षमता (मि.लो.दै.) प्राथमिक	प्राथमिक व माध्यमिक
1.	आंध्र प्रदेश	17	5351818	6902960	780.60	163.40	-	171.54
2.	बिहार	11	2750604	3774682	445.16		-	43.13
3.	गुजरात	11	5316142	6794925	814.99	220.50	86.00	463.00
4.	हरियाणा	9	1329549	1966597	130.21	38.53	0.00	0.00
5.	जम्मू और कश्मीर	2	809512	1031126	209.44		-	
6.	कर्नाटक	14	5472617	7464167	654.75	462.26	326.82	10.13
7.	केरल	6	1901069	2184562	222.62	24.08	-	4.50
8.	महाराष्ट्र	29	15740723	20210609	2837.75	190.00	292.92	9.08
9.	मेघालय	1	109244	127444	3.18			-
10.	मणिपुर	1	156622	213865	18.00		-	-
11.	मध्य प्रदेश	14	4613431	6147991	551.97	168.20	85.50	-
12.	उड़ीसा	6	1105123	1539659	206.88	21.60	-	-
13.	पंजाब	7	2155714	2764376	232.97	158.26	-	-
14.	राजस्थान	11	3306345	4446277	317.64	-	-	-
15.	तमिलनाडु	19	7600491	8995524	486.92	53.14		0.00
16.	त्रिपुरा	1	132186	160403	13.18	-	-	-
17.	उत्तर प्रदेश	29	9090035	11036290	1449.41	255.00		160.00
18.	पश्चिम बंगाल	21	8021158	9145473	1107.42	27.30	-	19.80
19.	चंडीगढ़	1	379660	391346	144.00	105.75	68.00	0.00
20.	दिल्ली	1	5157270	7464000	1480.00	745.00	0.00	745.00
21.	पांडिचेरी	1	162639	186675	38.40	-	-	0.00
	योग	212	80661952	102948951	12145.49	2633.02	859.24	1626.18

विवरण-II

क्र. सं.	नगर	स्वीकृत सीवेज/ड्रेनेज परियोजनाएं	परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1.	कलकत्ता	14	23.78
2.	हैदराबाद		10.00
3.	मद्रास	2	11.94
4.	बम्बई	1	2.07
5.	बंगलौर		

विवरण-III

दिल्ली — दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान 280 मिलियन गैलन दैनिक से 499 मि. गैलन दैनिक तक मल जल शोधन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 16 मल जल शोधन संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर दिल्ली में सीवेज जन्य प्रदूषण में काफी कमी होने की आशा है।

बम्बई — बम्बई दूषित जल निस्तारण व निपटान परियोजना के तहत वृहत बम्बई नगर निगम ने 1843.68 करोड़

रुपये की अनुमानित लागत से यह सुनिश्चित करने के लिए 8 निर्माण आरम्भ किए हैं कि दूषित पानी को भलीभांति शुद्ध करने के बाद ही निकासी की जाए। ये अधिकांश परियोजनाएं जून, 99 तक पूरी हो जाने की आशा है। इससे जल प्रदाय व मल व्ययन निकाय की गुणवत्ता में यथेष्ट सुधार होगा।

मद्रास

15 मल जल पम्पिंग स्टेशनों का पहले ही नवीकरण कर दिया गया है और मद्रास महानगर जल आपूर्ति एवं निकासी बोर्ड द्वारा 38.00 करोड़ की अनुमानित लागत से 16 और स्टेशनों के नवीनीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है।

इसके अतिरिक्त 15.00 करोड़ रुपये की लागत से एक और मल जल संयंत्र का नवीनीकरण तथा 18.7 करोड़ रुपये की लागत से वियोजक नालों (सीवरों) की स्कीम भी आरम्भ की गयी है।

इन कार्यकलापों से मद्रास में सीवेजजन्य प्रदूषण में काफी हद तक कमी होने की आशा है।

राजस्थान की पेयजल और जल-मल व्ययन योजनाएं

4348. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य नगरों में पेयजल और जल-मल व्ययन योजनाएं लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विश्व बैंक अथवा किसी अन्य एजेंसी ने इन परियोजनाओं को सहायता देने का प्रस्ताव किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) चूंकि जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य के विषय हैं अतः राजस्थान के बड़े नगरों में इस प्रकार की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर जैसे 5 बड़े नगरों के लिए क्रमशः 442.4 करोड़ रुपये और 2022.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली जयपुर जल आपूर्ति और मलजल व्ययन परियोजना और राजस्थान जल आपूर्ति और मलजल व्ययन परियोजना को भारत सरकार ने विश्व बैंक को सहायता के लिए प्रस्तुत किया था। विश्व बैंक ने अब तक किसी संसाधन का वायदा नहीं किया है परंतु केवल जयपुर परियोजना के लिए यह इच्छा व्यक्त की गई है कि विश्व बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किए जाने से पहले राज्य सरकार को विभिन्न अध्ययनों और औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए।

रसोई गैस एजेंसियां

4349. श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री नंदकुमार सिंह चौहान :
श्री सुखलाल कुशवाहा :
श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसल :
श्री गंगा राम कोली :
श्री नामदेव दिवाथे :
श्री सत्यजीत सिंह दिलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री गिरधारी यादव :
श्री महेन्द्र कर्मा :
श्री येल्लैया नंदी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबका :
श्री चित्रसेन सिंकु :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री हरिवंश सहाय :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री ब्रज मोहन राम :
श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :
श्री विश्वेश्वर भगत :
श्री टी. गोविंदन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए प्रत्येक राज्य से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त अवधि के दौरान पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां आवंटित की गई हैं; और नामंजूर/लंबित आवंटन पत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) विवेकाधीन कोटे से किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है और उनमें से राज्यवार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य

पिछड़े वर्गों, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों तथा स्वतंत्रता सेनानियों को संख्या कितनी है जिन्हें आबंटन किया गया है;

(घ) क्या इन आबंटनों के संबंध में अनियमितताओं की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की;

(छ) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान पेट्रोल/डीजल के और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर.बालू) : (क) से (ग). विपणन कंपनियों द्वारा जारी विज्ञापनों के प्रति तेल चयन बोर्डों के माध्यम से तथा सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत अनुकंपा आधार पर डीलरशिपों/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए बहुत बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। 1.1.1993 से 31.3.1996 तक तेल चयन बोर्डों के माध्यम से और सरकार की विवेकाधीन शक्तियों के अन्तर्गत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का श्रेणीवार आबंटन निम्नानुसार है :—

तेल चयन बोर्ड

	अनु. जाति	विकलांग	अनु. ज.जा.	रक्षा	स्वतन्त्रता सेनानी	उत्कृष्ट खिलाड़ी	अन्य	योग
खुदरा बिक्री केन्द्र	315	137	169	99	75	—	746	1541
एल पी जी	167	102	83	71	52	1	471	947

विवेकाधीन खुदरा बिक्री केन्द्र — 179
एल पी जी — 155

(घ) से (च). तेल चयन बोर्डों के माध्यम से किए गए चयनों में अनियमितताओं की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती है। अनियमितताओं के प्रमाणित मामलों में नए चयनों का आदेश दिया जाता है।

(छ) से (ज). बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एल पी जी विपणन योजना 1994-96 और खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 में 1191 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप शामिल की गई है।

मानकों में संशोधन

4350. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों को वित्तीय सहायता देने के संबंध में मानदंडों में संशोधन के बारे में योजना आयोग के विशेषज्ञ दल की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इन सिफारिशों के संबंध में विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता वितरण हेतु बने गाडगिल फार्मूले को वर्ष 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा संशोधित किया गया। तत्पश्चात् योजना आयोग के विशेषज्ञ दल द्वारा इस फार्मूले के संशोधन हेतु कोई सिफारिश नहीं की गई।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजना की मंजूरी

4351. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री तारीक अनवर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य को सभी लंबित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी परियोजनाओं को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है; और

(घ) क्या नवीनगर, चान्दिल और करनपुरा ताप विद्युत परियोजनाओं को नौवें पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). 31.7.96 की स्थिति के अनुसार बिहार राज्य से संबंधित कोई भी विद्युत परियोजना प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति हेतु लंबित नहीं पड़ा है।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए समस्त देश हेतु क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि आवंटन

4352. डा. बलिराम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन पट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर स्थापित किया गया है;

(ख) क्या ऐसे पेट्रोल पम्प मालिकों ने अपने पेट्रोल पम्प का निर्माण उतने ही एकड़ भूमि पर किया है जितनी उन्हें वास्तव में आवंटित की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक कराए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर दिल्ली में 102 पैट्रोल पम्प स्थापित किये गये हैं।

(ख) 55 पेट्रोल पम्पों के मामले में पट्टा शर्तों के उल्लंघन के विरूद्ध तेल कंपनियों को भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। शेष दो मामलों में डी.डी.ए. द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधान के तहत समुचित कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ). उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रियायती गेहूं

4353. श्री मोहन रावले :
श्री संदीपान थोरात :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री नीतीश कुमार :
कुमारी उमा भारती :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की ब्रेड उत्पादन इकाइयों को रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आखिल भारतीय ब्रेड उत्पादक संघ द्वारा लिए गए इस निर्णय की जानकारी है कि यदि सरकार सभी ब्रेड उत्पादन इकाइयों को रियायती दर पर गेहूं का आवंटन नहीं करती है तो इसके उत्पादन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित रखा जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार को इस संबंध में क्या नीति है तथा इस मुद्दे के हल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) एवं (ख). फिलहाल केवल माडर्न (इंडिया) लि. तथा उसकी विशेषाधिकार प्राप्त यूनिटों को ही ब्रेड तथा ऊर्जा खाद्य के उत्पादन के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य से प्रति मी. टन 1000.00 रु. कम दर पर गेहूं की आपूर्ति की जा रही है।

(ग) से (ङ). जी हां। निजी क्षेत्र के कुछ ब्रेड उत्पादकों ने 25.8.96 से ब्रेड का उत्पादन यह मांग करते हुए बंद कर दिया था कि या तो जिन शर्तों पर मॉडर्न फूड इं. (इं.) लि. को रियायती दर पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है उन्हीं शर्तों पर उन्हें भी किया जाए नहीं तो उक्त कंपनी पर भी यह स्कीम लागू न की जाए। बाद में संघ के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया और 27/28 अगस्त, 1996 को उन्होंने हड़ताल समाप्त कर दी।

[हिन्दी]

पेयजल आपूर्ति

4354. श्री एस.पी. जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध करवाने के प्रयास जारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें कितनी सफलता मिली है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग). जी, हां। जलापूर्ति राज्य का विषय होने के कारण, जलापूर्ति योजनाएं तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। 20,000 से कम आबादी वाले (1991 की जनगणना के अनुसार) छोटे कस्बों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए, वर्ष 1993-94 में केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम आरंभ किया गया था। योजना की लागत केन्द्र तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र 2151 कस्बों में से से 486 कस्बे उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक कुल 58.58 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से 69 कस्बों के लिए जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृति की गई हैं। 16.78 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अंश और 14.73 करोड़ रुपये का राज्य अंश पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं तथा अब तक 11.03 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना मिली है। अब तक स्वीकृत 69 योजनाओं में से 5 योजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई है।

लोक शिकायत का निपटारा

4355. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मंत्रालयों/विभागों के निदेशक को शिकायतों की त्रैमासिक समीक्षा करने का निदेश दिया है ताकि लोक शिकायतों को निपटाने पर निगरानी रखी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि इन निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं; और

(ग) यदि इन निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शिकायतों के निवारण के बारे में कार्रवाई मुख्यतः उन्हीं के द्वारा की जानी होती है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्री के अधीन, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा एक "नोडल" विभाग के रूप में, सभी मंत्रालयों/विभागों के लोक शिकायत निदेशकों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि उन्हें प्राप्त हुई शिकायतों के निपटान को मोनीटर करने की दृष्टि से शिकायत निवारण तंत्र का वे प्रचार करें और उनके निपटान के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजें। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा लोक शिकायत निवारण तंत्र, मोनीटरिंग प्रणाली और चुने हुए मंत्रालयों/विभागों की शिकायतों के निपटान की समीक्षा करने के लिये तिमाही पुनरीक्षण बैठकें की जाती हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अध्ययन दल चुने हुए मंत्रालयों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र तथा उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के निपटान का प्रत्येक वर्ष गहन अध्ययन करते हैं तथा दिये गये सुझावों के कार्यान्वयन पर विभाग द्वारा निगरानी रखी जाती है। लोक शिकायतों के निवारण के बारे में प्रभावी कदम उठाने के संबंध में अनुदेशों को समय-समय पर दोहराया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता

4356. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री भक्त चरण दास :
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :
श्रीमती शारदा टाडीपारथी :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान देश में ग्रामीण स्वच्छता के लिए राज्य-वार कितना कितना आबंटन किया गया;

(ख) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान अब तक राज्य-वार क्या-क्या उपलब्धियां रहीं;

(ग) आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य-वार कितने घरों के लिए व्यक्तिगत रूप से शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न संघटक क्या-क्या हैं और उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आबंटन का ब्यौरा सलंग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 से 1995-96 तक की राज्यवार उपलब्धियां (बनाए गए शौचालयों की संख्या) संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) आठवीं योजना की शेष अवधि अर्थात 1996-97 के दौरान व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का लक्ष्य संलग्न विवरण 3 में दिया गया है।

(घ) आदर्श स्वच्छता गांवों के विकास संबंधी राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और जिन्हें अनुमोदित कर दिया गया है के ब्यौरे संलग्न विवरण 4 में दिए गए हैं।

(ङ) योजना के घटक निम्नानुसार हैं :-

1. गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण।
2. शुष्क शौचालयों को कम लागत वाले स्वच्छ शौचालयों में बदलना।
3. जहां घरों के परिसरों में पर्याप्त भूमि/स्थान नहीं है वहां चयनित आधार पर महिलाओं के लिए विशेष ग्राम स्वच्छता परिसरों का निर्माण और जिनके रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतें लेना चाहती हैं।
4. स्वच्छता बाजारों की स्थापना।
5. नालियों, सोख्ता गड्ढों के निर्माण, ठोस तथा तरल कूड़े के निपटान द्वारा गांव की पूर्ण स्वच्छता।
6. व्यक्तिगत, पारिवारिक और पर्यावरणीय स्वच्छता सुविधाओं के लिए अनुभूत आवश्यकता के सृजन हेतु जागरूकता सृजन एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए गहन अभियान।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की मार्गदर्शिकाओं में दिए अनुसार घटक वार निधियों का आबंटन निम्नानुसार है :

1. गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता शौचालयों के निर्माण हेतु दी गई सब्सिडी के केन्द्रीय भाग का 75 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है।
2. महिलाओं के लिए विशिष्ट स्वच्छता परिसरों की निर्माण लागत में सहायता दिए जाने हेतु 10 प्रतिशत का उपयोग किया जा सकता है।
3. स्वास्थ्य शिक्षा/अभिप्रेरणा, अनुभूत आवश्यकता के सृजन हेतु 10 प्रतिशत तक उपयोग
4. अन्य घटकों जैसे स्नानघरों, सोख्ता गड्ढों आदि के निर्माण हेतु 5 प्रतिशत का उपयोग।
5. कर्मचारी, प्रशासन आदि के खर्चों की पूर्ति हेतु 3 प्रतिशत उपयोग।

विवरण-I

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	315.00	331.00	343.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.00	8.00	8.00
3.	असम	115.00	126.00	130.00
4.	बिहार	560.00	589.00	603.00
5.	गोवा	5.00	5.00	5.00
6.	गुजरात	142.00	149.00	155.00
7.	हरियाणा	51.00	54.00	56.00
8.	हिमाचल प्रदेश	53.00	52.00	54.00
9.	जम्मू और कश्मीर	70.00	73.00	75.00
10.	कर्नाटक	256.00	269.00	278.00
11.	केरल	194.00	207.00	214.00
12.	मध्य प्रदेश	368.00	388.00	401.00
13.	महाराष्ट्र	404.00	424.00	439.00
14.	मणिपुर	15.00	16.00	16.00
15.	मेघालय	16.00	16.00	17.00
16.	मिजोरम	5.00	5.00	5.00
17.	नागालैंड	11.00	10.00	10.00
18.	उड़ीसा	221.00	233.00	241.00
19.	पंजाब	52.00	55.00	57.00
20.	राजस्थान	190.00	200.00	207.00
21.	सिक्किम	5.00	5.00	5.00
22.	तमिलनाडु	334.00	351.00	363.00
23.	त्रिपुरा	23.00	25.00	26.00
24.	उत्तर प्रदेश	783.00	824.00	852.00
25.	पश्चिम बंगाल	303.00	319.00	325.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.00	5.00	5.00
27.	चंडीगढ़	5.00	5.00	5.00
28.	दादरा और नगर हवेली	5.00	5.00	5.00
29.	दमन व दीव	5.00	5.00	5.00
30.	दिल्ली	5.00	5.00	5.00
31.	लक्षद्वीप	5.00	5.00	5.00
32.	पांडिचेरी	5.00	5.00	5.00
	योग	4535.00	4769.00	4920.00

विवरण-II

1993-94 से 1995-96 तक केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत (केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) राज्यवार उपलब्धियां

(बनाए गए शौचालयों की संख्या)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13102	97104	132978
2.	अरुणाचल प्रदेश	545	695	896
3.	असम	954	2895	4128
4.	बिहार	4322	372	0
5.	गोवा	1443	1401	2345
6.	गुजरात	15221	16804	36500
7.	हरियाणा	52751	51165	35761
8.	हिमाचल प्रदेश	68036	74496	73559
9.	जम्मू और कश्मीर	8612	10567	12708
10.	कर्नाटक	6413	25882	132134
11.	केरल	9781	20733	19618
12.	मध्य प्रदेश	18021	36160	48352
13.	महाराष्ट्र	1093	17380	2784
14.	मणिपुर	2003	2649	1333
15.	मेघालय	1048	1919	1945
16.	मिजोरम	0	508	500
17.	नागालैंड	459	0	0
18.	उड़ीसा	567	3142	37296
19.	पंजाब	8466	2973	3424
20.	राजस्थान	9558	19267	66876
21.	सिक्किम	450	460	2024
22.	तमिलनाडु	1800	42445	23958
23.	त्रिपुरा	2259	1421	2051
24.	उत्तर प्रदेश	48335	106698	138099
25.	पश्चिम बंगाल	19390	37661	74788
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	456	1164	2441
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दादरा और नगर हवेली	13	56	79
29.	दमन व दीव	0	60	62
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	10	64	145
32.	पांडिचेरी	300	330	619
	योग	295408	576471	857403

विवरण-III

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आठवीं योजना अर्थात 1996-97 की बकाया अवधि के दौरान बनाए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तिगत शौचालयों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य	1996-97 के लिए लक्ष्य
1	2
आंध्र प्रदेश	77615
अरुणाचल प्रदेश	4513
असम	6000
बिहार	54150
गोवा	1850
गुजरात	30000
हरियाणा	9073
हिमाचल प्रदेश	52440
जम्मू और कश्मीर	30864
कर्नाटक	90810
केरल	17548
मध्य प्रदेश	38736
महाराष्ट्र	36148
मणिपुर	5083
मेघालय	1850
मिजोरम	831
नागालैंड	2233
उड़ीसा	42418
पंजाब	12255
राजस्थान	26695
सिक्किम	1100
तमिलनाडु	34828

1	2
त्रिपुरा	2880
उत्तर प्रदेश	163258
पश्चिम बंगाल	25983
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	26363
चंडीगढ़	1900
दादरा व नगर हवेली	475
दमन व दीव	475
दिल्ली	1425
लक्षद्वीप	331
पांडिचेरी	713
योग	800843

विवरण-IV

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श स्वच्छ गांवों के विकास हेतु राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे।

(रुपये लाख में)

राज्य	आदर्श स्वच्छ गांव	केन्द्रीय अंश	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
(क) 1995-96 तक			
1. आंध्र प्रदेश	राज्य के राजीवगांधी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा अपनाए गए 3 गांव	6.00	5.00
2. असम	लखीपुर सिविल सब-डिवीजन का पैलापूल (कछार)	13.70	8.19
3. हिमाचल प्रदेश	गांव भोजनगर (सोलन)	0.76	0.76
4. केरल	पल्लीपाद	10.69	10.69
5. मध्य प्रदेश	हांपा	3.123	3.123
6. उड़ीसा	लांडाबांन्सा	2.30	1.15
कुल (क)		36.573	29.213
(ख) 1995-96 के दौरान			
1. कर्नाटक	(1) मुदानहाल्ला (कोलार)	1.13	0.56
	(2) श्रृंगेरी (चिकमंगलूर)	5.38	2.69
	(3) हम्पी (बेल्लारी)	2.89	1.45
	(4) डांडाबनासवाड़ी (मांडया)	0.985	0.49
	(5) गुरूदेवराहाली	4.888	2.444
2. केरल	(1) किलीकोलन	20.159	10.08
	(2) धरायूर	9.560	4.78
	(3) थिकोकोडो	10.150	5.07
	(वनगाला)	15.090 *	3.77
कुल (ख)		70.232	31.33
कुल (क) + (ख)		106.805	59.203

* दो वर्षों के लिए

1996-97 के दौरान

1996-97 के दौरान राज्य सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत आवंटन

4357. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 में केरल को केन्द्रीय पूल से विद्युत का आवंटन किया है;

(ख) 1995-96 में केन्द्रीय पूल के अंतर्गत पूरे देश में विद्युत का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) 1995-96 में प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय पूल से विद्युत का कितना हिस्सा आवंटित किया गया;

(घ) क्या सरकार ने केरल को केन्द्रीय पूल के हिस्से के विद्युत आबंटन को कम कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान 2898.8 मिलियन यूनिट की हकदारी की तुलना में केरल द्वारा 2737.1 मिलियन यूनिट की वास्तविक निकासी की गयी थी।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कुल विद्युत उत्पादन 144757 मिलियन यूनिट था।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

केन्द्रीय स्टेशनों से विद्युत की हकदारी
(अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 की अवधि)

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

राज्य का नाम	हकदारी
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ़	176.7
दिल्ली	8067.0
हरियाणा	5386.8
हिमाचल प्रदेश	1135.7
जम्मू और कश्मीर	2937.5
पंजाब	5511.8
राजस्थान	7445.9
उत्तर प्रदेश	14382.7
योग	45044.1
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	8633.5
मध्य प्रदेश	10263.8
महाराष्ट्र	10197.6
गोवा	1223.3
जोड़	30318.2
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	7234.1
कर्नाटक	4085.9
केरल	2898.8
तमिलनाडु	7872.0
गोवा	636.0
जोड़	22726.8
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	3080.9
डीवीसी	1392.4
उड़ीसा	2501.9
पश्चिम बंगाल	2935.8
सिक्किम	164.4
जोड़	10075.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	91.3
असम	645.5
मणिपुर	243.3
मेघालय	143.8
मिजोरम	117.7
नागालैंड	131.4
त्रिपुरा	136.4
जोड़	1509.4

इन्दिरावती विद्युत परियोजना

4358. श्री भक्त चरण दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से इन्दिरावती विद्युत परियोजना के लिए कुछ धनराशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने यह धनराशि मंजूर कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ वास्तव में जारी की गई धनराशि कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). विद्युत वित्त निगम द्वारा उड़ीसा जल विद्युत निगम लिमिटेड को ऊपरी इन्द्रावती विद्युत परियोजना के लिए 320 करोड़ रुपए का ऋण अनुमोदित किया गया है। इसमें से, अभी तक 17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

आवास प्राधिकरणों में अनियमितताएं

4359. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/खुर्जा विकास प्राधिकरण/नोएडा विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं की जा रही हैं;

(ख) क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों को जलापूर्ति

4360. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के दौरान राज्यों को कुआं खोदने के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। 1996-97 के दौरान राज्यों को दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत कुएं खोदने के लिए निधियां आबंटित की गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1996-97 की दस लाख कुंओं की योजना के अन्तर्गत आवंटित केन्द्रीय निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	आवंटन 1996-97	आवंटन का 50%
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3473.71	1736.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.66	17.83
3.	असम	1143.53	571.77
4.	बिहार	6813.55	3406.78
5.	गोवा	38.53	19.27
6.	गुजरात	1275.13	637.57
7.	हरियाणा	306.30	153.15
8.	हिमाचल प्रदेश	122.43	61.22
9.	जम्मू व कश्मीर	248.79	124.40
10.	कर्नाटक	2332.44	1166.22
11.	केरल	848.57	424.29
12.	मध्य प्रदेश	4401.69	2200.85
13.	महाराष्ट्र	3786.82	1893.41
14.	मणिपुर	45.71	22.86
15.	मेघालय	53.48	26.74
16.	मिजोरम	22.53	11.27
17.	नागालैंड	57.33	28.67
18.	उड़ीसा	2817.99	1409.00
19.	पंजाब	217.82	108.91
20.	राजस्थान	1828.74	914.37
21.	सिक्किम	20.87	10.44
22.	तमिलनाडु	3140.18	1570.09
23.	त्रिपुरा	59.37	29.69
24.	उत्तर प्रदेश	8465.31	4232.66
25.	पश्चिम बंगाल	3112.95	1556.48
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	21.11	10.56
27.	दादरा व नगर हवेली	11.46	5.73
28.	दमन व दीव	6.76	3.38
29.	लक्षद्वीप	10.58	5.29
30.	पांडिचेरी	20.66	10.33
	कुल	44740.00	22370.00

[अनुवाद]

ताप्ती अपतटीय गैस क्षेत्र

4361. श्री दिलीपभाई संघानी :
श्री हरिन पाठक :
श्री दिनशा पटेल :
श्री एन.जे. राठवा :
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **प्रधान मंत्री** ताप्ती तटीय गैस क्षेत्रों में प्रस्तावित पिपावन विद्युत परियोजना हेतु गैस के आबंटन के बारे में 16 जुलाई, 1992 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 1427 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित पिपावन विद्युत परियोजना के लिए गैस के आबंटन के संबंध में कोई निर्णय लिया है बशर्ते कि ताप्ती गैस क्षेत्र का विकास हो; और

(ख) यदि हां, तो पिपावन विद्युत परियोजना के लिए ताप्ती से कितनी मात्रा में गैस का आबंटन किया जाना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) व (ख). हजीरा तथा एचबीजे पाइपलाइन के आस पास की मौजूदा प्रतिबद्धता को पूरा करने के उद्देश्य से मध्य व दक्षिण ताप्ती क्षेत्रों से गैस को हजीरा ले जाने से निर्णय लिया गया है।

रसोई गैस की आपूर्ति

4362. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरक/एजेंसी द्वारा रसोई गैस की सप्लाई हेतु कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश भर में ऐसी रसोई गैस एजेंसियां का कोई सर्वेक्षण कराया है जिन पर अपनी निर्धारित सीमा से अधिक आपूर्ति भार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(च) उक्त सर्वेक्षण के आधार पर गुजरात के प्रत्येक जिले में कितनी रसोई गैस एजेंसियां खोली जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) और (ख). विभिन्न नगरों/कस्बों में एलपीजी वितरकों के लिए वर्तमान रिफिल बिक्री सीमा निम्नानुसार है :-

	1991 की जनगणना के आधार पर नगरों/कस्बों की जनसंख्या	संशोधित अधिकतम प्रतिमास
1.	बम्बई	10,000
2.	दिल्ली	9,000
3.	मद्रास, कलकत्ता और 40 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर	8,000
4.	20 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर	7,000
5.	10 से 20 लाख जनसंख्या वाले नगर	6,000
6.	10 लाख तक जनसंख्या वाले नगर	5,000

(ग) से (च). ऐसे वितरक कुछ ही हैं जो विभिन्न बाजारों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से ज्यादा प्रचालन कर रहे हैं। ऐसे बाजारों का पुनर्गठन किया जाता है और उत्पादों की उपलब्धता के अध्यधीन इन बाजारों में अतिरिक्त एल पी जी वितरण केन्द्र खोलने के प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने पूरे देश में 1191 एल पी जी वितरण केन्द्रों वाली एल पी जी विपणन योजना 1994-96 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें गुजरात के लिए 64 वितरण केन्द्रों का प्रस्ताव शामिल है।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

4363. श्री उद्धव बर्मन : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान कार्यों के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) ने क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को पर्याप्त धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट की अनुसंधान कार्य संबंधी उपलब्धि क्या रही है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार से प्राप्त उनके निधि आवंटन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है जो निम्न प्रकार से है :

वर्ष	आवंटित निधि (रुपये लाखों में)
1993-94	544.265
1994-95	678.121
1995-96	736.445

(ग) जोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला औषधि एवं फारमासियूटिकल्स, रासायनिकों, कैटालसिस एवं पैट्रोकैमिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, भवननिर्माण सामग्री, औषधीय एवं सगंधीय पादप इत्यादि के क्षेत्र के व्यापक रूप से कार्य कर रहा है। वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि में इस प्रयोगशाला की महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियां में से कुछ संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94 से 1995-96 में अनुसंधान एवं विकास उपलब्धियां

प्रयोगशाला द्वारा विकसित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से कुछ हैं :

क्र.सं.	प्रक्रियाएं
1	2
1.	डिकोम एवं कथालानी तेल क्षेत्रों में कच्चे तेल हेतु "फ्लो इम्प्रुवर्स"
2.	कुमचई तेल क्षेत्रों के लिए "पोर पाइन्ट अवनमक योगज"
3.	बहि: स्राव उपचार के लिए वितैलक
4.	मैथमिडाफास (कीटनाशक)
5.	ऐसोफेट (कीटनाशक)

1	2
6.	डीडिफेनफोस (कीटनाशक)
7.	16 डीपीए (स्टेरॉयडल औषधि के लिए मध्यक)
8.	पेथीडाइन एचसीएल (पीड़ाहारी)
9.	"वर्टिकल फेड बैच डाइजेस्टर (वीएफबीडी) का उपयोग करते हुए पादप अवशिष्टों तथा अपशिष्ट जैवमात्रा में गोबरगैस
10.	आवास, पानी की टंकियां, अन्न भंडारण सधान कक्ष इत्यादि के घटकों के निर्माण के लिए "फेरोसीमेन्ट" तकनीक
11.	परिष्कृत वायु वितरण प्रणाली के साथ 60000 टीपीए की उच्च क्षमता के लिए वर्टिकल शाफ्ट किल्न (वीएसके) सीमेंट संयंत्र प्रौद्योगिकी का संवर्धन
12.	निम्नांकित औषधीय एवं सगंधीय पादपों के लिए सूक्ष्म संवर्धन तकनीक शोरिआ असामिका एल्पीनिया गालंगा डायोस्कोरिया फ्लोरिबुंडा पोगोस्टिमान पैचौली
13.	जीवाणु रहित जल के लिए "वाटर फिल्टर कैन्डलस"
14.	हॉट मैल्ट कोटिंग टैक्नोलोजी कार्बन रहित कापी पेपर तथा तेल विलयशील ल्यूको डाई का सूक्ष्म सम्पुटन
15.	लोह अयस्क का कोल्ड बोन्डड पेलेटाइजेशन

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन

4364. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहिणी के सेक्टर II में एस.एफ.एस. VI, श्रेणी II के अन्तर्गत कितने फ्लैट आवंटियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का स्वामित्व अथवा स्वामित्व पत्र दे दिया गया है;

(ख) उपर्युक्त फ्लैटों के शेष आवंटियों को फ्लैटों का स्वामित्व/स्वामित्व पत्र कब तक दे दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का कोई ऐसा नियम है जिसके अन्तर्गत फ्लैटों का स्वामित्व दिये जाने में 30 माह से अधिक से अधिक विलम्ब हो जाने पर 30 माह के बाद से मांग पत्र जारी होने तक आवंटियों की जमाराशि पर ब्याज दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो कितने आवंटियों को ब्याज दिया जाना है और उपर्युक्त फ्लैटों के कितने आवंटियों को ब्याज दिया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि रोहिणी सेक्टर-II में स्व वित्त स्कीम श्रेणी-II के 20 फ्लैटों बाबत कब्जा पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(ख) रोहिणी सेक्टर II के स्ववित्त पोषित स्कीम श्रेणी II के शेष 226 आवंटियों को कब्जा पत्र उनके द्वारा मांगी गई औपचारिकताएं पूरी करने के तुरन्त बाद जारी कर दिए जायेंगे।

कच्चा तेल

4365. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान 1995-96 तक असम में तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा जलाई गई गैस की मात्रा मानक घन मीटर में क्या थी;

(ख) असम को दी गई विशेष छूट को ध्यान में रखे बिना देश में प्रभावी सकल वर्तमान मूल्य के अनुसार जलाई गई ऐसी गैस का वर्ष-वार मूल्य क्या है;

(ग) उत्पादित गैस में से आन्तरिक खपत के लिए तेल और प्राकृतिक गैस द्वारा प्रयुक्त गैस की वर्ष-वार मात्रा क्या है तथा इस प्रकार प्रयुक्त की गई गैस पर कोई रायल्टी दी जाती है; और

(घ) क्या सरकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को व्यर्थ बर्बाद होने से बचाने के लिए जब तक तेल के उत्पादन के साथ निकलने वाली गैस के वाणिज्यिक उपयोग के लिए व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को यदि बंद नहीं, तो उसे कम करने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) से (ग) 1995-96 तक के विगत वर्षों के दौरान असम में ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन द्वारा जलाई गई गैस की मात्रा तथा इसकी आंतरिक खपत और जलाई गई गैस का मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है :

	1993-94	94-95	95-96
जलाई गई गैस (एम एम एस सी एम)	254	261	134
× जलाई गई गैस का मूल्य (करोड़ रुपये)	38.1	39.2	20.1
आंतरिक प्रयोग (एम एम एस सी एम)	90	75	118

× 1500 रु. प्रति हजार घन मीटर पर परिकलित

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन द्वारा आंतरिक रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस पर कोई रायल्टी नहीं दी जाती।

(घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन गैस ज्वलन को तकनीकी स्तरों तक कम करने के लिए परियोजनाएं चालू कर रहा है। देश में कच्चे तेल की कमी को देखते हुए, यह व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता कि गैस ज्वलन के कारण तेल उत्पादन में कमी की जाए।

पीने का पानी और मल निकासी परियोजनाएं

4366. श्री अनंत कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक की उन पेयजल आपूर्ति तथा मल निकासी परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता मंजूरी की गयी है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए आठवीं योजना अवधि में निर्धारित धनराशि और उन पर अब तक खर्च की गई धनराशि तथा अभी तक अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय में परियोजनाएं किस चरण में हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) (1) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कर्नाटक राज्य में 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए सुरक्षित और पर्याप्त जल आपूर्ति सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने हेतु 1993-94 से 475.70 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत की 8 स्कीमें स्वीकृत की गयी हैं। स्वीकृत स्कीमों का वर्ष-वार ब्यौरा विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(2) मेगा शहरों के अवस्थापनात्मक विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत बंगलौर शहर के लिए वर्ष 1995-96 में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा 44.19 करोड़ रुपये धनराशि की जल आपूर्ति परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं,

सीवरेज स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए वहां केन्द्रीय क्षेत्र का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) (1) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत कर्नाटक के लिए आठवीं योजना के तहत 337.74 लाख रुपये के कुल नियतन में से अब तक 190.27 लाख रुपये की धनराशि केन्द्रीय शेयर के रुप में रिलीज की जा चुकी है और इन स्कीमों बाबत 109.58 लाख रुपये व्यय होने की सूचना दी गयी है।

(2) मेगा सिटी कार्यक्रम के तहत, जिसमें जल आपूर्ति घटक भी शामिल है, सहायता हेतु पात्र सभी परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में 35.28 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है।

(ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के नाते, जल आपूर्ति स्कीमें तैयार करना, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों का दायित्व है। राज्य सरकार ने त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 6 कस्बों नामतः बेलूर, सालिग्राम, चिन्तागुप्पा कुत्तूर, केरूर और मुंदारगी के लिए परियोजनाओं बाबत प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन सभी स्कीमों में कार्य प्रगति पर होने की सूचना है।

विवरण

स्वीकृत स्कीमें

क्र.सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति वर्ष	परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1.	बेलूर	मार्च, 94	90.00
2.	सालिग्राम	मार्च, 94	64.03
3.	चित्तागुप्पा	मार्च, 94	97.20
4.	कुत्तूर	मार्च, 94	62.64
5.	केरूर	मार्च, 94	37.80
6.	मुंदारगी	मार्च, 94	32.73
7.	सादल्गा	मार्च, 94	54.50
8.	नवल गुंड	जुलाई, 96	38.80
			475.70

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा निर्यात में वृद्धि

4367. श्री सुधीर गिरि : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य-वार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रकार के केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा यदि कोई सहायता दी गई, तो वह कितनी है; और

(ग) क्या सहायता प्राप्त केन्द्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग). कोई विशिष्ट निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों में अनेक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित की गई हैं।

केरल में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत

4368. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री टी. गोविन्दन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग की विभिन्न योजनाएं क्या हैं;

(ख) कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई और केरल में योजना के अंतर्गत कितनी सौर ऊर्जा पैदा की गई;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर वर्षवार और योजना वार कितनी राशि स्वीकृत की गई, कितनी खर्च की गई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान योजनाओं द्वारा रोजगार के कितने अवसर जुटाए गए; और

(ङ) इस वर्ष के दौरान उनके विकास हेतु कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों जैसे बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, लघुपन बिजली, बायोपास गैसीकरण/सह उत्पादन/कम्बस्टन, सौर प्रकाशवोल्टीय जल पंपन, पवन ऊर्जा आदि के उपयोग के लिए व्यापक श्रेणी की योजनाएं केरल सहित सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। केरल में उत्पादित सौर ऊर्जा की मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं हेतु केरल में स्वीकृत, खर्च की गई कुल राशि का वर्षवार और योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। केरल में उक्त अवधि के दौरान प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत सृजित हुए रोजगार के अवसर 4.2 लाख कार्य दिवस होने का अनुमान है।

(ङ) सम्पूर्ण देश के लिए चालू वित्त वर्ष 1996-97 हेतु योजना परिव्यय 334 करोड़ रु. है। निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	केरल में कार्यान्वयन के अंतर्गत ऊर्जा योजनाओं के नाम	8वीं पचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान उत्पादित अनुमानित सौर ऊर्जा की मात्रा			
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम (किवा घं.)	33,000	52,500	66,000	1,62,000
2.	सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम (मिलियन किवा घं. के विद्युत के बराबर)	1.04	1.168	1.565	1.565
3.	सौर कुकर कार्यक्रम (ईंधन लकड़ी की बचत किलोग्राम में)	89.400	1,02,600	1,12,800	1,12,800

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में मंजूर की गई, खर्च की गई राशि

क्र.सं.	केरल में कार्यान्वयन के अंतर्गत योजनाओं के नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान योजनाओं हेतु केरल में मंजूर की गई, खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)		
		1993-94 स्वीकृत व खर्च की गई	1994-95 स्वीकृत व खर्च की गई	1995-96 स्वीकृत व खर्च की गई
1	2	3	4	5
1.	पारिवार आकार के बायोगैस सयंत्र	95.48	49.42	87.36
2.	उन्नत चूल्हा	49.93	-	44.76
3.	बायोमास	7.79	2.92	5.17
4.	आई आर ई पी	19.35	41.06	47.95
5.	ऊर्जाग्राम	2.35	-	23.56
6.	एसपीवी सड़क रोशनी एसपीवी घरेलू रोशनी एसपीवी लालटेन	67.70	115.13	170.51

1	2	3	4	5
7.	स्टैंडएलोन पवन ऊर्जा प्रणालियां		5.91	7.17
8.	बैटरी चालित वाहन			0.16
9.	सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम		0.41	4.69
10.	सौर कुकर			0.75
11.	शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट		3.01	2.70

भूमि अधिग्रहण

4369. डा. ए.के. पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस कम्पनी द्वारा गुजरात में ड्रिलिंग और अन्य क्रियाकलापों के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राज्य में भू मालिकों को भूमि की कीमत अदा करने के लिए कोई सूत्र तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि निर्धारित की गई भूमि की कीमत विद्यमान कीमत से बहुत कम है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में भू मालिकों को दी जाने वाली कीमत में वृद्धि करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्धन और अन्य कार्यकलापों के लिए गुजरात राज्य में ओएनजीसी द्वारा कुल लगभग 2880 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

(ख) से (ङ). ओ एन जी सी के कार्यकलापों के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण समय समय पर यथा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य के राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मूल्य का भुगतान ओएनजीसी द्वारा उक्त अधिनियम के अनुरूप समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाता है। इन दरों में किसी प्रकार के संशोधन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भूमि के मूल्य का मामला संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4370. श्रीमती शीला गौतम :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है;

(ख) इस पर कुल कितना अनुमानित खर्च आया;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण का अनुपात कितना-कितना है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युतीकरण कार्यक्रम का निजीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सन् 2000 तक देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1993-94, 1994-95 व 1995-96 तथा आज की तिथि तक गांवों के विद्युतीकरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों/ग्रामीण बिजली सहकारिताओं का गांवों के विद्युतीकरण, पंपसेट का ऊर्जन, प्रणाली सुधार आदि समेत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु इस अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :

अवधि	उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता की राशि
1993-94	692
1994-95	1028
1995-96	831

1996-97 (जून, 96 तक) के दौरान 62.02

(ग) देश में सभी 4029 कस्बों का विद्युतीकरण कर दिया गया है, जबकि देश में जून, 1996 के अंत तक 5,79,132 गांवों में से 5,10,911 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में सरकार ने विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र को भागीदारी का अनुमति प्रदान करती है। यद्यपि, यह संबंधित राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड पर निर्भर करता है कि वे किस को अभिज्ञात करें जिनमें वे निजी क्षेत्र को शामिल करना चाहते हैं।

(च) ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष 2000 तक सभी गांवों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति, पारेषण एवं वितरण प्रणाली से संबंधी समग्र नेटवर्क व अन्य सुसंगत निवेशों पर निर्भर करेगा।

विवरण

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94 के दौरान		1994-95 के दौरान		1995-96 के दौरान		1996-97 के दौरान
		लक्ष्य	उपलब्धि (संशोधित)	लक्ष्य	उपलब्धि (संशोधित)	लक्ष्य	उपलब्धि (संशोधित)	लक्ष्य उपलब्धि (संशोधित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	-	*	-	*	-	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	80	140	310	120	121	9
3.	असम	110	14	100	170	900	222	उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	250	205	200	59	400	43	17
5.	गोवा	-	*		*		*	*
6.	गुजरात	-	*		*	-	*	*
7.	हरियाणा		*	-	*	-	*	*
8.	हिमाचल प्रदेश		*	-	*		*	*
9.	जम्मू और कश्मीर	10	6	5	50	65	43	शून्य
10.	कर्नाटक	-	*	-	*	-	*	*
11.	केरल	-	*	-	*	-	*	*
12.	मध्य प्रदेश	250	751	250	1019	350	503	22
13.	महाराष्ट्र	-	*	-	*	-	*	*
14.	मणिपुर	115	85	100	71	75	163	2
15.	मेघालय	70	23	100	शून्य	60	शून्य	4
16.	मिजोरम	50	50	50	65	45	45	उपलब्ध नहीं
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	शून्य
18.	उड़ीसा	235	226	220	223	220	740	उपलब्ध नहीं
19.	पंजाब	-	*	-	*	-	*	*
20.	राजस्थान	650	711	750	699	750	750	28
21.	सिक्किम	-	*	-	*	-	*	*
22.	तमिलनाडु	-	*	-	*	-	*	*
23.	त्रिपुरा	320	200	220	150	20	15	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	650	650	300	428	800	1305	26
25.	पश्चिम बंगाल	350	351	462	310	520	89	19
	कुल राज्य)	3210	3352	2897	3554	4325	4039	127
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	-	*	-	*		*	-
	कुल (अखिल भारत)	3210	3352	2897	3554	4325	4039	127

(सी) : संचयी

* : शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण

[अनुवाद]

सरकारी आवास को किराये पर देना

4371. श्री नन्द कुमार सिंह चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों यथा सरोजनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, सेक्टर "डी", (मंदिर मार्ग), आराम बाग, एच और जे. ब्लाक (कार्लाबाड़ी मार्ग) तथा आर.के. पुरम में रहने वाले टाई-II के आवंटियों ने गैराजों सहित अपने क्वार्टरों को पूरा अथवा आंशिक रूप से किराये पर दिया हुआ है;

(ख) क्या सम्पदा निदेशालय को इस संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत छः महीने के दौरान इस संबंध में कितने छापे मारे गए हैं;

(ङ) कुल कितने आवंटियों को आवास किराये पर देने का दोषी पाया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इन आवंटियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख). समय-समय पर प्राप्त शिकायतों और मामले में किए गए आवधिक निरीक्षणों के आधार पर इन क्षेत्रों में सरकारी रिहायशी मकानों और गैरेजों को आंशिक तथा पूरे तौर पर उप किरायेदारी पर देने के मामलों का पता चला है।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकारी वास की उप किरायेदारी के बारे में संपदा निदेशालय में 238 शिकायतें मिली हैं। क्वार्टरों का अचानक निरीक्षण करने के लिए क्वार्टरों का निरीक्षण कार्य सहायक संपदा निदेशकों को सौंपा गया है।

(घ) शिव सागर तिवारी बनाम संघ सरकार तथा अन्यों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उप किराएदारी का पता लगाने के लिए घर-घर जाकर निरीक्षण किया गया है। गत छः महीने के दौरान संपदा निदेशालय द्वारा 20,000 क्वार्टरों का निरीक्षण किया गया है।

(ङ) 216। मामलों में उप किराएदारी का पता चला था।

(च) जब कोई व्यक्ति उप किराएदारी का दोषी पाया जाता है तो उस पर आवंटन नियमों में उल्लिखित सभी शास्तियां लगाई जाती हैं जिनमें सरकारी वास का आवंटन रद्द करना शामिल है। यदि 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर क्वार्टर खाली न किया जाये तो लोक परिसर (बेदखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली हेतु मामला दर्ज किया जाता है।

कृषि क्षेत्र के लिए परिव्यय

4372. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :
डा. अरुण कुमार शर्मा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम में कृषि विकास से संबंधित स्वीकृत परिव्यय तथा संशोधित परिव्यय में भारी अंतर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य में कृषि विकास के पिछड़ेपन को देखते हुए सरकार का विचार परिव्यय में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ). गत तीन वर्षों के दौरान असम के कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों हेतु अनुमोदित परिव्यय और संशोधित अनुमोदित राज्य योजना परिव्यय नीचे दिया गया है।

(लाख रु.)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित अनुमोदित परिव्यय
1993-94	13933	10355
1994-95	13933	11823
1995-96	16600	13993

अनुमोदित परिव्यय के अधोमुखी संशोधन के कारण यह है कि डा. रंगराजन समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार बो.सी.आर. (चालू राजस्व का अतिशेष) को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत तक का अपवर्तन कर लगा सकती है। असम राज्य सरकार ने पहले ही केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत तक का अपवर्तन कर लिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार वांछित सीमा तक पर्याप्त संसाधन सृजन करने में असमर्थ रही है।

आवासीय प्लाटों का दुरूपयोग

4373. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आवासीय प्लाटों को वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बहुमंजली दुकानों में परिवर्तित कर दिया गया है जबकि डी.डी.ए./नागरिक प्राधिकरणों ने नक्शों आदि को आवासीय उद्देश्य से स्वीकृत किया था; और

(ख) ऐसे प्लाटों के स्वामियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई/करने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) रिहायशी परिसरों के दुरूपयोग के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाती है। विगत चार वर्षों के दौरान जिन मामलों में मुकदमा शुरू किया गया है की संख्या इस प्रकार है :-

1992-93	303
1993-94	481
1994-95	502
1995-96	9

घोटाले

4374. श्री तारीक अनवर :
डा. एम.पी. जायसवाल :
डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान देश में कितने घोटालों का पर्दाफाश हुआ;

(ख) घोटालों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को कितने मामले सौंपे गए;

(ग) के.अ. ब्यूरो के जांचाधीन इस समय कितने मामले हैं;

(घ) इन घोटालों की जांच करते समय के.अ. ब्यूरो के सामने किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं;

(ङ) क्या इन घोटालों की जांच करने के लिए एक सेल के गठन हेतु के.अ. ब्यूरो को निदेश दिए गये हैं;

(च) क्या कर्नाटक में 500 करोड़ रुपये के घोटाले का पता लगा है; और

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) तथा (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित घोटालों से संबंधित 69 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के लिए पंजीकृत किए गए :

	मामलों की संख्या	घोटाले का नाम
(1)	1	यूरिया घोटाला
(2)	17	आवास घोटाला
(3)	44	पशुपालन घोटाला
(4)	7	बैंक प्रतिभूति घोटाला
कुल	69	

(ग) इन 69 मामलों में से 64 मामले अभी भी जांचाधीन हैं।

(घ) बैंक प्रतिभूति घोटाले की जांच में कुछ कठिनाइयां थी लेकिन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें सुलझा लिया है तथा इनमें से अधिकांश मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया था।

(ङ) केवल बैंक घोटाला मामलों की जांच तथा अभियोजन के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में बैंक प्रतिभूति नामक एक सेल की स्थापना की गई है।

(च) तथा (छ). इस संबंध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

उत्तर पूर्वी परिषद् योजना की धनराशि

4375. श्री थ. चौबा सिंह : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी परिषद् योजना से विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई;

(ख) क्या एन ई. सी. के कुछ सदस्य राज्य एल.ई.सी. योजना धनराशि से अपने राज्यों में किये गये कम निवेश के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो एन.ई.सी. द्वारा विभिन्न सदस्य राज्यों में बराबर निवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग). उत्तरी-पूर्वी परिषद सामान्यतः उन्हीं परियोजनाओं को कार्यान्वित करती है जिनके अन्तर्राज्यीय प्रभाव होते हैं तथा, इसलिए यह संभव नहीं है कि विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों की मात्रा का उल्लेख किया जा सके। कुछ राज्यों ने एन ई सी योजनाओं में लाभ की कुछ परियोजनाओं में उन्हें शामिल न करने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। तथापि, विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों के लिए आबंटनों को क्षेत्र की आवश्यकताओं व निधियों की उपलब्धता, तकनीकी व आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जाता है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4376. डॉ. सत्यानारायण जटिया : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अनुशंसित कार्य को कराने की जिम्मेदारी निर्धारित करने, कार्य पूरा करने, कार्य में लापरवाही बरतने, कार्य की प्रगति की समीक्षा करने तथा दण्ड देने के संबंध में क्या प्रावधान है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष वार्षिक आवंटन जारी करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस वर्ष 1996-97 के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है अथवा करा दी जाएगी; और

(घ) क्या कोई ऐसा प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता हो कि जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है वह व्यपगत नहीं होती; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 3.1 में यह प्रावधान है कि जिले में किए जाने वाले निर्माण कार्यों से संबंधित संसद सदस्य से सिफारिशें प्राप्त होने पर, जिलाधीश तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने तथा जिलाधीश द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन पर सहमति देने संबंधी प्रक्रियाओं सहित स्थापित प्रक्रियाओं पर अनुपालन करते हुए, जिले में सरकारी अभिकरणों के माध्यम से उन निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करवाने की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा, मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 3.3 के अनुसार चूंकि योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों को विभिन्न राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित कराया जाएगा, अतः संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर जिला स्तर पर इस योजना के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्यों के समन्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, जिला कलेक्टर तथा कार्यान्वयन अभिकरण निर्माण कार्यों के सफल कार्यान्वयन एवं योजना के अधीन जारी निधियों के उचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। सामान्य वित्तीय एवं लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं योजना के अंतर्गत की गई सभी कार्रवाईयों पर लागू होंगी। तथापि, कलेक्टर तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के अधिकारी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे, अतः लापरवाही के लिए दण्ड देने की यदि कोई कार्रवाई होती है तो यह केवल राज्य सरकार के संबद्ध अनुशासन प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है। जब कभी सांसदों से शिकायत प्राप्त होती हैं, मामले के अनुसार उन पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उन्हें या तो संबंधित कलेक्टर अथवा राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है।

(ख) योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 5.2 के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कार्यान्वयनाधीन निर्माण कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति तथा निर्माण कार्यों के लिए धनराशि आगामी आवश्यकता के आधार पर वर्ष में दो बार जारी की जाएगी। तथापि, योजना में कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए 50 लाख रु. की पहली किश्त जारी करने की स्वीकृति देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा यह किस्त कलेक्टरों से मांग पत्र प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से जारी की जाएगी।

(घ) मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पैरा 5.1 के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निधियां अव्ययगत होंगी, यदि किसी मामले में एक बार जारी की गई निधियां संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च नहीं की जाती हैं तो उन्हें सामान्य रूप से वापस करना पड़ेगा। तथापि, योजना के अंतर्गत अव्ययगत निधियों का यदि उपयोग न किया गया हो तो उनको वापस करने की आवश्यकता नहीं है, वरन् वह निधि अगले वित्तीय वर्ष के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में व्यापक अष्टाचार

4377. श्री सुशील चन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में व्यापत भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायाधिकरण के किसी सदस्य विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एस.आर. बालसुब्रमण्यन) : (क) और (ख). सरकार को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) में भ्रष्टाचार के आरोपों की कुछ सामान्य प्रकृति की शिकायतें प्राप्त हुई थीं आरोपों की प्रकृति को देखते हुए कुछ मामलों में, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के विचार मामलों पर आगे विचार करने के लिए मांग गए थे, अन्य मामलों में शिकायतें न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई थीं।

(ग) न्यायाधिकरण के किसी भी सदस्य के विरुद्ध न्यायाधिकरण में कार्य करते समय भ्रष्टाचार के आरोपों के संदर्भ में कार्रवाई करने का अभी तक कोई भी मामला नहीं है।

हिन्दी संवर्धन

4378. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत 22-23 वर्षों के दौरान योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए चलाए गए किसी भी वार्षिक कार्यक्रम को आज तक पूरा नहीं किया है, यदि हां, तो तत्सम्बंधी कारण क्या है;

(ख) हिन्दी परामर्शदात्री समिति कब तक गठित की जाएगी; और

(ग) नव गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और

सदस्यों द्वारा विभिन्न स्तरों पर हिन्दी में किए गए कार्य की प्रतिशतता क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रमों में सूचीबद्ध बहुत से लक्ष्यों की पूर्ति कर ली गई है।

(ख) पिछली हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर, 1995 को समाप्त हो गया है। हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य समुचित मात्रा में अपना सरकारी काम हिन्दी में करते है।

[अनुवाद]

पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता

4379. श्री पी.सी. चाक्को : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों ने सरकार को उन पेंशनभोगियों को तुरंत महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की है/निर्देश दिया है जिन्हें अनुबंध आधार पर नियुक्त किया गया है अथवा जो पहले से सेवारत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले का निष्कर्ष क्या निकला?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मंहगाई राहत उस समय तक निलंबित रहती है जिस अवधि के दौरान पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा भारत अथवा विदेश में इनके अधीन किसी निगम/कम्पनी/निकाय/बैंक, जिसमें ऐसे संगठनों में स्थायी संविलियन भी शामिल है, में नियोजित रहात है। इस निर्णय के पीछे तर्काधार यह है कि पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी अपने नियोजन के दौरान वेतन पर मंहगाई भत्ता प्राप्त कर मूल्य वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करता है। यदि पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मंहगाई राहत भी दे दी जाती है तो यह दुगुनी प्रतिपूर्ति के तुल्य होगी। कुछ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरणों ने नियोजन के दौरान पेंशन पर मंहगाई राहत की अनुमति दे दी किन्तु उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 8.12.94 के निर्णय द्वारा नियोजन के दौरान पेंशन/कुटुम्ब पेंशन पर मंहगाई राहत न देने के सरकारी निर्णय को ठीक ठहराया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने इस मत की पुष्टि अपने दिनांक 23 मार्च, 1995 के निर्णय में पुनः कर दी है।

बेरोजगारी भत्ता

4380. श्री समीर लाहिरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या दुनिया के किसी भी देश में ऐसी योजना चल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) से (ङ). तक सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के पेंशनधारियों का कल्याण

4381. श्री वी.एम. सुधीरन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा पेंशनधारियों के कल्याण हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी हैं;

(ख) क्या सरकार का पेंशनधारियों के विशेषाधिकारों, सुविधाओं तथा अन्य लाभों को बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) केन्द्रीय सरकार के पेंशनधारियों का कल्याण एक सतत् प्रक्रिया है। सेवान्त प्रसुविधाओं, जैसे कि पेंशन, (पेंशन सारांशीकरण सहित) उपदान आदि के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय आहरित अंतिम वेतन पर आधारित नाममात्र अंशदान अदा करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा के भी हकदार हैं, बशर्ते कि वहां ये सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ख) तथा (ग). पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को अपने विचारार्थ विषयों के अंतर्गत वर्तमान पेंशन संरचना, जिसमें मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधा भी शामिल है, की जांच करके उपयुक्त संस्तुतियां प्रस्तुत करनी हैं। सरकार वेतन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर विचार करके उपयुक्त निर्णय लेगी।

नौवीं योजना तैयार करना

4382. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना तैयार करने संबंधी कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के बारे में दृष्टिकोण पत्र के कब तक तैयार हो जाने का अनुमान है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर को दिसम्बर, 1996 तक राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव है।

"रा" एवं सी.बी.आई. के सेवानिवृत्त अधिकारियों का पुनर्नियोजन

4383. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिसर्च एंड एनलिसिस विंग (रा) एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई) के अनेक भूतपूर्व कर्मचारियों को एक प्रमुख अनिवासी भारतीय व्यवसायी द्वारा पुनर्नियोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों अथवा विदेशी एजेन्सियों द्वारा रा एवं सी.बी.आई. के किन-किन अधिकारियों को पुनर्नियोजित किया गया है;

(ग) क्या इस प्रकार के पुनिर्नियोजन को स्वीकार करने हेतु उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है और सरकार ने उन्हें इस संबंध में अनुमति दी है;

(घ) क्या सरकार ने आई.एस.आई. एवं. सी.आई.ए. नेटवर्क की बढ़ती हुई गतिविधियों के संदर्भ में रा एवं सी.बी.आई. के पूर्व अधिकारियों के पुनर्नियोजन की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं पर गौर किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10 के तहत केन्द्रीय सेवा समूह "क" के सदस्य को सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने के लिए सरकार का पूर्व मंजूरी लेनी होती है। यह आवश्यकता समूह "ख", "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। तथापि, समूह "ख" कर्मचारी यदि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति के पश्चात वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें संबंधित मंत्रालय को इस आशय की सूचना देनी होती है। समूह "क" के किसी भी अधिकारी को सेवा-निवृत्ति के दो वर्षों के भीतर किसी अनिवासी भारतीय व्यापारी अथवा विदेशी एजेंसी के साथ सेवा-निवृत्ति-पश्चात् वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी अधिकारियों को अनुदेश

4384. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनहित के मामलों में संसद सदस्यों के साथ सहयोग करने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर सरकारी अधिकारियों को सुस्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं; यदि हां, तो अनुदेशों का ब्यौरा क्या है तथा ये अनुदेश किस तारीख को जारी किए गए; और

(ख) सरकार की जानकारी में आई ऐसी घटनाओं की संख्या क्या है और सरकार द्वारा ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई तथा भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) तथा (ख). प्रशासन तथा संसद और विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी संव्यवहार में समुचित कार्यविधि के अनुपालन के संबंध में सरकार द्वारा विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन अनुदेशों में यह नियत किया गया है कि अधिकारीगण सांसदों तथा विधायकों को संविधान के तहत उनके महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में हर संभव सहायता प्रदान करें। इन अनुदेशों का सारांश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 मई, 1993 के का.ज्ञा.सं. 11013/2/92-स्था.(क) में दिया गया है जिसका विवरण संलग्न है।

विवरण

सं. 11013/2/92-स्था.(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27.5.93

कार्यालय ज्ञापन

विषय : प्रशासन तथा संसद और विधान मंडल के सदस्यों के बीच सरकारी संव्यवहार-समुचित कार्यविधि के अनुपालन के संबंध में अनुदेश

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 21.12.92 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है

कि इन अनुदेशों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन दिशा-निर्देशों में दिए गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया जाता है :—

(1) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के साथ विनम्रता तथा शिष्टाचार का बर्ताव किया जाए। यद्यपि सांसदों तथा विधायकों की बातों को धैर्यपूर्वक सुना जाए परन्तु सरकारी कर्मचारी नियमों का कड़ाई से पालने करते हुए; सदा ही अपने उत्कृष्ट निजी निर्णय के अनुसार कार्य करें।

(2) अधिकारीगण सांसदों तथा विधायकों को संविधान के तहत उनके महत्वपूर्ण कार्यों के निपटान में हर संभव सहायता प्रदान करें। यदि कोई अधिकारी किसी सदस्य के अनुरोध को मानने में असमर्थ हो तो उसे अपनी असमर्थता के कारण सदस्य महोदय को विनम्रता के साथ स्पष्ट कर दिए जाएं।

(3) सदस्य को दिए गए समय में फेरबदल किए जाने को संबंधित सदस्य को तत्परता के साथ स्पष्ट कर दिए जाएं जिससे कि उन्हें कम से कम असुविधा उठानी पड़े। उनसे परामर्श करके उन्हें कोई अन्य समय नियत कर दिया जाए।

(4) अधिकारी द्वारा अपने व्यवहार में अत्यधिक सावधान तथा शिष्टतापूर्ण रवैया अपनाया जाए तथा जो सदस्य उनसे मिलने आएं उनका स्वागत एवं विदाई खड़े होकर की जाए।

(5) सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित सार्वजनिक समारोह में अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों/विधान मंडलों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। संसद सदस्यों के लिए सार्वजनिक समारोह में समुचित आरामदेह सीटों की व्यवस्था की जाए जो भारत सरकार के सचिव के रैंक से ऊपर रखी जाए जैसा कि पूर्वता अधिपत्र (वारंट ऑफ प्रेसीडेन्स) में दिया गया है।

(6) संसद तथा विधान मंडलों के सदस्यों के पत्रों की पावती शीघ्र भेजी जाए तथा उनके उत्तर समुचित स्तर के अधिकारियों द्वारा यथाशीघ्र दिए जाएं। कार्यालय पद्धति मैनुअल के संगत उपबंधों का पालन किया जाए।

(7) संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को स्थानीय महत्व की सूचना अथवा सांख्यिकीय ब्यौरे जब वे चाहें दिए जाएं। यदि उनका अनुरोध स्वीकार्य न हो तो इस संबंध में उच्च प्राधिकारियों से अनुदेश प्राप्त किए जाएं।

(8) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए संसद सदस्यों/राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के पास न जाए, तथा

(9) संसदीय समितियों से प्राप्त संदर्भों पर तत्काल कार्यवाही की जाए। संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष स्तर के वरिष्ठ अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी सौंपी जाए।

मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का पुनः अनुरोध किया जाता है कि इन आदेशों का सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए।

(वी. नटराजन)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि :—

1. नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
2. संघ लोक सेवा आयोग।
3. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
4. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय।

[अनुवाद]

हावड़ा तथा कलकत्ता शहरों के सुधार संबंधी योजना

4385. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के हावड़ा तथा कलकत्ता शहरों के सुधार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दो नगरों में अनेक सुधार योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). जी, हां। बड़े शहरों में आधारभूत संरचनात्मक विकास स्कीम के तहत प्राप्त 334.50 करोड़ रुपये के प्रस्ताव कलकत्ता के लिए गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण (सीएमडीए) को नोडल एजेन्सी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

(ग) इस स्कीम के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच शेयरिंग 25:25 के अनुपात में होगी तथा शेष 50% को वित्तपोषी संस्थाओं तथा पूंजी बाजारों के माध्यम से संस्थागत वित्त से पूरा किया

जाएगा। जारी केन्द्रीय हिस्सा निम्नानुसार है :

वर्ष	जारी (करोड़ रुपये में)
1993-94	20.10
1994-95	16.10
1995-96	18.08

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि

4386. श्री मुनि लाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1993 से मार्च, 1996 के बीच बिहार सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख). केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा बनायी जाती है तथा राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजना आयोग की इसकी कार्यान्वयन में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के दौरान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

भ्रष्टाचार के मामले

4387. श्री पी.आर. दासमुंशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 और 31 मार्च, 1996 के बीच विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी क्षेत्र एककों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रही है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में अभियोग पत्र दाखिल कर दिया गया है तथा कितने मामलों में अभियोग पत्र दाखिल किए जाने के बाद सजा हुई है;

(ग) कितने मामलों में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है; और

(घ) कितने मामलों में जांच बंद कर दी गई और आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) एक अप्रैल, 1994 से 31 मार्च, 1996 की अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों और सरकारी क्षेत्र के एककों के वरिष्ठ लोक सेवकों (भारत सरकार में संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी) से संबंधित कुल 138 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं में जांच के लिए लंबित थे।

(ख) तथा (ग). 138 मामलों में से 14 मामलों में न्यायालय में आरोप-पत्र दायर कर दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हुआ चूंकि सभी मामलों में अभी मुकदमें चल रहे हैं।

(घ) 9 मामलों में जांच बंद कर दी गई है और उन पर आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार की शाखाओं को खोलना

4388. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में खोले गए केन्द्रीय भंडार की शाखाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख के अनुसार लाभ और हानि का शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय भंडार की कुछ शाखाओं को खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार की शाखाएं कहां-कहां खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की 72 शाखाएं हैं। स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) चूंकि प्रत्येक शाखा की अपनी अलग लेखा शाखा नहीं होती है इसलिए प्रत्येक शाखा स्टोर के लाभ का आंकलन करना संभव नहीं होता है। फिर भी गत तीन वर्षों में केन्द्रीय भंडार द्वारा समग्र रूप से अर्जित लाभ निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	लाभ (रुपये लाखों में)
1993-94	248.97
1994-95	206.46
1995-96	216.18

(ग) से (ङ). वर्तमान में चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय भंडार की शाखाएं उन्हीं क्षेत्रों में खोली जाती हैं जहां केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का बाहुल्य होता है तथा जब विपणन सुविधाएं, नए स्टोर खोलने के लिए वित्तीय व्यवहार्यता के साथ-साथ नाममात्र किराए पर आवास की उपलब्धता की शर्तें पूरी होती हों।

विवरण

ब्रान्च स्टोर

1. रायसीना रोड*
2. योजना भवन
3. आर.के. पुरम-IV*
4. सरोजनी नगर "बी" ब्लॉक*
5. "ए" ब्लॉक
6. मोती बाग-I*
7. आर.के. पुरम-I*
8. मालरोड
9. नेताजी नगर*
10. काली बाड़ी*
11. मोती बाग-II *
12. आर.के. पुरम-II
13. कस्तूरबा नगर*
14. पंडारा रोड*
15. देव नगर #
16. एन्ड्रज गंज
17. आर.के. पुरम (पश्चिमी)
18. सरोजनी नगर "एच" ब्लॉक *
19. कर्जन रोड *
20. आर.के. पुरम-Ixए *
21. संघ लोक सेवा आयोग
22. एन.सी.ई.आर.टी. *
23. मिण्टो रोड *
24. प्रेम नगर *
25. एशिया हाऊस
26. जल विहार *
27. सादिक नगर*
28. तिमार पुर
29. मोती बाग (उत्तर-पश्चिम)
30. प्रगति विहार *
31. चितरंजन पार्क *
32. पुष्प विहार-I*
33. ए.एस.आई.
34. पटेल धाम *
35. नॉर्थ ब्लॉक
36. डी.आई.जेड. एरिया *
37. लोधी कालोनी *
38. आर.के. पुरम-III *
39. आई.ए.आर.आई.पूसा *
40. किदवई नगर (पूर्वी)
41. आर.के. पुरम-I/II *
42. श्रीनिवास पुरी
43. आर.के. पुरम V *
44. नानक पुरा
45. बापा नगर *
46. नोरोजी नगर
47. आर.के. पुरम Ix "बी"
48. वसंत विहार *
49. सी.जी.ओ. काम्पलैक्स
50. पुष्प विहार IV *
51. पुष्पा भवन
52. पेशवा रोड *
53. आई.एन.ए. कालोनी *
54. सी.आर. बिल्डिंग
55. पीतम पुरा
56. एफ.सी.आई. बिल्डिंग
57. कालकाजी डी.टी.सी. डिपो
58. आई.ए.ए.आई. काम्पैलैक्स
59. पटपड़ गंज डी.टी.सी. डिपो
60. बी.बी.एम. डी.टी.सी. डिपो
61. हरी नगर डी.टी.सी. डिपो
62. कृषि विहार *
63. कृषि कुंज *
64. एन.टी.सी. बदरपुर
65. पंचवटी
66. संस्थागत बिक्री इकाई
67. वजीर पुर डी.टी.सी. डिपो
68. आई.आई.टी. हौज खास
69. मोबाईल वैन-I
70. मोबाईल वैन-II
71. मोबाईल वैन-III
72. मोबाईल वैन-IV

वर्तमान में कार्य नहीं कर रहा है।

(* उचित दर दुकान भी है)।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

4389. श्री मुनिलाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य परिस्थिति में नहीं भरा जाता है तथा नहीं भरे गए पदों को अगले वर्ष की रिक्तियों में शामिल कर दिया जाता है;

(ख) राजपत्रित स्तर के कितने पद खाली पड़े हैं अथवा मई, 1996 तक कितने खाली स्थान अगले वर्ष की रिक्तियों में शामिल कर लिए गए; और

(ग) क्या पिछले खाली पदों को भरने के लिए किसी नए प्रस्ताव अथवा नीति तैयार की जा रही है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न संवर्गों में आरक्षित पदों को संबंधित वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; तथा केवल योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर आरक्षण को, विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, और आगे बढ़ाया जाता हे। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए 9.7.1996 से छठा विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है और यह अभियान 31 मार्च, 1997 तक जारी रहेगा।

राजपत्रित स्तर के रिक्त पदों से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से रखी/मानीटर नहीं की जाती है।

परिलब्धियों का आगणन

4390. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1 अप्रैल, 1995 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजन हेतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/1/95-पी. एंड.पी.डब्ल्यू दिनांक 14 जुलाई, 1995 के द्वारा परिलब्धियों की गणना के लिए 1 अप्रैल, 1995 से मंहगाई भत्ते की मंहगाई वेतन मानकर सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को 31 मार्च, 1995 को सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों/उन व्यक्तियों जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल है से यह लाभ उन्हें भी देने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का यह लाभ उन व्यक्तियों को देने के लिए उद्देश्य से इस आदेश की पुनरीक्षा करने का विचार है जिनकी जन्म तिथि 1 अप्रैल, 1937 है लेकिन जो 31 मार्च, 1995 को सेवानिवृत्त हो गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी हां, दिनांक 14 जुलाई, 1995 के आदेश, केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो दिनांक पहली अप्रैल, 1995 को अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होते हैं;

(ख) जी हां।

(ग) तथा (घ). विद्यमान नियमों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी, जिसकी जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को पड़ती है, को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर पिछले महीने की अंतिम तारीख के अपरान्ह में सेवानिवृत्त होना होता है। तद्नुसार वे कर्मचारी जिनकी जन्मतिथि पहली अप्रैल, 1937 थी और जो 31 मार्च, 1995 को सेवानिवृत्त हुए, दिनांक 14 जुलाई, 1995 के आदेश की प्रसुविधाएं पाने के पात्र नहीं हैं। उक्त नीति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आरक्षण नियमों को कार्यान्वित न किया जाना

4391. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार नियुक्ति और प्रोन्नति के संबंध में आरक्षण नियमों को क्रियान्वित न किए जाने संबंधी कितने मामले केन्द्र/राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी आयोग के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) अब तक कितने मामलों को निपटाया गया है और 1993/1994 और 1995 से कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ग) कितने विभाग/संगठन अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नियमों के क्रियान्वयन की जांच हेतु आयोग के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं;

(घ) आयोग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और क्या कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो आयोग को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की गिरफ्तारी

4392. श्री दरबारा सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनियमितताओं/कदाचार के आरोपों के आधार पर गिरफ्तार/निलंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ऐसे अधिकारियों के क्रियाकलापों पर और अधिक सतर्कता रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/एहतियाती उपाय किए गए हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(2) के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य दोनों की सरकार अपने अधीन सेवारत भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को, जब कभी वह अनियमितताओं/कदाचार सहित किसी दण्डनीय अपराध के कारण 48 घण्टों से अधिक समय के लिए गिरफ्तार किया जाता है/हिरासत में रखा जाता है, निलंबित करने के लिए सक्षम है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, इस वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अन्य अधिकारी जिन्हें मई, 1992 में निलंबित किया गया था, उक्त परिस्थितियों में वह अभी भी निलंबित चल रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य दोनों ही सरकारों के पास पर्याप्त संस्थागत उपाय हैं।

[हिन्दी]

विदेशी दौरे

4393. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 और 1996-97 के दौरान-दौरों पर गए सचिवों की मंत्रालय-वार संख्या कितनी है; और

(ख) इन दौरों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

निधियों हेतु मानदण्ड

4394. डा. बल्लभ भाई कठेरिया : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु केन्द्रीय सामूहिक निधियों के आबंटन के लिए नियम और मानदण्ड क्या हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंड स्कीम के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसे मानदंड एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आर ओ एन डी डब्ल्यू एम) के लिये उदाहरण स्वरूप नीचे दिये गये हैं :

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

आई आर डी पी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो 50:50 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह देश के सभी ब्लॉकों में प्रचालित है। इसके अन्तर्गत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय निधियां आबंटित की जाती हैं।

जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)

जे आर वाई एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो 80:20 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच केन्द्रीय निधियों का आबंटन ग्रामीण संयंत्रों के उनके अंश के अनुसार किया जाता है। और यह प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जिलों को आबंटन पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किए जाते हैं जिसमें जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या और समान महत्व सहित प्रत्येक कृषक के कृषि उत्पादन की विपरीत स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक जिले को आबंटित निधियों का 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में वितरित किया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या को 60 प्रतिशत और कुल जनसंख्या को 40 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। शेष 20 प्रतिशत निधियां अन्त ब्लॉक/ग्राम कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तर पर रखी जाती हैं।

जे आर वाई के अन्तर्गत निधियों का एक लघु भाग विशेष और नवीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए आबंटित किया जाता है जैसे कि वे जिनका लक्ष्य श्रम प्रवास पर रोक लगाना, महिला रोजगार में वृद्धि करना और सूखा प्रूफिंग और जल संभर विकास आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम हैं।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)

ई ए एस सूखा प्रवण, मरूस्थल, जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित 1775 पहचान किए गए पिछड़े ब्लॉकों में 2.10.1993 से शुरू की गई थी। जहां सुधरी हुई लोक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) प्रचलित थी। ई ए एस को अब गोवा, पंजाब, चण्डीगढ़, पांडिचेरी और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में देश के 3206 ब्लॉकों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। अतिरिक्त ब्लॉकों में शामिल हैं। नये डी पी ए पी और डी डी पी ब्लॉक, संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (एम ए डी ए) ब्लॉक जहां जनजातियों का बहुत जमाव है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और जम्मू व कश्मीर में बाढ़ प्रवण ब्लॉक और वे ब्लॉक जिन्हें पहले तीव्रीकृत जवाहर रोजगार योजना (आई जी आर वाई) के अन्तर्गत कवर किया गया था। ई ए एस जो मांग आधारित स्कीम हैं, के अन्तर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षीण कृषि मौसम के दौरान शारीरिक कार्य की मांग के अनुरूप निधियों की मांग कर सकते हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय धनराशि का आबंटन निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार किया जाता है।

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या का 35 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

(3) गरीबी के विस्तार को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

(4) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) और विशेष श्रेणी पहाड़ी राज्यों की विशेष श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12.5 प्रतिशत महत्व क्षेत्रों को तथा 12.5 प्रतिशत जनसंख्या को दिया जाता है।

उपर्युक्त (1) से (4) के आधार पर राज्य के लिए आंकलित कुल राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्रक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एक एन पी) के अन्तर्गत किए गए समनुरूप प्रावधान की शर्त्राधीन होगी।

अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण

4395. श्री डी.पी. यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से क/ख/ग/घ/ग्रुप की भर्ती पदों को भरने के लिए अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण प्रमुख रूप से कार्यान्वित हुआ है;

(ख) क्या 1995 में अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा की विभिन्न सेवाओं मे अन्य पिछड़े वर्ग हेतु कोई पद आरक्षित किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति चयनित किए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्तों के माध्यम से सिविल पदों और सेवाओं को भरते समय अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किए जाने से संबंधित सरकारी अनुदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (घ). चूंकि अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा, सहायक तथ आशुलिपिक श्रेणी "ग" ग्रेड से पदोन्नति के लिए केवल एक सीमित विभागीय परीक्षा है, अतः अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित सरकारी अनुदेश इस पर लागू नहीं होते।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

4396. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति महत्वपूर्ण विवादास्पद मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो के पास जून, 1996 तक जांच करने के लिए कुल कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या ब्यूरो के पास भी बहुत से मामले बहुत लम्बे समय से लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो छह माह से दो वर्ष, दो वर्ष पांच वर्ष और उससे अधिक समय से जांच के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या क्या है और उनका पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जांच में अधिक समय लगने के कारण एक तरफ तो जांच कार्य और कठिन हो जाता है और दूसरी ओर इसकी निष्पक्षता भी संदेहाष्पद हो जाती है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, हां।

(ख) 30.6.1996 को कुल 1689 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास जांच के लिए लम्बित थे।

(ग) तथा (घ). लंबित मामले जटिल प्रकृति के हैं तथा इनमें व्यापक जांच की आवश्यकता है, जिसमें विदेशों में की जाने वाली जांच भी शामिल है तथा इनका राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार है, अतः बहुत अधिक समय लग जाता है और मामले जांच के लिए लम्बित पड़े रहते हैं। उपर्युक्त 1689 मामलों में से 892 मामले 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक के, 256 मामले 5 वर्षों तक के जांच के लिए लम्बित पड़े हैं तथा केवल 21 मामले 5 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं।

(ङ) तथा (च). यह सही है कि मामलों के अधिक समय तक लम्बित पड़े रहने से गवाहों के न मिल पाने तथा उनकी धुंधली पड़ती याददाश्त और साक्ष्य एकत्रित करने में आने वाली कठिनाई आदि जैसे विभिन्न कारणों से आगे की और जांच करना कठिन हो जाता है परंतु निष्पक्षता पर संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक प्रमुख व्यावसायिक (प्रोफेशनल) जांच एजेन्सी है जो निष्पक्षता के लिए प्रख्यात है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा

4397. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह सोचती है कि चालू गरीबी रेखा वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत नियमों पर तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन नियमों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का गरीबी रेखा की समीक्षा करने तथा पुनः निर्धारित करने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) योजना अयोग द्वारा 1979 में गठित न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी खपत मांग पर कृतिक बल ने गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति खपत व्यय स्तर के रूप में परिभाषित किया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2435 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2095 कैलोरी क्षमता थी। ये कैलोरी मापदण्ड पोषाहार विशेषज्ञ दल (1968) द्वारा सिफारिश किए गए कैलोरी क्षमताओं के साथ संकलित जनसंख्या की आयु, लिंग, कार्यकपला, वितरण से प्राप्त किए गए थे। 1973-74 में देखे गए उपभोक्ता आचरण के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि औसत रूप से 4909 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का खपत व्यय ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी क्षमता और शहरी क्षेत्रों में प्रति दिन 2100 कैलोरी क्षमता से सहबद्ध है।

(ग) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही उठता।

अवैध ढांचा

4398. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या **प्रधान मंत्री** अवैध ढांचे के संबंध में स्थगन आदेश के बारे में 1 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2227 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत ढांचों को गिराने एवं अतिक्रमण को हटाने के विरूद्ध कुल कितने स्थगन आदेश दिए गए और उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : दिल्ली छावनी बोर्ड, भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जिन मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिए गए हैं उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

भूमि तथा विकास कार्यालय

केस का नाम

1. मदन लाल जैन बनाम संघ सरकार
2. ज्ञान देवी जैन बनाम संघ सरकार
3. आर.के. शर्मा बनाम संघ सरकार
4. भागमल बनाम संघ सरकार
5. दीनानाथ बनाम संघ सरकार
6. ईश्वर दास बनाम संघ सरकार
7. गुरदयाल सिंह बनाम संघ सरकार
8. अब्दुल कादिर बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य

दिल्ली छावनी बोर्ड

कमलेश खट्टर बनाम दिल्ली छावनी बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस प्रकार की कोई वर्गीकृत सूचना नहीं रखी जाती।

दिल्ली नगर तथा नई दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पेंशन

4399. श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन देने से मना कर दिया है जबकि उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन प्रदान की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका औचित्य क्या है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उग्रवादियों को आम माफी

4400. श्री मंगत राम शर्मा :
डा. एम.पी. जायसवाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों को आम माफी प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कुल कितने उग्रवादियों को आम माफी प्रदान की जाएगी?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है।

जम्मू तथा कश्मीर के शरणार्थी

4401. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1947, 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आकर अब जम्मू में बसे शरणार्थी अत्यंत दयनीय एवं अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शरणार्थियों के विकास हेतु विशेष धन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ङ). पाक अधिकृत क्षेत्र के शरणार्थियों को सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बसाया गया था तथा उन्हें भूमि, अनुग्रह राहत, रिहायशी प्लाट, अनुदान और ऋण इत्यादि सहित पर्याप्त पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराए गए थे। चूंकि वे बहुत समय पहले बस गए थे, इसलिए आशा की जाती है कि वे मुख्यधारा के साथ घुलमिल गए हैं तथा वे इस समय जारी विकास योजनाओं के अधीन उपलब्ध उन सुविधाओं को पाने के पात्र हैं जो जम्मू व कश्मीर के सामान्य नागरिकों को मिल रही है।

ऊधमपुर से प्रवास

4402. श्री मंगत राम शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊधमपुर जिले के मलोर तहसील में एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा गत दो माह से सुरक्षित स्थानों पर प्रवास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार गुल और एरना के कुछेक क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समिति के दो सदस्यों सहित सिविलियनों की हत्या की कुछ घटनाओं के परिणामस्वरूप और जून और अगस्त 1996 की अवधि के बीच कुछेक गांवों पर उग्रवादियों द्वारा हमला किए जाने और माहौर क्षेत्र में उग्रवादियों के मौजूद होने की आशंकाओं के कारण उक्त क्षेत्रों से उसी जिले में अन्य स्थानों पर कुछ प्रावसन हुआ था। सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर उग्रवादी-विरोधी अभियान चलाए गए और थिन्डसा, चाचुआ संगलदन और एरना सहित विभिन्न सुभेदय क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त पिकेटें स्थापित की गयी। इनसे और अन्य उपायों जैसे कि जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती में आमतौर पर वृद्धि किए जाने और ग्राम रक्षा समितियों की स्थापना करने इत्यादि से लोगों के विश्वास को बहाल करने में मदद मिली। बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रवास कर गए थे वे अब अपने घरों को वापस आ गए हैं।

हथियारों की बरामदगी

4403. श्री तारीक अनवर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में आतंकवादियों से बरामद किए गए हथियार आतंकवादियों के विरूद्ध इस्तेमाल करने के लिए अर्द्धसैनिक बलों को दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बरामद किए गए हथियार अर्द्धसैनिक बलों को दिए गए हथियारों से बहुत अधिक आधुनिक हथियार हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). विभिन्न एजेंसियों से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

आतंकवादियों द्वारा अत्याचार

4404. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों के समक्ष समर्पण कर चुके आतंकवादी राज्य में निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी आतंकवादियों का पुनर्वास करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). आत्मसमर्पणकारी उग्रवादियों के कथित अत्याचारों की रिपोर्टें समय-समय पर जाती रही हैं। सरकार का दृष्टिकोण हिंसा के रास्ते से अलग हटने के इच्छुक सभी लोगों को प्रोत्साहित करने और साथ ही उन्हें समाज की मुख्यधारा में उचित ढंग से पुनर्वासित करने में मदद देने का रहा है। परन्तु इसी के साथ हिंसा एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्ति के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

(ग) और (घ). जहां तक समर्पणकारी उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रश्न है, नीति में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायों में जीवनवृत्ति सहित व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने पर विचार किया गया है ताकि उन्हें केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अधीन स्वरोजगार के कामों में लगाया जा सके तथा उनकी योग्यताओं एवं पिछले क्रियाकलापों को देखते हुए उन्हें केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों सहित विभिन्न सरकारी संगठनों में भर्ती कराया जा सके।

उग्रवादियों द्वारा अत्याचार

4405. डा. एम.पी. जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उग्रवादियों द्वारा कश्मीर में कितने प्रवासी कश्मीरी लोगों के मकान जला दिए गए;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति है जिन्हें मुआवजे के रूप में बीमा राशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यहां के प्रवासी लोगों के घरों को जला दिए जाने की स्थिति में इन्हें अन्य राज्यों में दी जाने वाली बीमा राशि भी नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (घ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) से (घ). उन कश्मीरी प्रवासियों, जिनके घरों को उग्रवादियों द्वारा जला दिया गया था/क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, को मूल्यांकित हानि के 50 प्रतिशत की दर से अनुग्रह राहत प्रदान की जा रही है जोकि अधिक से अधिक एक लाख रुपये हो सकती है। सरकार ने 3758 मामलों में से 3218 मामलों में भुगतान कर दिया है। जिन प्रवासियों ने अपने घरों का बीमा कराया हुआ था उन्हें संबंधित बीमा कम्पनियों से दावों का भुगतान हो रहा है। उनके दावों का निपटान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं तथा करीब 95 प्रतिशत दावों का निपटान कर दिया गया है, जो किसी भी मानदण्ड से एक उच्च प्रतिशतता है। इसके सिवाए कि राज्य में व्याप्त स्थिति को देखते हुए कुछ प्रक्रियात्मक छूट प्रदान की गई है, उनके दावों को अन्य राज्यों में लागू नीति के अनुसार निपटाया जा रहा है।

घटिया सामग्री का प्रयोग

4406. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ठेकेदारों ने आई.आई.आई.पी. नोएडा के निर्माण कार्य में निविदाओं में उल्लिखित विशिष्टताओं के अनुसार मानक गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष है और चूककर्त्ताओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए किन एहतियाती उपायों पर विचार किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) न्यू ओखला इन्डस्ट्रीयल डबलपमेंट अथारिटी (नोएडा) ने सूचना दी है कि उन्होंने किसी संगठन/संस्थान/सरकारी विभाग के लिए निर्माण कार्य नहीं किया है जिसके संक्षिप्त नाम आई.आई.आई.पी. के हों। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन्हीं विचारों का समर्थन किया है।

उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं/उप-स्टेशनों की स्थापना

4407. डा. बलिराम :
श्री एम.पी. जायसवाल :
श्री हरिवंश सहाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर कुल कितना व्यय होगा;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और वाराणसी जिलों में विद्युत उपस्टेशनों की स्थापना हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक विद्युत परियोजाओं/उप-स्टेशनों की स्थापना कर दी जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम/ स्थान	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का प्रत्याशित समय	किया गया खर्च (करोड़ रुपये में)
1.	टांडा टीपीएस यूनिट-4 जिला फैजाबाद	110	6/97	42056 (सभी 4 यूनिटों के लिए 3/96 तक)
2.	फिरोजगांधी ऊंचाहार टीपीपी चरण-2 जिला रायबरेली	2×210	यूनिट-1 1/2000 यूनिट-2 7/2000	16968 (6/96 तक)
3.	टिहरी चरण-I जिला टिहरी गढ़वाल	4×250	2000-01	103654 (3/96 तक)
4.	सोबला जिला पिथौरागढ़	2×3	3/97	1170 (3/96 तक)
5.	मनेरी भाली चरण-2 जिला उत्तरकाशी	4×76	2000-01	17381 (3/95 तक)
6.	लखवर व्यासी जिला देहरादून	3×100 + 2×60	2000-01	7000 (3/95 तक)

परियोजनाएं जो प्रस्ताव की स्थिति में हैं वे निम्नवत है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	परियोजना का स्थल (जिला)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी	4×100	चमोली	2199.00
2.	रोसा (फेज I) टीपीपी	2×250	शाहजहांपुर	2468.28
3.	श्रीनगर एचईपी	5×66	पौड़ी गढ़वाल	1270.63
4.	अनपारा "सी" टीपीएस	2×500	सोनभद्रा	4203.00
5.	टिहरी चरण II	2×250	टिहरी गढ़वाल	

(घ) जी, हां।

(ङ) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक स्वीकृतियां और वित्तीय पेकेज सुनिश्चित किए जाने के बाद ही परियोजनाओं/उप-स्टेशनों को चालू किया जाना प्रत्याशित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

4408. डॉ. बलिराम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनका विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ख) क्या विद्युतीकरण कार्य के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि मार्च, 1996 के अंत तक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 3,323 आबादी वाले गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) से (घ). ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को आजमगढ़ जिले में विद्युतीकरण कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के लिए आर्थिक कार्यक्रम

4409. श्री कोडीकुनील सुरेश :
श्री ई.अहमद :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लिए कोई नया आर्थिक कार्यक्रम लागू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(क) और (ख). जी हां, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर में विकास की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने और चल रही परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी निर्णय लिया है। इनमें से कुछ परियोजनाएं निम्न प्रकार से हैं :—

(क) राष्ट्रीय परियोजना के रूप में उधमपुर से बारामुल्ला तक 290 किलोमीटर रेलवे लाईन का निर्माण।

(ख) जम्मू और कश्मीर के बीच एक विश्वसनीय विकल्प सम्पर्क के रूप में मुगल सड़क का निर्माण; और

(ग) बिजली की कमी से प्रभावित राज्य को और अति आवश्यक राहत देने के लिए राज्य में दुलहस्ती और उड़ी हाईड्रो परियोजनाओं का निर्माण।

इसके अतिरिक्त, राज्य में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव हैं :—

(क) उग्रवाद से प्रभावित छोटे धन्धों को ऋण-राहत

पर्यटन, लघु उद्योग, परिवहन और होटल इत्यादि जैसे धन्धों में लगे लोगों, जो पिछले 6-7 वर्षों के दौरान आतंकवाद से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, को तुरन्त राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार का प्रस्ताव ऋण लेने वाले उन सभी व्यक्तियों के ऋण और ब्याज माफ करने का है, जिन्होंने मूलतः 50,000 रु. से कम या इस राशि तक का ऋण लिया था ताकि अपना कारोबार पुनः शुरू करने के लिए वे बैंकिंग क्षेत्र से फिर से नया ऋण ले सकें। जिन्होंने 50,000 रु. से अधिक राशि का ऋण लिया है, उनके मामले पर विचार करने के लिए एक इन्टर-मिनिस्टोरियल समिति गठित की जाएगी।

(ख) 1996-97 के लिए जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष केन्द्रीय प्लान सहायता

गैर-योजना के अन्तर को पूरा करने के लिए विशेष केन्द्रीय प्लान सहायता के रूप में जम्मू और कश्मीर राज्य को चालू वित्त वर्ष के दौरान 352 करोड़ रु. की राशि दी जा रही है ताकि सम्पूर्ण योजना परिव्यय, विकास स्कीमों के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

(ग) लेह जिले में पर्यटन के लिए मूल-संरचना का विकास

लेह क्षेत्र में पर्यटन को और प्रोत्साहन देने के लिए लेह में सम्मेलन केन्द्र स्थापित करने के लिए 2.40 करोड़ रु. की राशि आवंटित की जा रही है।

(घ) कारगिल में हवाई-अड्डे का विकास

25 करोड़ रु. के अनुमानित लागत से कारगिल हवाई-अड्डे के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी बीच, सरकार का सर्दियों में कारगिल के लिए एक पखवाडे में हैलीकोप्टर सेवा को वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर साप्ताहिक हैलीकोप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। आवश्यक आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

बाराबंकी में ग्रामीण विकास योजनाएं

4410. श्री राम सागर : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आई.आर.डी.पी., आर.ई.पी., जे.आर.वाई. और ई.पी.एस. के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को कोई धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता योजनावार किन-किन योजनाओं से लाभान्वित हुई है; और

(ग) 1996-97 के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए बाराबंकी हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई निधियां निम्नानुसार हैं :—

क्र. सं.	योजनाएं	आबंटित निधियां	रिलीज की गई निधियां		
			केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20,316.50	5,078.12	4,993.39	10,071.51
2.	जवाहर रोजगार योजना	42,334.89	16,933.96	4,233.49	21,167.45
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	—	820.00	205.00	1,025.00

(ख) व (ग). ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सूचना की निगरानी नहीं रखी जाती है। 1996-97 के दौरान बाराबंकी जिले को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई निधियां और उपर्युक्त योजनाओं से प्राप्त लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

क्रमांक	योजनाएं	आबंटित निधियां	रिलीज की गई निधियां			इस्तेमाल की गई निधियां	भौतिक उपलब्धि
			केन्द्रीय	राज्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	419.13	104.78	104.78	209.56	एन.आर	एन.आर
2.	जवाहर रोजगार योजना	772.41	308.96	77.24	386.20	82.79	जून 96 तक 1-3 लाख श्रमदिन सृजित किए गए
3.	सुनिश्चित रोजगार योजना	—	—	—	—	37.49	0.43 -वही-

एन.आर. सूचित नहीं किया

ग्रामीण विद्युतीकरण

4411. श्री रामसागर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभी कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है;

(ख) इन गांवों के विद्युतीकरण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1996 तक उत्तर प्रदेश के बाराबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 806 आबाद गांवों का विद्युतीकरण किया जाना बाकी है।

(ख) तथा (ग). ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम के लिए निधियों का आवंटन राज्य के लिए समग्र रूप में योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श से वार्षिक रूप में किया जाता है। जिलेवार प्राथमिकता राज्य के लिए समग्र आवंटन के भीतर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। संसाधनों तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, निर्वाचन क्षेत्र के शेष गैर-विद्युतीकरण गांवों के 9वीं योजना तथा पश्चातवर्ती योजना अवधि के दौरान विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

काउन्टर मैगनेट सिटी योजना

4412. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काउन्टर मैगनेट सिटी परियोजना के अन्तर्गत लाये गये शहरों के विकास के लिए कौन-सी योजना स्वीकृत की गई है;

(ख) इस संबध में बरेली के लिए क्या योजना है; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत बरेली के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में काउण्टर मेग्नेट सिटी योजना में शामिल शहरों के विकास के लिए स्वीकृत स्कीम में आर्थिक अवसरों और अवस्थापनात्मक सुविधाएं मुहैया करने जैसे कार्यकलापों का विकास करने का विचार रखा गया है ताकि ये काउंटर मेगनेट शहर, राजधानी की ओर बढ़ते प्रवसन के प्रवाह में भावी अवरोधक का कार्य कर सकें और यथा समय में शहरीकरण को एक संतुलित पद्धति विकसित करने में सहायता देने के लिए वृद्धि केन्द्रों के रूप में कार्य कर सकें।

(ख) कार्य योजना 1996-97 के अनुसार बरेली काउण्टर मेगनेट के लिए बरेली में आरंभ की जानी प्रस्तावित स्कीमें इस प्रकार हैं :—

(1) ट्रांसपोर्ट नगर (शाहजहांपुर रोड)

(2) रामपुर रोड रिहायशी स्कीम

(3) मास्टर प्लान रोड सं. 3

(4) केन्द्र सरकार के कार्यालय

(ग) 1993-94 के दौरान कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

पिछड़े जिलों का विकास

4413. श्री इलियास आजमी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के शाहबाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत हरदोई तथा खीरी जिलों के अत्यधिक पिछड़े होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के विकास हेतु योजना तैयार करने का है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य में पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यद्यपि योजना आयोग योजना निधियों के आबंटन के माध्यम से राज्य के समग्र विकास में सहायता करता है। इसके अलावा राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से भी केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

अनुसंधान केन्द्र

4414. श्री डी.पी. यादव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमान्त क्षेत्रों में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में ऐसे अनुसंधान केन्द्रों को स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ). सीमान्त क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न अभिकरणों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तानी शरणार्थी

4415. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में कितने पाकिस्तानी शरणार्थी रह रहे हैं और उनको नागरिकता प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन शरणार्थियों को विगत चार दशकों से पूर्व आबंटित कृषि भूमि से बिना किसी ठोस आधार के बेदखल कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या इन शरणार्थियों को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में भी आबंटित भूमि से बेदखल किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

4416. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में मारे गए/घायल हुए लोगों को दी गई अनुग्रह राशि कितनी है तथा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) प्रत्येक जिले में लम्बित मामलों की संख्या तथा उनके निपटान में विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) राहत प्रदान करने का निर्धारित मानदण्ड क्या है;

(घ) प्रत्येक जिले में उग्रवाद संबधी मामलों में घरों और अन्य सम्पत्ति के नुकसान के बदले उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष दी गई मुआवजा/राहत राशि क्या थी; और

(ङ) प्रत्येक मामले में आतंकवादियों/विध्वंसकारियों द्वारा पवित्र मस्जिद चरारे शरीफ सहित क्षतिग्रस्त किए गए धार्मिक स्थलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए कितनी राशि खर्च की गई?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य प्रदूषण बोर्ड

4417. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बोर्ड के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर में कोई प्रदूषण विरोधी उपकरण की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जम्मू-कश्मीर में कितनी चूककर्ता इकाईयों का पता लगाया गया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) से (ग). राज्य में जम्मू एवं कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1987 में जल प्रदूषण (निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन की गई थी। यह बोर्ड तभी से अस्तित्व में है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता आ रहा है। प्रदूषण संबंधी क्लीयरेंस के लिए बोर्ड में आवेदन देना, प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए अनिवार्य है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य की समस्या औद्योगिक इकाइयों पर दबाव डालता रहा है कि वे प्रदूषण रोधी उपाय करें और जहां भी जरूरी हो वहां मल-शोधन संयंत्र लगाएं तथा बोर्ड द्वारा ऐसी किसी भी औद्योगिक इकाई को अनुमति-पत्र जारी नहीं किया जाता जो प्रदूषण कारक श्रेणी में आती हो और जिसने कोई प्रदूषण रोधी युक्ति न लगाई हो। जम्मू के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 14 औद्योगिक इकाइयों ने मल शोधन संयत्र लगाए हैं और लगभग 60 इकाइयों ने निस्सरण नियंत्रण युक्तियां अपनी इकाइयों में स्थापित की है।

(घ) राज्य में अनेक औद्योगिक इकाइयों की पहचान पर्यावरण संरक्षा संबधी विभिन्न कानूनों के अधीन, दोषी इकाइयों के रूप में की गई है। इस बारे में राज्य के अलग-अलग न्यायालयों में चूककर्ता 43 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया है। 17 मामलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा-5 के अधीन बन्दी हेतु राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है जिनमें से 7 मामले अभी भी उनके पास लंबित हैं। 12 मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133 के अधीन कार्रवाई हेतु जिला मजिस्ट्रेटों के पास भेज दिए गए हैं, चूककर्ता इकाइयों की जल/विद्युत आपूर्ति काट देने के लिए संबंधित एंजेंसियों को उनको निदेश जारी किए गए हैं, प्रदूषण फैलाकर विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन की गलती करने वाली औद्योगिक इकाइयों को जल एवं वायु अधिनियमों के अधीन अनेक नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी एजेंसियों (यू ई ई डी), नगर पालिका प्राधिकारियों आदि को भी नोटिस जारी किए गा हैं कि वे राज्य में प्रदूषण काबू पाने के लिए विभिन्न उपचारात्मक उपाय करें।

इलाहाबाद में स्वच्छता

4418. डा. मुरली मनोहर जोशी : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में गरीबी रेखा रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवारों को 1996 के दौरान व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(ख) इलाहाबाद जिले में कितने ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 1996 में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) 1996-97 में उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले कुल 2130 परिवारों को व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

(ख) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 1996-97 में इलाहाबाद जिले में प्राइमरी स्कूलों में शौचालयों को उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

जल-मल निकासी व्यवस्था

4419. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में जल-मल निकासी व्यवस्था के लिए धन उपलब्ध कराने के संबंध में 24 जून, 1996 को एक पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सुनिश्चित रोजगार योजना

4420. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुनिश्चित रोजगार योजना किन-किन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) क्या सुनिश्चित रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकास प्रखण्डों में लागू की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या फतेहपुर जिला को इस योजना के अन्तर्गत और पूर्वांचल विकास निधि के तहत शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में नहीं किया जा रहा है। फिर भी सुनिश्चित रोजगार योजना निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है :- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप।

(ख) सुनिश्चित रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकास खण्डों में कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना उन पिछड़े विकास खण्डों जिनमें पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी, में तथा असम, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मरू भूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों, सूखा प्रवण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। ऊपर उल्लिखित मानदण्डों में राज्य के सभी विकास खण्ड शामिल नहीं हैं।

(घ) फतेहपुर जिला सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित मानदण्डों में फतेहपुर जिला नहीं आता है।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का परिसीमन

4421. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नोएडा/ग्रेटर नोएडा के लालडोरा क्षेत्र के परिसीमन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस संबंध में कुछ ज्ञापन/प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इस मामले में देरी के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि से बेदखल कर दिए व्यक्तियों को मुआवजा

4422. श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा/ग्रेटर नोएडा के किसानों की उनकी भूमि अधिग्रहण किए जाने के एवज में दी गयी मुआवजा राशि बाजार दर से अत्यधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान आज तक किसानों को उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के एवज में उन्हें उचित मुआवजा प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश के खुर्जा में विद्युत का संकट

4423. श्री अशोक प्रधान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत के गंभीर संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कारगर कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख). किसी राज्य के क्षेत्र विद्युत में विद्युत की आपूर्ति करना राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है जो कि प्रत्येक क्षेत्र को उसके महत्व/प्राथमिकता तथा राज्य में विद्युत की समग्र उपलब्धता के आधार पर उसे आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की मात्रा का निर्धारण करता है। अप्रैल-जुलाई, 1996 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संबंधी कुल आवश्यकता 13700 मिलियन यूनिट थी जिसकी तुलना में उपलब्धता 11732 मिलियन यूनिट रही जो कि 14.4 प्रतिशत कमी की द्योतक है।

(ग) उत्तर प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में विद्यमान क्षमता से अधिकतम विद्युत का उत्पादन करना, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, प्रभावी भार प्रबंधन तथा ऊर्जा संवर्धन उपाय करना और पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना शामिल है।

रोजगार प्रदान करना

4424. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू कश्मीर में प्रत्येक परिवार को एक नौकरी देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने उन आर्थिक क्षेत्रों तथा भूगौलिक क्षेत्रों के संबंध में निर्णय ले लिया है जहां ये नौकरियां उपलब्ध कराई जाएगी;

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितना वित्तीय परिव्यय होगा; और

(घ) यह कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : श्री आर.एल. जालप्पा की ओर से मैं हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 557(अ) जो 7 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें केवल हैण्डलूम द्वारा उत्पादन के लिए 'टैक्सटाइल आर्टीकल्स' के आरक्षण के लिए आदेश अन्तर्विष्ट है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 433/96]

वर्ष 1994-95 के लिए सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली और टाटा इंस्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा उनके कार्यकरण की समीक्षा तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उप-धारा (4) आदि के अंतर्गत अधिसूचना।

योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा

(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 434/96]

(3)(एक) टाटा इन्स्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इन्स्टिट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 435/96]

(5) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) परमाणु ऊर्जा (कारखाने) नियम, 1996 जो 22 जून, 1996 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) परमाणु ऊर्जा (खाद्य के किरणन का नियंत्रण) जो 22 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254 में प्रकाशित हुई थी।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 436/96]

विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की समीक्षा

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस.वेणुगोपालाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(1) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 437/96]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) तथा प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उप धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना :

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (मुख्य निजी सचिव) भर्ती नियम, 1996 जो 1 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 344 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 438/96]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1996 जो 23 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 147 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृति प्रसुविधा) संशोधन नियम, 1996 जो 6 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 271 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1996 जो 27 जुलाई, 1997 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1996 जो 27 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 312 में प्रकाशित हुए थे।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233 जो 8 जून, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 18 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480 का शुद्धि पत्र है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 439/96]

कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा (3) की उप धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा की ओर से मैं कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत जायफल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1995 जो 23 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 145 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 440/96]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय श्री श्याम बिहारी मिश्र और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 सितम्बर, 1996/15 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।